खण्ड–30, अंक–01
बुधवार, 01 आश्विन, शक संवत्, 1932
(22 सितम्बर, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2010)

(खण्ड 30 में 2 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
"राष्ट्रीय गीत"	1
नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर विपक्ष द्वारा चर्चा कराये जाने की माँग ..	1–7
प्रश्नोत्तर	8–51
नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर चर्चा (क्रमागत)	51–103
वित्तीय वर्ष, 2010–11 के अनुपूरक अनुदान माँगो का प्रस्तुतीकरण	104
नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर पुनः चर्चा (क्रमागत)	104–164
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के "राज्य सरकार के वित्त" पर प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	164
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के "निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास" की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	164
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के "लेखा परीक्षा" पर प्रतिवेदन" (सदन के पटल पर रखा गया)	164
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2010 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	165
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	165

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	165
उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	165–166
उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संशोधन) विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	166
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	166
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 (अधिनियमित होने की घोषणा)	166–167
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	167
पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010..... (पुरःस्थापित)	167
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	168
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाए	168–169
उत्तराखण्ड राज्य में भारी वर्षा, बाढ, प्राकृतिक दैवीय आपदा को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाय, पर संकल्प (स्वीकृत) ...	169
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में आई भीषण दैवीय आपदा के कारण असमय काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक संवेदना का प्रस्ताव ...	169–170
नत्थियाँ	171–212

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गणेश जोशी
14–श्री गोपाल सिंह
15–श्री गोपाल सिंह रावत
16–श्री गोविन्द लाल
17–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19–श्री चन्दन राम दास
20–श्री जोगा राम टम्टा
21–श्री जोत सिंह गुनसोला
22–हाजी तस्लीम अहमद
23–श्री तिलक राज बेहड़
24–श्री दिनेश अग्रवाल
25–श्री दिवाकर भट्ट
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–काजी मो0 निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पन्त
30–श्री प्रीतम सिंह
31–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
32–श्री प्रेमानन्द महाजन
33–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
34–श्री बलवीर सिंह नेगी
35–श्री बिशन सिंह चुफाल
36–श्री बंशीधर भगत
37–श्री बृजमोहन कोतवाल
38–श्री शेर सिंह गढ़िया
39–मेज0 जन0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0
40–श्री मदन कौशिक
41–श्री मयूख सिंह
42–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मट्टू भाई"
43–श्री मातबर सिंह कण्डारी
44–श्री कुलदीप कुमार
45–श्री यशपाल आर्य
46–श्री यशपाल बेनाम
47–मो0 यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत रावत
49–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50–श्री राजकुमार
51–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
53–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54–श्रीमती वीना महराना
55–श्री शहजाद
56–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60–श्री सुरेश चन्द जैन
61–डा0 हरक सिंह रावत
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही ''वन्दे मातरम्'' से प्रारम्भ की जाती है।

'राष्ट्रीय गीत'

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर विपक्ष द्वारा चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में आपदा के कारण जनजीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है।............ (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त है। पूरे प्रदेश में लाखों लोग घर से बेघर हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष

कृपया, आसन ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष

जब तक माननीय सदस्य अपना–अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

निश्चित रूप से नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं, जो प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित हैं। विषय अपने आप में बहुत गम्भीर है और इसका संज्ञान लेते हुए, चूँकि इसी क्रम में इसी विषय पर ही एक सरकारी संकल्प भी प्राप्त हुआ है। तो आप सभी चाहेंगे और सदन की भी यह इच्छा रहेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

पूरी बात आने दीजिए।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन तथा चौ0 यशवीर सिंह जी 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

सभी माननीय सदस्य और मैं यह कहूँगा कि सम्पूर्ण सदन की भी यह इच्छा है कि इस गम्भीर विषय पर पूरी तरह से चर्चा हो और मैं चाहूँगा कि जो औपचारिक कार्य थोड़े–बहुत हैं, वो निपटा दिये जायें और उसके बाद पूरी तरह से संकल्प पर और आपकी नियम–310 की सूचना पर एक घंटे की चर्चा हो जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) दोनों को सम्बद्ध करते हुए। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) मैंने पूर्व में भी कहा है, फिर बात को दोहराता हूँ कि इससे गम्भीर समस्या कोई और हो नहीं सकती और इससे गम्भीर विषय कोई और हो नहीं सकता और हम चाहते हैं और सदन भी यही चाहेगा, आप भी चाहेंगे कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का, अपने सुझाव देने का पूरा अवसर मिले तो इस सम्बन्ध में मैंने यह अनुरोध किया था कि औपचारिक कार्य निपटा लिये जायें और उसके बाद फिर विस्तार से सब बातों पर चर्चा कर ली जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मानमीय अध्यक्ष जी, सरकार सदन में चर्चा कराने को तैयार है। आप नियम–310 में कहते हैं, हम नियम–310 में भी चर्चा कराने के लिए तैयार है, विषय आये तो इसमें हमें कोई आपत्ति नही है। श्रीमन्, हम चर्चा कराना चाहते है क्योंकि यह सदन, यह सम्पूर्ण सदन जानना चाह रहा है कि इसके माध्यम से हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाह रहे है कि हमारे इस राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया जाय। श्रीमन्, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संकल्प इसी के साथ जुड़ जाएगा। श्रीमन। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। अगर एक विषय पर दो सूचनाएं हैं तो दोनों सूचनाओं को एकत्र किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? (व्यवधान) आप उसमें अपनी बात कह सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वो विषय चर्चा के माध्यम से तो आयेंगे, जब सदन में चर्चा होगी तभी तो विषय आयेंगे। हमने क्या किया है, किस तरह से विपरीत परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व किया है, ये तभी तो आयेगा जब सदन में चर्चा होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, आज यह पूरा सदन प्रदेश में जो आपदा आई है, इस सदन का हर सदस्य, इस प्रदेश का हर व्यक्ति इस समय इस आपदा की स्थिति से चिन्तित है, चाहे इधर बैठे सदस्य हों या उधर बैठे सदस्य हो, हम सब का एक ही उद्देश्य है, तो जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा आई है, हम इस पर चर्चा कराने के लिए निश्चित रूप से तैयार है और जो संकल्प की बात आई है, वह उसी से जुड़ा हुआ है, चर्चा के बाद पूरे सदन का जो निचोड़ हो, माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार की कमियाँ होगी, चर्चा का विषय यह है कि जहाँ पर हम कमजोर हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहाँ पर हम ठीक कर लेंगे। यह समय तर्क और कुतर्क का नहीं है बल्कि यह है कि हम कैसे इस आपदा का सामना और मुकाबला कर सकते हैं। पूरा प्रदेश इस सदन की ओर देख रहा है, सरकार पूरी ताकत के साथ इस सदन के साथ है। जो भी निर्देश सदस्यों को मिलेगा, हम लोगों को मिलकर चलना है, यह समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। यदि कहीं कोई मशीनरी या सरकार के स्तर पर कोई अपेक्षा होगी तो उसको भी हम पूरा करेंगे। श्रीमन्, यह आपका अधिकार क्षेत्र है, आप उस पर कब चर्चा कराना चाहेंगे। सरकार हर पल, हर क्षण इस पर चर्चा कराने को पूरी तरह तैयार है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानीनीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह पूरा सदन गम्भीर है। (व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल स्थगित कर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक निवेदन कर दूँ कि जैसे पूरे सदन की भावना है, मैं कहूँ कि इस प्रदेश की पूरी जनता की भावना है, यह जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस पर गम्भीरता से चर्चा हो, इसमें जो विचार निकल कर आयें और हम जो राहत पहुँचा सकें, वह पहुँचायें। मैंने निवेदन भी किया है, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए माननीय नेता सदन को भी कोई आपत्ति नहीं है और आपको भी कोई आपत्ति नहीं है, इस पर विस्तार से चर्चा हो जाये। मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा जो सरकारी कार्य है वह हो जाये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें गम्भीरता तभी आयेगी जब प्रश्नकाल स्थगित होगा। नहीं तो इससे प्रदेश भर में कोई गम्भीरता नहीं जायेगी। इसलिए प्रश्नकाल को स्थगित किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह पूरे प्रदेश में हालात हैं, मैं सोचता हूँ कि जो प्रश्न लगे हैं, वे सवाल हमारे माननीय सदस्यों द्वारा जब पूछे गये थे तब सामान्य परिस्थितियाँ थी। ज्यादातर सवाल बिजली, पानी और सड़क से सम्बन्धित थे। जिस सड़क से सम्बन्धित हमने सवाल पूछा था, वह सड़क ही नहीं रही, जिस पेयजल योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मरम्मत करने के लिए या जिस खाद्यान्न की समस्या के लिए हमने सवाल पूछा था, वह आज धरातल पर है ही नहीं, तो किसकी मरम्मत की जायेगी ? इसलिए जो हमारे द्वारा प्रश्न पूछे गये थे, तब इस तरह की स्थिति प्रदेश में नहीं थी, इसलिए उस समय इन प्रश्नों का औचित्य था। मैं सोचता हूँ कि जो ज्यादातर सवाल हैं वह विकास से जुड़े है, सड़क, बिजली, पानी, खाद्यान्न और तमाम कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। मैं सोचता हूँ कि आज बहुत सारे सवालों का अपने आप में बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह गया है। क्योंकि जिस तरह से हालात पूरे प्रदेश में हो गये है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकारी कार्य है, क्योंकि इस गम्भीरता को देखते हुए प्रदेश के जो हालात है, बहुत आपातकालीन स्थिति पूरे प्रदेश में उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले यह मैसेज प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक है जो जनता को लगे कि सदन आहूत हुआ है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदन आहूत हुआ है तो उसमें भी सदन में बड़ी गम्भीरता से हमारे पीड़ा को प्राथमिकता से लिया है और दूसरे जो सरकारी काम, रूटीन वर्क हैं, उसको बाद में लिया है। मैं सोचता हूँ सरकारी कार्य को बाद में लेते हुए पहले प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए इस पर चर्चा करा ली जाए और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि बाद में अन्य कार्य ले लिये जाएं।

श्री ओम गोपाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है। प्रश्नकाल तो बड़ी मुश्किल से एक घण्टा चलता है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारा यह मुद्दा है जिसके लिए मैं पिछले तीन सालो से लगातार प्रश्न लगा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आज नम्बर आया है और अब जब हाऊस खत्म हो जायेगा। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा पाँच सालों में यह प्रश्न फिर आ पायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य दोबारा भी सवाल दे सकते हैं। तब इनके प्रश्न का जवाब आ जायेगा।

श्री ओम गोपाल–

कब आयेगा ? माननीय अध्यक्ष जी, एक घण्टा तो प्रश्नकाल चलना ही चाहिए। बहुत जरूरी मुद्दे हमारे लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश का मामला है। बहुत मुश्किल से मेरा प्रश्न आया है। मेरे प्रश्न का उत्तर आने के बाद पूरे दिन भर चर्चा करा ली जाए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात आ गई है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष जी ने और अन्य सदस्यों ने जिन बातों को कहा है और यह बात सही है कि पूरे प्रदेश पर इससे पहले शायद ही कभी इतिहास में इतनी बड़ी आपदा आई हो। कभी उत्तरकाशी का क्षेत्र होता था, चाहे जनहानि ज्यादा होती थी लेकिन एक क्षेत्र में होता था तो पूरा प्रदेश जुट करके उस क्षेत्र को ठीक करने में जुट जाता था, या कभी चमोली मे हो जाती थी। क्षेत्र विशेष में तो घटनाएं हो जाती थी लेकिन श्रीमन्, 100 वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब पूरे प्रदेश का कोई भी हिस्सा आपदा से नही छूटा है। कोई तहसील नही छूटी, कोई गाँव नहीं छूटा है। इसलिए निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी आपत्ति आई है और मैं स्वयं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। माननीय ओम गोपाल जी हैं, उन्होंने कई बार पिछले सदनों में प्रश्न भी लगाया और आज बहुत ही मुश्किल से उनका इस बार प्रश्न आया, वैसे उनका जो भी प्रश्न होगा उसे मैं देखूँगा और उनसे मैं व्यक्तिगत बात भी कर लूँगा। यदि सारा सदन इस बात से सहमत है तो मैं सोचता हूँ कि इस पर चर्चा और सुझाव, किस तरीके से हम लोग इस आपदा के समय श्रीमन्, यह मैं जरूर चाहूँगा कि हम सदन से मार्गदर्शन लेंगे। कई बार होता क्या है कि कोई चीज प्रतिक्रिया में बोली जाती है तो कहीं की बात कहीं पहुँच जाती है। इस समय हम लोग एकजुटता के साथ इस आपदा को किस तरीके से मुकाबला करना है हमको उन समीक्षात्मक बिन्दुओं के साथ ऐसे कुछ सुझाव श्रीमन्, मिल जायें तो सरकार एक–एक बिन्दु का संज्ञान लेना चाहती है।

सरकार ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मशीनरी को लगातार जितनी भी सरकार के पास क्षमता थी, उसमें सरकार ने कोई कमी नहीं की है। लेकिन यदि किसी छोर पर कोई कमी आ रही होगी तो श्रीमन्, माननीय सदस्यों के सुझाव से दूर करेंगे तथा आगे हमको किस ढंग से इसको करना है, श्रीमन्, आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी से बात हुई, उनके प्रमुख सचिव से बात हुई, सभी लोग प्रधानमंत्री जी से लेकर, राष्ट्रपति जी से लेकर तमाम पूरा देश उत्तराखण्ड की इस आपदा के समय में पूरी सहानुभूति हमारे साथ रखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर निश्चित रूप से सभी नियमों का निलम्बन कर यदि आप उचित समझें तो चर्चा कराई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

मानगीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता सदन और माननीय ओम गोपाल जी को सुनने के पश्चात् सभी नियमों को निलम्बित करते हुए प्रश्नकाल स्थगित करते हुए इस विषय पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा करायी जायेगी और इसके साथ ही प्रस्तुत संकल्प पर भी चर्चा हो जायेगी। अभी मैं पूर्वाह्न 11.45 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखण्ड के गैर आबाद ग्रामों की जनपदवार स्थिति तथा पलायन के कारण

*1–श्री मयूख सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के जनपदवार ग्रामो की स्थिति, जो कि 1991 में आबाद थे, जनगणना–2001 के अनुसार गैर आबाद पाये गये हैं ?

क्या विभाग द्वारा इस तरह से पलायन कर ग्रामों के गैर आबाद होने के कारणो का पता लगाया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जनपदों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष, 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में गैर आबाद पाये गये ग्रामों की संख्या निम्नवत् हैं :–

क्र0सं0	जनपद	ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तरकाशी	6
2.	पिथौरागढ़	–
3.	चमोली	–
4.	ऊधमसिंह नगर	15
5.	टिहरी गढ़वाल	60

नोट – उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

1	2	3
6.	अल्मोड़ा	58
7.	रूद्रप्रयाग	5
8.	बागेश्वर	—
9.	चम्पावत	1
10.	पौड़ी	1
11.	नैनीताल	1
12.	हरिद्वार	—
13.	देहरादून	13

पलायन के मुख्य कारण शहरी/अन्यत्र स्थानों पर बेहतर शिक्षा, रोजगारों के अवसरों की उपलब्धता एवं अन्य आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, भौगोलिक, भूगर्भीय एवं दैवीय आपदा के कारण आदि हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री गणेश जोशी—

विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री किशोर उपाध्याय—

द्वितीय सोम० के ता०—15 में स्था०

जनपद देहरादून अन्तर्गत डांडा लखौण्ड स्थित ट्रैंचिंग ग्राउण्ड का स्थानान्तरण तथा उक्त भूमि उपयोग हेतु कार्य योजना।

*2—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या शहरी विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत सहस्रधारा रोड के डांडा लखौण्ड की 4.047 हैक्टेयर भूमि में स्थित ट्रैंचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के मास्टर प्लान के अनुसार उक्त ट्रैंचिंग ग्राउण्ड की भूमि किस रूप में उपयोग किये जाने की योजना है ?

योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस पर कब कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और कब पूर्ण होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, शहरी विकास, आबकारी एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)—

डांडा लखौण्ड में स्थित ट्रैंचिंग ग्राउण्ड को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना, जिसके क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही गतिमान है, के पूर्ण होने पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

देहरादून महायोजना 2025 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र का भू उपयोग व्यावसायिक एवं आवासीय निर्धारित है।

कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

वि0स0 क्षेत्र नरेन्द्रनगर अन्तर्गत ढालवाला, मुनिकीरेती, चौदह बीघा शीशमझाडी व तपोवन की वर्ग 6 की भूमि के विनियमितीकरण की अद्यतन स्थिति

*3—श्री ओम गोपाल—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ढालवाला, मुनिकीरेती, चौदहबीघा, शीशमझाडी, तपोवन की वर्ग—6 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष, 2007 से अब तक समय—समय पर मौखिक एवं लिखित अनुरोध किया जाता रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त वर्ग—6 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो उक्त समिति द्वारा वर्ग—6 भूमि के विनियमितीकरण हेतु क्या निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई समय सीमा तय की गयी है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में पोस्त की खेती पर प्रतिबन्ध एवं लाइसेन्स देने पर विचार

*4—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा—

क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय तीज त्यौहारों में पोस्त के दानों का स्थानीय व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पोस्त की खेती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार स्थानीय तीज त्यौहारों को देखते हुए पोस्त की खेती हेतु लाईसेन्स देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

भारत सरकार के एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत पोस्त की खेती प्रतिबन्धित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निकायों द्वारा पूर्व में बनी सडकों के ऊपर सड़क निर्माण से ऊँचाई बढने के कारण आबादी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति एवं निराकरण

*5—श्री राजेश उर्फ राजेश जुमाला—

क्या नगर विकास मंत्री जी अवगत हैं कि प्रदेश में नगर पालिका व नगर निगम द्वारा आबादी क्षेत्रों में समय—समय पर सी0सी0 सडकों का निर्माण पूर्व में बनी सडको के ऊपर किये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सडकों की ऊँचाई बढ रही है और भवनो व दुकानों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु नई सडक के निर्माण से पहले पूर्व में बनी हुई सडको को तोडकर उसका मलबा हटाये जाने के बाद नई सडक के निर्माण हेतु कोई ठोस रणनीति बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

नगर पालिका व नगर निगम द्वारा आबादी क्षेत्रों मे सी0सी0 सडकों का निर्माण, स्थल की प्रकृति एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र की गैर जमींदारी विनाश खतौनी के वर्ग 4 में अंकित भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही

*6—श्री यशपाल बेनाम—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की गैर जमींदारी विनाश खतौनी के वर्ग—4 में अंकित भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी नहीं

इस सम्बन्ध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 1566/14-2-97-800(2)/1997, दिनांक 17-3-1997 द्वारा उक्त क्षेत्र/भूमि रक्षित वन घोषित हो जाने के कारण वर्ग-4 की भूमि पर सम्प्रति संक्रमणीय अधिकार प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में पिछले वर्ष चीनी की कुल आवश्यकता, माँग के सापेक्ष आवंटन तथा चीनी के कोटे की स्थिति

*7-श्री शेर सिंह गढ़िया-

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पिछले वर्ष कुल कितनी चीनी की आवश्यकता थी और माग के सापेक्ष पर्वतीय जनपदों में मासिक आवंटन कुल कितना किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि चीनी का कोटा पिछले वर्ष घटाया गया ?

क्या सरकार भविष्य में चीनी का कोटा बढ़ायेगी ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट-

उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित राशन कार्डों के आधार पर पिछले वर्ष 72396 मी०टन० चीनी की आवश्यकता थी। राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों को 4128 मी०टन चीनी मासिक रूप से आवंटित की गई है।

जी नहीं।

चीनी का कोटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौडी के कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र में वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग के कारण अव्यवस्थित यातायात एवं बहुउद्देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण

*8-श्री शैलेन्द्र सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई अधिकृत वाहन पार्किंग न होने के कारण मार्गों पर वाहनों द्वारा अतिक्रमण से नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अत्यधिक अव्यवस्थित रहती है, फलस्वरूप निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पालिका क्षेत्र, कोटद्वार में बहुद्‌देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार नगर पालिका सीमान्तर्गत अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल न होने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।

बहुउद्‌देशीय वाहन पार्किंग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में कॉमर्शियल एवं घरेलू गैस वितरण का मासिक विवरण एवं माँग के अनुरूप वितरण व्यवस्था।

*9–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में कुल कितनी कॉमर्शियल गैस और घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है तथा उसका मासिक विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि पर्वतीय जनपदों में उपभोक्ताओं को माँग के अनुरूप गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है ?

यदि हाँ, तो माँग के अनुरूप नियमित रूप से गैस की आपूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट

जी हाँ, उत्तराखण्ड के 11 पर्वतीय जनपदों को वर्तमान में 23,83,885 घरेलू सिलेण्डरों एवं 69,443 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हुई है। अप्रैल, 2010 से जुलाई 2010 तक मासिक विवरण निम्नवत्‌ है :–

माह	घरेलू सिलेण्डर	व्यवसायिक सिलेण्डर
	आपूर्ति	आपूर्ति
अप्रैल	568982	15020
मई	603161	17945
जून	593803	19166
जुलाई	617939	17312

जी हाँ, घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति उपभोक्ताओं की माँग के सापेक्ष कम है, क्योंकि भारत सरकार से आपूर्ति कम है।

गैस की माँगानुसार आपूर्ति किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में प्रदेश के स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि का विवरण

*10–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भू अधिनियम के अन्तर्गत 250 वर्ग मी० से अधिक भूमि प्रदेश के स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्ति द्वारा क्रय किए जाने पर रोक है ?

यदि हाँ, तो जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में उक्त सीमा से अधिक भूमि क्रय करने हेतु किन–किन व्यक्तियों/संस्थाओं को वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में अनुमति प्रदान की गई ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं, कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों यथा कृषि व औद्यानिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, होटल आदि, शिक्षा व सांस्कृतिक प्रयोजन तथा उद्योग के लिए भूमि क्रय की जा सकती है।

भू अधिनियमों के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में दी गई भूमि क्रय की अनुमति का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कपकोट के दूरस्थ गाँवों में खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न का रख रखाव न होना एवं दोषियों के खिलाफ कृत कार्रवाई

*11–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दर्जनों दूरस्थ गाँवों में विगत एक वर्ष से खाद्यान्न संकट बना हुआ है तथा क्षेत्र में नियमित निर्धारित कोटे का खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है ?

---

† (विवरण देखिये नत्थी 'क' के आगे पृष्ठ संख्या 171–180 पर)

क्या यह सत्य है कि विगत दिनों उक्त क्षेत्र का खाद्यान्न गोदामों में न रख कर महीनों से खुले आसमान के नीचे पड़ा है ?

यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

जनपद बागेश्वर के बदियाकोट एवं सगिया खाद्यान्न गोदामों का खाद्यान्न खुले आसमान के नीचे रखे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

सम्बन्धित खाद्यान्न ठेकेदार।

जी हाँ। जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा खाद्यान्न ढुलान हेतु नियुक्त ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया है तथा उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में अनुसूचित जाति के किसानों को जमीन बेचने की अनुमति की प्रक्रिया तथा लम्बित मामलों की संख्या व कारण

*12–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए अनुमति लेने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हरिद्वार जनपद के किसानों को अनुमति प्रदान की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्न प्राप्ति की तिथि तथा हरिद्वार जनपद में ऐसे कितने मामले लम्बित थे, जिनमें अनुमति प्रदान नहीं की जा सकी थी तथा अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण थे ?

श्री दिवाकर भट्ट–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–157 (क) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के भूमिधरों की भूमि के विक्रय का प्राविधान है।

जी हाँ।

वर्तमान में लगभग 56 मामले लम्बित है। सम्बन्धित आवेदकों द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु दिए गए कारणों/औचित्य की पुष्टि नहीं होने के कारण पुनः सम्बन्धित तहसील से आवश्यक जाँच की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में गैस गोदामों की सुरक्षा तथा आबादी क्षेत्र से अन्यत्र उपयुक्त स्थलों पर स्थानान्तरण

*13–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गैस गोदामों की सुरक्षा के मानकों का पूरा अनुपालन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आबादी क्षेत्रों के बीच से गैस गोदामों को अन्यत्र उपयुक्त स्थलों पर स्थानान्तरित करने का निर्णय लेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

पूर्व में सभी गैस गोदाम घनी आबादी से दूर स्थापित थे, वर्तमान में गैस गोदामों के चारों ओर आवासीय भवन निर्मित होने के कारण उक्त गैस गोदामों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित किये जाने के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश निर्गत कर दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन उद्योग से बेरोजगारों को उपलब्ध रोजगार तथा रोजगार प्राप्त नव युवकों की संख्या

*14–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

वर्तमान में सरकार द्वारा कितने बेरोजगार नवयुवकों को पर्यटन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पर्यटन अतिथि गृह (रैन बसेरा), साहसिक पर्यटन, पार्किंग, आवासीय इकाईयों, महेन्द्रा होम स्टे योजना, होटल प्रबन्धन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, विभिन्न कार्यालयों में रोजगार तथा विभिन्न स्थानों पर पर्यटन महत्व की अन्य सुविधाएं विकसित/संचालित करके रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाता है।

प्रत्यक्ष रूप से 8854 बेरोजगार नवयुवकों को संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुलभ कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण विभिन्न पर्यटन गतिविधियों में 40 हजार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ होने का अनुमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

चारधाम यात्रा से सम्बन्धित शासन/जिला स्तर की बैठकों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण तथा चालू वर्ष में बैठकों का विवरण

*15–श्री केदार सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व शासन स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्यवस्थाओं के सफल संचालन हेतु विभिन्न बैठकें आयोजित की जाती हैं ?

यदि हॉ, तो क्या उक्त बैठकों में क्षेत्रीय विधायकों व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है?

यदि हॉ, तो चालू वर्ष में बैठकें कब व किसके द्वारा आमंत्रित की गई ?

श्री मदन कौशिक–

जी हॉ।

बैठकों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में दिनांक 14 जून, 1990 के शासनादेश में स्पष्ट निर्देश नहीं थे। क्षेत्रीय विधायकों/जनप्रतिनिधियों के अनुभव व परामर्श का लाभ लिये जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या–1214/VI/2010, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नानुसार बैठकें आयोजित की गयी :–

क्र0सं0	तिथि	स्थान	अध्यक्षता
1.	30.4.2010	वीडियो कॉन्फ्रेंस	मा0 मुख्यमंत्री/पर्यटन मंत्री
2.	5.5.2010	देहरादून	मा0 मुख्यमंत्री/पर्यटन मंत्री
3.	15.4.2010	देहरादून	मुख्य सचिव
4.	3.2.2010	मुनिकीरेती	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
5.	18.3.2010	उत्तरकाशी	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
6.	23.3.2010	गोपेश्वर	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
7.	7.4.2010	नरेन्द्रनगर	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
8.	11.5.2010	ऋषिकेश	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
9.	22.6.2010	उत्तरकाशी	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
10.	25.6.2010	मुनिकीरेती	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
11.	13.7.2010	हरिद्वार	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
12.	6.9.2010	उत्तरकाशी	मा0 उपाध्यक्ष, बा0क्षा0वि0प0
13.	11.5.2010	बद्रीनाथ	मा0 अध्यक्ष, ब0के0म0 समिति
14.	30.4.2010	देहरादून	प्रमुख सचिव, पर्यटन
15.	29.5.2010	देहरादून	प्रमुख सचिव, पर्यटन
16.	8.2.2010	चमोली	जिलाधिकारी, चमोली
17.	16.2.2010	उत्तरकाशी	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
18.	16.3.2010	पौड़ी	जिलाधिकारी, पौड़ी
19.	20.5.2010	स्थलीय निरी0	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
20.	26.3.2010	स्थलीय निरी0	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
21.	22.4.2010	चमोली	जिलाधिकारी, चमोली
22.	27.4.2010	स्थलीय निरी0	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
23.	30.5.2010	चमोली	जिलाधिकारी, चमोली

सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में गन्ने की तना छेदक बीमारी से गन्ने को बचाने हेतु रोकथाम तथा उपाय से लाभ

*16–श्री गोपाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में गन्ने की फसल तना छेदक बीमारी से प्रभावित है ?

यदि हाँ, तो सरकार गन्ने की तना छेदक तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है तथा गन्ना किसानो को इसका कितना लाभ मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ, इसकी रोकथाम हेतु फ्युराडॉन, कार्बोफ्यूरॉन आदि कीटनाशक रसायन वितरित किये जा रहे हैं तथा गन्ना शोध केन्द्र व कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषकों को कीट/रोग से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। गन्ना किसानो को इसका पूर्ण लाभ मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के किसानों को गन्ना विक्रय की व्यवस्था।

*17–श्री गोपाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के गन्ना किसान सहकारी चीनी मिल, मझोला, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश मे गन्ने का विक्रय करते थे, परन्तु आज वह चीनी मिल बन्द हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खटीमा के गन्ना किसानो का गन्ना सहकारी चीनी मिल सितारगंज में भेजने की व्यवस्था करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

किसान सहकारी चीनी मिल, मझोला, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। वर्तमान मे इस चीनी मिल के बन्द होने की उत्तर प्रदेश से आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है।

यथास्थिति नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित नानक सागर डैम के निर्माण हेतु थारू जनजाति के राजस्व ग्रामों तथा सितारगंज के गाँव गिधौर की भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तांतरण तथा प्रभावितों का विस्थापन

*18–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानक सागर डैम का निर्माण किस वर्ष हुआ था व बाँध के निर्माण में थारू जनजाति के कौन–कौन से राजस्व गाँवों की भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की गई थी तथा विस्थापित परिवारों को सरकार द्वारा किन–किन गाँवों में बसाया गया था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सितारगंज तहसील का थारू जनजाति गाँव गिधौर की भूमि भी सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की गई थी ? यदि हाँ, तो क्या ग्राम गिधौर के थारू जनजाति के विस्थापित परिवारों को सरकार द्वारा अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो कहाँ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

*19–श्री किशोर उपाध्याय–

चतुर्थ सोम0 के तारां0–4 में स्था0

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीति

*20–श्री प्रीतम सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

पर्यटन नीति, 2001 की प्रति संलग्न है। † उक्त नीति के तहत राज्य में पर्यटन विकास हेतु विश्व पर्यटन संगठन (डब्लू0टी0ओ0) के सहयोग से 15 वर्षीय (2007–2022) मास्टर प्लान भी बनाया गया है। मास्टर प्लान की सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) भी संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री किशोर उपाध्याय–

प्रथम सोम0 के अता0–98 में स्था0

---

† (विवरण देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 181–205 पर)

प्रदेश में भू राजस्व अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण की स्थिति

2—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में भू—राजस्व सम्बन्धी सभी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करवा दिया गया है ?

यदि नहीं, तो सरकार जनहित में कब तक इस कार्य को पूर्ण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

वर्तमान में राज्य के समस्त जमींदारी विनाश श्रेणी की भूमियों के खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा चुका है एवं अन्य अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में योजना प्रारम्भ की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जिला नैनीताल अन्तर्गत ग्राम सौड़ (पट्टी सौड़) में अनु0 जाति के परिवार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा तथा कृत कार्यवाई

3—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम सौड़, पट्टी सौड़ के अनुसूचित जाति के परिवार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा अनाधिकृत कब्जा धारक के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

ग्राम सौड़, तहसील नैनीताल में अनुसूचित जाति के एक परिवार श्रीमती मोतिमा देवी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी जाँच में भू—स्वामी द्वारा अपने खाते की कुछ भूमि आपसी समझौते के आधार पर एक व्यक्ति को दिया जाना पाया गया, तथापि अनुसूचित जाति के उक्त खातेदार को अवगत करा दिया गया है कि यदि उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति करनी हो तो सक्षम मामले में चाराजोही कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र कोटद्वार के कण्वाश्रम के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति

4—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कण्वाश्रम के पर्यटकीय विकास हेतु कोई योजना शासन में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो सरकार कण्वाश्रम के विकास के लिए कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

कण्वाश्रम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा पर्यटन सर्किट से जोड़े जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

परियोजना निर्माण तथा बजटीय व्यवस्था होने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत विकास खण्डों में स्थापित विभिन्न मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण

5–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ग्राम देवरा में कर्णमहाराज मन्दिर, कोटगाँव में सोमेश्वर महाराज, महाराज मन्दिर, टडियार में महासू देवता तथा विकास खण्ड पुरोला के ग्राम घुन्डियाटगाँव में कपिलमुनि महाराज मन्दिर, पुजेली में राजारघुनाथ मन्दिर, कमलेश्वर मन्दिर, सिरगुल देवता मन्दिर एवं विकास खण्ड नौगाँव के गैर मन्दिर का सौन्दर्यीकरण किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ग्राम देवरा में कर्णमहाराज मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 0.98 लाख, विकास खण्ड पुरोला के पुजेली में राजारघुनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2004–05 व 2006–07 में क्रमश: रू0 4.25 लाख व 7.87 लाख, कमलेश्वर मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2004–05 में रू0 5.65 लाख तथा विकास खण्ड नौगाँव के गैर मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 0.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। शेष मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संविधान के 74वें संशोधन के पालन की सुनिश्चितता एवं स्थानीय स्वायत्त शासन के अधीन विभागों का विवरण

6—श्री जोत सिंह गुनसोला —

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि संविधान के 74वें संशोधन का प्रदेश में किस तरह पालन सुनिश्चित किया गया है ?

क्या उक्त संविधान संशोधन के प्राविधानों के अन्तर्गत सभी विभाग स्थानीय सरकार के अधीन कर दिये गये हैं ?

यदि हाँ, तो स्थानीय स्वायत शासन के अधीन कौन—कौन से व कुल कितने विभाग किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

संविधान के 74वें संशोधन की मंशा के अनुरूप निकाय व विभागों के मध्य कार्यों के संचालन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण करने हेतु शासनादेश संख्या—76/श0वि0आ0—03—214(सा0) 2003, दिनांक 7 नवम्बर, 2003 द्वारा 17 विभागों को स्थानीय निकायों की बैठक/अधिवेशन में अनिवार्य रूप से भाग लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यवाही गतिमान है।

संविधान के 74वें संशोधन से सम्बन्धित बारहवीं अनुसूची के अनुसार 18 विभागों में से 08 विभाग क्रमशः मलिन बस्ती सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, नगरीय सुविधाओं का विकास, शवदाह गृह, कॉंजी हाउस, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास पशु वधशाला पूर्व से ही पूर्ण रूप से तथा दो विभाग पेयजल एवं लोक स्वास्थ्य आंशिक रूप से निकायों के अधीन है। इसके अतिरिक्त अरबन फॉरेस्ट्री से सम्बन्धित कार्य को कार्यकारी आदेश जारी कर अपरोक्ष रूप से निकायों के अधीन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य गठन से वर्ष 2009 10 तक स्व0 गब्बर सिंह वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत लोग, राज्य के वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं एवं द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या।

7—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य गठन से वर्ष, 2009—10 तक स्व0 गब्बर सिंह स्मृति में वीरता पुरस्कार कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है ?

क्या सरकार सभी भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र–पुत्रियों को सेना में भर्ती हेतु, 'प्रशिक्षण केन्द्र' की व्यवस्था पर विचार कर रही है। ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

06 (छ.)

वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या–95,

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों की कुल संख्या–1238

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों हेतु सेना में भर्ती प्रशिक्षण नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में लड़कियों की सेना के अन्य रैंक में भर्ती नहीं होती।

उत्तराखण्ड मे म्यूनिसिपल एक्ट का निर्माण, एक्ट लागू न होने के कारण नागरिक व्यवस्थाओं में बाधा

8–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि म्यूनिसिपल एक्ट उत्तराखण्ड मे कब तक बना लिया जायेगा ?

क्या यह सत्य है कि अपना एक्ट न होने के कारण नागरिक व्यवस्थाओं की कार्यवाही बाधित हो रही है ?

क्या सरकार म्यूनिसिपल एक्ट मे नगर परिषद् के सदस्यों द्वारा नगर पालिकाध्यक्ष/मेयर के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान सम्मिलित करने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन विधेयक शासन में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 को वर्ष 2002 में अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के माध्यम से अंगीकृत किया गया है, जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की नागरिक व्यवस्थाओं की कार्यवाही बाधित नहीं हो रही है।

उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन विधेयक शासन में विचाराधीन है, जिस पर तत्समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

यथासमय।

प्रदेश में अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन नीति का प्रतिपादन तथा प्रदेश के नगर निकायों में उक्त नियमावली लागू करना

9–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर विकास की प्रदेश अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन नीति का प्रतिपादन वर्ष 2009–10 तक किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों की अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन एवं निस्तारण नियमावली लागू कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 लागू है।

उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु समस्त स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र कोटद्वार अन्तर्गत कोटद्वार से भरत ग्राम तक रज्जु मार्ग का निर्माण

10–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भरत नगर (ग्राम उलिंघा) पर्यटन के दृष्टिकोण से एक आदर्श पर्यटन केन्द्र विकसित किया जा सकता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भरत नगर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कोटद्वार से भरत नगर तक रज्जु मार्ग का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

इस स्थान/क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की आवाजाही कम होने के कारण रोपवे की आर्थिक साध्यता संदिग्ध होने के दृष्टिगत वर्तमान में कोटद्वार से भरत नगर तक रज्जु मार्ग के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में उद्यमियों द्वारा स्थापित रिसोर्ट/होटल तथा सरकार द्वारा अनुदान व नियम

11–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में किन–किन स्थानों पर उत्तराखण्ड के उद्यमियों द्वारा होटल/रिसोर्ट उद्योग लगाया गया है ?

क्या विभाग द्वारा इस हेतु कोई अनुदान दिया गया है ?

यदि हाँ, तो अनुदान किन–किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड के उद्यमियों द्वारा निम्न स्थानों में होटल/रिसोर्ट उद्योग लगाये गये हैं :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थानों का विवरण
1.	देहरादून	देहरादून, चकराता, सेलाकुई, कालसी, त्यूनी ढकरानी।
2.	हरिद्वार	हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, कलियर शरीफ, लक्सर
3.	टिहरी	नई टिहरी, तपोवन, देवप्रयाग, घनसाली, बड़ेथी, कैम्टी, कण्डीसौड़, लम्बगॉव, चम्बा, धनौल्टी, चमियाला, मोरियाणा

4.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी शहर, धराली, चिनियालीसौड़, बड़ेथी, बड़कोट, बारसू, नौगाँव, नैताला, जानकीचट्टी, स्यानाचट्टी, रानाचट्टी
5.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, जखोली, अगस्त्यमुनि, सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, ऊखीमठ
6.	चमोली	चमोली, गोपेश्वर, गौचर, कर्णप्रयाग, मैठाणा, नन्दप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ, थराली, देवाल, गैरसैण
7.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी, लैंसडाउन, श्रीनगर, कोटद्वार, सतपुली, स्वार्गाश्रम, जयहरीखाल
8.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, कसारदेवी (अल्मोड़ा) जागेश्वर, ताकुला, भिकयासैंण, द्वाराहाट, सोमेश्वर, कौसानी
9.	चम्पावत	चम्पावत, टनकपुर, लोहाघाट, देवीधुरा
10.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा
11.	बागेश्वर	गरूड़, बागेश्वर
12.	नैनीताल	नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर
13.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी

जी हाँ।

अनुदान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के तहत दिया जाता है।

राज्य की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया धन एवं भुगतान की कार्यवाही

12—काजी मौ0 निजामुद्दीन—

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का क्रमशः कितना—कितना धन बकाया है ?

सरकार उक्त धन का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

क्र0सं0	चीनी मिल	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रु0 में) दिनांक 13–09–2010 तक
1.	सहकारी क्षेत्र	220.64
2.	निजी क्षेत्र	8.80
	कुल योग	229.44

गन्ना कृषकों को अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है। शासन स्तर से गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड को अतिशीघ्र भुगतान हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के मासरताल (बूढ़ाकेदार) क्याकी बुग्याल, जरालताल एवं मंजियाड़ ताल को उत्तराखण्ड के पर्यटन नक्शे में शामिल करने हेतु कार्यवाही

13–बलबीर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में मासरताल, पर्यटन स्थल है, जो उत्तराखण्ड के पर्यटन नक्शे में नहीं है?

क्या सरकार जनपद टिहरी के मासरताल, क्याकी बुग्याल, जरालताल व मंजियाड़ ताल को उत्तराखण्ड के पर्यटन के नक्शे में शामिल करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद टिहरी के बूढ़ाकेदार के समीप स्थित मासरताल को पर्यटन कार्यालयों में प्रदर्शित उत्तराखण्ड के पर्यटन मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पूर्व में प्रकाशित चार धाम यात्रा बुकलेट में भी मासरताल स्पष्ट रूप से इंगित है।

मासरताल को उत्तराखण्ड के पर्यटन मानचित्र में पूर्व से ही दर्शाया जा रहा है। अन्य स्थलों के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के सम्बन्ध में सम्यक् परीक्षण कराकर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नई पर्यटन नीति से यात्रियों की संख्या में वृद्धि एवं पैकेज टूर की व्यवस्था

14—श्री मतवीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नई पर्यटन नीति के बाद गत वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

क्या सरकार उत्तराखण्ड भ्रमण के लिए कोई पैकेज टूर दिल्ली, मुम्बई आदि स्थानों से शुरू करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2009 में यात्रियों की संख्या में 96000 की वृद्धि हुई है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, चण्डीगढ़, लखनऊ, पुणे आदि से पर्यटकों को उत्तराखण्ड भ्रमण हेतु पैकेज टूर, आवास आरक्षण आदि की सुविधा सुलभ करायी जाती है। ऑनलाइन द्वारा भी पर्यटकों/यात्रियों को सीधे उनकी इच्छानुसार पैकेज टूर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है

प्रश्न नहीं उठता।

एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत मन्दिरों व धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण का विवरण

15—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण के लिए वर्ष 2006—07, 2008—09 एवं 2010 में स्वीकृत धन से अनुसूचित जाति के लोगों के मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण पर धनराशि खर्च की गयी है ?

यदि हाँ, तो समस्त सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

† (विवरण देखिये नत्थी 'ग' पर आगे पृष्ठ संख्या 206—209 पर)

वर्ष, 2009-10 में आबकारी विभाग द्वारा अर्जित आय, जब्त अवैध मदिरा का मूल्य तथा तस्करी पर रोक हेतु उपाय

16–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009–10 में आबकारी विभाग द्वारा कुल कितनी आय अर्जित की गई है ?

उक्त अवधि में कितनी मूल्य की अवैध मदिरा जब्त की गयी ?

क्या सरकार मदिरा की तस्करी पर रोक लगाने हेतु अन्य प्रदेशों की भांति समान आबकारी नीति बनायेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वर्ष 2009–2010 में आबकारी विभाग द्वारा कुल 703.71 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है।

उक्त अवधि में रुपये 60,62,419.00 की अवैध मदिरा जब्त की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य की आबकारी नीति व आबकारी मैनुअल में मदिरा की तस्करी पर रोक लगाये जाने हेतु पर्याप्त प्राविधान हैं।

वि0स0 क्षेत्र मसूरी अन्तर्गत गुच्चुपानी (रोबर्सकेव) तथा टपकेश्वर महादेव परिसर का सौन्दर्यीकरण

17–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण योजना गुच्चुपानी (रोबर्सकेव) तथा टपकेश्वर महादेव परिसर का सौन्दर्यीकरण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हॉं, तो क्या यह योजनाए पर्यटन विभाग को सौंप दी गयी हैं ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजनाओं का पर्यटन विभाग को विधिवत रूप से हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है तथापि योजनाएं मार्च, 2010 से पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित की जा रही हैं।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला के पर्यटक स्थलों को सरकार द्वारा विकसित करने की योजना

18–श्री गगन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सरकार पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो किन–किन स्थलों का चयन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यटक स्थलों के विकास हेतु अनेक योजनाएं स्वीकृत/संचालित हैं।

चयनित विभिन्न स्थलों एवं स्वीकृत/संचालित योजनाओं का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्व पुलिस अधिनियम तथा वेतन पुनर्निर्धारण एवं राजस्व क्षेत्रों का निर्धारण

19–श्री मनोज तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजस्व पुलिस अधिनियम बन गया है ?

क्या राजस्व पुलिस के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है ?

क्या कानूनगो राजस्व क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है ?

यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

---

† (विवरण देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 210–212 पर)

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

राजस्व पुलिस अधिनियम बनाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

जी नहीं है।

प्रकरण विचाराधीन है।

जी नहीं।

यह विषय मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति के विचाराधीन है। समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर समिति की संस्तुति के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को वर्ष 2009-10 तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये गैस कनैक्शन की जिलेवार स्थिति

20–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए कुल कितने गैस कनैक्शन वर्ष 2009–10 तक वर्तमान मे सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं ?

इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैस कनैक्शन लिंग/जाति के आधार पर निर्गत किये जाने सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा उपभोक्ताओं/विद्यार्थियों को होने वाला जिलेवार लाभ

21–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना कब की गयी और उक्त निधि से कितने उपभोक्ताओं को वर्षवार और जिलेवार लाभ प्राप्त हुआ है ?

क्या उपभोक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो जनपदवार कितने विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना दिनांक 17–06–2005 को की गयी है। इस निधि से राजस्व उपभोक्ता आयोग को कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

जी नहीं।

राज्य के विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना उपभोक्ता कल्याण निधि के माध्यम से नहीं की गयी है, बल्कि राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिनांक 10–08–2007 को रु0 10 लाख की धनराशि 100 विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है। जिसके तहत राज्य के 13 जनपदों में वर्ष 2007–08 से 100 विद्यालयों में स्वैच्छिक संगठनों एवं विद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से उपभोक्ता क्लबों की स्थापना कर दी गयी है, जिसका सम्बन्धित 100 विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को लाभ दिया जा रहा है।

राज्य में इको टूरिज्म के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र तथा राज्य गठन के उपरान्त प्राप्त लाभ व पर्यटकों की संख्या का वर्षवार विवरण

22–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में इको–टूरिज्म के अन्तर्गत किन–किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है ?

प्रदेश गठन के उपरान्त वर्षवार इको–टूरिज्म से कितनी आय हुई और वर्षवार पर्यटकों की संख्या क्या थी ?

श्री मदन कौशिक–

इको–टूरिज्म की गतिविधियों का संचालन वन विभाग के सहयोग से आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण पर्यटन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

प्रदेश गठन के उपरान्त संरक्षित क्षेत्रों में इको टूरिज्म की गतिविधियों के संचालन से प्राप्त आय एवं पर्यटकों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वर्ष	पर्यटकों की कुल संख्या	प्राप्त राजस्व (रु0 लाख में)
1.	2000—01	67,776	80.05
2.	2001—02	86,256	97.61
3.	2002—03	1,00,176	122.90
4.	2003—04	1,27,361	341.95
5.	2004—05	1,62,375	378.05
6.	2005—06	1,60,829	550.05
7.	2006—07	1,89,043	280.16
8.	2007—08	2,47,838	341.95
9.	2008—09	2,82,980	378.31
10.	2009—10	3,03,949	550.05
	योग—	17,68,593	313134

पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में बरसात से पूर्व खाद्यान्न भण्डारण

23—श्री गगन सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी में बरसात के दिनों दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क यातायात बाधित होने से खाद्यान्न बरसात से पूर्व गोदामों में भर दिया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी तथा उसके आस पास पर्यटक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु सरकारी योजनाएं

24—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाए बनायी गयी हैं तथा उसमें से कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है और कितनी योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि झड़ीपानी फॉल कब तक पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जायेगा।

तथा कैम्टीफॉल के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजना कब तक पूर्ण की जायेगी ?

पुरकुल गाँव से पार्क स्टेट, हाथी पाँव, लाइब्रेरी-मसूरी रोपवे व पर्यटन की बहुउद्देशीय योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री मदन कौशिक

मसूरी के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कलात्मक प्रकाश व्यवस्था हेतु रु0 91.00 लाख की लागत की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके सापेक्ष अब तक रु0 40.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। कार्य अन्तिम चरण में है।

झड़ीपानी से झड़ीपानी फॉल तक मार्ग का निर्माण रु0 9.03 लाख की लागत से कराया जा रहा है जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

मसूरी में पार्किंग हेतु रु0 48.10 लाख की लागत से नगर पालिका परिषद् मसूरी के माध्यम से कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है।

पुरकुल गाँव से पार्क स्टेट, हाथीपाँव, लाइब्रेरी से मसूरी रोप-वे की योजना प्रस्तावित है।

इस योजना की कार्यदायी संस्था-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा यह कार्य माह सितम्बर, 2010 तक पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है।

इस योजना की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक इसे पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है।

योजना के लिए पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) मोड पर निवेश का चयन होने पर योजना के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

पिथौरागढ़ अन्तर्गत छिपलाकेदार को पर्यटन के मास्टर प्लान में सम्मिलित करने पर विचार

25-श्री गगन सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत छिपलाकेदार, जो कि एक रमणीक धार्मिक तथा दिव्य स्थल है, को पर्यटन के मास्टर प्लान में सम्मिलित करने पर विचार करेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूटी०ओ०) के सहयोग से बनाये गये 15 वर्षीय (2007–2022) पर्यटन मास्टर प्लान के तहत जोनल/माइक्रो प्लान में छिपलाकेदार को भी सम्मिलित करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना तथा सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास का जनपदवार विवरण

26–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना की गयी है ?

यदि हाँ, तो पर्यटन क्षेत्र में निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत राज्य गठन से अब तक कुल कितने लोगों ने भागीदारी की है ?

जनपदवार योजना की प्रगति का विवरण क्या है ?

वर्तमान में सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण, विकास तथा सुविधायें प्रदान किये जाने की जनपदवार स्थिति क्या है ?

श्री मदन कौशिक–

लैण्ड बैंक की स्थापना के लिये विभिन्न स्थलों पर भू चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

शून्य।

शून्य

पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण, विकास तथा सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जनपदवार निम्नवत् योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं.–

जनपद का नाम	स्वीकृत योजनाओं/कार्यों की संख्या
अल्मोड़ा	34
बागेश्वर	42
चमोली	18
चम्पावत	05

देहरादून	14
हरिद्वार	07
नैनीताल	09
पौड़ी	27
पिथौरागढ़	45
रूद्रप्रयाग	06
टिहरी	31
उत्तरकाशी	15
ऊधमसिंह नगर	12

यमुनोत्री यात्रा मार्ग के पड़ावों पर वाहनों की पार्किंग क्षमता व व्यवस्था तथा मई माह में प्रतिदिन पहुँचने वाले वाहनों की संख्या।

27—श्री केदार सिंह रावत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यमुनोत्री मार्ग की जानकीचट्टी, हनुमानचट्टी, राणाचट्टी एवं स्यानाचट्टी में कितने वाहनो की पार्किंग क्षमता है ?

चालू वर्ष में कितने वाहन यमुनोत्री यात्रा के प्रारम्भिक 16, 17 व 18 मई के दिनांक में प्रतिदिन यहाँ पहुँचे ?

क्या सरकार अवगत है कि उक्त स्थलों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पहुँचने वाले वाहनो की संख्या व यात्रियों की संख्या की सूचना के आंकड़े एकत्रित व प्रसारित किए थे ?

यदि हाँ, तो यमुनोत्री धाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किस जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती परिवहन पार्किंग व्यवस्था के लिए व यातायात सुचारू करने के लिए की थी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

उक्त स्थलों पर पार्किंग की क्षमता निम्नवत् है :—

स्थान	क्षमता बड़े वाहन	क्षमता छोटे वाहन
जानकीचट्टी	60—70	100—125
हनुमानचट्टी	20	50
स्यानाचट्टी	20	50
राणाचट्टी	पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं।	

चालू वर्ष में प्रारम्भिक 16, 17, 18 मई के दिनों में निम्नानुसार वाहन पहुँचे :-

दिनांक	बड़े वाहन	छोटे वाहन
16-5-2010	131	264
17-5-2010	164	312
18-5-2010	1116	283

यात्रा के मुख्य पड़ाव जानकीचट्टी एवं बड़कोट है, जहाँ पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

यात्रा मार्ग में पड़ने वाले यात्रा कार्यालयों तथा सूचना केन्द्रों द्वारा यात्रियो को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

यात्रा के सुचारू संचालन तथा पार्किंग व्यवस्था की निगरानी हेतु यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी थी। मुख्य पड़ावों पर पर्याप्त सख्या मे ट्रैफिक पुलिस तैनात की गयी थी। बड़कोट के उप जिलाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा यात्रा को सुव्यवस्थित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम बीफ एवं खरसाली में स्वैच्छिक चकबन्दी कार्य की प्रगति तथा अभिलेखों में अंकन

28-श्री केदार सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु ग्राम बीफ एवं खरसाली के लिए वर्ष 2008 में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत दिनांक 1 जून, 2008 को वहाँ चकबन्दी टीम ने कार्यारम्भ कर दिया था ?

यदि हाँ, तो दो वर्ष का कार्यकाल व्यतीत होने के बाद उस चकबन्दी टीम की क्या कार्य प्रगति है तथा उसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है ?

उक्त टीम मे कौन-कौन अधिकारी कार्यरत है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्रामों की स्वैच्छिक चकबन्दी को कब तक अभिलेखो में अंकित कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट-

ग्राम बीफ एवं खरसाली मे स्वैच्छिक चकबन्दी से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 2-7-2008 को जारी की गई थी इसके क्रम में चकबन्दी टीम द्वारा दिनांक 1-6-2008 को चकबन्दी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

ग्राम बीफ एवं खरसाली में चकबन्दी समिति का गठन किया गया है, उक्त ग्रामों की खतौनियों का सत्यापन एवं अशुद्धियों को तरमीम किया जा चुका है। भू चित्र का स्थल पर मिलान किया जा रहा है तथा 50 एवं लगभग 50 प्रतिशत कृषकों द्वारा सत्यापन किया गया है। शेष ग्राम वासियों को इसमें शामिल किए जाने की कार्यवाही चल रही है। चकबन्दी कार्य प्रारम्भ के समय चकबन्दी कार्यालय, तहसील कार्यालय बड़कोट में स्थापित था, जो वर्तमान में चकबन्दी कार्यालय रूड़की से संचालित किया जा रहा है।

वर्तमान में चकबन्दी कार्य हेतु निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं:-

1. श्री अक्षय कुमार, चकबन्दी कर्ता (कानूनगो)

2. श्री यज्ञ नारायण दुबे, चकबन्दी कर्ता (कानूनगो)

3. श्री आलेन्द्र सिंह रावत, चकबन्दी कर्ता (कानूनगो)

4. श्री निर्मल कुमार जैन, चकबन्दी कर्ता (कानूनगो)

5. श्री प्रमोद कुमार, चकबन्दी कर्ता (लेखपाल)

चकबन्दी मैनुअल के अनुसार 1 ग्राम में 60 माह का समय नियत है, उक्त समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर की सहकारी चीनी मिल सितारगंज की पेराई क्षमता एवं क्षमता बढ़ाने पर विचार

29-श्री गोपाल सिंह-

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की सहकारी चीनी मिल, सितारगंज की गन्ना पेराई की कितनी क्षमता है ?

क्या उक्त चीनी मिल अपनी क्षमता के अनुरूप खटीमा तहसील के गन्ना किसानों का गन्ना भी पेराई कर सकेगी ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सितारगंज चीनी मिल की गन्ना पेराई की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

2500 टी0सी0डी0।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में बोई जाने वाली गन्ना की किस्में तथा नये किस्म के बीजों की उपलब्धता

30–श्री गोपाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में किन–किन किस्मों का गन्ना बोया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान में 82423 जैसे गन्ने की पुरानी किस्मों में बीमारियो का प्रकोप अधिक हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त परिस्थितियों में सरकार गन्ना किसानों को गन्ने की नयी किस्म का बीज उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में विवरणानुससार विभिन्न प्रजातियो का गन्ना बोया जा रहा है–

शीघ्र प्रजाति	सामान्य प्रजाति
को0शा0 8436	को0शा0 767
को0शा0 88230	को0शा0 84212
को0शा0 96258	को0शा0 90223
को0शा0 96268	को0शा0 97264
को0शा0 64	को0से0 92423
को0शा0 98247	को0शा0 8432
को0पन्त0 942111	को0शा0 94257
को0जा0 85	यू0पी0 9530
	को0पन्त0 96219
	को0से0 96436
	को0पन्त0 97222
	को0पन्त0 98214
	को0जा0 88

जी हाँ। वर्तमान में जनपद ऊधमसिंह नगर में गन्ना प्रजाति को0शा0 92423 में टॉप बोरर एवं शूट बोरर से ग्रस्त क्षेत्रफल है।

जी हाँ। गन्ने की नई किस्म माह अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के थारू जनजाति बाहुल्य वि0ख0 खटीमा में मिट्टी तेल का कम वितरण तथा कोटा बढ़ाने पर विचार

31–श्री गोपाल सिंह–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सीमान्त थारू जनजाति बाहुल्य खटीमा विकास खण्ड के कार्ड धारकों को सस्ते गल्ले की दुकानों से मात्र 2 (दो) लीटर मिट्टी का तेल किस आदेश के अन्तर्गत वितरित किया जाता है ?

क्या सरकार खटीमा विकास खण्ड में मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्तमान में जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में एकल सिलेण्डर (एस0बी0सी0) कार्डों पर 03 लीटर तथा गैस रहित कार्डों पर 04 से 05 लीटर तक मिट्टी तेल का वितरण राशन कार्ड धारकों को कराया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में कुल राशन कार्ड धारक तथा बी0पी0एल0 अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्ड धारकों की संख्या

32–श्री गोपाल सिंह–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा कार्ड धारकों में कितने अनुसूचित जाति तथा कितने अनुसूचित जनजाति के हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने अनुसूचित जनजाति के व कितने सामान्य वर्ग के परिवार हैं जो पात्रता की श्रेणी में होते हुए भी गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड से वंचित हैं ?

क्या सराकर उक्त परिवारों की आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को कार्ड प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 2294608 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें ए0पी0एल0 के 1797657, बी0पी0एल0 के 346099 तथा अन्त्योदय के 150852 कार्ड प्रचलन में है। जातिगत आधार पर राशन कार्ड जारी करने का कोई शासनादेश प्रचलित नहीं हैं।

उपलब्ध सर्वेक्षण आकड़ों के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही सभव है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के सितारगंज परगने में भूमिहीनों को वितरित भूमि के पट्टों का आवंटन

33–श्री नारायण पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज परगने पर कुल कितने भूमिहीनों द्वारा भूमि के पट्टे दिये जाने की माग की गई है ?

वर्ष 2008 से 2010 तक तहसील प्रशासन द्वारा कुल कितने भूमिहीनों को कहाँ–कहाँ, कितने रकबे के भूमि पट्टे का आवंटन किया गया है ? क्या सभी पट्टा धारकों को उनकी भूमि का कब्जा दिलाया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट

1997।

वर्ष 2008–09 में ग्राम बसगर में 4 भूमिहीनों को 2.487 है0 भूमि आंवटित की गई। वर्ष 2009–10 में ग्राम गोविन्दपुर में 11 भूमिहीन परिवारों को 4.165 है0 भूमि, ग्राम खुनसरा में 3 भूमिहीन परिवारों को 2.450 है0 भूमि, ग्राम नवादिया में 1 भूमिहीन परिवार को 0.382 है0 भूमि, ग्राम कल्याणपुर में 1 भूमिहीन परिवार को 0.404 है0 भूमि तथा ग्राम सुनखरीकला में 2 भूमिहीन परिवारों को 0.386 है0 भूमि आवंटित की गयी है। तथा सभी पट्टेदारों को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के चौबट्टाखाल में तहसील की स्थापना एवं भवन निर्माण तथा उप जिलाधिकारी की तैनाती

34–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चौबट्टाखाल में तहसील की स्थापना कब की गयी ? वर्तमान में तहसील का संचालन किसके भवन पर किया जा रहा है ?

क्या तहसील भवन निर्माण हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है तथा कब तक तहसील भवन निर्मित कर दिया जायेगा ?

क्या यह सत्य है कि चौबट्टाखाल स्थित तहसील में उप जिलाधिकारी के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को तहसील का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है?

यदि हाँ, तो तहसील में कब तक उप जिलाधिकारी की तैनाती की जायेगी ?

श्री दिवाकर भट्ट–

शासनादेश संख्या–12 मु0मंत्री/राजस्व/2004, दिनांक 07 फरवरी, 2004 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल तहसील की स्थापना की गयी। वर्तमान मे तहसील का संचालन प्राथमिक विद्यालय चौबट्टाखाल के अतिरिक्त कक्षों से संचालित किया जा रहा है। जी हाँ, तहसील भवन के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। भवनो के निर्माण के लिए आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्राप्त है, आगणन के परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तहसील भवन का निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

तहसील चौबट्टाखाल को बारहस्यूं सब डिवीजन के अन्तर्गत रखा गया है। उप जिलाधिकारी, बारहस्यूं द्वारा सप्ताह में दो दिन तहसील चौबट्टाखाल मे उपस्थित रहकर कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है।

चौबट्टाखाल में अलग से सब डिवीजन का सृजन नहीं किया गया है।

जनपद चम्पावत में वर्ष 2009 से अब तक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजनान्तर्गत बेरोजगारों को ऋण आवंटन

35–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महरूँ माई"–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जिला चम्पावत में वर्ष 2009 से वर्तमान तक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजनान्तर्गत आवेदित अभी तक कितने बेरोजगार युवाओ को ऋण दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत में वर्ष 2009 से अगस्त 2010 तक 09 (नौ) बेरोजगार युवाओं को ऋण दिया गया है।

टनकपुर और बनबसा, जनपद चम्पावत का नगर क्षेत्र तथा छीनीगोठ के ग्रामीण क्षेत्र वर्ग 4 की भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना

36–श्रीमती बीना महराना–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि टनकपुर और बनबसा, जनपद चम्पावत का नगर क्षेत्र तथा छीनागोठ ग्रामीण क्षेत्र वर्ग–4 की भूमि में अवस्थित हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्ग–4 की भूमि को फ्री–होल्ड किए जाने की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद चम्पावत का नगर क्षेत्र टनकपुर और बनबसा का न्यून भाग तथा छीनागोठ ग्रामीण क्षेत्र वर्ग–4 की भूमि में अवस्थित है।

उक्त भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किए गए हैं, जिसके अनुसार विनियमितीकरण की अवधि दिनांक 30–6–2010 को समाप्त हो चुकी है एवं समय अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत ब्लॉक सितारगंज के बंगाली विस्थापित व अनु0 जनजाति के भूमिहीनों की संख्या तथा सरकार द्वारा पट्टा देने पर विचार

37–श्री नारायण पाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि ऊधमसिंह नगर में बंगाली विस्थापित एवं अन्य भूमि हीन व अनुसूचित जाति के लोग वर्षों से निवास कर रहे है ?

यदि हाँ, तो ब्लाक सितारगंज में ऐसे भूमिहीनों की संख्या कितनी है तथा क्या सरकार ऐसे भूमिहीनो को भूमिपट्टा जारी करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

तहसील सितारगंज में अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या–336, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या–434 तथा सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार की सं०–1127, कुल 1997 भूमिहीन परिवार निवास करते है, जिन्हें वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पट्टा दिया जाना सम्भव नहीं है तथा भूमि उपलब्ध होने पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–198 के अन्तर्गत भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत की सीमा पर स्थित व्यानधुरा बाबा नामक पौराणिक स्थल को विकसित करने पर विचार

36–श्री गोपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर की सीमा में श्री व्यानधुरा बाबा का पौराणिक धार्मिक स्थल है, जहाँ देश के कोने–कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार श्री व्यानधुरा बाबा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ। व्यानधुरा मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 4.00 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, चम्पावत को उपलब्ध करायी गयी तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला योजना के अन्तर्गत सेनापानी से व्यानधुरा मन्दिर तक 01 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु चम्पावत वन प्रभाग को रु0 12.00 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा के उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व तहसील भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति

39–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील का पुराना भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण एवं खण्डहर हो चुका है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकता है ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उक्त भवन में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी के कार्यालय संचालित हो रहे है ?

क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय सरकारी फार्म में तहसील भवन पूर्ण निर्मित होकर तैयार है तथा विकास खण्ड खटीमा का कार्यालय भवन भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनो नव–निर्मित सरकारी भवनों में तहसील एव उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यो ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ। तहसील के पुराने भवन में मात्र उप जिलाधिकारी कार्यालय/न्यायालय का कार्य संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में तहसील का कार्य नये तहसील भवन से संचालित किया जा रहा है।

जी हाँ। नये तहसील भवन एवं विकास खण्ड खटीमा के कार्यालय भवन पूर्ण रूप से बन कर तैयार हो गये हैं।

शीघ्र ही नव निर्मित तहसील भवन में उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय तथा विकास खण्ड खटीमा के नव निर्मित भवन मे खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय स्थापित कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

40–श्री गणेश जोशी–

द्वितीय सोमवार के अता0–81 में स्था0

राज्य की सरकारी चीनी उद्योगों की लाभ/हानि की स्थिति तथा उत्पादन क्षमता एवं किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति

41–श्री नारायण पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में राज्य की सरकारी चीनी उद्योगों की लाभ–हानि की स्थिति क्या है ?

विगत तीन वित्तीय वर्षों में चीनी उत्पादन की क्षमता तथा किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति क्या रही है ?

क्या चीनी उद्योग को बढ़ावा/प्रोत्साहन दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वर्तमान में राज्य की सरकारी चीनी उद्योग की लाभ/हानि की स्थिति निम्नवत् है :–

चीनी मिल का नाम	कुल लाभ/हानि की स्थिति (लाख रु० में)
<u>सार्वजनिक क्षेत्र</u>	
किच्छा	(–) 4526.00
डोईवाला	(–) 7858.21
योग	(–) 12384.21
<u>सहकारी क्षेत्र</u>	
नादेही	(–) 5787.69
बाजपुर	(–) 7035.37
गदरपुर	(–) 9019.75
सितारगंज	(–) 11350.89
योग	(–) 33193.70
महायोग	(–) 45577.91

चीनी उत्पादन की क्षमता गन्ने की उपलब्धता एवं चीनी परता पर निर्भर करती है, अतः निर्धारित नहीं की जा सकती है। चीनी मिलों की गन्ना पेराई की क्षमता निर्धारित होती है।

चीनी मिलों की गन्ना पेराई क्षमता तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों में किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है–

चीनी मिल का नाम	गन्ना पेराई क्षमता (टी०सी०डी० में)	वित्तीय वर्षवार गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति (लाख रु० में)		
		2007–08	2008–09	2009–10 (दि० 13.09.2010 तक)
किच्छा	4000	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
डोईवाला	2500	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

नादेही	2000	पूर्ण	पूर्ण	33.00 अवशेष
बाजपुर	4000	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
गदरपुर	2500	पूर्ण	पूर्ण	79.02 अवशेष
सितारगंज	2500	पूर्ण	पूर्ण	108.62 अवशेष
कुल योग	17500	पूर्ण	पूर्ण	220.64 अवशेष

जी हाँ।

1– प्रबन्धकीय एवं वित्तीय सुधार।

2– बाजपुर एवं किच्छा चीनी मिलों में सह विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित कर 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना प्रस्तावित है।

3– गन्ने की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई प्रजाति के उन्नत किस्म के बीच गन्ना कृषिकों को वितरित किये जाते हैं।

4– गन्ना कृषकों को प्रशिक्षण।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण जनपदवार खाद्य वितरण में कठिनाई तथा नई नियुक्तियों पर विचार

42–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री अवगत है कि प्रदेश के अन्तर्गत खाद्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण जनपदवार खाद्यान्न वितरण में कठिनाइ हो रही है ?

क्या सरकार विभिन्न विभागीय रिक्त पदों के सापेक्ष नई नियुक्तियों पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

पूर्ति निरीक्षकों, विपणन निरीक्षकों एवं विधिक माप विज्ञान निरीक्षको के पदो हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों का संविधान व नियमावलियाँ तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवा विस्तार

43–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों का संविधान व सेवा नियमावली एक है या पृथक–पृथक हैं ?

क्या सरकारी व सार्वजनिक चीनी मिलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किन–किन अधिकारियों को एवं सेवा विस्तार दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश हित में सेवा विस्तार बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

पृथक्–पृथक् हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र लालढांग अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर को नगर पंचायत बनाने पर विचार

44–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री जी अवगत हैं कि विधान सभा लालढांग, जिला हरिद्वार की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर की आबादी लगभग 18000 है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मानकों में शिथिलीकरण करते हुए, ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर को नगर पंचायत बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जिला हरिद्वार की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर की आबादी जनगणना वर्ष 2010–11 के अनुसार 15801 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के एक मात्र नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया

45–श्री प्रीतम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एक मात्र नगर निगम में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

उप नगर प्रमुख पद पर निर्वाचन हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के मड़धूरा चण्डिका मन्दिर के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु कार्यवाही

46–श्री मयूख सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–11 के उत्तर के सन्दर्भ में अवगत कराया गया था कि जनपद पिथौरागढ़ के मड़धूरा चण्डिका मन्दिर विकास हेतु स्वीकृत 11.60 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त रु0 5 लाख अवमुक्त की जा चुकी है तथा द्वितीय किस्त रु0 6.60 लाख कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध होने पर अवमुक्त की जायेगी? उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0 सेवा, पिथौरागढ़ द्वारा पत्रांक–2331, दिनांक 15–03–2010 द्वारा फोटोग्राफ सहित कार्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पर्यटन अधिकारी को उपलब्ध किया जा चुका है व मा0 मंत्री जी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–92/वी0आई0पी0/2010, दिनांक 18–03–2010 द्वारा लम्बित धनराशि अवमुक्त कराने की बात कही गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त राशि अवमुक्त की जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू योजनाओं हेतु आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष धनराशि की अधिक मांग के दृष्टिगत प्राथमिकता निर्धारित के उपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ सीमा के अन्दर आवासीय/वाणिज्य/कृषि प्रयोजन हेतु जारी पट्टे एवं नवीनीकरण

47-श्री मयूख सिंह-

क्या शहरी विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ सीमा के अन्दर पूर्व में कुल कितने भूमि पर आवासीय/वाणिज्यक प्रयोग हेतु पट्टे जारी किये गये हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु पट्टे जारी किये गये थे ?

वर्तमान में उक्त पट्टों में कुल कितने पट्टो का नवीनीकरण लम्बित है और क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ सीमा के अन्दर पूर्व में कुल 69846.36 वर्ग मी0 भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टे निर्गत है तथा 658.66 वर्ग मी0 भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु पट्टे जारी किये गये हैं।

कृषि प्रयोजन हेतु 896.13 वर्ग मी0 भूमि पर पट्टे जारी किये गये थे।

निर्गत पट्टों में से 22 पट्टो का नवीनीकरण लम्बित है, क्योंकि पट्टा धारको द्वारा पट्टा नवीनीकरण की औपचारिकतायें पूर्ण नही की गई हैं।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"-

मान्यवर, हमारी नियम-310 की सूचना है, बड़ा ही ज्वलंत मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–310 में 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें सभी माननीय सदस्यों के विचार आ जाएं। 1 घंटे की चर्चा निर्धारित की गयी है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की भयानक विकट स्थिति जो अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में पैदा हुई है। आपने नियम–310 के तहत इस पर चर्चा स्वीकार करके मुझे प्रदेश की जनता के दर्द को इस सदन के सम्मुख रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विगत 10 दिन में प्रदेश में एकाएक ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गयी है जिसकी शायद हम लोगों ने कभी कल्पना भी न की होगी कि ऐसी भयानक स्थिति भी हमारे प्रदेश में पैदा हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, विपत्तियाँ हमारे प्रदेश पर कई दशकों, कई वर्षों में आती रही हैं। कभी भूस्खलन से, कभी बादल फटने के कारण, कभी लैण्डस्लाइड के माध्यम से, किसी न किसी रूप में दैवीय आपदा हमारे प्रदेश में आती रही है और समय–समय पर जन हानि, पशु हानि, चल–अचल सम्पत्ति की हानि के रूप में विपत्तियाँ हमारे प्रदेश की जनता पर आती रही है। लेकिन ऐसा संकट, जिस संकट का निजात, जिस संकट की दवाई, जिस संकट का मुकाबला, जिस संकट से राहत कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल में भी सम्भव नहीं है।

चूँकि हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। हम हिमालय क्षेत्र में बसे है, तराई भी हमारे पास है। हमारा जीवन बड़ा ही संघर्षमय है। जब हम छोटे थे बचपन में, तभी से प्रकृति से संघर्ष करने की आदत मुझे ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में रहने वाले हर बच्चे, व्यक्ति को है। मुझे याद है जब हम स्कूल के लिए जाते थे तो माननीय अध्यक्ष जी, गधेरे में बरसात में इतना पानी हो जाता था, उस समय उन पर पुलिया–पुल नहीं होते थे, उसमें कई बार हम अपने चप्पल–सैंडल को हाथ में रखकर, बस्ते को सिर पर रखकर लाते और ले जाते थे, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती थी कि बस्ता भी बह जाता था और चप्पल भी बह जाती थी तो ऐसी विकट स्थिति से इस प्रदेश के बच्चों को और लोगों को गुजरना पड़ता था। मान्यवर, वर्ष 1991 में चमोली जनपद में जब अर्थक्वेक आया था, 702 मौतें हुई थीं, उस नजारे को मैंने नजदीक से देखा क्योंकि उस समय मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में प्रभारी मंत्री था। भूकम्प क्षेत्र का प्रभारी राहत मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था, वह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने है, वर्ष 1998 में चमोली जनपद, रूद्रप्रयाग जिले में भूकम्प से तबाही हुई थी, वह दृश्य भी हमारे सामने है। वर्ष 2002 में आपदा प्रबन्धन मंत्री के रूप में टिहरी जनपद के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में जो आपदा आई थी, भूस्खलन होने के कारण, बादल फटने के कारण 30 से अधिक लोगों की मौतें हुई थीं।

मान्यवर, मुझे आज भी याद है कि रात के 2 बजे जब मैं एक स्कूल में 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचा था, स्कूल में 7 छोटे-छोटे बच्चों की लाशों को देखा, तो ऐसी स्थिति भी है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो तमाम घटनायें, जो बहुत छुट-पुट रूप से हमारे प्रदेश में लगातार होती रही हैं, लेकिन इस बार, बारिश बहुत अधिक हो, यह हम भी चाहते थे, लेकिन पहले जब मई-जून का महिना था, जब गर्मी होती थी तो देहरादून में दो दिन की गर्मी के बाद बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार की गर्मी ऐसी थी कि कुछ न कुछ अनहोनी का एहसास मौसम दे रहा था, लेकिन इतनी अनहोनी हो जायेगी, उस तेज गर्मी के समय मे शायद हमने नही सोचा था। मान्यवर, बारिश जुलाई में भी हुई, अगस्त में भी हुई लेकिन विगत 5-6 दिनों मे जो तेज बारिश हुई है, पिछले वर्ष तक का मुझे मालूम है कि देहरादून में बारिश हुई, प्रदेश के कुछ जनपदों मे बारिश हुई, पौड़ी जिले में सूखा पड़ गया तो ऐसा तो होता रहता है कि प्रदेश के किसी हिस्से में तेज बारिश हो, भूस्खलन हो जायेगा, बादल फट जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश होगी, इतनी विस्फोटक स्थिति प्रदेश मे बन जायेगी, यह निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, जब किसी क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो हम युद्ध स्तर पर वहाँ राहत कार्य मे जुट जाते है लेकिन पूरा प्रदेश अगर आपदा प्रभावित हो तो निश्चित रूप से राहत कार्य उस तेजी के साथ युद्ध स्तर पर सम्पन्न नहीं हो पाते हैं।

मान्यवर, नुकसान कितना हुआ इसके लिए हमारे तमाम साथी भी अपने-अपने क्षेत्रों की क्या स्थिति है, उसके बारे मे चर्चा मे भाग लेते हुए कहेंगे, लेकिन जो स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का कोई कोना, कोई तहसील, कोई गाँव, कोई घर ही शायद ऐसा बचा हो, जो किसी न किसी रूप में कम या अधिक रूप से इस भयानक तेज बारिश के कारण पीड़ित न हुआ हो। हमने राज्य बनने के बाद इन 10 वर्षों में जो कुछ भी सृजन किया था, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र मे हो, सिंचाई के क्षेत्र मे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्रों में हो, वह सब कुछ इस वर्षा के कारण तहस-नहस हो गया है। अब मैं समझता हूँ शायद कुछ भी नही बचा है। आज हम यह कहे कि अमुक क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो गयी है, अमुक क्षेत्र मे कम बारिश हुई है तो ऐसा नही है। मैं सोचता हूँ कि आज स्थिति यह है कि प्रदेश का कोई ऐसा कोना नही बचा है जो सम्पर्क मार्गों से न टूटा हो और जहाँ पेयजल का संकट न पैदा हुआ हो। मान्यवर, गाँव के गाँव आज ऐसी स्थिति में हैं कि गाँव के (अगल-बगल) दोनों तरह से भू-स्खलन हो गया और गाँव बीच में स्थित है और इन गाँवों पर कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। मान्यवर, इस आपदा में मरने वालो की संख्या कोई कम नही है। यह संख्या 100 से अधिक और 200-250 के आस-पास या कम ज्यादा हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जानें कोई कम नहीं गयी हैं। मान्यवर, पशु हानि भी बहुत अधिक हुई है। निश्चित रूप से यह जो भयानक स्थिति प्रदेश मे पैदा हुई है। इसमे हम कैसे निपटें, यह सोचना होगा।

आपदा के बारे में कहा जाता है कि यह कब आ जाय, किस पर आ जाय, किस समय आ जाय, कहाँ आ जाय, यह कहा नहीं जा सकता है। शायद इस कथन को जो दैवीय आपदा के सम्बन्ध में हैं, इस अत्यधिक वर्षा ने इस कथन को भी झुठला दिया है, क्योंकि यह आपदा पूरे प्रदेश में आयी है। अब इसका मुकाबला कैसे हम करें, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आज हम सभी के सामने खड़ा है। मैंने कल सर्वदलीय बैठक में भी अपनी बात को रखा था। अब हमारी चिंता आगे की है, क्योंकि हमारा प्रदेश भूकम्प की दृष्टिकोण से जोन–4 एवं 5 में आता है। यह जोन भूकम्प की दृष्टिकोण से सबसे अधिक खतरनाक जोन कहा जाता है। यदि हमारे प्रदेश का कोई दुर्भाग्य न हो, क्योंकि इस समय यदि हल्का सा भी भूकम्प आने के बाद जिस तरह से पूरे पहाड़ जर्जर हो गये हैं, पूरा तराई क्षेत्र जर्जर हो गया है तो मैं समझता हूँ कि इस समय प्रदेश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से टिहरी डैम की जो ऊँचाई थी 828 मी0, उसमें भी ऊपर पानी का लेवल जो आउट ऑफ कन्ट्रोल की स्थिति है। मान्यवर, ऑटोमैटिक कन्ट्रोल की स्थिति में हमारा टिहरी डैम का पानी का लेवल पहुँच गया है, यह संकेत भी हमारे देश के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत खतरनाक है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपसे निवेदन किया था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में विधान सभा का सत्र आहूत करने से निश्चित रूप से राहत कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूँकि संवैधानिक दृष्टिकोण से सदन को आहूत किया जाना बहुत अनिवार्य था, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सारे प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए, नियमों को शिथिल करते हुए, इस पर चर्चा शुरू करवाई। माननीय अध्यक्ष जी, दो बिन्दु हैं, एक तो तात्कालिक राहत कार्य और दूसरा, दीर्घकालीन राहत कार्य। इस समय जो आवश्यकता है, वह प्रदेश की जनता के मनोबल को बढ़ाने के तात्कालिक राहत कार्यों की है। तात्कालिक राहत कार्यों में सबसे बड़ा संकट पीने के पानी का है। पूरे प्रदेश में पानी ही पानी है लेकिन इसके बावजूद भी पीने के पानी का संकट है, क्योंकि जो पानी है, वह पीने योग्य नहीं है। पेयजल योजनाएं इस स्थिति में नहीं हैं कि आने वाले 4–5 माह में उसकी मरम्मत करके पीने योग्य पानी दे सकें। हमें तत्काल बरसात के कारण गाँवों के पास जो नये जल स्रोत फूटे हैं कह सकते है या नये डेवलप हुए है कह सकते हैं, जो पानी के नये स्रोत विकसित हुए हैं, उन स्रोतों का तात्कालिक रूप से ट्रीटमेंट करके, दवाईयाँ आदि डालकर उनको पीने योग्य बना कर, गाँव के लोगों को पीने का पानी कैसे हम उपलब्ध करा सकें, मैं समझता हूँ कि यह तात्कालिक राहत कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है, जब तक पेयजल योजनाओं की मरम्मत में समय लगता है।

इसी तरह से मेडिकल की भी स्थिति है, जैसा अभी माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी कह रहे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र का एक सवाल भी उठाया है। एक ऐसी बीमारी उनके

यहाँ फैल गयी, जिसमें पहले गला चोक होता है, फिर गले की नस मोटी होती है और उसके बाद मौत हो जाती है। इस प्रकार बहुत सारी मौतें हुई हैं। चाहे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हो या वहाँ के अन्य स्वास्थ्य केन्द्र हो, यह नहीं समझ पा रहे है कि यह कौन सी बीमारी है। बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा कि यह कौन सी बीमारी है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब ऐसी विकट स्थिति होती है, जगह-जगह भूस्खलन होता है, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है, तो स्थिति में तत्काल हमारा स्वास्थ्य विभाग यह देखे कि हर गाँव मे, हर ब्लाक में किस तरह मेडिकल की व्यवस्था हो सकती हैं, किस तरह उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। यह तत्काल युद्ध स्तर पर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें एन०जी०ओ० का भी सहयोग लिया जा सकता है तथा देश की उन तमाम एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा सकता है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। प्रदेश की जनता को ऐसे समय में स्वास्थ्य की सुविधाए मुहैया कराना अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग चले गये, वे तो हमारे हाथ में नहीं हैं। किन्तु बाकी सबका जन जीवन सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह बिजली की भी समस्या है। मैं समझता हूँ कि अधिकाश गाँवो में बिजली के खम्बे उखड़ गये हैं, ट्रांसफार्मर बह गये हैं। कैसे बिजली की व्यवस्था को भी युद्ध स्तर पर ठीक किया जा सकता है, इसमें भी तत्काल राहत कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

सड़कों के निर्माण में तो समय लग सकता है, लेकिन जिन गाँवो में पैदल जाने के रास्ते या खच्चर चलने के रास्ते भी जगह-जगह टूट गये है उन गाँवों में ऐसे रास्ते तत्काल बनने चाहिए, जिसमें कम से कम वह पैदल चल सकें और खच्चरों से राशन-पानी की सप्लाई की जा सके। मैं टिप्पणी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने खाद्य विभाग के सचिव का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न की समस्या के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत कहाँ से मिलेगी क्योंकि शिकायत करने की स्थिति ही नहीं है। गाँव के लोगो का टेलीफोन से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है तथा वह कहीं आ-जा भी नहीं पा रहे है और लोगों के पास खाद्य सचिव का टेलीफोन नम्बर भी नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी तक से बात नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में इस तरह से बयानो से बचना चाहिये, यह तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई, कि हम कहें कि प्रदेश में खाद्यान्न की कमी की कोई शिकायत ही नहीं आई है। लोगों के घरों में जो अनाज था वह पानी घुसने के कारण तहस-नहस हो गया है।

आज पूरे प्रदेश में खाद्यान्न संकट ही बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक भी नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे गाँवों में लोग अनाज के लिए एक-दूसरे से माँगकर काम चला रहे हैं। इसलिए तात्कालिक रूप से गाँवों से रास्ते बनाये जाने की बहुत जरूरत है, ताकि इन रास्तों से खच्चरों के माध्यम

से हम राशन की सप्लाई और ढुलाई गाँवों तक कर सकें। क्योंकि सडक बनने में काफी समय लगेगा और इसके लिए हमें इंतजार भी नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मुख्य मार्ग या हाई–वे आदि तो 10–15 दिन में बन सकते हैं, लेकिन ब्रांच सडकें इतनी जल्दी नहीं बन सकती हैं। मैं अभी अपनी माँजी से बात कर रहा था तो उन्होंने बतलाया कि गाँव में कई बडे–बडे पुश्ते टूट गये हैं, जो 6 महीने से पहले बन ही नहीं सकते है। कुछ सडकें तो इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त है कि यदि युद्ध स्तर पर कार्य हो तो एक साल में वह सडकें बन पायेंगी। तो यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया, क्योंकि मेरे गाँव में यह स्थिति है तो सभी आपदाग्रस्त गाँवो में भी यही स्थिति होगी, हमारे सभी माननीय विधायकों के क्षेत्र में यही स्थिति होगी। गाँवो की सडकों को हम तत्काल नहीं बना सकते है, लेकिन पैदल रास्ते बना सकते है, जिसमें लोग पैदल चल सकें और खच्चरों से राशन आदि का दुलान कर सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर रास्ते बन्द होने से सस्ते गल्ले की दुकान में लोग नही पहुँच पा रहे हैं तो हम इस तरह से भी व्यवस्था कर सकते है कि दो–तीन गाँवो के बीच में सस्ते गल्ले की एक टेम्परेरी दुकान खोल दी जाय। क्योंकि सडकों के किनारे जो सस्ते गल्ले की दुकान हैं, वहाँ तक सबका पहुँचना सम्भव नही है तो वहाँ पर सरकार अपने पैसे से दुलान करके राशन पहुँचा सकती है। मान्यवर, मैं सोचता हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता तात्कालिक राहत दिये जाने की है। एक चीज और कहना चाहूँगा कि यह जो राहत कार्य हैं, उनमें हमारे माननीय विधायकों का भी सहयोग लिया जाना बहुत आवश्यक है। जिला स्तर पर जो आपदा राहत प्रबन्धन समिति होती है, उसमें विधायक पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन अब तक इन समितियों की बैठकें ही नहीं हुई है और न ही इसमें विधायकों को बुलाया गया है। चूँकि यहाँ पर तात्कालिक राहत देने की बात है तो विषय अलग हो गया, लेकिन हर विधायक को उसके विधान सभा क्षेत्र में आपदा राहत प्रबन्धन समिति तत्काल गठित कर उसकी देख–रेख में मान्यवर, उनके विधान सभा क्षेत्रों में ये आपदा राहत कार्य शुरू किये जाने चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा कि दीर्घकालिक योजनाओं के लिए, जैसे पहले भी आपसे निवेदन किया था, जो दीर्घकालिक हमारी योजनाएं हैं, जिसमें सडक है, पेयजल योजनाओं की मरम्मत है, हॉस्पिटल हैं, विद्यालय, जो क्षतिग्रस्त हो गये है, मैं सोचता हूँ कि जब सत्र दोबारा आयेगा तो हम अपने–अपने क्षेत्रों का पूरा आकलन करके आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचायेंगे और एक कार्य योजना बना पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, दीर्घकालिक योजना के बजाए मैंने तात्कालिक योजना पर बल दिया है, मैं चाहता हूँ कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी सर्वदलीय बैठक में कहा कि अगर गेंद एक–दूसरे के पाले में डालने का काम हम लोग

करेंगे तो मै सोचता हूँ कि ये प्रदेश की जनता के प्रति हमारा एक अच्छा व्यवहार नही माना जायेगा। हम कहेंगे कि प्रदेश सरकार नकारा हो गयी, फिर प्रदेश सरकार कहेंगी कि केन्द्र सरकार हमें सहायता नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार अपने केन्द्र के नेताओ, अपने वरिष्ठ नेताओं के सम्पर्क में है और कांग्रेस और केन्द्र सरकार प्रदेश की इस विकट घडी मे, इस संकट की घडी मे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो, चाहे हमारी केन्द्र सरकार की माननीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गॉधी जी हो, पूरी तरह से इस संकट की घडी में प्रदेश की जनता के साथ खडी है। एक बात मैं और माननीय अध्यक्ष जी, कहना चाहता हूँ कि जो गॉव संकट की स्थिति में है, हमेशा ये बात होती रही कि ये गॉव, जो दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्रों के गॉव है, उनका पुनर्वास करना चाहिए। वो तो एक अलग विषय है, वो दीर्घकालिक योजना होगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ क्योंकि बारिश जब बन्द होती है तो तेज धूप जब लगती है तो चट्टानो के चटकने की ज्यादा सम्भावना होती है, चट्टानें ज्यादा चटकती है और ज्यादा भू-स्खलन होने की सभावना बनती है। ये हमेशा से हमने देखा है कि लैंडस्लाइड तब ज्यादा होता है जब बारिश बन्द होती है और धूप तेज लगती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो गॉव बिल्कुल खडे पहाड की तलहटी पर हैं, एकदम खडे पहाड हैं और हमको लगता है कि अगर पहाड पर कोई भी लैंडस्लाइड या भू-स्खलन होगा तो इन गॉवों या घरों के दबने की सम्भावना, या घर में मलबा आ सकता है, घर दब सकते हैं। ऐसे घरो को शिफ्ट करना, तात्कालिक रूप से हम ऐसे गॉवो को, ऐसे घरों को, ऐसे परिवारो को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित कर सकें। जब भविष्य मे उनके गॉव का पुनर्वास होगा, ये एक अलग विषय है, लम्बी योजना है, लेकिन तत्काल ऐसे गॉव की स्थिति क्या हो गयी।

अभी हम कह रहे हैं कि 100-200 लोग इसमे प्रभावित हुए है। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में बहुत बडा संकट कुछ गॉवों पर पैदा हो जाय। दूसरा ऐसे गॉवों को भी शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जिन गॉवों मे दोनो तरफ से भू-स्खलन हो गया हो और गॉव खतरे में हो, ऐसे गॉवो को भी शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तत्काल रूप मे। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ, सरकार इस बात को गम्भीरता से लेगी कि युद्ध स्तर पर, मै एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी सर्वदलीय बैठक मे कहा था, जैसे अभी माननीय नेता सदन ने भी कहा जब कोई एक क्षेत्र में विपत्ति आती है तो हम प्रदेश के जो अच्छे अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी अच्छे हैं, जो सेवा मे आ गये, वे सभी अच्छे हैं, लेकिन उन अच्छो में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ लोग केवल नौकरी करते हैं कि हमको वेतन मिलता है। दस से पॉच नौकरी करते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं। हम लोगो में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ये सोचते है कि हम विधायक है, केवल हमारी विधान सभा क्षेत्र

के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर, प्रदेश में कहीं भी कुछ हो रहा हो तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी हैं। हर इंसान का अपने काम करने का तरीका है।, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि प्रदेश में खराब अधिकारी हैं, मैं खराब शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छे मनोबल से काम करने वाले अधिकारी होते हैं। जब एक क्षेत्र में विपत्ति आती है तो हम वहाँ पर अच्छे मनोबल से काम करने वाले अधिकारियों को लगा देते हैं। क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है मैं कोई टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ, आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव है।

जब मैं वर्ष 1991 में उत्तरकाशी का भूकम्प, प्रभारी मंत्री था, जब आप भी माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री थे, तो मैंने उस समय देखा बड़कोट में, माननीय केदार सिंह जी, हमारी विधान सभा के सदस्य हैं, हमारे एस०डी०एम० और तहसीलदार स्तर पर अहेतुक सहायता में 10–20 हजार दिया जाता था, वह दस्तखत करा रहे हैं, दो हजार पर उसको शब्दों में नहीं लिख रहे हैं, प्राप्त किया दो हजार लिख रहे हैं तो उसे दो हजार दे दिया, जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ से गया एक शून्य और बढ़ा दिया उसको बीस हजार कर दिया। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जब युद्ध स्तर पर कोई काम होता है तो बेमानी की सम्भावना भी उस रूप में होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह चिन्ता व्यक्त कर रहा हूँ कि जब हम अफरा–तफरी में युद्ध स्तर पर काम करें तो उस समय हमको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिनको अहेतुक सहायता दी जा रही है, वह उन तक पहुँचे, जो राहत सामग्री दी जाती है, वह पीड़ित लोगों तक पहुँचे। मैंने उत्तरकाशी में देखा किस तरह से बन्दरबाँट होती थी सामान की, आपका भी दौरा माननीय अध्यक्ष जी, हुआ था, वैसी स्थिति न हो। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जो पीड़ित हैं, दु:खी हैं यह राहत राशि उन तक पहुँचे, इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। भले ही आप कोशिश कर रहे होंगे, सरकार कोशिश कर रही होगी, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे घर हैं ऐसे लोग हैं, जिनको अहेतुक सहायता नहीं मिल रही है, जिनको सामग्री नहीं मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा 35 हजार रुपये रखा है, मैंने यह बात कल सर्वदलीय बैठक में भी कही, यह 35 हजार की धनराशि बहुत कम है। यह धनराशि इतनी कम है कि इसमें एक बाथरूम नहीं बन सकता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपदा प्रबन्धन मंत्री रहा हूँ, इसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार योगदान होता है और 25 प्रतिशत इसमें प्रदेश सरकार का योगदान होता है, यह गाइड लाइन भारत सरकार की है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह भूकम्प के समय में 10 हजार रुपये पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का था, विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय 20 हजार रुपये किया था। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस 35 हजार रुपये की धनराशि को

कम से कम एक लाख रुपये किया जाये, जो अहेतुक सहायता राशि दो हजार रुपये है, उसे भी 20 हजार रुपये किया जाये। क्योंकि मैं आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हमने पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये कर दिया है, लेकिन इस धनराशि को भी प्रदेश सरकार को, जो केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दी जा रही है, अगर प्रदेश सरकार के द्वारा भी उसकी कम से कम आधी धनराशि दी जाती है तो मैं सोचता हूँ कि यह ज्यादा उचित होगा। घायलों के लिए भी जो उनके उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी तरह अगर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आवश्यकता पड़े तो उससे उनका पूरा उपचार करने के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, 10 हजार, 05 हजार, रुपये का सवाल नहीं है, जितना भी खर्च होता है, आप हॉस्पिटल को पेमेन्ट करें। जो भी इस अतिवृष्टि के कारण घायल हुए है, उनका पूरा इलाज सरकार को करना चाहिए। तो इसमें गाइड लाइन्स में चेन्ज करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें चेन्ज करना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, हम सबका दर्द, पीड़ा, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। हम सब लोगों के साथ खड़े है। इन्ही शब्दों के साथ धन्यवाद।

*श्री शहजाद–

मानसीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूँ कि अति संवेदनशील मुद्दे पर नियमों को शिथिल करते हुए आपने चर्चा कराई। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा उत्तराखण्ड प्रदेश और इसके साथ–साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश। आप जब भी टी०वी० खोलेंगे तो और समाचार सुनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में आज कहीं भी कुछ शेष नहीं है, सिवाय सैलाब के। लगभग 170 जानें उत्तराखण्ड में गई हैं, जिन्हें शासन ने दैवीय आपदा के अन्तर्गत लिया है और अनेक जानें ऐसी भी हैं, जो इससे लगी हुई हैं, इसी आपदा के कारण गई हैं। लेकिन प्रशासन ने उन्हें दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि आज सड़क नाम की कोई चीज शेष नहीं है। लाखों मकान जमींदोज हो चुके हैं और नुकसान का आकलन करना आज मैं समझता हूँ कठिन ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि जहाँ दूर–दराज के ऐरियाज में भू–स्खलन, अतिवृष्टि और बादल फटने से जो घटनायें घटित हुई हैं, वहाँ कोई भी अधिकारी चाहते हुए भी, यहाँ तक जब हम जनप्रतिनिधि भी वहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाये हैं। हवाई जहाज से कितनी जगह जा सकते है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन कितनी जगह जाया जा सकता है, यह भी सोचने का विषय है। क्योंकि पूरा प्रदेश ही दैवीय आपदा की चपेट में है और पूरा सदन ही नहीं पूरा प्रदेश इस मामले में एकजुटता दिखा रहा है, इसमें भी कोई शंका नहीं है।

* वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

बाढ़ के लिए, दैवीय आपदा के लिए अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो माननीय अध्यक्ष जी, फिर वही राजनीति की बात आयेगी, लेकिन इन साढ़े तीन साल में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई काम नहीं हुआ। हरिद्वार जनपद में ही एक भी योजना बाढ़ नियंत्रण के लिए स्वीकार नहीं हुई है। पहले हमने पिछले पाँच साल देखा भी है और किया भी है कि जिलाधिकारी चाहे बाढ़ की मीटिंग हो, दैवीय आपदा की हो या अन्य प्रशासनिक मीटिंग हो, विधायकों को शामिल करते हुए हर महीने या दूसरे महीने बुलाते थे जिले का कप्तान भी विधायकों के साथ क्राइम मीटिंग प्रत्येक महीने करता था। लेकिन साढ़े तीन साल में पूरी व्यवस्था बदल गई। कोई अधिकारी विधायकों को शामिल नहीं करना चाहता। क्यों डरते हैं अधिकारी जनप्रतिनिधि को शामिल करने से ? माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से योजनायें ले करके अधिकारी प्लान बनाते, उनकी सलाह को मानते, उनके सुझाव को मानते, प्राथमिकता देते तो शायद जितनी आपदा इस प्रदेश में आई है, उसमें कमी भी आ सकती थी। आज हरिद्वार जनपद का लक्सर ब्लाक, तहसील खानपुर में आज भी 70 गाँव लगभग पानी के अन्दर डूबे हुए हैं। अनेक गाँव ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य रूप से करसिया, लक्सर तहसील का कुंडी भगवानपुर, बालावाली गिद्धावाला, जुम्मनपुर, मनसुरपुर, गंगदासपुर पंडितपुरी, नन्दपुर आदि अनेकों गाँव हैं जहाँ आज भी आदमी नहीं जा सकता है। जो उनके लिए पुल बना था, वह बह चुका है, टूट चुका है। कोई व्यवस्था इन चार दिन के बाद भी प्रशासन ने उस गाँव में पहुँचने की, वहाँ से आने-जाने की नहीं की है।

मान्यवर, हरिद्वार जनपद के रुड़की तहसील में लगभग 16 आदमी, जो प्रशासन ने दैवीय आपदा के अन्तर्गत मृत घोषित किये हैं। लेकिन वहीं रहमतपुर गाँव में पाँच बच्चे पिछले माह अधिक बरसात होने से एक गढ्ढे में डूबकर मरे थे, उन्हें आपदा के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उन पाँच बच्चों को भी दैवीय आपदा के अन्तर्गत लिया जाय और उनके परिवार को भी आर्थिक मदद दी जाय। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार तहसील में छः मरे हैं और लक्सर में इतना पानी आने के बाद भी खुदा का रहम है कि वहाँ दो ही आदमी इस आपदा में मरे हैं, कोई बड़ी घटना वहाँ घटित नहीं हुई है। इसमें कुदरत का विशेष आभार भी व्यक्त करता हूँ और जितना किया जाय उतना कम है, वर्ना वहाँ आठ या दस फीट पानी उनके घरों में भर गया, लोगों ने अपनी छत पर आसरा लेकर अपनी जान बचायी। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ मैं यह कहना भी उचित समझता हूँ कि जो हमारी टिहरी डैम है, वहाँ रोज शंका उठती रही है कि आज टिहरी डैम से अधिक पानी आ रहा है, आज टिहरी डैम टूट जायेगा, आज कोटेश्वर डैम टूट जायेगा। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इन्सान की जिन्दगी के लिए बिजली है, इन्सान के लिए वह डैम है, यदि वह टूट जाता है, जिसकी कैपिसिटी 42 किलोमीटर लम्बी है और लगभग एक किलोमीटर ऊँचाई है, क्या उत्तराखण्ड से गंगा सागर तक कुछ बचेगा ? मैं सम्मानित सदन से निवेदन करूँगा कि इसकी ऊँचाई घटाई जाय। उसमें इतना ही पानी जमा हो जिससे पूरे देश में प्रलय न आये।

मान्यवर, कालागढ़ का डैम बहुत छोटा है, यदि वहाँ से तीन मीटर पानी छोड़ने के बाद मुरादाबाद, बरेली, ऊधमसिंह नगर, रामपुर और बिजनौर, अगर ये जिले डूब सकते हैं तो टिहरी डैम टूटने के बाद क्या हो सकता है, इसकी परिकल्पना आप कर सकते है। अगर इन्सान नहीं रहेगा तो डैम से क्या करेंगे, बिजली का क्या करेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, उसकी जितनी कैपिसिटी है, आज उससे अधिक पानी उसमें जमा हो गया है। वहाँ के प्रशासन के हाथ खड़े हैं, उनके बस में आज वह डैम नही है। एक बरसात और हो जाय, खुदा न करे अब हो, अगर हो जाय तो डैम का क्या होगा, यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उनके बारे में सोचना भी व्यर्थ की बात होगी, क्योंकि शेष कुछ नही बचेगा, यानी दिल्ली भी नही बचेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जहाँ राहत देने की बात की है। आज जो भी राहत सरकार एक लाख रुपये मृतक के परिवार को और 35 हजार रुपये मकान के लिए दे रही है, वह अपर्याप्त है। मेरा निवेदन है कि सदन इस पर सहमत होगा कि मृतक के परिवार को पाँच लाख रुपये मिलने चाहिए और जो मकान गिरता है, अभी बात आयी थी कि 35 हजार रुपये में बाथरूम भी नहीं बन सकते हैं। जबकि तीन हजार रुपये प्रति हजार ईंट और उसकी ढुलाई का है। मेरा कहना है कि जो ध्वस्त मकान है, उसके निर्माण के लिए साढ़े तीन लाख रुपये मिलने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हजारों एकड़ फसल हरिद्वार जनपद में नष्ट हुई है, वहीं सितारगंज, ऊधमसिंह नगर, शक्तिफार्म में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है पंजाब सरकार ने 25 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा दिये जाने का काम किया है। हम भी पंजाब सरकार का अनुसरण करें या उससे ऊपर जाकर काम करें। मान्यवर, किसान को 25 से 30 हजार रुपये फसल के रूप में मुआवजा देने का काम करें ताकि किसान की हिम्मत जवाब न दे और वह इस सैलाब में भी खड़ा रहे कि सरकार उसके पीछे है। मान्यवर, एक मुहावरा है कि ''डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है।'' मान्यवर, 25 हजार रुपये एकड़ की तो उसकी लागत आती है, अगर हम दे देंगे तो रोते के आँसू पोंछने के समान मानेंगे। मान्यवर, आज हजारों एकड़ की जमीन को नदी के कटान ने काटने का काम किया है। जो आज जमीन नदी की रेत के रूप में बदल गई है, उसके मुआवजे के रूप में, मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम 5 लाख रु० प्रति एकड़ के हिसाब से जिन लोगों की भूमि कटाव हुई है, वह दिया जाए और बाढ़ के लिए एक दीर्घकालिक योजना बने और जहाँ तटबंध हरिद्वार में टूटे उन पर सर्वप्रथम काम हो, ईस्टर पत्थर के लगें, क्योंकि साढ़े तीन साल में बाढ़ नियंत्रण के रूप में कोई काम नही हुआ है। पहले एक विभाग भूमि संरक्षण के नाम से होता था, वह थोड़ा बहुत कर लेता था, आज वह भी समाप्त है और माननीय सिंचाई मंत्री जी भी देख रहे हैं बड़े गौर से, जो इनका विभाग है बाढ़ नियंत्रण, वह बिल्कुल नकारा रूप में काम करता है, उसका कोई काम है नहीं। नदियाँ जहाँ चाहती है, वहाँ चली जाती हैं।

माननीय जैन साहब की विधान सभा का गाँव है पारलीगुजर, वह चार दिन से पानी में डूब रहा है, लेकिन एस0डी0एम0 को फोन करो, सुनने को तैयार नहीं, उसका पानी आज तक नहीं निकला है। आज भी घरों में पानी है और अनेक गाँव ऐसे हैं, जो आज भी सैलाब में हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि हरिद्वार का प्रशासन घोड़े ही नहीं गधे बेचकर भी सो रहा है, इस समय भी जनता के साथ वह खड़ा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन हमने कल भी किया था, माननीय भट्ट जी ने भी किया था, कि एक दिन का सदन करके समूचा ही सदन अपने क्षेत्रों में जाए ताकि लोगों के जख्मों पर हम मरहम लगाने का काम करें, उनके दु:ख तकलीफ में खड़ा होने का काम करें और जो बात अभी हरक जी ने कही है कि मुआवजे की बात आए तो जो स्थानीय विधायक हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। उनको देखना चाहिए कि क्या दिया जा रहा है, क्या उसका बनता है, क्या उसका अधिकार है? ताकि जानकारी जनता को पारदर्शिता के रूप में हो। आज हरिद्वार में भी चारों तरह रोड बन्द है, मोहंड बन्द है, रेल बन्द है, जहाँ के तहाँ लोग स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। लक्सर ओवर ब्रिज पर काफी फंसे हुए है। मैं समझता हूँ कि अब युद्ध स्तर पर सड़कों का काम होना चाहिए। अगर सड़कें ठीक नहीं हुई, अगर उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी तो लोगों को तत्काल सहायता भी नहीं पहुँच पायेगी। जो नेशनल हाईवे है 58 हरिद्वार में, वह कई जगह बन्द है। उत्तर प्रदेश के खतौली तक रास्ता पूरा ही खत्म हो चुका है, इस पर भी युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए और तत्काल जो नेशनल हाईवे हैं, अप्रोच रोड है, उन पर भी कार्य किया जाए। आज पूरे प्रदेश में आपदा है, हम सब मिल कर इस पर काम करें और इस पूरे प्रदेश को दैवीय आपदा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार शामिल करे, और एक बड़ा आर्थिक पैकेज देकर क्योंकि जो 10 साल में विशेष रूप से इस प्रदेश में काम हुआ है, वह चार दिन की क्या एक महीने की बरसात में पूरी तरह ध्वस्त है। इसमें मैं समझता हूँ कि पूरा सदन नहीं पूरा प्रदेश एकजुट है और एकजुटता दिखाते हुए इसके लिए हम काम करें। धन्यवाद।

राजस्व एवं खाद्य मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि हमारा जन्म से ही दैवीय आपदा से नजदीकी रिश्ता रहा है, इस संदर्भ में बहुत सारी बातें मैं इस समय नहीं कहूँगा, क्योंकि वह लम्बा हो जायेगा। मैं एक छोटी सी घटना अपने जीवन की कहना चाहता हूँ। एक बार मैं श्रीनगर से अपने गाँव जा रहा था सावन के महीने में रास्ते में एक गधेरा है, उसमें पानी चढ़ा हुआ था। मान्यवर, रात का समय था, मैंने अपने कपड़े उतारकर छतरी पर बाँध दिया और पल्ली तरफ रख दिया, यह सोचकर कि नदी पार कर जाऊँगा, उसके बाद कपड़े सूखे होंगे तो पहन लूँगा, पर यह मेरा

दुर्भाग्य था कि गधेरे मे आधा तक भी नहीं पहुँच पाया होऊँगा कि मेरे पैर पर एक पत्थर आया, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया और फिर मैं 4 किलोमीटर पैदल घूमकर आकर कपड़े पहन पाया, यह जो हमारी विवशता है, क्षेत्र की जो स्थिति है, वह मैंने आपको बताया है। मान्यवर, मेरा उत्तराखण्ड में पहाड़ों का गहन अध्ययन रहा है, क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन मे, मैं हर क्षेत्र मे गया हूँ, थोड़ा मेरा अनुभव अलग है। इसी सन्दर्भ में, मैं कहूँ कि वर्ष 1970–80 के दशक मे तीन बड़ी घटनायें घटित हुई थीं, जिसमे एक बेलाकोची की बाढ़ आई, एक गंगनाली की बाढ़ थी, एक तवाघाट का भूस्खलन था। उस समय बहुत बड़े स्तर पर राज्य की विपदा मानी जाती थी, हालांकि यह घटना क्षेत्र विशेष में हुई थी, उसमे क्या हुआ यह मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लम्बा विषय हो जायेगा।

मान्यवर, वर्ष 1990 और 2000 के दशक में भी भूकम्प की दो बड़ी घटना हुई है, जिसमें वर्ष 1991 और 1999 मे भूकम्प हुआ, उसमें जो कुछ हुआ, उसमें हम लोगो ने, हमारी सामाजिक संस्था थी, उसके माध्यम से हमने वहाँ 10 हजार कम्बल और बहुत सारी चीजों को बाँटने का काम किया, इन तमाम घटनाओं मे जहाँ बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लोगों के दु:ख मे सम्मिलित होना चाहते है, तो कुछ लोग इसको अपना जीवन–यापन का धन्धा बना लेते हैं, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहूँगा लेकिन एक बात थी, जिसकी बाहर से मीडिया ने आकर रिकार्डिंग की, उसमें एक आदमी 3 बार लाईन मे लगा ढाई किलो आटे के लिए, जबकि बाद में पता चला कि उसके बैंक खाते में 18 लाख रुपये हैं, तो इस तरह से घटना होती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया सीमित करें।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो इस समय स्थिति है, मैं इस विषय पर आ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस दशक की सबसे बड़ी दैवीय आपदा इस राज्य मे आई है। आपने जो इस दैवीय आपदा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये, मै इसमें इतना कहना चाह रहा हूँ कि यह घटना माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि हर घर मे हुई है, यह किसी क्षेत्र विशेष में नहीं हुई है। माननीय नेता बसपा ने कहा कि हरिद्वार में सैकड़ो एकड़ भूमि पानी मे डूब गई, निश्चित रूप से वह सारी जमीन प्रभावित हुई है, लेकिन उस पहाड़ का आकलन करें, जहाँ एक खेत को बनाने में सदियाँ लग जाते है, कहीं से पत्थर लाकर मुश्किल से पहाड़ को काट करके, वहीं उसको चिनाई करके, उसको खेत का रूप दिया जाता है। कहीं दूर से मिट्टी लाकर उसका भराव किया जाता है, तब वह फसल के लिए उपजाऊ बनाई जाती है, वहाँ पर एक नाली जमीन की क्या कीमत बैठती है, उसको दोबारा कैसे ठीक करेंगे, यह चुनौती का विषय है।

इस पर भी हमको देखना होगा कि मैदान में जो खेती नष्ट हो गई है, उसको पुनः कैसे खेती लायक बनायें और उन इलाकों में जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गयी, जहाँ पर खेत बनाना आसान है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से पहाड़ टूट करके आये हैं। मुझे लगता है कि कई गाँवों की खेती खत्म हो चुकी है, ऐसी जगह पर उन लोगों की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसके लिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसके लिए उसी ढंग से आकलन करके आगे कार्य करना होगा। मान्यवर, मैं ज्यादा लम्बा नहीं कहूँगा लेकिन बहुत साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि इस राज्य के अन्दर जिस दिन से यह दैवीय आपदा प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम एक बात को माननीय नेता बसपा ने स्वीकार की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह माननीय मंत्रिगणों और अधिकारियों से पहले पहुँचने की जो कोशिश की है और प्रभावित लोगों के दर्द में जो सम्मिलित हुए, इसके लिए तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था, उस आदेश का पालन करने की कोशिश हर माननीय मंत्री ने की है, लेकिन हर कोई हवाई जहाज से तो जा नहीं सकता था, जहाँ तक कोशिश हो सकी जहाज की वह की गयी। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप इधर देखकर बात करें। माननीय सदस्यों को बात रखने का अवसर मिलेगा।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हम इस तरह की स्थितियों का सामना किस तरह से कर सकें, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्रिगणों को निर्देशित कर दिया था कि सभी प्रभारी मंत्रिगण अपने–अपने क्षेत्रों में बने रहें। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, चूँकि जब बागेश्वर में घटना घटी 18 तारीख को, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना चाहता था, परन्तु मेरे पैर पर चोट थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जा रहे हैं और हमारे दैवीय आपदा मंत्री माननीय खजान दास जी और तमाम माननीय मंत्रिगण वहाँ पहुँचे थे। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ, मैंने भी 25 तारीख से लगातार प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है। पूरे क्षेत्रों का भ्रमण किया और लगभग हर क्षेत्र की नजदीकी से जानकारी लेने की हमने कोशिश की और उस समय भी हमने कोशिश की कि चाहे वह ऊधमसिंह नगर हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, चमोली हो, टिहरी हो, रूद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, सभी जिलों की समीक्षा बैठक की है। यहाँ तक कि दैवीय आपदा की जो समीक्षा बैठक की जानी चाहिए थी, उस पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की गयी। हर क्षेत्र में हम लगातार जिलाधिकारियों

से एवं अन्य तमाम जितने भी हमारे सम्बन्धित अधिकारी क्षेत्रों में हैं, उनसे सम्पर्क बना हुआ है। प्रत्येक दिन में कम से कम पाँच-छः बार हम इन अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं। मैं, सरकार में भी हूँ तो सरकार के दायित्व का निर्वहन किस तरह से हुआ, यह मैं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक उत्तराखण्ड क्रांति दल का जो मंतव्य है, वह बहुत साफ है कि हम उन दूरदराज इलाकों को जहाँ पर आज स्थिति बसावट की नहीं है, जहाँ पर स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है, उसका भी आकलन ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, जो डूब रहा है, उसका भी आकलन हम उसी अंदाज से करें और कोशिश करें कि जहाँ पर जिस तरह की आवश्यकता है वहाँ पर उसी तरह की व्यवस्था कायम करने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री भी हूँ। अभी हमारे सचिव का बयान आया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बयान किया है, वह व्यवस्थाओं के तहत ही दिया है, इसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चूँकि हमने लगातार अखबारों के माध्यम से भी कहा है और जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जहाँ पर खाद्यान्न की स्थिति, मार्गों के अवरोध होने के कारण अगर कोई परेशानी है तो चाहे हम खच्चरों के माध्यम से भेजें, चाहे हम कुली के माध्यम से भेजें, लेकिन वहाँ खाद्यान्न पहुँचना चाहिए और यह पूरी कोशिश हमारी रही। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि खाद्यान्न का हमने पहले से ही, चूँकि हमें पहले से तो यह पता नहीं था कि इतनी बड़ी त्रासदी होगी, इसका अनुमान नहीं था, लेकिन इतना अंदाज था कि जो दैवीय आपदा हर साल बरसात में होती है, उसका अंदाज था और उसी अंदाज को देखते हुए हमने अग्रिम व्यवस्था की थी, भण्डारण किया था, इसमें हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी। फिर भी यदि कहीं पर कोई कमी है, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है उसमें यदि हमें कहीं कोई कमी नजर आयेगी तो निश्चित रूप से हम जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा है, चर्चा में सभी की बात आ रही है। यदि किसी माननीय सदस्य ने चर्चा में अपना नाम दिया है या नहीं दिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात रखने का अवसर दूँगा।

श्री यशपाल बेनाम-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सारे लोगों को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का ध्यान रखें कि रिपीटीशन न हो, समय का ध्यान रखें। एक बात जो सदन में आ चुकी है, वह दोबारा रिपीट न हो तो अच्छी बात होगी।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, सारे सदस्यों ने बोल लिया, हम भी तो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको मना नही किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अन्तर्मन से आभारी हूँ कि नियम–310 के अन्तर्गत जो प्रदेश में यहाँ के आम आदमी पर भयंकर संकट आ गया है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया और अभी विशेषकर जैसा कि हमारे बसपा के नेता माननीय शहजाद जी ने कहा, उन बातो पर नहीं आऊँगा, जो बातें यहाँ पर आ गयी हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात माननीय शहजाद जी ने कही मेरे विचार से हम पर पूरे प्रदेश और देश के लोगों को मनन करना चाहिए और यह मेरा सौभाग्य है कि 2 बार, जहाँ पर यह टिहरी बाँध स्थित है, वहाँ के लोगो ने मुझे आशीर्वाद दिया इस सदन में आने का। जब से मैं विधायक बना, उससे पहले भी मेरा स्पष्ट मानना था, वर्ष 1990 से हम संघर्ष कर रहे थे कि इतना बड़ा बाँध यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। यह निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गये। मै तो यह सोच रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वर्ष 1983 से किशोर उपाध्याय को जानते हैं तो मैंने सोचा कि वहाँ जा रहे है, तो इसे हमारे संज्ञान मे भी लाएगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपके कोई सुझाव तो नही है कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा उस बाँध के बारे मे अध्ययन रहा है। मैं देख रहा था कि जब दूसरी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मैं आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, वे जिस दल से सम्बन्ध रखते हैं, जिस दल के हैं, वहाँ के मंत्री और विधायक उस जगह उपस्थित होते हैं। इस तरह जो लोग बैठे हुए है, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उनको ये साथ नहीं ले जा सकते है। मान्यवर, टिहरी बाँध की आज की जो स्थिति हैं, उनके बारे मे मैंने पता करवाया है, इस समय टिहरी बाँध का जल स्तर 831.16 मीटर पर है और उसमें जो सुरक्षा के इन्तजाम है, उसमें बाँध की जो 4 टनल हैं, उसके अलावा जो आयजलोज हैं, जब ज्यादा पानी आ जाता है, उसको निकालने के लिए, उसके अलावा जो उसकी स्पिल वे है, उन सबसे इस समय जल स्राव हो रहा है।

ईश्वर करे कहीं ऊपर भिलंगना की तरफ, भागीरथी की तरफ और जो बाकी सहायक नदियाँ है, वहाँ बारिश न हो। अगर कहीं भी 10–15 मिलीमीटर बारिश होती है और टिहरी बाँध में जो सुरक्षा के उपाय है, 840 मीटर ऊँचाई है। 835 मीटर तक उसको भरा जा सकता हैं उस तक कोई खतरा नही है। लेकिन उसके बाद भी यदि उसमे पानी

बढ़ा तो क्योंकि यह कंक्रीट डैम नहीं है, यह बाँध रॉक फिल बाँध है। जो उसका सबसे ऊँचा स्तर है, उसके बाद पानी का स्राव होगा तो मान्यवर, उस बाँध को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। भगवान न करे कि कभी ऐसी स्थिति आए। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, जब मैं टिहरी बाँध और अपने क्षेत्र में जाता हूँ, 'हे प्रभु यह बन गया, इसको बचा कर रखना।' ऋषिकेश में जहाँ से हमारे माननीय सदस्य प्रेम चन्द अग्रवाल जी हैं, वहाँ पर 50 मीटर पानी है। 45 मीटर पानी हरिद्वार में है, रुड़की में है, इसी प्रकार मेरठ में होगा, प्रयाग में होगा, जब ऐसी स्थिति आएगी तो कितने लोग मौत के ग्रास बन जाएंगे। मेरे विचार से इस पर सबसे पहले सोचने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा दु:ख का विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी टिहरी में है, लेकिन टिहरी जल विकास निगम के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर सी0जी0एम0 के अलावा, कोई नहीं था। जब हमने वहाँ पर महापंचायतें की पुनर्वास के मामले में, तो सबसे पहला हमारा बिन्दु था कि टिहरी जल विकास निगम का कार्यालय टिहरी में भागीरथी पुरम में हो। भागीरथी पुरम में नहीं बना, ऋषिकेश में बन गया, वहाँ से भी उसको ले जाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है और सी0एम0डी0 ऋषिकेश में बैठा हुआ था, उसको कोई चिन्ता ही नहीं थी। वह कम से कम टिहरी में आकर देख तो सकता था कि टिहरी बाँध जहाँ बना है उसके नीचे के गाँवों की क्या स्थिति है। आज कोटेश्वर डैम में जो स्थिति है, टिहरी बाँध से लगभग 1200 क्यूसेक्स पानी का जलस्राव हो रहा है और 800 क्यूसेक्स पानी का जलस्राव कोटेश्वर से हो रहा है। लगभग 400–500 क्यूसेक्स पानी कोटेश्वर डैम में है और वहाँ पर जो बाँध बन रहा था और पावर हाउस बन रहा था, आज पूरी तरह से जलमग्न है और उसमें लगभग 500 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

मान्यवर, मेरे विचार से आज यह संकल्प इस सदन से पास होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रदेश में कोई बड़ा बाँध नहीं बनना चाहिये। क्योंकि अगर इन बाँधों से कोई त्रासदी आ जाय तो कितने लोग मरेंगे और कितने घर तबाह हो जायेंगे, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। मान्यवर, मेरे पास जो सूचनायें, उसके अनुसार टिहरी बाँध के आस–पास चिन्यालीसौड़ में 22 गाँव आज डूबने की कगार पर हैं। उनमें पोटी, पटागली, सान्गाड़, खोला, जल्वाल गाँव, सरोट, मदन नेगी, कन्साली, रौलाकोट, चिन्यालीसौड़, नन्दगाँव, मंटियाली, बडकोट, तल्ला उप्पू और मल्ला उप्पू, सारे के सारे गाँव किसी भी समय धसने की कगार पर हैं। मान्यवर, इससे कितने जान–माल का नुकसान होगा, घरों का नुकसान होगा, तो यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। वहाँ पर सुरंग बनाने और परियोजना का काम करने में जो विस्फोट हुए हैं। उसमें टिपरी से लेकर सारी की सारी सड़कें इस समय चालू हालत में नहीं हैं।

मान्यवर, चम्बा में चार लोगों के घर टूट गये हैं, जो उन्होंने 10–10 लाख रुपये में बनाये थे। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि सरकार ने 35 हजार रुपये राहत

दी है, तो क्या 35 हजार रुपये में 10 लाख रुपये का मकान बन जायेगा और इसमें वहाँ के लोगों की क्या गलती है। उन लोगों ने तो यह नहीं कहा था कि आप यहाँ पर बाँध बनाईये और जहाँ पर हमारे बाँध विस्थापितों को बसाया गया, चाहे आप ऋषिकेश चले जाइये, आमबाग में आ जाइये, लक्कड़घाट में देख लीजिये, पशुलोक मे देख लीजिये या पथरी मे देख लीजिये। सारे के सारे विस्थापित लोग आज जलमग्न है, उनकी खेती नष्ट हो गई है, उनके घर नष्ट हो गये हैं। इसी प्रकार से जो बाँध प्रभावित लोग हैं, चाहे प्रतापनगर हो, थौलधार हो, भिलंगना हो, चम्बा हो या चिन्यालीसौड हो, वहाँ के लोगो की क्या गलती है, यह तो सरकार का निर्णय था कि यहाँ पर बाँध बनायेगी। यदि सरकार आज उनके हितों की रक्षा नही कर पा रही है। मान्यवर, जब से टिहरी बाँध मे बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, तब से आज तक 600 करोड रुपये का लाभ प्रदेश सरकार को हो चुका है और इस पैसे को भी सरकार हमारे विस्थापितो और लोगों पर खर्च नही करना चाहती है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम इसमे आरोप–प्रत्यारोप की बात नही कर रहे हैं, लेकिन क्यो नहीं करेंगे आरोप–प्रत्यारोप की बात। क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को राहत पहुँचाने की, उन लोगो के ऊपर जरूर टीका–टिप्पणी होनी चाहिए, यहाँ पर पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त था और मुख्यमंत्री के पास और कोई काम नहीं था। वह अपना मंत्रिमण्डल बनाने में लगे थे। मुख्यमंत्री के पास और कोई दूसरा काम नहीं था, मुख्यमंत्री आवास पर लोगों को दावतें दी जा रही थीं। मान्यवर, क्या इस प्रकार से यह प्रदेश चलेगा।...... (व्यवधान)

*शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, इन्होने हाउस की तैयारी जन्मदिवस में मनाई और जन्म दिवस में नाच हो रहा था, आपके साथी नृत्य कर रहे थे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस प्रकार संवेदनहीनता से क्या यह प्रदेश चलेगा ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, यह चर्चा बहुत अच्छी दिशा में बढ रही थी और मै एक बार पुनः विनम्र भाव से श्री किशोर उपाध्याय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन सब बातो के लिए हमे और भी वक्त मिलेगा। आप अलग से भी आकर बातचीत कर लीजिये, लेकिन आज इस सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर ही हम ध्यान केन्द्रित करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, मुझे यह भी कहना है श्रीमन्, कि जिस दावत की बात आप कह रहे हैं किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार की कहीं कोई दावत नहीं थी। यह गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नये मंत्री बने, उनको कहीं एक जगह चाय पिलाने तक की भी कहीं बात नहीं है। श्री राज्यपाल जी ने ही वहीं सामूहिक रूप में व्यवस्था की, यह एक प्रक्रिया है। प्रदेश का काम और गतिमान बने, उसी दिशा में ये कदम था। वो भी चन्द एक घंटे, डेढ़ घंटे का और उसके बाद तत्काल सारे लोग अपने क्षेत्र में निकल गये थे। मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं देना है, सिर्फ आपके संज्ञान में इतना लाना है कि जो सूचनाएं आपके पास हैं, ये गलत सूचनाएं हैं और कम से कम इस सदन में सही सूचनाओं को रखना चाहिए। फिर से बात सही है कि मैं टिहरी गया था और अच्छा होता, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मुझे भी सौभाग्य होता आपका मार्गदर्शन मिलता। आप उस क्षेत्र से विधायक है, आपकी जानकारी में ज्यादा स्थिति होगी, लेकिन श्रीमन्, क्योंकि मैं अल्मोड़ा था, नैनीताल में था और एक घंटा हमारे पास था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, जब मैं नैनीताल के लिए चला तो मुझसे कहा कि टिहरी की जो खबरें आ रही हैं, इसकी स्थिति क्या है ?

जब मैंने पायलट से पूछा तब श्रीमन्, मेरे सामने दो स्थितियाँ थी, एक तो जो समाचार आ रहा था कि वरुणावत बुरी तरह से टूटना शुरू हो गया, जैसे मुझे मीडिया से ये समाचार मिला तो एक तो वरुणावत को तत्काल किसी तरीके से देखना और उसको प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करना और दूसरा जो टिहरी डैम का है, ये कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं था। मात्र एक घंटे में मैं इन दोनों स्थानों पर, इसलिए उत्तरकाशी में हम बिना लैंड किये वरुणावत पर्वत को देख करके और टिहरी में भी मुश्किल से उतरा और सीधे सात और आठ मिनट में डैम साइट पर गया और डैम साइट को देखने के बाद और आकलन करने के बाद श्रीमन्, मैं फिर वापस आया। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे सदन से ये बात बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, सदन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कमियाँ भी होगी श्रीमन्, पर हम उनको ठीक कर लेंगे। लेकिन इस समय कोई मार्गदर्शन मिले कि जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि निकट भविष्य में इस उत्तराखण्ड में बड़े बाँध बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, ये गम्भीर विषय है। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो ऐसे सुझाव, सकारात्मक चीजें आपने कही हैं, उसके प्रति आपका आभारी हूँ और ये सदन इस दिशा में ज्यादा केन्द्रित हो कि हमको क्या करना है, मार्गदर्शन दें, मैं आभारी रहूँगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस चर्चा का समय एक घंटे और बढ़ा रहा हूँ और आप से अनुरोध करता हूँ कि क्योंकि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने विचार रख सकें इस विषय पर, तो जो बातें पहले आ चुकी हैं, उन्हें न दोहराया जाय और अपनी बात को सीमित शब्दों में कहें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सबकी क्षमता जानता हूँ। सभी माननीय सदस्य अपनी बात को कम शब्दों में और बड़े विस्तार से रख सकते हैं, कम शब्दों में विस्तार से अपनी बात कह सकते है। कृपया अपनी क्षमता का सदुपयोग करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ। 1983 से हम एक–दूसरे के मित्र हैं..........।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको पाँच मिनट का समय दे रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ, एक–दो चीजें जानना चाहता हूँ। मैंने अखबार में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, पढ़ा और उनका बयान आया कि साहब हमको तात्कालिक रूप से पाँच हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और आज जो है, फिर मैं अखबार में बयान पढ़ रहा था साहब हमको इक्कीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ, अपने ज्ञानवर्धन के लिए और सदन को जानकारी चाहिए कि 24 घंटे में मुख्यमंत्री जी के पास ऐसी कौन सी जानकारियाँ आ गयी कि वो राशि एकदम इक्कीस हजार करोड़ रुपये पर पहुँच गयी। मान्यवर, मैं इसमें बहुत सुझाव देना चाहता था कि तात्कालिक रूप से जैसे कहा गया। (व्यवधान) ऐसा आपके पास क्या तंत्र है कि 24 घण्टे में सारा उसका आकलन कर लिया, सारी सड़कों का आकलन कर लिया, सड़कों से ज्यादा आज गाँवों में जो आवश्यकता है वह रास्तों की आवश्यकता है, जो सारे रास्ते टूट गये हैं।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर दूँ, क्योंकि इस बात को शायद और लोग भी बोलेंगे। यह पाँच हजार करोड़ रुपये जब बागेश्वर सहित सारे प्रदेश में आपदा आई थी, यह उस समय का आकलन था। यह नहीं था कि जो आप कह रहे हैं 24 घण्टे के अन्दर–अन्दर आपने आकलन कर लिया, उस समय का आकलन जो था, वह अलग था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा संशोधन कर दूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें यह होना चाहिए था कि ग्राम सभा में हमारे चुने हुए ग्राम प्रधान हैं, सरकार की तरफ से उनको जिलाधिकारियों के माध्यम से या आप उनको एक आदेश करते और निवेदन करते कि आपके यहाँ क्या–क्या क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको चर्चा का विषय न बनायें। कृपया अपनी बात को सीमित करें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, पूरा सदन इस समय एकमत है कि जो यह आपदा है, यहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। नेता सदन से हमने बातचीत की कि अगर इसकी भी आवश्यकता पड़े कि हम लोगों को दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलना है, नेताओं से मिलना है तो हम सब लोग जायेंगे, इसमें हमको कोई परहेज या गुरेज नहीं है। लेकिन जो हमारा सत्ताधारी दल है, उसको भी, जो वह कहते हैं, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। सोनिया गाँधी जी यहाँ पर आईं, उन्होंने यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण किया, हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, वह भी साथ में आये, रक्षा मंत्रालय का इसमें सबसे बड़ा योगदान हो सकता है, रक्षा मंत्रालय आपदा प्रबन्धन में सबसे बेस्ट एजेन्सी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने रक्षा मंत्रालय से क्या सहायता माँगी, आपने आकलन करके उनसे सहायता की क्या याचना की, यह सदन जानना चाहता है। मान्यवर, अगर कोई आदमी काम कर रहा है, हमारे यहाँ से एक सांसद हैं उनका अखबारों में दूसरा ही बयान आ जाता है। मान्यवर, टीका–टिप्पणी कांग्रेस के लोग न करें। भाजपा के लोग जो चाहें, वह टीका–टिप्पणी करें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया सीमित करें।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, इस तरह से जो आपदा आयी हुई है, उसका निराकरण हो सकेगा। इनको भी अपने वक्तव्यों पर लगाम लगानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें, आपकी बात विस्तार से आ गई है।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर दैवीय आपदा को लेकर जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उस पर मुझे नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, वैसे तो इस समय पूरा प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और साथियों ने भी पूरे दैवीय आपदा के ऊपर प्रकाश डाला। दैवीय आपदा का जो स्वरूप है, वह भयंकर स्वरूप देखने को आया, चाहे वह पहाड़ का क्षेत्र हो, चाहे भाबर का क्षेत्र हो और चाहे वह मैदानी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में मकान टूटे हैं, पहाड़ों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, जर्जर है और खेती की जमीनें, चाहे वह पहाड़ की हों, भाबर की हो, वह सारी की सारी नष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं भूमि भी बह गई है। फसल तो चौपट हो गई, फसल के ऊपर मिट्टी की लेयर, रेत की लेयर है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में त्राहि–त्राहि मची हुई है।

आवागमन के सारे रास्ते बन्द हो गये हैं। मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश के अन्दर दैवीय आपदा के अन्दर आंशिक रूप से पैसा दिया जा रहा है, वह बहुत कम है। चाहे वह मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या भाबर का क्षेत्र हो। आंशिक रूप से तो कई बार यह भी देखने में आ रहा है कि तहसीलदार और पटवारी दो हजार रूपये झोपड़ी टूटने वाले को और मकान टूटने वाले को दे रहे है। कहीं 25 हजार की बात उठती है। बाकी प्रदेशों में जाकर देखें। केन्द्र सरकार जो सहायता देती है, उसके अलावा राज्य सरकारें भी अपनी ओर से उसके अन्दर सहयोग करती है। किन्तु हमारे प्रदेश के अन्दर इतनी बड़ी दैवीय आपदा आने के बाद भी राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोई घोषणा, कोई सहयोग नहीं किया है। आप स्वयं देख लें, इतने दिन हो गये आज एक-डेढ़ महीना हो गया। सितम्बर कहाँ माह अगस्त के प्रारम्भ से बारिश शुरू हुई। हजार-दो हजार रूपये झोपड़ी वाले को या मकान टूटने वाले को दिया जाता है।

यह शासनादेश कब का चला आ रहा है ? चलिये पहले तो आंशिक रूप से होता था नुकसान, किन्तु इस बार तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस शासनादेश के अन्दर संशोधन की आवश्यकता है कि जैसी परिस्थितियाँ हों वैसा पैसा वहाँ पर जिनका नुकसान हुआ है, उनको दिया जाए, किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। पंजाब के अन्दर फसल बर्बाद हो गई, वहाँ भी सरकार ने कहा कि हम 20 से लेकर 25 हजार रूपये देंगे। वहाँ पर दिया जा रहा है। हरियाणा के अन्दर दिया जा रहा है, वे राज्य सरकारें भी अपने पास से दे रही हैं। वहाँ की सरकार जनता को पूरा सहयोग करने को तैयार है। पर हमारे यहाँ तो अकेले 10 हजार एकड़ भूमि ऊधमसिंह नगर में कृषि भूमि खत्म हो गई है। चाहे वह सितारगंज का क्षेत्र हो, चाहे शक्तिफार्म का क्षेत्र हो चाहे रूद्रपुर का क्षेत्र हो या जसपुर का क्षेत्र हो, 10 हजार एकड़, यह हमने नहीं जिलाधिकारी ने भी पुष्टि की है। 10 हजार एकड़ भूमि के ऊपर रेत आ गई, मिट्टी आ गई है, न तो गन्ना दिखाई दे रहा है और न ही धान दिखाई दे रहा है। तो मान्यवर, क्या होगा उनका ? क्या राज्य सरकार इंतजार करेगी कि केन्द्र से आयेगा तो हम देंगे ? राज्य सरकार कोई नीतिगत घोषणा क्यों नहीं करती है ? पैसा आयेगा, देंगे। जितना पैसा आ रहा है, उतना तो दें। अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी गये सितारगंज में, शक्तिफार्म में, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, पर जिस नाव में बैठकर वे गये, उस नाव को मैंने बाद में देखा तो उसी नाव के अन्दर इतने छेद थे जितने आज सरकार के अन्दर दैवीय आपदा को लेकर छेद हैं। मै यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मात्र जाना और आ जाना। अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन घोषणा करते या वहाँ से लौटने के बाद कहते कि जितने किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसकी हम सहायता करेंगे। इतनी अधिक संख्या में झोपड़ियाँ टूट गई हैं, मकान बह गये हैं।

मान्यवर, स्थिति यह है कि अगर कोई आदमी जाकर देख ले, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, पहाड़ हो या मैदान , भावर हो या तराई हो। दिल धड़कने लग जाता है कि ऐसी आपदा कभी देखने को नहीं मिली। मान्यवर, जिनकी भूमि बह गई, उनकी भूमि के लिए सरकार क्या करेगी ? क्या उन्हें अलग से भूमि देगी ? वह भूमि तो खेती योग्य रही नहीं। क्या उनको खनन के लिए देगी, क्या खनन में फिर रायल्टी होगी ? फिर माफिया घुसेंगे। आखिर क्या व्यवस्था होगी ? किस तरह से उन प्रभावित लोगों को पैसा मिलेगा? भूमि का मुआवजा, भूमि चली गई उसका मुआवजा कौन देगा, इस ओर किसी की चिन्ता नहीं है। बस एक चिन्ता है कि पाँच हजार करोड़ मिल जाएं, 20 हजार करोड़ मिल जाएं। हम तो चाहते हैं कि 30 हजार करोड़ मिल जाए, 40 हजार करोड़ रुपये मिल जाए। ऐसा न हो कि करोड़ों में तो मिल जाए, लेकिन कुम्भ जैसा हाल हो जाए। जैसे कुम्भ के अन्दर मिल गया। कितनी बार विधान सभा के अन्दर कुम्भ के मामले पर चर्चा हुई। हम यह नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सहयोग में जोड़ा जाए और वास्तव में जहाँ पर जिसका जितना नुकसान हुआ है, उसको तत्काल शुरू कराया जाए।

*आबकारी व शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, दिल्ली में तो 17 हजार करोड़ रुपये खेल का खा गये, दिल्ली में खेल नहीं हो पा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के शब्दों से बहुत तकलीफ हुई है। मेरा कहने का मकसद है कि आखिर पैसा आयेगा तो उस पैसा का सदुपयोग किस तरह से होगा, किस तरह से अधिकारी काम करेंगे ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, आप भी बोल सकते है तो मुझे भी बोलना आता है। मान्यवर, अगर यही स्थिति हुई तो जल विद्युत परियोजना का आवंटन क्यों रद्द किया गया ? जल विद्युत परियोजना का आवंटन डर के मारे स्थगित किया। स्टर्डिया के मामले में सरकार भाग रही है और बड़े–बड़े वकीलों को खड़ा कर रही है, उसमें कमेंट्स हो रहे है। मान्यवर, मेरा मकसद यह नहीं है और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पैसा जितना भी आये और केन्द्र सरकार पैसा दे पर, राज्य सरकार भी अपने साधनों से क्या करेगी ? आज महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और इस विषय पर चर्चा हो रही है, आज सरकार घोषणा करे कि हम इतना पैसा मकान टूटने वाले को देंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, आपकी बात आ गयी है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उसको हम पट्टा देंगे, इन्दिरा आवास देंगे। मान्यवर, किसान की जो फसल चौपट हुई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, स्थानों का जिक्र करने दीजिए। मान्यवर, जो स्थिति हमारे जिले के अन्तर्गत हुई है। पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में अलग–अलग विधायक बोलेंगे। मान्यवर, 17 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ है। 18, 19,20, 21, 22 अगस्त लगातार कोई दिन खाली नहीं है, सौ–दो सौ मकान टूट रहे हैं और आज पाँच सौ एकड़ जमीन जा रही है। शक्तिफार्म के आस–पास जो हमारे बंगाली बाहुल्य क्षेत्र विशेष रूप से है और अरविन्द नगर क्षेत्र, निर्मल नगर और इसके अलग–अलग वार्ड हैं और सुरेन्द्र नगर, रुद्रपुर ग्रामीण, रणजीत नगर, जयन्त नगर इसके अलावा रुद्रपुर के आस–पास मेरी विधान सभा के अन्तर्गत मण्डिया क्षेत्र के आस–पास ग्राम सभाओं में, ग्राम कोटखररा वकपुर भगवानपुर के अन्तर्गत सारा का सारा गोला नदी में समा गया है। ऐसी स्थिति में यदि उनको तत्काल राहत नहीं मिलेगी और केवल डी०एम० और एस०डी०एम जायेंगे और चार बोरे चावल ले जायेंगे और एक बोरा दाल ले जायेंगे और उनको खिला देंगे। मान्यवर, सरकार को उनको तत्काल सहायता देनी चाहिए। मान्यवर, इसको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। अन्त में आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि आज सरकार प्रति एकड़ कितना मुआवजा देगी जमीन के बदले जमीन, रहने के लिए मकान, इन्दिरा आवास, सारी घोषणा को सरकार यहाँ पर करे, तब लगेगा कि सरकार इस पर गम्भीर है और प्रदेश की जनता को राहत देना चाहती है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी के क्षेत्र में भी आपदा आयी है।

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, ये भी नियम–310 की नोटिस दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, नियम–310 पर चर्चा हो रही है, इस विषय पर सदन के सभी माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आपकी दी हुई व्यवस्था है, जो नोटिस देगा, वही बोलेगा। आप उनका भी कार्य–स्थगन का प्रस्ताव ले लीजिए, वे बोल लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्राह्यता की सूचना में चाहे किसी का नाम है या नहीं है, चूँकि प्रदेश में आपदा की स्थिति है और सारा प्रदेश प्रभावित है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 का नोटिस दिया गया। उसकी ग्राह्यता महसूस की गयी और ग्राह्यता स्वीकार की गयी, उस पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा पर सदन के सारे सदस्य भाग ले सकते हैं, इस पर कहाँ प्रतिबन्ध है। अगर ग्राह्यता पर बोल रहे हैं तो ग्राह्यता पर वही सदस्य बोलेंगे, जिनके हस्ताक्षर हैं। चूँकि इसकी ग्राह्यता स्वीकार की गयी और माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर चर्चा स्वीकार की है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखने का अवसर दिया है। आपका मैं आभारी हूँ। मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह दैवीय आपदा पहली बार नहीं आयी है, पहले भी कई बार आ गयी है। लेकिन पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और उसके बाद 10 साल में हमारी उत्तराखण्ड में बनी सरकारों द्वारा धन की कमी के कारण दीर्घकालीन कोई ऐसी योजनाएँ नहीं बनायी जा सकीं, जिससे ऐसी दैवीय

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपदाओं में रोक डाली जा सके। उसी का यह प्रभाव है कि आज आई इस दैवीय आपदा को हमारा प्रदेश झेलने में सक्षम नहीं है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्रो में जान–माल की हानि हुई है वहीं मैदानी क्षेत्रों में ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, जहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों का पानी और मलबा उतरने के बाद तुरन्त इन जिलो में आता है, वहाँ पर भी चाहे वह गंगा नदी हो और चाहे ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी हो, चाहे ढेला नदी हो और चाहे सूखी नदी हो, बैगुल डाम को बहाया है उसने। इतना भारी नुकसान, इस मैदानी क्षेत्र में भी किसानो की हजारों एकड़ खेती नष्ट हो गयी, घर बह गये हैं और ऐसे भी परिवार पूरे प्रदेश मे है, जिन परिवारों के पास आज खाने को, पहनने को, रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और आज वो बिल्कुल निराश्रित बैठे है। सदियों में गंगा बहती है, पवित्र गंगा है, लेकिन आज बाँधों की स्थिति है। जिस तरीके से आज हमारे सभी माननीय सदस्यो ने बाँधों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैदानी क्षेत्र में जो खेती का नुकसान हुआ है, वह आंशिक नुकसान नहीं है। धान और गन्ने की फसल शत प्रतिशत नष्ट हुई है और ऐसी क्षेत्रो मे, जहाँ पर खेती का नुकसान शत प्रतिशत हो गया है, वहाँ पर जैसे अभी माननीय नेता शहजाद जी ने भी कहा कम से कम 25 हजार रु0 एकड़ मुआवजा दिया जाना कोई अधिक मुआवजा नहीं होगा। इतनी तो किसान का बुवाई के लिए खर्च आ जाता है। इसके साथ–साथ मृतक के लिए 1 लाख रु0 का मुआवजा दिया जाना बहुत कम है। परिवार मे जो नुकसान आता है, जो घाटा आता है, उस घाटे को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके लिए कम से कम 5 लाख रु0 का मुआवजा दिया जाए और मकान के प्रति जो मुआवजा दिया जाता है, उसको बढ़ाकर 1 लाख रु0 किया जाना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, मैं अनुरोध करूँगा कि चूँकि मैंने पहले अनुरोध किया था कि जो बातें आ गयी हैं उसको दोहराया न जाय। कृपया आप अपने क्षेत्र की जो समस्या है, उसके बारे मे जानकारी दें तो अच्छी बात होगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय जिस क्षेत्र मे पानी के बहाव से मकान बह गये है, खेती नष्ट हो गयी है, लोग बाहर पड़े हैं, इस समय वहाँ पर बीमारी का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जहाँ पर जानवर मर गये हैं, छोटे जीव मर गये हैं, उनसे जो सड़ांध पैदा हो रही है, इससे बहुत जल्दी बीमारी फैलेगी। इसलिए उन क्षेत्रों में डाक्टरो की व्यवस्था किया जाना और दवाईयों की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने जो 21 हजार करोड़ रु0 की मांग की है, उसके प्रति यहाँ पर हमारे भाईयों ने कहा

कि 21 हजार करोड़ रु० का आधार क्या है ? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बता दें कि कितना हो ? (व्यवधान के मध्य) माननीय अध्यक्ष जी, राजनीति से ऊपर उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए धन अवमुक्त करने की बात की है और उसी तरह से हमें विश्वास है कि हमारी सरकार भी राजनीति से ऊपर उठ कर क्षेत्र में हुए नुकसान का आँकलन करते हुए इसकी भरपाई करने के लिए प्रयास करेगी। केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलेगी और अपनी तरफ से भी हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, उन्होंने दौरे भी किये हैं, वे पूरी तरह से प्रदेश की स्थिति से अवगत हैं। मैं कहूँगा कि जहाँ केन्द्र सरकार धन दे रही है, वहीं हमारी सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे, आप बैठ जाएं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा, भावनात्मक अपील करूँगा कि सितारगंज में शायद जो मैदानी क्षेत्र हैं, सितारगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप है और 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गये थे, मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ का विधायक हूँ शायद आपने आवश्यकता समझी होगी कि सबसे पहले सितारगंज के शक्तिफार्म में आप गये, अगर मुझको सूचित कर देते तो सम्भवतः मैं आपके साथ होता। मैं बिल्कुल भी इस सदन में न तो असंतोष प्रकट कर रहा हूँ न कोई आरोप लगा रहा हूँ मैं दिल से कहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले अखबारों में राहत आपदा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से 5 हजार करोड़ रुपये की राशि की माँग की, अब सम्भवतः 21 हजार करोड़ रुपये की मांग की तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आवश्यकता समझें कि हमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता होगी तो हम भी जाने को तैयार है। मान्यवर, मैं देखता हूँ कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सीधे दिल्ली प्रधानमंत्री जी की बात कही। आप जानते हैं और हम सब लोग देखते हैं कि जब भारत की स्थिति बहुत खराब होती है क्रिकेट में, तो एक उम्मीद रहती है कि अभी सचिन तेन्दुलकर आयेगा और स्थिति ठीक होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया सीमित करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, एक लाख आबादी का बंगाली क्षेत्र है, जिसका बीच में सम्पर्क मार्ग कट गया है और उसमें दसो हजार लोग प्रभावित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यकता समझी होगी, जो सितारगंज शक्तिफार्म गये होंगे, वहाँ पर दसो हजार लोग स्कूलों में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जिलाधिकारी और एस०डी०एम० ने.... (व्यवधान) मान्यवर, यदि मेरी बात नहीं सुनी जायेगी तो मैं 'वेल' में बैठ जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारी परेशानी है कि पी०डब्ल्यू०डी० के अधिशासी अभियन्ता ने 73 लाख का आगणन बनाकर भेजा है तो मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या 73 लाख रुपये का ही वहाँ पर नुकसान हुआ है ? सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने डेढ़ करोड़ रुपये का आगणन बनाकर भेजा है। वहाँ पर बेहगुल नदी है, ध्वाराडाम वहाँ पर है, नानक सागर डैम है, बहुत बर्बादी हुई, हमारी बर्बादी देवा नदी और नन्दौर नदी की वजह से हुई। माननीय सिंचाई मंत्री जी, आप जानते हैं कि अगर वहाँ पर काम हो जाता है, करीब साढ़े आठ साल मे मैं सदन मे इस बात को कह रहा हूँ, उसके लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से भी कुछ पैसा मिला था, पैसा बाद में सेंक्सन होता है और ठेकेदार पहले तय हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी खराब स्थिति में, सीमित संसाधनो में डी०एम० और एस०डी०एम० ने वहाँ पर काम किया। 50 लाख रुपये पूरे जिले मे राहत आपदा के नाम पर मिलता है तो जहाँ पर 7 विधायक और 7 तहसीलें हो, सांसद हो, जिला पंचायत और डी०एम० हो, चाहे पी०डब्लू०डी० का काम हो, उसमें जिलाधिकारी तक हिस्सा डालने लगे हैं, जिला पंचायत भी हिस्सा डालने लगा है। जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप है, जहाँ दसों हजार लोग प्रभावित हैं शक्तिफार्म मे, दो नदियों के बीच में तीन सौ फैक्ट्री का क्षेत्र है, औद्योगिक जोन है, सिडकुल के क्षेत्र में 300 फैक्ट्री लगी थीं, तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि 300 फैक्ट्री लगाने का वह स्थान कैसे चिन्हित हुआ ? माननीय अध्यक्ष जी, आज जो 300 फैक्ट्रियाँ पूरी की पूरी खतरे की जद में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी परेशानी है कि हजारों एकड़ जमीन वहाँ पर कट गयी है और माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि कितनी बार वे उस क्षेत्र में गये हैं ? मान्यवर, 17 तारीख को बाढ़ आयी है और दैवीय आपदा मंत्री माननीय खजान दास जी, जो हमारे भाई और साथी है, वे कितनी बार वहाँ पर गये हैं ? सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 तारीख को वहाँ का दौरा किया। इसके बाद आप वहाँ की स्थिति देखिये, एक सिरसा चौकी से बंदरिया तक का 23 किलोमीटर का जो पार्ट है, वह एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसको बनाने की एक योजना बनी है। लेकिन जो 315 स्पान का एक पुल बनाने की योजना थी, अब वह 1200 मीटर में वहाँ पर एक खाई बन गयी है।

मान्यवर, यह बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी कोई नाराजगी नही है इस सरकार से, मुझे तो सिर्फ विधान सभा क्षेत्र सितारगंज, तहसील सितारगंज में जो मेरी वस्तुस्थिति वहाँ पर है। वहाँ एक लाख बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, एक लाख गरीब लोग हैं। मान्यवर, जो सात हजार लोग सिडकुल इंडस्ट्रियों में काम के लिए जाते हैं, उनके लिए रास्ता तक नही है। मान्यवर, प्रशासन एक बोरी, दो बोरी आटा–चावल भेज देगा, इससे तो कुछ होने वाला नही है, युद्धस्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि चाहे सुमगढ़ का मामला हो या अन्य कोई। मै कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मै अपनी स्थिति को बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ऑफीसर्स हैं, वे विषम परिस्थितियों मे हैं, इनके पास समय का अभाव है। अधिकारी क्षेत्र में जाकर बचाव का कार्य कर रहे है। यदि आगणन नही बनेगा तो यहाँ का पैसा स्वीकृत नहीं होगा तो आप समझ सकते है कि उपर्युक्त जगह जो पात्र व्यक्ति हैं, क्या उन्हे पैसा मिल सकता है ? मान्यवर, मैने अपनी बात को आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, मुझे तो अरबो–अरबो रुपये की आवश्यकता है।

*श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा मे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मै आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप अवगत है पूरा प्रदेश आज दैवीय आपदा के संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश मे हालत बदतर हो चुके हैं। अतिवृष्टि और भू–स्खलन, बादल फटने से निरन्तर घटनाएं घटी हैं, जिसमे सैकड़ो लोगों की मौतें हो गयी हैं ? और लोग बेघर हो चुके हैं। मान्यवर, मैं कुमाऊँ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र मे हल्द्वानी और रामनगर दो प्रमुख शहर हैं, इनसे पूरे कुमाऊँ का सम्पर्क टूट गया है। मान्यवर, खाद्यान्न की चीजें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मान्यवर, दूरदराज के क्षेत्रों मे स्थिति और भी भयावह बनी हुई है। हम इस बात को समझते है कि दैवीय आपदा भू–स्खलन और बादल फटना मानवीय नियंत्रण से बाहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इसमें राजनीति भी नही करना चाहता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि अगर सरकार सचेत होती, अगर सरकार संवेदनशील होती और सरकार जनता के हितो के प्रति जवाबदेह होती, जो होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से यदि कुशल प्रबन्धन होता, पहले से सुरक्षा व्यवस्था होती और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता, जो क्षेत्र संवेदनशील हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा मे कुछ भी नहीं किया। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 हजार करोड़ रुपये की माँग की है। अभी उन्होने कहा, मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि 5 हजार करोड़ रु0 केन्द्र सरकार राज्य के आपदा प्रबन्धन के लिये अवमुक्त करेगी और यह भी सच है कि जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह जोड़–तोड़कर 15 सौ करोड़ रुपये का आकलन ही बना पाये है, यह सत्य है। जबकि 5 हजार करोड़ रुपये की आपने माँग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है। अनुपूरक बजट भी आज आ रहा है। अनुपूरक बजट में आपदा प्रबन्धन की मद मे कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है, यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि यह सरकार आपदा प्रबन्धन के प्रति कितनी संवेदनशील है।

मान्यवर, आज 21 हजार करोड रुपये की माँग फिर उठी है। यह आक्षेप नही है, यह आरोप नही है। यह सच्चाई है। हमारे पास कौन सा आईना है, हमारे पास ऐसा कौन सा पैमाना है, हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, जिससे 3 दिन के अन्दर, शुक्रवार से अब तक प्रदेश मे जो आपदा हुई है, जो नुकसान हुआ है, पुल टूट गये है, सडके क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, बिजली के तार टूट गये हैं, पेयजल की पाईप लाईने बह गयी है।, लिफ्ट योजनाएं फेल हो गयी हैं, नेशनल हाई–वे टूट चुका है उसका आगणन इतनी जल्दी हो गया है। अगर हम आगणन बनाने मे इतनी तत्परता दिखाते हैं, तो क्यों बाढ पीडित क्षेत्र पर आज लोग भुखमरी की कगार पर हैं ? मैं बागेश्वर जिले के सुमगढ भी गया था, आप लोग भी गये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी सुमगढ किन परिस्थितियों में गये, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मैं 4 दिन बाद सुमगढ गया। मै प्रभावित परिवार के लोगो से मिला। मैंने वहाँ पर देखा जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो चुकी थी बादल फटने से और उन बच्चों के बस्ते और उनके जूते–चप्पल एक जगह रखे हुए थे, देखकर मन को बहुत आघात लगा। मै फिर प्रभावित परिवारों के घरों मे गया तो मुझसे एक व्यक्ति, जिसका नाम पनीराम था, ने कहा कि मुझे मात्र 200 ग्राम दाल मिली है और एक चादर मिली है, सिर छिपाने के लिए। फिर मै दूसरे व्यक्ति से मिला, उसने कहा हमारे यहाँ राशन नही है, हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं है। चूँकि पनचक्कियाँ सारी बह चुकी है, इसलिए लोगों ने बताया कि हम गेहूँ को भून कर, उससे अपना पेट भर रहे है, मान्यवर, यह स्थिति इस प्रदेश की है। मान्यवर, यह पूरा क्षेत्र भूकम्प संभावित क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

आप सुझाव दीजिए।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा कहना है कि हम उपग्रह के जरिये उन क्षेत्रों को चिन्हित कर सकते हैं। यह सेटेलाईट का जमाना है। हम उन क्षेत्रों को चिन्हित कर सकते थे, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हमारे पहाडों में हैं। मान्यवर, तराई में क्या हो रहा है, सैकडो एकड जमीन बह गयी है। अभी माननीय बेहड जी कह रहे थे, 10 हजार एकड जमीन जमींदोज हो चुकी है। लोगो की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। लोगों के घरों में राशन नही है। मान्यवर, आज सरकार ने किया क्या ? मान्यवर, 600 स्कूल जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं।

वहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। भगवान न करे कभी भी ऐसा हादसा हो, सुमगढ़ जैसी घटना की पुनरावृत्ति पुनः न हो। लेकिन इन्होंने क्या किया ? 9 जिले, 23 तहसीलें और 104 गाँव संवेदनशील घोषित किये जा चुके हैं। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार आज अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ कर दिया है। मात्र केन्द्र सरकार पर आरोप लगाना और केन्द्र सरकार से माँग करना ही पर्याप्त नहीं है। इस अनुपूरक बजट में क्या व्यवस्था की गयी है, इससे यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि यह सरकार इस राज्य के हितों के लिए कितनी गंभीर है, कितनी इनके हितों की रक्षक है, इनके मन में लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, पहले तो अति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण होना चाहिए और जो ऋण वसूली है, वह न हो कर्ज माफ होने चाहिए। मान्यवर, हम जमीनें बाँट रहे हैं, हम किन लोगों को जमीनें दे रहे हैं ? तराई में आप सारी जमीनें बाँट रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट बाँट रहे हैं। लेकिन जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो बेघर हो चुके हैं, क्या उनको पुनर्वासित नहीं किया जा सकता ? क्योंकि जब सरकार संस्थाओं और आश्रमों को तथा अन्य लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जमीनें बाँट रही है, तो क्या जो लोग बेघर हैं, जिनके पास कोई ठौर-ठिकाना नहीं है, क्या उन्हें जमीन नहीं दे सकती है ? राशन के बारे में भी अजीब स्थिति है, मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि सारा सड़ा-गला राशन आज सस्ते गल्ले की दुकानों में बेचा जा रहा है। या तो वह राशन की दुकान में उपलब्ध नहीं है और यदि है भी तो वह राशन सड़ा-गला हुआ है।

मान्यवर, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दिये जाने की बात आई है, मैं चाहता हूँ कि पाँच लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मृतक आश्रितों को दिया जाना चाहिये। मान्यवर, इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लॉकवार सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन के अलावा कम मूल्य पर खाद्यान्न, राशन और दैनिक उपभोग की वस्तुयें मिलें, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सरकार को भूमि बैंक की स्थापना करनी चाहिये। सरकार द्वारा इस दिशा में क्या किया गया, क्या कोई ठोस नीति बनाई गई ? पिछले तीन साल से पूरे प्रदेश में आपदाओं का कहर टूटा हुआ है, सरकार ने क्या कदम उठाये है ? क्या सरकार ने कोई ऐसी फोर्स तैयार की है, जो दैवीय आपदा से ग्रस्त स्थानों में अपना सहयोग दे सके ? मान्यवर, सरकार बिल्कुल संवेदनशील हो चुकी है, उसका दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि केन्द्र सरकार पूरी तरह से इस राज्य की जनता के साथ है और उनके हितों की लड़ाई कांग्रेस हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी हम इस राज्य के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। जितना भी हमसे होगा, इस राज्य के विकास के लिये, प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध करायेगी, इस बात का हम आश्वासन देते हैं।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, दैवीय आपदा से जहॉं पूरा प्रदेश प्रभावित है, उस पर चर्चा पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा इस सदन के अन्य सम्मानित सदस्यों ने दैवीय आपदा वाले विषय पर अपनी बात रखी, मैं भी सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले दो माह से अनियंत्रित वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा आई है 18 तारीख की सुबह मैं भी अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर था और लगातार जमीन के अन्दर से आवाजें आ रही थी, चूँकि बल्टा गॉंव, जहॉं पर 12 लोगो की मृत्यु हुई है और देवली मे 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 22 लाशें मिल गई हैं, लेकिन एक व्यक्ति का शव अभी नहीं मिल पाया है। मान्यवर, जिस तरह से अल्मोड़ा के दुगालखोला और मालगॉंव मे भी आपदा आई, चूँकि दुगालखोला मे मेरा स्वयं का निवास स्थान भी है और यह क्षेत्र आर्मी एरिया से लगा हुआ है। अभी किसी माननीय सदस्य ने इस बारे मे सदन को अवगत कराया था कि अगर सरकार सचेत होती तो, मैं भी अवगत कराना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा शहर एक ठोस पत्थर पर बसा हुआ है, जो चन्द राजाओं की राजधानी और ब्रिटिश शासन काल में पूरी कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय भी रहा है, ऐसे पहाड़ी भाग में यह त्रासदी आई है। चूँकि मेरा निवास भी दुगालखोला में है, तो हम लोग भी पहले ही दिन शिफ्ट हो गये और मालगॉंव, देवली और बल्टा में भी त्रासदी आई है। अभी मैंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी ली, नैणी में भी दो लोगो की मृत्यु हुई है, बल्टा मे 12 लोगो की, देवली में 10 लोगो की, पिल्खा मे 3 लोगों की, जोशियाड़ा में 2 लोगो की भैंटयाली में एक व्यक्ति की, जाख सल्ट और स्याहीलैंण मे 3 लोगों की, भिकियासैण मे 3 लोगो की और द्वाराहाट में 2 लोगों की दैवीय आपदा के कारण मृत्यु हो चुकी है।

मान्यवर, चूँकि जिस प्रकार से मौसम परावर्तन के कारण यह घटना घटित हुई है और चूँकि ला–झेकला और सुमगढ़ की घटनाओं में घटना होते ही मेरा भी जाना हुआ है और अचानक जमीन से यह पानी निकलता है और पानी कई दिशाओं को फटता है, इससे बड़ी घटनायें देखने को मिलती हैं। मान्यवर, जैसा कि बल्टा में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, भा०ज०पा० चुफाल जी का स्वयं का दौरा हुआ। तुरन्त किसी भी तरीके से उस घटनास्थल तक आप तुरन्त पहुँचे और वहीं पर एक प्रताप सिंह, एक्स आर्मी मैन हैं, जिन्होंने 9 लोगों को उस घटनास्थल मे स्वयं बचाया और उनकी पत्नी जो है, लगभग सात घंटे तक एक बन्द गृह में थी और उसने वहीं से किसी प्रकार फोन किया अपने बेटे को, जो पिथौरागढ़ में आर्मी में था और उसने फिर डी०एम० को फोन किया, फिर वहॉं तुरन्त पुलिस फोर्स पहुँची और 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया और मैं इसलिए आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ऐसी त्रासदी, क्योंकि मैं खुद इस घटना को देख चुका हूँ, मेरे सामने वह घटना घटी है। ऐसे लोग जो दूसरों की जान को बचाते

है, तो उनको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण, उसके बच्चे के फोन के कारण 9 लोगों को बचाया जा सका। इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। ऐसे आपदा के समय में जहाँ ये विषय है कि अल्मोड़ा के बहुत सारे गाँव, सोमेश्वर क्षेत्र और ताकुला क्षेत्र क्योंकि हमारे पास पहाड़ों में बहुत कम जगह होती है। जिसमें हम लोग खेती करते है, जैसे बागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट का जो छोटा–छोटा तराई का क्षेत्र है, उसमें ही हम खेती करते हैं, मगर कोसी नदी और रामगंगा का क्षेत्र इस नदी के किनारे हैं और इस नदी का जलस्तर अचानक इतना ज्यादा बढ़ा। मैंने पुराने बुजुर्गों से जानकारी ली, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज तक हमने इस प्रकार इस नदी का रूप नहीं देखा, इतना भयानक रूप था सोमेश्वर, ताकुला, दौलाघाट, कुंवाली क्षेत्र की पूरी खेती नष्ट हो चुकी है। लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं है और हल्द्वानी का जो अप्रोच है कुमाऊँ के लिए और चम्पावत से जो अप्रोच है, ये दोनों मोटर मार्ग बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में त्रासदी आयी है और इस पर एक संकल्प जिस प्रकार से आज आना है, उस संकल्प पर भी मैं बल देता हूँ कि हमको इन व्यवस्थाओं को चुस्त–दुरूस्त करना है, जिससे जनजीवन को हम फिर से स्वस्थ करें और मेरा अनुरोध भी है क्योंकि बहुत सारे नये सदस्य भी हैं, अलग दल से सम्बन्धित है, ऐसी त्रासदी में राजनीति न कर इस घड़ी मिल कर काम करें। अपने–अपने क्षेत्र में जनता का सहयोग करें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने दैवीय आपदा के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जिस तरह की आपदा आयी है, इस पर हम सब लोग बहुत गम्भीरता से चर्चा कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि जो आपदा वर्तमान समय में इस प्रदेश के अन्दर आयी है, ऐसी आपदा सदियों पहले भी देखने को नहीं मिली और प्रदेश के अन्दर भी सबसे अधिक अगर दैवीय प्रकोप कहीं आया है तो मैं समझता हूँ कि अल्मोड़ा जनपद में आया है, क्योंकि वहाँ पर मरने वालों की संख्या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बहुत अधिक रही है। भू–स्खलन अधिक हुआ है, मकानों में क्षति सबसे अधिक हुई है और सारे क्षेत्रों से, सारी जगहों से उस जनपद का सम्पर्क टूट गया है। ये स्थिति आज उस जनपद की है। मोटर मार्ग, पाईप लाईन, स्कूल के भवन ये सब ध्वस्त हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से एक

अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो कठिन समस्या हमारे पर्वतीय गाँवों में उत्पन्न हुई है इस बार, वहाँ पर जो गाँव बसे है, उन गाँवों में जमीनें धस गयी हैं। एक-एक मीटर धंस गयी है, मकान टेढ़े हो गये है और इस तरह से सारे गाँव संकट में आ गये हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, जागेश्वर में 21 गाँव ऐसे हैं जिन गाँवों को दूसरी जगह विस्थापित करना बहुत आवश्यक हो गया है। मै उन गाँवो की सूची मैं यहाँ पर आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। जमगडा विकास खण्ड में बैजी टाना है, माजला है, जोशी धूरा है, डैली है, बना है, धूराससंगोली है, खूनी, रणाऊ है, दुबरौली, न्यौली, सांगड, तडेगी, झोडेधार, खोंकर, गोली डामर, भोगावोली, पितना, आर तोला और सिद्धि ये 21 गाँव ऐसे है, यहाँ के लोग या तो विद्यालयों में रहे हैं या टैंटों में उनको रखा गया है। स्थिति यह है कि हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर यह कहा कि प्रशासन एक-दो बोरा राशन देकर के अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं तो यह कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग टैंटो में रह रहे है, इनको आज तक प्रशासन की ओर से एक दाना अनाज भी मुहैया नहीं कराया गया है। यह स्थिति आज के समय मे है, वहाँ पर 21 गाँव के लोग पीडित हैं। आने-जाने का कोई साधन नहीं है, हमने वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर थोडा बहुत उनकी व्यवस्था करने की कोशिश की है। कितनी संवेदनशील यह सरकार है, इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाती है। इसलिए मै अधिक न कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि जो विस्थापित करने की स्थिति आज पैदा हो गई है, उस पर हमको गम्भीरता से सोच करके उनको चिन्हित करके, उन लोगों को कहाँ पर बसाया जाय, इस पर गम्भीरता से कोई निर्णय लेना चाहिए। यह मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ। एक निवेदन है और करना चाहता हूँ, जो मैंने यह सूची पढी, इसमें खोजी जो गाँव है, उसमे भू-वैज्ञानिकों की तरफ से आज से 15 साल पहले रिपोर्ट दे करके उनको दूसरी जगह जमीन आवंटित कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पर उनको कब्जा नहीं करने दिया गया। जिस कारण वह वहीं पर बसे हुए हैं, आज फिर वह खतरे की जद में हैं, ऐसी स्थिति भविष्य में और गाँवों की न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाय, यह मै माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री रणजीत रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव रखने का समय दिया। मान्यवर, दैवीय आपदा पूरे प्रदेश में आयी हुई है, निश्चित रूप से मानवीय क्षति अल्मोडा जनपद में ज्यादा हुई है और क्षतियाँ तो सभी जगह हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बात संवेदनशीलता की सरकार कह रही है

तो सरकार की संवेदनशीलता इसी से झलकती है कि 03 तारीख को सल्ट क्षेत्र का मुख्य मार्ग बन्द हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शहीद दिवस पर वहाँ जाना था, 04 तारीख की रात को 11.30 बजे तक जिलाधिकारी, परगना अधिकारी और इंजीनियरों के साथ मैं वहाँ पर खड़ा रहा, उस मार्ग को हमने रात को चलने लायक बनाया। लेकिन 05 तारीख का फंक्शन हुआ, उसके बाद वह रोड बन्द हो गई।

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा की अवधि एक घण्टा और बढ़ाता हूँ।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, वह रोड आज भी बन्द है, तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय आज भी कटा हुआ है। वहाँ पर खाद्यान्न की समस्या हो गई है, लोगों के पास मिट्टी का तेल नहीं है और जैसा होता है, जब कोई आपदा आती है तो लोगों में घबराहट होती है। जो दुकानों में राशन था, वहाँ जितने लोग पहले गये, जिनको 10 किलो की जरूरत थी, वह भी 50 किलो या कुन्तल लेकर गया और जो बाद में गया वह 10–15 किलोमीटर पैदल भटक सकते हैं, वह सब जगह भटक रहे हैं, कहीं राशन नहीं है। मैंने कल जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं डी०एस०ओ० और एस०डी०एम० को निर्देशित करता हूँ कि खाद्यान्न खच्चरों से पहुँचाया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब 3 तारीख से रास्ता बन्द है, इसकी सूचना मैंने अधिशासी अभियन्ता से लेकर, अवर अभियन्ता से लेकर, अधीक्षण अभियन्ता से लेकर और प्रमुख अभियन्ता तथा सचिव, लोक निर्माण को बार–बार दी, वह रास्ता आज भी नहीं खुला है तो यह हमारी संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह उसी दिन खुल जाना चाहिए था, लेकिन 03 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के दिन कम नहीं होते। 17 तारीख को अल्मोड़े में बादल फटा, मोहान के पास में नैनीताल का गाँव है, मेरा दिन रात का आना जाना है, मेरे बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, वह चुकम गाँव बाढ़ से घिर गया और कल 21 तारीख को वहाँ पर प्रशासन पहुँच पाया है, यह स्थिति है। अगर हम पहले से सतर्क होते, चौकन्ना होते, इसमें ऐसा तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी घुमाई जाती। वर्ष 1993 में बाढ़ का उदाहरण हमारे पास था। वर्ष 1993 में भी जब कोसी नदी में बाढ़ आई थी, उसमें 01 लाख 50 हजार क्यूसैक पानी आया था, इस बार 1 लाख 61 हजार आँका गया है। यह कोई बहुत ज्यादा नहीं था। उस बाढ़ से भी हमने सबक लिया होता तो निश्चित रूप से बहुत सारी जन हानि को बचाया जा सकता था। मान्यवर, आज जो पर्यटक हैं वह जगह–जगह फंसे हुए हैं।

मान्यवर, कैलाश मानसरोवर में यात्री फसे हुए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। मेरे स्वयं के परिवार के लोग उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं वे एक तेरहवी में शामिल होने के लिए गये हुए थे। पिछले 6–7 दिन से वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन

सरकार की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, वह नहीं हो रहे है। कुछ हेलीकॉप्टर भेजे जाने चाहिए थे। जैसे उत्तरकाशी का मामला है। मै सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को अगर हम टिहरी डैम में कुछ बोट डालते तो हम चिन्यालीसौड से लेकर के नई टिहरी तक लोगों को ला सकते थे और अभी तक हजारो लोगों को लेकर आते जो हैलीकॉप्टर से हवाई यातायात से सम्भव नहीं हैं, किन्तु प्रयास अभी तक शुरू नहीं हुए है। कोसी नदी में, रामगंगा नदी में जो बरसाती नदियाँ, उनमें रैपीड बहुत ज्यादा है, करैंट बहुत ज्यादा है, उनमें हम राफ्ट डाल करके काम चला सकते थे, जो हम नहीं कर पाये। अभी भी बहुत देर नहीं हुई हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि इनमें प्रयास तेज करने चाहिए। हम बात कर रहे हैं रामनगर की या हल्द्वानी की, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, आज गूंजी मे, छिपला कोट में, नीती, माणा और मिलम जैसे क्षेत्रों में क्या हालत होगी, जहाँ सड़क हैं ही नहीं। बांधिया कोट में राशन की क्या हालत होगी वहाँ हमें तत्काल प्रभाव से हवाई सर्वेक्षण करके और आँकलन करके वहाँ राशन पहुँचाने की आवश्यकता है, दवाई पहुँचाने की आवश्यकता हैं। जो बाढ़ आई है, जो ताण्डव उसने किया है, आज पीने का सारा पानी दूषित हो गया है। कोई पेयजल योजना नहीं बची है। जैसाकि स्वाभाविक है कि किसी न किसी नाले से ग्रेविटी की योजना पहाड़ में बनती है। नाला जब ज्यादा आया है तो वह पानी के चैम्बर को उखाड़ करके ले गया है। नल जगह-जगह से टूट गये हैं।

आज जरूरत है दवाईयों की और उसके संकेत मिलने लग गये हैं। अल्मोड़ा मे ताजा उदाहरण है कुआली के पास पनसा गाँव में एक महिला की डायरिया से मौत हो चुकी है। तो मान्यवर, आज इन क्षेत्रों मे राशन और दवाईयों पहुँचाने की जरूरत है और इस काम को युद्धस्तर पर करने की आवश्यकता है। हम जो माँग कर रहे हैं वह भी गलत नही है। हम कहते है केन्द्र से पैसा माँगा जाना चाहिए लेकिन उस पैसे का समुचित उपयोग हो, यह भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कई उदाहरण हैं, यहाँ पर स्वयं मंत्री जी उदाहरण दे रहे थे कि एक आदमी के 18 लाख खाते में थे और वह दो बार ढाई-ढाई किलो अनाज ले गया और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 20 हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये दिये जा रहे थे, 20 हजार लिखे जा रहे थे। आज इनफारमेशन टैक्नोलॉजी का जमाना है, हम हर जगह सम्पर्क त्वरित गति से कर पा रहे है। कम से कम बातें तो कर ले रहे हैं, जानकारियां तो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए और मैकेनिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी, तब बनेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को इसमे शामिल करेंगे। ऐसा नही होना चाहिए कि किसी विधायक के यहाँ कोई दूसरा विधायक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर के चला जाए और वह चैक बाँट आये, वह योजनाओं का उदघाटन करके आ जाये। इस तरह से अविश्वास होगा तो यह परिपाटी बनेगी, यह आगे भी होगा। यह तो अदली-बदली होती रहेगी, इधर

का उधर, उधर का इधर। हमने भी देख लिया है थोड़े से समय में, आगे भी होगा। इसलिए हमें इस तरह से उदाहरण नहीं पेश करने चाहिए। इस आपदा में हर व्यक्ति का उपयोग करना चाहिए और जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपकी सारी बातें आ गई हैं। अब समाप्त करें।

श्री रणजीत रावत–

मैं आभारी हूँ अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपके आदेशों का पालन करते हुए अपने शब्दों को समेट रहा हूँ। धन्यवाद।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

आपका नम्बर भी आयेगा। चिन्ता मत करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम विपक्ष का बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने इस दैवीय आपदा में सहयोग करने का वायदा किया है। आप बधाई के पात्र हैं, मगर साथ–साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूँ, कुछ आरोप लगे है और आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार मृतक व्यक्ति को 20 हजार रुपये देती थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक से डेढ़ लाख रुपये तक दिये हैं।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो मुख्यमंत्री जी अपनी बात में कहेंगे, आप अपनी बात रखें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सरकार की बात रख रहे हैं या अपने क्षेत्र की बात रख रहे है ?

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मैं मंत्री हूँ और मेरा क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सबकी सुनकर जवाब सरकार की तरफ से दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिये। आप मेरी ओर देखकर अपनी बात रखिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, पूर्व सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए पाँच करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, वही व्यवस्था आज तक चली आ रही है, जोकि पर्याप्त नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। (घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन—

मान्यवर, तीन साल में नहीं बढ़ाया है, अब क्या करोगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, कृपया यहाँ बात करिये, उनसे बात मत करिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, माननीय शहजाद जी ने कहा कि हमारे हरिद्वार में कोई काम नहीं हुआ। बालावाली भोगपुर में वर्ष 2008—09 में 20 करोड़ का काम किया है और वर्ष 2009—10 में 8 करोड़ 45 लाख रुपये का काम किया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

मानानीय अध्यक्ष जी, यह सूचना बिल्कुल गलत है, खुद माननीय मंत्री जी आपदाग्रस्त हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने कहा कि बाढ़ नियंत्रण में कोई काम नहीं हुआ है। मैं तो उन तथ्यों को रख रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय नारायण पाल जी ने कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मे कोई काम नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कोसी नदी में स्टेट से 25 लाख रुपये का काम किया है। मेरा कहना है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाया है वह गलत है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, चर्चा में और भी बिन्दु आयेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बिन्दुओं का सामूहिक जवाब दे देंगे। आप अगर अपने क्षेत्र की कोई समस्या है तो बता दें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय, अन्त में एक बात कहता हूँ।

लाखों खुशियाँ कम है, एक गम को भुलाने के लिए।

एक गम काफी है, जिन्दगी को रूलाने के लिए।

आज जो विकट स्थिति हमारे सामने आयी है, उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे।

*चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, जहाँ प्रशासन की बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के इब्राहिम ग्राम मे पाँच लोगो की मृत्यु हो गयी है। प्रशासन का कहीं दोष नहीं है, तीन बजे घटना हुई थी और पाँच बजे प्रशासन पहुँच गया था, छः बजे मैं चला गया था और नौ बजे उन्हें चैक दे दिये गये थे और जो आदमी बीमार थे उनको अस्पताल मे पहुँचा दिया गया था। उसी दिन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गये थे, उन्होंने जनता को आश्वासन दिये और जो–जो आश्वासन जनता को दिये, मैं समझता हूँ कि वे पूरे होंगे। मान्यवर, हमारे यहाँ के मंत्री भी अच्छा काम कर रहे है। सबसे बड़ा योगदान माननीय हरीश रावत जी का है जो पूरे दिन–रात हमारे बीच मे रहे और रैपिड एक्शन की फोर्स उन्होंने हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहाँ भेजी और जिस तरह घोषणा यहाँ एक-एक लाख की हुई और केन्द्र सरकार ने भी शायद एक-एक लाख की घोषणा की है। दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्यता है, उसी की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सारी नदी, नाले सब पर अतिक्रमण हुआ है। सारे नदी नालों पर काश्तकार ने अपनी जमीन बढ़ा ली है। सारे नदी, नाले बन्द पड़े हैं। सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि वह अतिक्रमण हटाए, मैं समझता हूँ कि बाढ़ की आने की जरूरत नहीं है।

हमारे यहाँ शेरपुर गाँव है, उसमें कभी पानी नहीं आता था हर साल पहले की जो सरकारें होती थी, नालों की सफाई कराती थीं। विगत तीन वर्षों से नालों की कोई सफाई नहीं हुई है। अगर नाला साफ रहता तो शेरपुर गाँव में कभी पानी नहीं आता। नालों की सफाई की आवश्यकता है और अतिक्रमण के नाम पर जहाँ भी जिसने अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटाए जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बार बात उठाई थी सुरंग की, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे है, उन्होने भी कहा था। माननीय मंत्री जी, जो सहारनपुर से बाई पास आ रहा है, वह सुरंग बिल्कुल बैठने वाली है, किसी दिन भी कोई घटना हो गयी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन ने यह भी कहा था कि नई सुरंग के लिए बहुत जल्द कार्यवाही कर दी जायेगी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे आखिर में यह भी कहूँगा कि दोनो पार्टियों को छोड़कर बसपा का कोई अधिकारी कोई प्रदेश अध्यक्ष गाँव का दौरा करने नही आया। बसपा इस मामले में सबसे पीछे है। धन्यवाद।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी आज लक्सर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करके गयी हैं। जहाँ इब्राहीमपुर की बात है, जो इनका क्षेत्र है, वहाँ मैं भी पहुँचा हूँ। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचे हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी पहुँची है। पूरी बहुजन समाज पार्टी इस आपदा में जनता के साथ है। ये पीड़ित है बेचारे। (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम-310 के अन्तर्गत दैवीय आपदा के सम्बन्ध मे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेगी, जी कृपया सीमित रखियेगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मान्यवर, सीमित रख रहा हूँ। श्रीमन्, आपदाएँ प्रकृति की देन हैं और आपदा श्रीमन्, शोर मचाकर नहीं आती, दबे पाँव आती है श्रीमन्, और तबाही और हाहाकार मचा

करके चली जाती है। श्रीमन्, पिछले 2 अगस्त को जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत गैलचामी, केमर, भिलंगना, आरगढ़, गोनगढ़, बासर बूढ़ाकेदार भिलंग, हिन्दाव में जो बादल फटने से भयंकर तबाही और बर्बादी हुई है, उसमें पूरे क्षेत्र के काश्तकारों की धान की खड़ी फसल, लगभग 500 है0 जमीन और मान्यवर, उसकी खड़ी फसल तबाह हो गई, नष्ट हो गयी और यही नहीं श्रीमन्, पूरे क्षेत्र के अन्दर लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जिला पंचायत की सड़कें, क्षेत्र पंचायत की सड़कें, जो सम्पर्क मार्ग होते हैं, यहाँ तक कि विधायक निधि की जो सड़कें सम्पन्न की गई थी, वहाँ कई पुल ध्वस्त हो गये। आने-जाने का रास्ता, सम्पर्क मार्ग पूरे क्षेत्र के अन्दर नहीं रहा और पूरा क्षेत्र तबाही की ओर है। श्रीमन्, ग्राम पंचायत निवाल गाँव के अन्तर्गत एक व्यक्ति की 2 भैंसे, 2 गाय, 2 बैल और 2 बछड़े समाप्त हो गये, ग्राम सभा मेंढ़ के अन्दर वरुणावत की तरह अयारकाखाल का जो पर्वत है, वहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं और पूरे गाँव के लोग, ग्राम सभा के लोग छानियों में और दूसरी जगह शरण लिये हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा, राजस्व विभाग का कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं पहुँचा है।

श्रीमन्, मेंढ़ में क्या आप पहुँचे, वरुणावत की तरफ आप गये ? मेरी विधान सभा के साथ-साथ माननीय मंत्री जी श्री मातबर सिंह कण्डारी जी का न्याय पंचायत क्षेत्र भी है और उस क्षेत्र में जो भयंकर तबाही हुई है, क्या वहाँ सड़क के मार्ग में तब से उसमें कुछ प्रगति हुई, क्या लोगों को समय पर राशन पहुँचा ? श्रीमन्, 8 हजार फिट की ऊँचाई पर पिंसवाड़ गाँव है और पिंसवाड़ गाँव की तमाम सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और खाद्यान्न का भयंकर संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, केवल पिंसवाड़ ही में नहीं, गंगी में जो 10 हजार फिट की ऊँचाई पर रहने वाले लोग हैं, जो लगभग घुत्तु से ले करके गंगी तक 22 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, मैंने सुबह घनसाली के इंजिनियर से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क कैसे बनायें, यहाँ तो डीजल और पेट्रोल नीचे से नहीं आ रहा है तो जे0सी0बी0 कैसे काम करेगी ? तो इतना भयंकर संकट है वहाँ खाद्यान्न कैसे पहुँचेगा, सरकार इसके लिए गम्भीर है ? श्रीमन्, पिछले दिनों हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र के माननीय श्री विजय बहुगुणा और हमारे सम्मानित सदस्य इस सदन के माननीय श्री केदार सिंह रावत जी के साथ भटवाड़ी जाने का अवसर मिला। भटवाड़ी गाँव की तबाही में पूरा शहर जमींदोज हो गया और पूरे भटवाड़ी गाँव का भू-धंसाव आज भी जारी है। वहाँ के लोगों की कोई आज तक मुकम्मिल व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गये। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर लोगों को वचन देकर आये कि हम आपको मुकम्मल रूप से राहत पहुँचाने का कार्य करेंगे, सुविधा देने का काम करेंगे, ढाँचागत व्यवस्था मुकर्रर करने का कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, कृपया बात सीमित करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो गम्भीर बातें इस सदन के अन्दर आनी चाहिए, मैं उन्हीं बातों को कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जो राहत का प्रश्न लेकर पूरे भटवाड़ी गाँव में गंभीर संकट पैदा हो गया है। मेढ गाँव में गम्भीर संकट पैदा हो गया है और सरकार की ओर से कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा है। लोग वहाँ पर भूख से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आ गयी है, आप बात को न दोहराईये। बात सीमित करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेढ गाँव की बात किसी ने नहीं की है। माननीय मंत्री जी ने भी माना कि "मैं मेढ गाँव में नहीं गया।"

श्री अध्यक्ष–

मैं पाँच मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाऊँगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रदेश सरकार राहत के मामले में गम्भीर नहीं है। प्रदेश सरकार के पास कोई इच्छाशक्ति नहीं है और माननीय नेता सदन कहते है कि उनके पास तो इच्छा है, लेकिन शक्ति नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार राहत के काम में और ढाँचागत व्यवस्था को कायम करने में निश्चित रूप से फेल हुई है। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर जो भयानक तबाही और बर्बादी हुई है उस बर्बादी के प्रति और लोगों के घाव पर मरहम लगाने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर हो, यह मैं कहना चाहता हूँ।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ। मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सामने आज आपने इस विषम परिस्थिति में, जब पूरा प्रदेश गम्भीर आपदा से ग्रसित है, सदन में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका ह्रदय से आभारी हूँ। मान्यवर, सबसे पहले इस सदन के नेता जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर माननीय नेता बसपा ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है कि उन्होंने विषम परिस्थितियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे, बिना अपनी जान की परवाह किये ही ऐसे–ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने हैलीकॉप्टर से दौरा किया और जनता के दु:ख–दर्दों को जाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और वहाँ पर कई वर्षो से जो छोटे–छोटे नाले थे, वे नदियों मे तब्दील हो गये। जैसे मालन नदी, खो नदी। खो नदी का वह क्षेत्र, जो पर्वत की तलहटी पर पूरा गाँव बसा हुआ है और जब भारी वर्षा होती है तो इस गाँव मे हमेशा डर और भय का माहौल बना रहता है कि कही पहाड धसकर पूरा गाँव ही आपदा मे न आ जाय और ऐसी परिस्थिति मे इस साल भी वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। क्षेत्र में छोटे–छोटे नालों ने भयावह स्थिति में किसानो की काश्तकारी भूमि का कटाव किया। मान्यवर, कई सौ बीघा भूमि उस क्षेत्र में बर्बाद हुई है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे बडा दर्द होता है कि किसानों की पीडा, अपनी फसल को किस तरह से बोते हैं, किस तरह से फसल को पानी देकर उसको बडा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो समस्याएं हैं, कृपया उनको बिन्दुओ में रखे तो अच्छी बात रहेगी।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मालन नदी मे भूमि कटाव के कारण सैकडों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार के खर्चे का एक सीमित दायरा होता है कि उस आगणन से ऊपर नही कर पाते, क्योंकि पूरा प्रदेश आज आपदा से ग्रसित है। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि छोटे–छोटे कटाव जहाँ पर हुए है, प्रदेश सरकार के माध्यम से तत्काल काश्तकारी भूमि को सुरक्षा दीवार के रूप में सुरक्षित किया जाय। मालन नदी, सुखरौ नदी, खो नदी, सिगड्डी सोत, तेली सोत, इन पर बडी–बडी योजनाएं बनें, जो सीधे भारत सरकार को भेजी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग सदन में नये सदस्य हैं, पहली बार सदन के सदस्य है, हमको और समय दिया जाय। एक गॉव मेरे विधान सभा क्षेत्र मे भूस्खलन की चपेट में है। पहले भी सरकार के माध्यम से उस गॉव का सर्वेक्षण करा दिया गया है, वह गॉव इस स्थिति में हैं, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि जब धूप लगेगी, वर्षाकाल खत्म होगा, उसके बाद भूस्खलन की ज्यादा सम्भावना होती है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दीजिए।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पुलिण्डा गाँव मेरी विधान सभा में है, जिसके विस्थापन की कार्यवाही सरकार के माध्यम से चल रही है, उस पुलिण्डा गाँव के विस्थापन की कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कहीं वह पूरा गाँव न धस जाए। जब हम वहाँ भ्रमण पर जाते है तो वहाँ की महिलाएं और बच्चे आँसू बहाते हैं, रोते हैं, कि कब सरकार हमको राहत देगी। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि जो विस्थापन की कैटेगरी के गाँव है, उनको तत्काल विस्थापित किया जाए। इसके साथ ही मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। प्रदेश मे लगातार वर्षा और अतिवृष्टि के कारण पूरे प्रदेश का जन जीवन अस्त–व्यस्त है और एक गाँव का दूसरे गाँव से सम्पर्क टूट जाने कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जिसमें सेना के अधिकारियों को भी बुलाया गया और तत्काल युद्वस्तर पर राहत कार्य हुआ। आई०टी०बी०पी० के जवान, पुलिस बल, एस०एस०बी० और स्थानीय लोगो के द्वारा उसमे हजारों लोगों की जान बचाई गयी। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम था, वह आपदा क्षेत्र मे राहत पहुँचाने का था। वहाँ पर नाव के द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई गयी, लेबरो के द्वारा भी वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई गयी, हैलीकॉप्टरो के द्वारा भी राहत पहुँचाई गयी। मान्यवर, विपक्ष के भाई लोग कह रहे थे 5 हजार करोड से बढकर 21 हजार करोड रुपये कैसे हो गया। मै दो दिन पहले की बात बताता हूँ, मेरे क्षेत्र मे जो सडके थी, वह बरसात भर चल रही थी, किन्तु जब आसमान खुला और धूप आयी, तो तीन–चार सडके बन्द हो गयीं।

कल ही एक प्रताप नगर का उदाहरण है। चारों तरफ धूप थी, धूप होने के कारण प्रताप नगर में बादल फट गया। इस प्रकार रोज दैवीय आपदा आ रही है। जिसके कारण सडकें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, इसलिए 21 हजार करोड रुपये का व्यय प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है। जहाँ तक जनपद पिथौरागढ की बात है, इस जनपद के मुन्स्यारी क्षेत्र के क्वीरीजीमा गाँव में वर्ष 2005 मे बादल फटा था। आज उस गाँव को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, उस गाँव में 36 परिवार थे, उनको आज सुरक्षित स्थान पर बसा दिया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में घट्टाबगड से लेकर के गुन्जी तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हुए है, हमें तत्काल उस मार्ग का भी निर्माण करना है। गोरी नदी में फगवाबगड के पास एक झूला पुल था, उसके बह जाने से गाँव के लोगो का सम्पर्क कट गया है। इस प्रकार से जो मैंने आज देखा है, पूरे पिथौरागढ जनपद मे 117 ग्रामीण सडकें बन्द है और 104 मकान क्षतिग्रस्त

हो चुके हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से माँग करता हूँ कि इस प्रदेश को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाए और केन्द्र सरकार से माँग की जाय कि जो हमारे प्रदेश में 21 हजार करोड रुपये की क्षति हुई है, उसके लिए भी माँग केन्द्र सरकार को भेजी जाय।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय आपदा की स्थिति है और प्रत्येक साथी ने उस ओर सरकार का ध्यान इंगित कराने का प्रयास किया। मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, बल्कि सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा की जो घटनायें इस प्रदेश में घटित हुई है, जिससे बहुत जनहानि हुई है और पूरा प्रदेश दैवीय आपदा की चपेट में है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। यदि यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी, तब ही निश्चित रूप से जो इस आपदा से पीडित लोग हैं, उनके द्वार तक हम राहत सामग्री मुहैया करा पायेंगे। मान्यवर, लेकिन सरकार की जो स्थिति है, वह बड़ी अजीब है, एक ओर सरकार लगातार यह कहती है कि दैवीय आपदा से निपटने के लिये हमें केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है और राहत पैकेज की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार ने प्रदेश में दैवीय आपदा से निपटने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो बजट रखा, वह 108 करोड रुपये का रखा था। जिस बजट में से, जो मेरी जानकारी है, मैं उस जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि वह 24 करोड, 35 लाख, 70 हजार 834 रुपये इस सरकार ने खर्च किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक ओर सरकार कहती है कि हम इस प्रदेश में दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे है। वहीं दूसरी ओर दैवीय आपदा राहत प्रबन्धन में सरकार ने जो शिथिलता बरती है, वह हमारे सम्मुख है। आज समाचार–पत्रों में मैंने पढ़ा कि 71 करोड रुपये सरकार ने कल या परसों दो दिन में स्वीकृत किया है।

मान्यवर, जिस सरकार के पास 108 करोड रुपये दैवीय आपदा प्रबन्धन के लिये है और उससे दो माह में मात्र 24 करोड रुपये ही सरकार खर्च कर पाई है, उस कारण पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार को संशय की दृष्टि से देख रही है। मान्यवर, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि केन्द्र सरकार से जो धन मिला, उसका उपभोग इस सरकार ने क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी बात

कहेंगे तो इसका जवाब भी देंगे। अभी मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी सुन रहा था। सिंचाई मंत्री जी भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो परिस्थितियाँ इस उत्तराखण्ड राज्य में हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हम सरकार से कहना चाहते है कि सरकार संवेदनहीन है, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, यदि सरकार संवेदनशील नहीं होगी तो हम दैवीय आपदा की जो घटनाएं हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। दैवीय आपदा मद में सीधी-सीधी बात है। दैवीय आपदा मद में जो केन्द्र सरकार से पैसा मिलता है, उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अंश होता है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। ये स्थिति है श्रीमन्, और जो अभी बात हो रही थी, पैकेज की बात, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि संशय की स्थिति है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी से लोग मिले तो उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ रु0 की उत्तराखण्ड राज्य को आवश्यकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तीन दिन बाद आता है कि उत्तराखण्ड राज्य को 21000 करोड़ रु0 की आवश्यकता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, संशय की स्थिति किस लिए है श्रीमन्, समाचार-पत्रों मे दायित्वधारी जो लोग है, उनका बयान भी है, समाचार-पत्र में वो कहते है, कि इस प्रदेश को 5000 करोड़ रु0 की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 21000 करोड़ रु0 की आवश्यकता है। कौन सी बात सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सरकार स्वयं फैसला करे। (व्यवधान) श्रीमन्, सदन मे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कह दे कि दायित्वधारियों ने जो बयान दिया है, वो बयान गलत है। यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया सीमित करें।

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, सीमित ही रख रहा हूँ। मैंने वो तमाम बिन्दु कहे, जो हमारे किसी भी सम्मानित साथी ने सदन के अन्दर नहीं कहे। दूसरी बात मैं माननीय अध्यक्ष जी, कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय आपदा से हम ग्रस्त है, यू0पी0ए0 की अध्यक्षा यहाँ पर आती हैं और उत्तराखण्ड की जो दैवीय आपदा है, उसको देखने का काम करती है तो राज्य सभा के एक सांसद महोदय कहते हैं कि सोनिया गाँधी ने जो काम किया, वो उचित नहीं है। उनका बयान आता है कि हम निशंक के नेतृत्व में अगला विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है। सरकार कितनी संवेदनशील है, यह प्रदेश दैवीय आपदा से ग्रस्त है और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें दैवीय आपदा से कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि अगला चुनाव निशंक जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है, बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (घोर व्यवधान) तो श्रीमन्, संशय कहाँ है ? कहीं न कहीं कोई संशय है। (व्यवधान) सरकार दैवीय आपदा मद को खर्च नहीं कर सकी। आज हमें संशय इस बात का है। 5000 करोड़ रू0 से 21000 करोड़ रू0 पैकेज की बात आज सरकार कह रही है, निश्चित रूप से अगर सरकार के पास आंकड़े है, मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन में अपनी बात करें तो वो आंकड़े सदन में प्रस्तुत करे। श्रीमन, माननीय तिलक राज बेहड़ जी ठीक कह रहे थे कि जैसे यह तो वही बात हो गयी ये सरकार बड़ी गतिशील है, इसके कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है। हम भी सहमत है। स्टर्डिया कैमिकल की जमीन में एक ही दिन में क्लीयरेंस मिल गया और मान्यवर, 22 हजार करोड़ के आगणन अगर एक दिन में तैयार कर दिये गये, तो मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, हम दैवीय आपदा की इस घटना में सरकार को पूरा सहयोग देना चाहते हैं, आप जिसमें भी हमारा सहयोग चाहेंगे, निश्चित रूप से हम सहयोग देने का काम करेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। बात तो लम्बी चौड़ी करना चाहता था, आपने 05 मिनट का समय दिया, पाँच मिनट का समय दैवीय आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे के लिए समुचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र नैनीताल है, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है और वहाँ पर अपने इस प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय भी स्थित है। मेरे क्षेत्र में दो नगर परिषद् और दो नगर पंचायतें भी हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब नगर भी दैवीय आपदा से ग्रसित हुआ, चाहे वह कालाढूंगी क्षेत्र हो, जहाँ भूमि कटाव से निहाल नदी से मेथिसा नाले से कालाढूंगी क्षेत्र पूरी तरह से वहाँ भी हजारो एकड़ जमीने और फसले बर्बाद हुई, वहीं नैनीताल के बलिया नाले ने नैनीताल–भवाली मार्ग अवरूद्ध किया और जगह–जगह टूट गया है और अकेले भवाली नगर के अन्दर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन पुलिया बह गई है, जिससे आज भी यातायात सुचारू नहीं हो पाया है। मान्यवर, भीमताल नगर पंचायत के अन्दर जो हमारा नया हाई कोर्ट बनने के बाद भीमताल में हमारा विकास कार्यालय बनाया गया, उस विकास कार्यालय में मलवा भर गया, बिड़ला इन्स्टीट्यूट के अन्दर मलवा भर गया और हमारा बायोटैक्नोलोजी विभाग है कुमायूँ विश्वविद्यालय का, एम0बी0ए0 विभाग है और फार्मेसी विभाग है, ऐसी आपदा, ऐसी वर्षा 1993 में जो कुमायूँ क्षेत्र में दैवीय आपदा आयी थी, उस समय मैं बागेश्वर से लेकर नैनीताल तक वाया अल्मोड़ा रानीखेत पैदल आया था उस समय बहुत नुकसान हुआ था।

रानीखेत के अन्दर भी, मेरे विकास खण्ड के अन्दर भी मैं उस समय बेतालघाट का ब्लॉक प्रमुख था, मगर उस समय से भी ज्यादा समय की जो तबाही है, वह अपने आप में एक अलग ही मंजर था। यह मंजर सुमगढ़ में जब घटना घटी थी, उसी समय मेरे क्षेत्र भवाली में, भीमताल और नैनीताल में यह घटना घटी थी, यह अलार्मिंग भी थी। मान्यवर, हमारा जो मुख्य मार्ग है रामपुर से नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग, वह तीन जगह से पूरी तरह धंस गया है, डेढ़ सौ मीटर एक जगह पर, 25 मीटर एक जगह पर और 10 मीटर एक स्थान पर, इसके अलावा मेरे क्षेत्र में दो गॉव, जो पहले से ही संवेदनशील दिखाये गये थे, वह 104 गॉवों में सम्मिलित हैं, मलुवाताल और पाण्डे गॉव, भीमताल, इसके अलावा भी खूपी गॉव, अम्बेडकर गॉव, जो भूमियाधार का तोक है, वह पूरा का पूरा बैठ गया, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बैठ गया। यही नहीं बेलुवा खान का पूरा गॉव बैठ गया, वह भी वहॉं से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के जाता है। कुल मिलाकर इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि जो हमारा एकमात्र कुमायूॅं को जोड़ने वाला राजमार्ग है, जो हल्द्वानी से नैनीताल होते हुए ज्योलीकोट से कर्णप्रयाग तक था, जो कुमायूॅं और गढ़वाल को जोड़ता था।

श्री अध्यक्ष–

बोरा जी, कुछ सुझाव दे दीजिए।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, यह मार्ग जगह–जगह टूट गया है। आज गरमपानी तक भी हमारा सम्पर्क नहीं है, अल्मोड़े से हमारा कोई सम्पर्क नहीं है, रानीखेत से हमारा कोई सम्पर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप सुझाव दे दीजिए।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस सदन के सारे अपने मित्रों से, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, यह दैवीय आपदा है, वर्ष 1993 में मैं लखनऊ में था, हमसे पूछा गया कि कोसी बैराज और आपका हल्द्वानी का बैराज जिन्दा है, उस समय इतना पानी आया, इस बार तो उससे भी दुगुना पानी आया। मान्यवर, काठगोदाम का जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी गुजरा। पुल बन्द कर दिया गया यातायात के लिए। गौलापार का क्षेत्र, सितारगंज का क्षेत्र और हमारा हैड़ाखान क्षेत्र का सम्पर्क टूट चुका है। भीमताल वाले पुल का हिस्सा कट गया है, जिसके कारण कुमायूॅं और गढ़वाल का सम्पर्क टूट गया है।

श्री अध्यक्ष–

बोहरा जी, लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 21 हजार करोड रुपये केन्द्र सरकार से मॉगे और एक राहत पैकेज की घोषणा की। जनपद ऊधमसिंह नगर में जो सरकारी आँकडे है कि साढे सात हजार एकड जमीन या तो नदियों में बह चुकी है या उसकी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह जरूर जानना चाहूँगा कि उन्होंने 21 हजार करोड रुपये की मॉग की है तो जमीन का जो कृषि भूमि कटाव हुआ है, उसमें उन्होंने क्या प्रोजैक्शन रखे हैं कि कितना पैसा प्रति एकड किसानों को दिया जायेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि जब केन्द्र से राहत मिलेगी तो इतना पैसा हमारे कृषकों को मिलेगा। यह बात साफ होनी चाहिए। दूसरा, मैदानी क्षेत्र की खासतौर से बात करूँगा कि पानी की वैलोसिटी अर्थात् रफ्तार बहुत तेज होती है। जिस कारण भूमि का बहुत अधिक कटान हो जाता है। उसके कारण क्या है, इसके लिए भी हमें सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से मॉग करूँगा पर्यावरणविदो की, जिसमें साइंटिस्ट हों, एक कमेटी बने। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मीलों तक कटान हो गया तो इस कटान को किस तरह से रोका जा सकता है, उसकी बात की जाए। हम खनन को किस तरह से ज्यादा साइंटिफिक बना सकते हैं, इसकी बात भी की जाए। चूँकि मान्यवर, तट कटने से बहुत से मकान बह गये तो यह पता चले कि कौन सी नदियाँ अधिक संवेदनशील हैं, उसमें कितनी दूरी तक मकान बनाये जा सकते है और कितनी तक नहीं बनाये जा सकते हैं, इस पर भी सरकार की स्पष्ट नीति आनी चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार से अभी जनप्रतिनिधियो के इनवॉल्मैंट की बात आई। मैंने कई बार स्थानीय प्रशासन से कहा कि जो भी नुकसान का आकलन आप कर रहे हैं, उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी दें ताकि हम अपनी बात विधान सभा में सरकार के सामने रख सके। मुझे अफसोस हैं, शायद कुछ ऐसे डायरेक्शन्स है कि विरोधी दल के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को ऐसी कोई सूची न दी जाए। ऐसे कुछ डायरेक्शन्स है, जैसाकि मुझे लग भी रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार की संवेदनशीलता की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बाढ आई और माननीय सिंचाई मंत्री जी रात को जसपुर में उन्होने अवस्थान किया। उन्होंने यह भी नही जानना चाहा कि कितना नुकसान हुआ और सुबह को नाश्ता करके चले गये। किसी जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। जहाँ सरकार कहती है कि हम संवेदनशील है, तो इस तरह की संवेदनशीलता हमें दिखाई पडेगी तो मैं सोचता हूँ कि किसी तरह से भी उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों का कोई लाभ नही हो सकता है। माननीय नेता सदन जब जवाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

देंगे तो मैं यह भी जरूर अपेक्षा करूँगा कि हर विधायक को क्षेत्र में जहाँ पहले 20 लाख की राशि थी आज 2 करोड़ की कम से कम राशि हर विधायक की संस्तुति पर कम से कम इतनी, जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर ज्यादा हो। क्योंकि आपने खुद ही माना है कि पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा है तो हर विधान सभा क्षेत्र में आप कुछ न कुछ राशि की घोषणा जरूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आशा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस दैवीय आपदा के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। समस्त साथियों ने इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो सुझाव यहाँ पर रखे, उनसे अपने आप को सम्बद्ध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा प्रदेश दैवीय आपदा की चपेट में है और अभी जो 17 से 21 तारीख तक लगातार जो बारिश का कहर इस प्रदेश में बरपा है मान्यवर, उस दिन तो सारा प्रदेश ऐसे सहमा और सिमटा हुआ था कि न जाने कब और कैसी घटना इस प्रदेश में हो जाय। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ गयी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रियों का धन्यवाद करूँगी कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने जनता के बीच में जाने का जो बेड़ा उठाया, विषम परिस्थिति में भी चाहे बारिश का मौसम भी था। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हैलीकॉप्टर से प्रदेश के जनपदों में जगह-जगह जाकर आपदाग्रस्त लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को सुना, इस कष्ट की घड़ी में वे उनके साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार भी व्यक्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दें।

श्रीमती आशा-

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि केदारनाथ में वर्ष 1998-99 में बहुत बड़ी आपदा आयी थी। जिसमें एक ही दिन में 197 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। मान्यवर, पूरी केदारनाथ घाटी आज भी संवेदनशील मानी जाती है। आज भी उसी क्षेत्र में 7 परिवार कुण्डादाग कोट के भूस्खलन के कारण बेघर हो गये हैं और टैन्टों के अन्दर रह रहे हैं। 8 परिवारों के घर सतेराखाल के भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं और 23 परिवार नागजगई के, 5 परिवार फलासी के जो अनुसूचित परिवार के हैं और दो परिवार क्योंजा क्षेत्र के, 5 परिवार डालीसिंगी के दैवीय आपदा के कारण बेघर हुए हैं। सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि तत्काल जिन लोगों के मकान ढह गये थे, उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की और उनके रहने के लिए विभिन्न विद्यालयों में और अन्य साधनों के माध्यम से व्यवस्था करायी।

श्री अध्यक्ष–

आगे कोई बात है तो उस पर अपना सुझाव दे दें।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सदस्यगण बार–बार इस बात को उठा रहे है कि 21 हजार करोड़ रुपया केन्द्र से माँगा गया है। मान्यवर, इस बार 23 हजार किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मान्यवर, इसके अलावा प्रदेश की अन्य परिसम्पत्तियाँ भी हैं, पेयजल है और गाँव के रास्ते हैं, इनकी मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपये भी पूरे नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से यह भी सुझाव देना चाहूँगी कि जब माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वर्ष 1999 में भूकम्प आया था तब 8 हजार आवास उस समय केन्द्र ने हमको दिये थे। मान्यवर, मैं केन्द्र से एक विशेष पैकेज के रूप में सदन के माध्यम से माँग करना चाहूँगी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाता है वहाँ 17 तारीख से तमाम यात्री फंसे हैं, लेकिन हमारे एक सांसद जो हरिद्वार में अपना जन्म दिन मना रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो ऐसी आपदा में भी बड़े धूम–धाम से जन्म दिन मना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है आपका आभारी हूँ और मैं अपने को उन सभी साथियों से सम्बद्ध करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, देहरादून आज उत्तराखण्ड की अस्थाई राजधानी है, लेकिन जिन विषम परिस्थितियों में देहरादून के लोग रह रहे है वह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मेरा भी विधान सभा क्षेत्र है और आपके भी विधान सभा क्षेत्र से देहरादून में जितनी भी प्रमुख नदियाँ बहती हैं उनसे कितना नुकसान इस बरसात में हुआ। मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने नदियों के किनारे पुश्ते के निर्माण का कार्य करने के लिए पैसा स्वीकृत किया था, उसमें से काफी पैसा लगा भी, लेकिन वर्तमान में सरकार ने एक रुपया भी उन पुश्तों के निर्माण के लिए जो स्वीकृत योजना है, उनमें नहीं दिया, यह बड़ी ही चिन्ता की बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम खाली इस बात की चिन्ता करें कि आज प्रदेश के अन्दर क्या हो रहा है और हम सुझाव के तौर पर अपनी बात को रखें, तो मान्यवर, क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि जिन योजनाओं में पैसा स्वीकृत पहले हुआ है, उनमें पैसा निर्गत करें। यह

कौन करेगा ? ये देहरादून की आज सारी टूटी–फूटी सडकें, मोहड से आप दिल्ली नहीं जा सकते। चारों तरफ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गयी है। जब हम देहरादून की अव्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर सकते तो पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को क्या व्यवस्थित करेंगे। आज देहरादून के अन्दर इतनी अनियमितताएँ हैं।

आज पूरे सुसुवा से पूरे दौडवाला के अन्दर रिस्पना से कितना नुकसान हुआ। आज दीप नगर से लेकर के जगह–जगह पर कितने लोगों के घरों के अन्दर आपदा आयी। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि एक बार एक व्यक्ति के घर में उसके घर का सामान नष्ट हो जाए, उसका अनाज नष्ट हो जाए, तो यदि उसके घर मे दोबारा से बाढ आए और उसका सामान नष्ट हो जाए, तो क्या आप 2 हजार रु0 की सहायता भी नहीं देंगे ? यह कितनी विडम्बना है कि जिस व्यक्ति को एक बार 2 हजार रु0 मिल गया हो और दोबारा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए तो उसको सहायता नहीं देंगे। मान्यवर, मै कहना चाहता हूँ कि आपदा के नाम पर मजाक हो रहा है। आपदा के नाम पर जो तहसील के लोग जाते है, वे 2 हजार रु0 लिखकर जाते हैं, वे कब किसको देते है, उसका कोई निर्धारण नहीं है। कहाँ पर दे करके आते है, किसको दे करके आते है, बार–बार उनको फोन करो। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं आपका प्रबन्धन तंत्र वैसे ही फेल हो गया है। आज जो पूरा तंत्र था, आज इस बाढ की विभीषिका ने बता दिया कि आपका पूरा प्रबन्धन तंत्र फेल है। यदि आप पहले से कुछ मेजर्स लेते, जो आपको लेने चाहिए थे, आपका 1 सौ कुछ करोड रु0 का बजट था, आपने अभी तक मात्र 24 करोड रु0 खर्च किया, कल आपने 71 करोड रु0 निर्गत किया। बार–बार आपके मंत्री भाषणों में कहते हैं कि हमने सारा रुपया निर्गत कर दिया तो वह कलेक्टर के पास पहुँच जाना चाहिए था। जिन विभागों के द्वारा क्षतिग्रस्त होने का आपके पास आँकलन आया था, उन विभागों को वह पैसा निर्गत हो जाना चाहिए था, पर मान्यवर, वह पैसा निर्गत नहीं हुआ। यदि इस तरह से आपदा प्रबन्धन होना है तो आप कितने हजार करोड माँग लीजिए, कितने हजार करोड रु0 आपको मिल जायेगा, आप अपने बजट तक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका राज्य का बजट है, उसी मे जो आप लोग मॉनिटरिंग करते हो विभिन्न विभागों की, उसी में बराबर इस बात का संज्ञान आता है कि आप 20 से 30 प्रतिशत खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे क्या उम्मीद करें कि जो पैसा केन्द्र देगा, उसका समुचित तरीके से उपयोग करके उस पैसे को खर्च कर पायेंगे।

मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ केन्द्र का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सोनिया जी का जिन्होंने एक वकील की भांति उत्तराखण्ड की पैरवी की, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि उत्तराखण्ड को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आलोचना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि

माननीय मुख्यमंत्री जी को उन लोगों को समझाना चाहिए। वे लोग जो पैरवी करने आपके बीच में नेता आता है आपकी पैरवी करने, तो उसकी प्रशंसा करने के बजाए आलोचना करते हैं, यह उचित बात नहीं है। मान्यवर, मै दो–तीन सुझाव देना चाहता हूँ कि जो राहत राशि है और मुआवजे की राशि है, उसको बढ़ाने का इंतजाम होना चाहिए। वह केन्द्र की अनुमन्यता में कितनी है, है या नही, उसमें राज्य सरकार अपनी ओर से उस राशि को बढ़ाने का काम करे, अन्यथा मैं यह समझता हूँ कि यह जो आपदा प्रबन्धन का काम है, वह नही हो पायेगा। दूसरा हमारी सब नदियाँ ऊँची हो गयी है, हमारे यहाँ खनन कार्य प्रभावित हैं और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश को ठीक करने की जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। इस प्रदेश के अन्दर जो आपदा आई है, उसको आप ठीक कैसे करेंगे ? आपके यहाँ बजरी नहीं है, रेता नही है, पत्थर नहीं है, आपको कही से निकासी नहीं मिल रही है। आज ठेकेदार काम करने को तैयार नही है, आप कैसे इसका प्रबन्धन करेंगे ? आपने प्रबन्धन का सोचा है ? कहीं पर सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। आपकी जो खनन नीति है उसके कारण जितने क्रेशर है वे हाईकोर्ट के निर्देश के कारण बन्द होते जा रहे है, जो मेरी जानकारी मे है। आप कम से कम ऐसी नीति बनाईये जिससे इस प्रदेश के अन्दर खनन तो उपलब्ध हो सके, नही तो कैसे काम होगा, कैसे सड़कें ठीक होंगी, कैसे नालियों का निर्माण होगा ? मान्यवर, उसकी चिन्ता भी हमको करनी चाहिए, नदी का ऊँचा स्तर हो गया है और वह पूरी की पूरी नदी आगे के लिए हमारे लिए कठिनाई पैदा करेगी, इसलिए मैं समझता हूँ कि खनन के मामले मे सरकार को हाईकोर्ट के अन्दर जो लम्बित केस हैं, यदि आपके पास खनन नही हुआ तो 4 मीटर नाली भी नहीं बना पायेंगे और आप 23 हजार किलोमीटर सड़कों की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर खनन के लिए कोई नीति नही है, आप खनन कहाँ से लायेगें ? मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हालांकि भाजपा का अपना आंतरिक मामला है लेकिन आज प्रदेश के अन्दर जो आपदा है, जो बार–बार एक एयर में बात होती है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी गये, आज रहे और प्रदेश के अन्दर नेता आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक–एक हफ्ते मे सर्टिफिकेट देते है, यही प्रदेश के अन्दर आपदा है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी, अब हम भोजनावकाश के लिए अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 4 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व मे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")-

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष, 2010-2011 के अनुपूरक अनुदान की माँगें प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा विषयक सूचना पर पुनः चर्चा (क्रमागत)

श्री दिनेश अग्रवाल-

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी यह प्राकृतिक आपदा आयी है, उसके विचार में हमको यह जाना पड़ेगा कि पूरे हिमालयी राज्यों में जो आपदा है, इसके बारे मे एक पूरी नीति बनानी होगी। पूरे राज्य के लिए एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक से दीर्घकालिक जो भी उपाय हम कर सकते हैं, उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। मान्यवर, यदि आज हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो यह भविष्य के लिए बहुत घातक संकेत होगा। मैं यही आग्रह सरकार से करना चाहता हूँ , इसके लिए कोई कारगर नीति बने।

काजी मो0 निजामुद्दीन-

मानानीय अध्यक्ष जी, इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बहुत भारी दिल के साथ आपके सामने विचार रख रहा हूँ। मान्यवर, कुदरत की मुझे बहुत बड़ी देन है, मैं प्रदेश ही नहीं देश के ऐसे इलाके मे रहता हूँ और ऐसे इलाके मे पैदा हुआ हूँ और वहीं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहाँ प्राकृतिक आपदाएं शायद दुनियाँ में सबसे कम आती है लेकिन प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदाओं का जैसे कि घर बनकर रह गया हो। मान्यवर, जो पहाड़ी इलाको मे या हरिद्वार के लक्सर जैसे इलाको मे, या खाद में या तराई के कुछ इलाकों मे, जहाँ नदियाँ नुकसान पहुँचाती हैं, वह तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसमे न आप कुछ कर सकते हैं और न हम कुछ कर सकते है। लेकिन मंगलौर में और मंगलौर से लगा हुआ इलाका, झबरेडा और झबरेडा से लगा हुआ इलाका है, जहाँ कुदरती आपदाएं तो बारिश के तौर पर आयी है। अगर आप बारीक निगाह से देखें और इसका गहन अध्ययन करें कि वहाँ पर नुकसान क्या हुआ तो उसमे सरकार दोषी पायी जायेगी। मान्यवर, ब्रिटिश पीरियड से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेन्स के नाम से मेरठ मे आज तक एक अधिकारी सिंचाई विभाग का बैठता है। जिसके क्षेत्राधिकार मे बदकिस्मती से आज तक हम आते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री

जी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड बनने के 10 साल हो गये, लेकिन आज तक भी हम नदियों को या सिंचाई की और प्रणालियों को छोड़ दें, मान्यवर, बाढ़ से सम्बन्धित जो नाले हैं, वे आज भी उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेरठ के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मान्यवर, ये पैसा इस वजह से नहीं लगाते है, क्योंकि उनका यहाँ कोई लेन-देन नहीं है। हमारे विभागो को वहाँ की जानकारी नही है, चाहे हम कितना ही कहते रहें। मान्यवर, हमारे मंगलौर और मंगलौर से लगे हुए इलाके मे जितने खेतों की फसलें खराब हुई है पानी भरने से, वह सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर उत्तराखण्ड के सिंचाई विभाग की लापरवाही के अलावा और कोई बात नहीं कही जा सकती है। मान्यवर, हर साल नाले साफ होने चाहिए, लेकिन ये नाले 10 साल में एक बार भी साफ नही हुए हैं। मान्यवर, साढ़े तीन साल से आप लोग भी इसको देख रहे हैं।

सिंचाई, समाज कल्याण एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)-

मानानीय अध्यक्ष जी, हमारी 10 अरब रु0 की सम्पत्ति है और न्यायालय में यह मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मानानीय मत्री जी, बात आने दीजिए।

काजी मो0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, उनसे हमारी जानें बचेंगी। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो आपने बहुत कम नुकसान देखा है। ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर बातें आ चुकी हैं और वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए टू दि प्वाइंट स्पेसिफिक बातें रखना चाहूँगा। मान्यवर, सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में बातें कह दी इसलिए मैं सिर्फ मंगलौर की बात करूँगा। मंगलौर और उसके लगे हुए इलाके मे मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग एक हजार मकान गिर चुके है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके है और जब से आज यह चर्चा शुरू हुई है, मैं लगातार सुन रहा हूँ कि मकानों के गिरने पर सरकार जो राशि दे रही है, उसको राहत राशि कह लीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई 35 हजार बता रहे है, तो कोई 25 हजार बता रहे हैं। आज मंगलौर में चैक बँट रहे हैं। 1500 रुपये का चैक, 2000 रुपये का चैक। मान्यवर, इन लोगों को राहत राशि दे रहे हैं या आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं ? क्या कर रही है सरकार ? धनराशि बढ़ाइये। कम से कम इतनी तो कीजिए कि गरीब आदमी अपनी गिरी हुए मकान की छत दोबारा बना सके। मजदूरी तो वह अपने आप कर लेगा। मजदूरी आपसे नहीं लेगा। थोड़ा बहुत सामान पुराना लगाएगा, थोड़ा बहुत खरीदेगा, जिससे अपने सिर के ऊपर छत बना लें।

कभी किसी पैसे वाले की छत और दीवार नहीं गिरती। छत, मकान और दीवार हमेशा उसकी गिरती है, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता। जिसकी आर्थिक स्थिति एक साल, दो साल या पाँच साल से खराब नहीं होती, बल्कि नस्ल दर नस्ल खराब होती है, मकान हमेशा उसका गिरता है इस बात का गहन अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्या मजाक किया जा रहा है, आज जनता के साथ। मकान की छत गिर गयी है, पूरा मकान गिर गया है, तो 1500 रुपये दिये जा रहे हैं। मान्यवर, एक बड़े कमाल की बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मकान के क्षतिग्रस्त होने का मूल्यांकन करने वाला कौन है, एक लेखपाल ? जमीन का रिकार्ड, किसके पास कितनी जमीन है, कितनी कंडियॉ है, कितने बीघे हैं, कितनी नालियाँ हैं, अगर यह रिकार्ड आप पूछें, तो कॉम्पीटेंट अथॉरिटी है, लेखपाल। लेकिन सिविल के मामलों की जाँच करने के लिए क्या एक लेखपाल और पटवारी को आप कॉम्पीटेंट अथॉरिटी मानते हैं ? आपके जो 21 हजार करोड़ और 5 हजार करोड़ रु0 के आंकड़े है, वह सब पटवारी के आकड़े पर बेस्ड हैं। इनको ठीक करवाइयेगा। इसको टैक्निकल लोगो से करवाइयेगा। एक–एक पटवारी के पास, पहाड़ का मै नहीं कहता कि क्या होगा, लेकिन मंगलौर के आस–पास के गाँव, जिनकी आबादी 5–5 हजार है, 8–10 गाँवो के ऊपर एक पटवारी है और 2 दिन में उसमें आँकलन करने को कहा गया कि फसल कितनी खराब हुई, मकान कितने गिरे। तो वह कहाँ से आपको आकलन करके 2 दिन के अन्दर देगा ? उस बीच में उसके पास टेलीफोन आ जाएगा कि एस0डी0एम0 साहब आने वाले है, वह अपना काम छोड़ कर खड़ा होगा। चाहे एस0डी0एम0 साहब 2–3 घण्टे के बाद आएं। मान्यवर, खास तौर से मैंने स्पेसिफिक बात आपके सामने रखी, पटवारी आँकलन करने वाला कॉम्पीटेंट अथॉरिटी नहीं है। मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर गौर कर लें, आपने कहा कि जब अल्मोड़ा से आप टिहरी की तरफ आए तो मीडिया ने सूचना दी कि वरूणावत पर्वत में भी लैण्ड स्लाईड हो रही है। मान्यवर, क्या आप मीडिया की सूचना के ऊपर निर्भर करते हैं ? मुझे बहुत ऐतराज है, आपके इस बयान पर। अगर आप मीडिया के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ऊपर वाला मालिक है, इस प्रदेश का। मैं ज्यादा नही कहना चाहता। मान्यवर, आप संवेदनशील होकर राहत राशि बढ़ाईये, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा।

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जिस प्रकार से दैवीय आपदा आयी हुई है, उस पर चर्चा मे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मै आपका आभार व्यक्त करता हूँ लेकिन दिया तब जब 2 मिनट बाद आप कह देते हैं कि अब हो गया। प्रारम्भिक दौर से जब चर्चा शुरू हुई थी, तब से मौका नही दिया।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी के पास सब जानकारी रहती है।

श्री नवीचन्द्र भगत–

मान्यवर, जिस प्रकार की विभीषिका से प्रदेश जूझ रहा है, इसमें कोई दो राय नही कि ऐसा कभी हमने अपने जीवन में पहले नही देखा। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ। कुछ तीखापन हो सकता है, कुछ हल्के से बात हो सकती है लेकिन भाव सबका एक ही है कि पूरे प्रदेश में ऐसी त्रासदी आयी है, जो कभी हमने देखी नहीं। मैं जनपद ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में लगभग 10 दिन तक इस त्रासदी में रहा और मैंने पैदल घूमकर क्षेत्र का भ्रमण किया। नैनीताल जनपद में विशेष रूप से जो हल्द्वानी और रामनगर का क्षेत्र है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का मार्ग तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ जाने लायक नही था। मान्यवर, हल्द्वानी में एक बहुत बडी नहर है, जो गौला पार के क्षेत्र को सींचती है। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि वह टूट कर गौला नदी में चली गई है गौला पार का पूरा क्षेत्र, जिसमें 10–15 ग्राम सभायें है, उन सभी गाँवों की सिंचाई का स्रोत वह नहर थी, वह स्रोत समाप्त हो गया। इसी प्रकार से गौला में एक पुल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, दूसरा जो परम्परागत पूर्व से चला आ रहा गौला का पुल है, जिस पर पूरा सितारगंज और सिडकुल का क्षेत्र आश्रित है, उस पुल के ऊपर भी पानी चल रहा था। अगर वह पुल गिर जाता तो इस क्षेत्र में एक बडा संकट आ जाता। नैनीताल को जाने वाले मार्ग को देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरी की पूरी सडक बैठ गई और 50 फुट नीचे चली गई और जहाँ पर सडक थी वहाँ पर विशालकाय वृक्ष खडे हो गये थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जंगल ही था। इसी प्रकार से भीमताल मार्ग क्षतिग्रस्त है और अगर हम कालाढूंगी मार्ग से रामनगर की तरफ आते हैं तो हल्द्वानी का जो पर्वतीय क्षेत्र है, दमुआढूंगा, जवाहर ज्योति क्षेत्र में एक रकसिया नाला निकलता है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के घर की ओर भी जाता है। उसका इतना खतरनाक स्वरूप था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बादल फट गया हो, क्योंकि वर्षा की स्थिति में ऐसा नही होता है। मैं माननीय सदन के माध्यम से सारे प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होने इस आपदा की घडी में 18–18, 20–20 घण्टे खडे होकर काम किया। (व्यवधान)

सरकार को मैं अन्त में धन्यवाद दूँगा, आप लोग इसकी चिन्ता मत कीजिये। अगर हम कालाढूंगी की तरफ से चलते हैं तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र से लगे हुए गाँव हैं, लगभग सभी गाँवों में जो छोटे–छोटे नाले हुआ करते थे, उन्होंने नदी का स्वरूप ले लिया था। रामनगर क्षेत्र में माननीय विधायक जी मेरे साथ दो दिन तक रहे, तो हमने वहाँ सुन्दरखाल से लेकर शहर का भ्रमण किया। वहाँ पर एक पम्पापुरी क्षेत्र है, जहाँ पर पूरे

रामनगर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए पम्प हाउस है, उसका फिल्टर प्लांट, जिसकी लागत लगभग 1 करोड रुपये बताई गई, वह कोसी नदी में बह गया। कोसी नदी में पुल खतरे के निशान से ऊपर था............... (व्यवधान) मान्यवर, मैं सरकार का और प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि दूसरे ही दिन उन्होंने पेयजल व्यवस्था को सुचारू कर दिया।

श्री रणजीत रावत–

मानानीय मंत्री जी, कोसी का पुल खतरे के निशान से ऊपर था या पानी खतरे के निशान से ऊपर था, इस पर कन्फ्यूजन हो गया है। (हँसी)

श्री नवीचन्द्र भगत–

मान्यवर, आप कन्फ्यूज हो गये, ये उसी रास्ते से गुजरते है, इसलिये कन्फ्यूज हो गये होंगे।

श्री अध्यक्ष–

उसी रास्ते से गुजरते हैं, इसीलिये सुनिश्चित होना चाहते हैं।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि कोसी का पुल खतरे के निशान से ऊपर था। (हँसी)

श्री नवीचन्द्र भगत–

मान्यवर, इसी क्षेत्र में चुकुम की यह स्थिति है कि मैं स्वयं वहाँ पर गया था, माननीय विधायक जी और प्रशासनिक अधिकारी भी मेरे साथ थे। मोहान पर हम गये तो मोहान में एक बडा भारी चिर–परिचित होटल था, वह कहाँ गया, पता नहीं लगा। पटवारी चौकी थी, उसका कुछ पता नहीं लगा, कई घर बह गये। उसके बाद जो चुकुम का क्षेत्र है, जहाँ पर वर्ष 1993 में भी आपदा की स्थिति आई थी, मैं तब भी जिलाधिकारी को लेकर वहाँ पर जंगल के रास्ते गया था। चुकुम में एक परिवार ऐसा नहीं था, जिसमें किसी भी मकान के अन्दर मलबा न चला गया हो। चुकुम के सारे क्षेत्रवासी गाँव छोडकर जंगल में चले गये, हमने वहाँ जाने का प्रयास किया। नौका और मोटरबोट बुलाई, लेकिन उससे भी नहीं जा पाये, हाथी के जाने का प्रश्न नहीं था। तो 7–8 किलोमीटर दूर से घूमकर शासन के लोग थोडी–थोडी मात्रा में राशन ले जाकर गये और 7 क्विंटल राशन कल प्रातः भी ले गये हैं। मान्यवर, चुकुम की स्थिति के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बारे में गम्भीरता से विचार होना चाहिये, इस गाँव को तो किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित किये जाने की आवश्यकता है। चुकुम से आगे कुणखेत में पिछले

साल ही 10 लाख की लागत से एक झूलापुल हमने बनवाया था, उसका भी एक साइड का स्टैण्ड लगभग हिल सा गया है। मान्यवर, और गॉव के 05 अच्छे मकान, जिनको छप्पर नही कहा जा सकता, अच्छे मकान और कम से कम 60-70 उसके अपने मवेशी, एक चक्की और यहॉ तक कि हाईस्कूल जो बिल्कुल धंस गया, ऐसी स्थिति हो गयी जो पूरा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है।

अगर हम ऊधमसिंह नगर की बात करे मान्यवर, अगर शक्तिफार्म की हम बात करें तो शक्तिफार्म में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हुआ। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुन लो। ऐसा न कभी सुना होगा, न देखा होगा कि याद किया और मुख्यमंत्री पहुँच गये। ऐसी स्थिति वहॉ की थी, जहॉ मैं स्वयं था दो दिन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने टेलीफोन पर बात की और दो घंटे बाद (व्यवधान) जब कह दिया तो बुरा लग गया। सच्चाई सुनने के आदी नहीं है आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी वहॉ नाव पर बैठकर उस क्षेत्र के भ्रमण पर गये और वहॉ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि वहॉ पर कोई घर मलबे में न बदला हो, हर घर में पानी, हर घर में कीचड। लोग राशन के लिए (व्यवधान) हमने आज की तारीख में भी मान्यवर, शक्तिफार्म में 400 लोग जैसे चुकुम में फसे हुए है, 400 लोगों का एक विद्यालय में कैम्प लगाया। 300 लोगों का एक विद्यालय में कैम्प लगाया। अभी माननीय नारायण पाल जी यहॉ हैं नहीं, वे स्वयं जाकर देखकर आयें। सारी व्यवस्थाएं तत्काल की गयी। शक्तिफार्म, खटीमा, सितारगंज तमाम क्षेत्र में और उससे तमाम क्षेत्र में ऐसी तबाही थी कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। चूँकि सब लोग तत्परता से उसे देख रहे हैं, हम भी देख रहे है, प्रतिपक्ष के हमारे साथी भी देख रहे हैं। हम सब मिलकर ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें और केन्द्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी जो बन पडता है, वो करें। पुनः मैं सरकार के मुखिया डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'' जी का, माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों का और अधिकारियो का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस त्रासदी में हर स्थान पर आपने उपस्थिति दर्ज की है और समयबद्व तरीके से काम किया है। धन्यवाद।

श्री शहजाद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहॉ बोट चली, वहॉ पानी कितना था ?

श्री नवीचन्द्र भगत-

मान्यवर, लगभग हम जैसे 2-3 लोग तो खडे हो सकते थे उसमें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हरिद्वार में जब वोट चली तो दो आदमी बराबर–बराबर चल रहे थे पैदल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, अब ये शौक आपको हो रहा होगा।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज दैवीय आपदा की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा तमाम अपने विपक्षी साथियों से निवेदन है कि इस दैवीय आपदा की घड़ी में इसको राजनीतिक चश्मे से न देखकर, हकीकत में क्या स्थिति है देखें। आज जो है यहाँ पर हमारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार आपस में जो है कि इन्होंने साहब ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। मेरा मानना ये है मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्षी साथियों से कि केन्द्र सरकार क्या पाकिस्तानियों की सरकार है या अफगानिस्तानियों की सरकार है और क्या हमारी सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, यहाँ सिर्फ उत्तराखण्ड की सरकार है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, पहाड़ की जनता ने, उत्तराखण्ड की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना 52 प्रतिशत समर्थन दिया है तो कॉंग्रेस को शत–प्रतिशत समर्थन दिया है। आज केन्द्र में हमारे पाँचों एम०पी० कॉंग्रेस से हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता। आज हमने 21000 करोड़ रुपये की माँग कर दी है, तो क्या बुरा करा है। यहाँ पर आवश्यकता है हमको। मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले हमको जो सी०आर०एफ० की गाइड लाईन्स है, उसको बदलना चाहिए जिसके कारण आज हम 35000 रू० से ज्यादा जिसका मकान टूट गया, नहीं दे पा रहे हैं, हम 2000, 2500 रू० से ज्यादा किसी के मकान में दरार आ गयी है, तो उससे ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। ये आवश्यकता सबसे पहले हमको सी०आर०एफ० की जो गाईड लाईन्स हैं, इसको बदलने की है। मैं यहाँ पर तमाम लोगों से, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहना चाहता हूँ कि एक संकल्प यहाँ से तैयार करके हम भारत सरकार को भेजें कि जो सी०आर०एफ०

की गाईड लाईन्स हैं, मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। वर्ष, 2007–2008 का हमारे टिहरी जिले के अन्दर सी0आर0एफ0 की गाईड लाईन्स के कारण 07 करोड वापस भेजा गया, क्योंकि नार्म्स में नहीं आते थे। किसी का मकान टूट गया, एस0डी0एम0 कह रहा है, हम तो इतना ही दे सकते हैं। यह सी0आर0एफ0 की गाईड लाईन्स, यहाँ पर एक चिन्तनीय बात है, अगर सरकार चाहेगी भी पैसा ज्यादा देना तो कैसे दे पायेगी, जब तक हमने सी0आर0एफ0 की गाईड लाईन्स को चेन्ज नहीं किया तब तक हम आपदाग्रस्त लोगों को लाभ नहीं पहुँचा सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है, आप लिख करके दे दीजिए, उसे कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, चन्द्रभागा नदी तबाही मचाने वाली है, उससे जानमाल की इतनी हानि हो जायेगी क्योंकि वहाँ पर आबादी का स्तर नीचा और नदी का स्तर ऊँचा हो गया है, कभी पानी उधर को डायवर्ट हो गया तो 13 हजार आबादी जो ढालवाला की है, जिनका जीवन आज खतरे में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, या तो उधर खनन का कार्य शुरू किया जाय जिससे नदी का स्तर नीचे हो सके। उस पर चाहे कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, उससे हम जनता की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। आप लोग आज तय कर लें कि या तो उसको खुदवा लें या कोई इंतजाम वहाँ पर करें, नहीं तो वहाँ पर जो ढालवाला, चौदहबीधा, मुनिकीरेती, शीशमझाडी, जिसकी आबादी लगभग 26 हजार है, वह जान हथेली पर रखकर सोते हैं, वहाँ पर कभी भी कोई बादल फट सकता है। मैं वक्तव्य जानना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वह इस ओर क्या करना चाह रहे हैं ?

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में निम्न क्षतियाँ हुई हैं– 1–चन्द्रभागा नदी में आई भयंकर बाढ से ढालवाला में भारी नुकसान हुआ है। 2–खाराजोत नदी में आई बाढ से खाराजोत में भारी हानि हुई है। 3–गंगा नदी में आये भारी जल भराव से शीशमझाडी, मुनिकीरेती में भारी हानि हुई है। 4–पट्टी क्वीली में अतिवृष्टि से कई मकान टूट गये। 5–पट्टी पाजकोट में कई मकान टूटे व राणाकोट में महिला की मृत्यु हो गई। 6–ग्राम रौन्देडी, पट्टी कुजणी में कई मकान टूट गये। 7–पट्टी धमान्यू में कई मकान व अन्य सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। 8–पट्टी दोगी में भारी हानि हुई है। 9–पट्टी भरपूर में भारी हानि हुई है। 10–पट्टी धारअमिंडिया में भारी हानि हुई है। 11–पट्टी

नोट [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित किया गया।

मखलोगी में भारी हानि हुई है। 12–ग्राम मैलर्क पट्टी कुजणी में भारी भू धंसाव से लोगों के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये और वह टेन्ट में रह रहे हैं। 13–ग्राम अगर पट्टी धमान्सू में भू–धंसाव से लोग घर छोड़ चुके हैं।]

*श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रदेश की दैवीय आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, देर से ही दिया, क्योंकि सीधे और सज्जन आदमी का नम्बर देर से ही आता है। (व्यवधान) मान्यवर, दैवीय आपदा के सम्बन्ध में हर बार हर सत्र में मैं बात उठाता हूँ कि जो तराई क्षेत्र हैं, वह दैवीय आपदा से ग्रस्त हैं। जैसा कि अभी ओम गोपाल जी ने कहा है, वहाँ पर हर वर्ष देवहा नदी, कैलाश नदी, कागा नदी, जगबूड़ा नदी, परवनी नदी, लोहिया नदी और धनारा नदी, यह विधान सभा खटीमा और विधान सभा सितारगंज की हजारों–हजार एकड़ जमीन को कटान कर ले जाती है, इसके लिए कोई भी ऐसी गाइड लाईन्स नहीं हैं। अगर अधिकारियों से कहा जाता है कि कटाव को रोकना है तो वह कहते हैं कि यह दैवीय आपदा में नहीं आता है, तो किसी नियम के तहत, किस कानून के तहत इस कटाव को रोकें। हर साल हजारों–हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि जहाँ धान, गेहूँ और गन्ना बहुतायत में पैदा होता है, वह जमीन हर साल बह जाती है। उसके कटाव को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी भारत और नेपाल सीमा पर जो जगुड़ा नदी बहती है, वहाँ पर हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन बह करके नेपाल के किनारे चली गई है। मेरा यह कहना है कि जैसा कि ओम गोपाल जी ने कहा जो गाइड लाईन्स हैं, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। यहाँ से संकल्प जाना चाहिए कि जैसे कि मैं समझता हूँ इस साल भी सैकड़ों एकड़ जमीन चाहे वह सुनपहर की हो, मजगमी की हो, उजानी की हो, सड़ासड़िया की हो, बहुत से ऐसे गाँव हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके पास दो बीघा जमीन थी और घर बना हुआ था, उसकी दो बीघा जमीन भी चली गई, घर भी चला गया, उसका क्या होगा, इस पर विचार करना होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए, उसे कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो गाँव आज प्रभावित हैं, चाहे मजगमी का है, पूरी की पूरी सैकड़ों एकड़ जमीन बह गई है, ये गाँव मजगमी, उजानी, सुनपहर, जादोंपुर, पुरनापुर, सड़ासड़िया, झनकट, भगचुरी, नौसार, मेलाघाट, दियाँ, गोंगी, गिधौर, बिचवा टुकड़ी, देवकली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शक्तिफार्म हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सिंचाई मंत्री जी है, जो बाढ़ भी देख रहे हैं, वह बार–बार गये हैं, हर साल जाते है। वह घूमघाम करके खाली औपचारिकतायें पूरी करके आ जाते हैं। क्या कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है, क्या कोई महायोजना बनाई है ? क्या कोई इस तरह की योजना बनाई है, जिससे बाढ़ को रोका जा सके ? क्या कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है ? मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस तरह की योजना नही बनी है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन कटती है, क्या कोई ठोस योजना सरकार बना रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए और आपदा आने से पहले एक ठोस योजना बनानी चाहिए, एक चिन्तन होना चाहिए। देर से ही सही आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कोई बात रह गई है तो लिखकर दे दीजिए। मैं आपकी बात को कार्यवाही में सम्मिलित कर लूँगा।

श्री कुलदीप कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दैवीय आपदा जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो पूरा प्रदेश आज दैवीय आपदा से प्रभावित है। लेकिन विकास नगर विधान सभा जहाँ यमुना का मुहाना है। जहाँ यमुना पहाड़ से मैदान में निकलती है, उस स्थान पर नदी का तेज बहाव होने के कारण भारी क्षति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिपुर भुड्डब्यास और नहरी आदि क्षेत्रो मे सैकड़ों बीघे जमीन और जमीन पर बने हुए पक्के मकान नदी के बहाव में आने से बह गये है, और विकास नगर जुड्डों सम्पर्क मार्ग लगभग 7 मीटर जमीन के अन्दर धंस गया है। इसके अलावा आसन नदी के किनारे फतेहपुर, बदरीपुर और मेदनीपुर और बंसीवाला आदि जो गाँव हैं, वे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गये है, वहाँ फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मै एक अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अध्यक्ष जी के माध्यम से कि नदी के किनारे तटबंध बनाये जाने अति आवश्यक हैं। 19 तारीख की रात लगभग 11.00 बजे डाकपत्थर बैराज से 2 लाख 25 हजार क्यूसैक पानी छोड़ा गया और यदि इतना पानी फिर से आ गया तो जिस प्रकार से नदी ने अपना बहाव बदला है, भविष्य में यदि नदी ने बहाव बदला तो कई गाँवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। इस पर शीघ्रता से कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लटीखेत, जाखन जैसे दो गाँव, जो हमारी विधान सभा क्षेत्र मे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ दरकने से पहाड़ का काफी मलवा इन गाँवों में आ गया है और भविष्य में यदि तेज बारिश हुई तो निश्चित रूप से ये गाँव समाप्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त फसलो

की भी बहुत अधिक क्षति इन क्षेत्रों में हुई है। लक्ष्मणपुर गाँव में एक मकान के बैठने से एक महिला की मृत्यु हुई है। बाडो–डाबरा में भी एक मकान के बैठने से एक बालक की मौत हुई है और लगभग 200 लोग आज भी एक आश्रम में शरण लिये हुए है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक सभागार में भी 50 लोग शरण लिये हुए है, उनको शीघ्र पुनर्वासित करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपकी जो बात रह गई हो, उसे लिखकर दे दें, कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री कुलदीप कुमार–

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इन विषय परिस्थितियों में हर तरह से सहयोग किया है और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रशासन ने रात के 11–11 बजे तक लोगों के बीच में रहकर के सहयोग किया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए, इसके लिए भी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, तहसील मुख्यालय के पास भिकियासैण तहसील मुख्यालय के पास ही एक नौला न्याय पंचायत है जहाँ श्रोता में जगत सिंह का एक परिवार रहता है, उनकी 65 साल की माता और उनका एक सात साल का छोटा बच्चा इस आपदारूपी काल के ग्रास में समा गये और एक तिमील, तनौला, बनौली गाँव में भी एक 65 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही शासन/प्रशासन से करीब 110 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 121 जानवर बहे है पानी में, ऐसी सूचना आई है। जबकि मेरी विधान सभा का हर क्षेत्र सड़क से कट गया है। एक जगह से दूसरी जगह जाना सम्भव नही हो पा रहा है, जिस कारण सम्पूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है। स्यालदे, देघाट, नागचूला खाल, भाभर और मुनानी ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर पहुँचने के लिए करीब 10–15 किलोमीटर पैदल जाना पडता है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर वहाँ पर हम लोग पटवारियों का कैम्प लगा दें, जो लोग वहाँ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जिला मुख्यालय से 200 कि०मी० की दूरी पर मेरी विधान सभा के गाँव हैं। तहसील मुख्यालय आने पर भी 70 कि०मी० करीब दूरी होती है। अगर पटवारी लोग अपना कैम्प लगवा दे तो वास्तव में जो जानकारी है, मुझे लगता है कि 110 गाँव नहीं, करीब 400–500 गाँव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए है। तो वास्तव मे उनका कैम्प वहीं पर लग जाए तो लोगो को ज्यादा सुविधा होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पटवारी की रिपोर्ट लगाने में और अपने जे0ई0 से आगणन बनाने में सक्षम नही है तो अगर पटवारी लोग वहीं चले जायेंगे तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगणन भी बन जायेगा और तत्काल कार्यवाही भी हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, एक चर्चा यह भी आई थी कि जो आपदा आइ है, उसके बाद जो धूप पड रही है उससे पत्थर और ज्यादा खिसक रहे हैं, तो मेरी विधान सभा मे डहल, बनौली, तिमील तनौला और कैलानी कफल्टाना मान्यवर, ये गॉव खतरे में हैं, इन लोगों को निकालकर अलग स्थान पर रख दिया है, मेरा निवेदन है कि इन लोगो के लिए भी व्यवस्था की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे मैं कुमाऊँ मण्डल निगम का कार्य भी देख रहा हूँ, मान्यवर, यहॉ आज कल कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है। इस यात्रा मे 37 यात्री गुंजी में रूके हैं, इनके खाने-पीने की व्यवस्था भी यह निगम कर रहा है। मान्यवर, कल भी हमने हैलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, लेकिन मौसम ठीक नहीं था। आज भी हैलीकॉप्टर वहॉ नही जा पाया है, लेकिन वहॉ पर लोग ठीक हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा, हम उन लोगों को वापस ले आयेंगे। धन्यवाद।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, दैवीय आपदा के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम-310 में चर्चा के लिए आपने अनुमति प्रदान की, मै आपका आभारी हूँ। मान्यवर, दैवीय आपदा एक ऐसा प्रश्न है, जो समय-समय पर किसी न किसी रूप में हमारे सामने विशेषकर इस हिमालय राज्य के परिक्षेत्र में, इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए चोली दामन का साथ है। चूँकि यह राज्य जोन-4 और जोन-5 में बसा हुआ है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को एक महायोजना तैयार करनी चाहिए, एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करना चाहिए। इस आपदा को कैसे वर्गीकृत किया जा सके। इस वर्गीकृत में कुछ दैवीय हैं, कुछ मैन-मैड हैं, जिसको आदमी खुद अपने नियोजन के माध्यम से करता है। मान्यवर, नियोजन इसलिए कह रहा हूँ कि हम हजारो-हजार किलोमीटर सडके बना देते हैं, लेकिन उसके ड्रैनेज की व्यवस्था नहीं करते हैं। अगर कही ड्रैनीज की व्यवस्था है तो उसके आउटलेट की व्यवस्था प्रोपर नहीं करते हैं, अगर जहॉ कहीं करते भी हैं तो वहॉ पूरे के पूरे क्षेत्र का पक्काकरण किया जाता है और सीमेन्ट से उसको पाट दिया जाता है, जिससे उसके पानी का बहाव और तेजी से बढ जाता है। मान्यवर, नियोजन के तहत यदि कुछ चीजो को सरकार इसमें सम्मिलित कर दे तो मैं समझता हूँ कि आपदा को कुछ कम किया जा सकता है। चूँकि यहॉ एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने क्षेत्र का, इस नियोजन के तहत, मेरे यहॉ चार दिन पूर्व किंक्रेग लाइब्रेरी मुख्य मार्ग है और उस मार्ग पर पी0डब्लू0डी0

के द्वारा पूर्व में एक पुश्ते का निर्माण होना था और वह समय रहते हुए नहीं हुआ। उसने वह स्वरूप बदल दिया, चूँकि पुश्ता न बनने की वजह से उसी के बगल में 11 के0वी0 की विद्युत लाईन चल रही थी और उसके खम्भे खड़े थे और उस पर दरार आ गयी थी और दरार पड़ने से एक परिवार के 6 लोग और 2 उनके अतिथि कालग्रस्त हो जाते । मान्यवर, मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूँ, जिस पर पाँच कमरों का एक भवन उसकी चपेट में आ गया, लेकिन उनकी एक बच्ची पर, शायद उस पर भगवान का एक दैवीय स्वरूप आया और उस बच्ची ने बाहर आकर कहा कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, आप लोग बाहर आओ। मान्यवर, वे सब लोग बाहर आये और दस कदम जाने के बाद वे सारे के सारे पत्थर उस भवन पर गिर गये।

मान्यवर, मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नियोजन की अदूरदर्शिता का परिणाम है। यह इसलिए दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वह जो प्रभावित परिवार है, वह परिवार किसी मालिक के यहाँ, मालिक की बड़ी कोठी में वह परिवार चौकीदार का कार्य कर रहा था। आज हम ऐसी विषम परिस्थिति में चले गये कि हम वहाँ पर गए, हमने आँसू बहाए, हम उसको क्या दे सकते थे, 2 हजार रु0 की सहायता के लिए हमने एस0डी0एम0 को बुलाया, हमने नायब तहसीलदार को बुलाकर कहा, इसको दीजिए। लेकिन उसके आगे उसकी तमाम चीजें, तमाम सामान, सारी चीजे, सब कुछ वहीं पर दफन हो गया। आज हम उसको कौन सी राहत राशि दे पायेंगे यह इस सदन से मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैं यह जानना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी राहत राशि देंगे ? क्योंकि 2 हजार रु0 से ऊपर आप कुछ नहीं दे पायेंगे और उसका जो है हजारों, लाखों का सामान दफन हो चुका है क्योंकि वह मालिक नहीं है, मालिक होता तो शायद 35 हजार रु0 आप उसको राहत राशि देते। आज इस परिस्थिति में कौन सा नियम, कानून उस परिवार पर लागू होगा, यह देखने की बात है। यह व्यवहारिक पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कई जगह,ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं और आयेंगी। मेरे यहाँ इससे पहले और ऐसी परिस्थिति आई। एक मकान पिछली 18 तारीख को गिरा और गिरने के बाद उसमें एक महिला की मृत्यु हुई। महिला की मृत्यु के बाद आज हम उस परिस्थिति में हैं कि उस मकान के मकान मालिक को हम एक रुपया भी नहीं दे पा रहे है, उसको राहत राशि के रूप में 2 हजार रु0 दे पाए।

श्री शेर सिंह गढ़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जैसा कि मान्यवर, प्रदेश के अन्तर्गत पिछले डेढ़-दो महीने से लगातार दैवीय आपदा की घटनाएँ जारी है। जिसके प्रारम्भ में पिछले

18 अगस्त को प्रात: 8-50 पर सरस्वती शिशु मन्दिर, सुमगढ़ में भारी भू–स्खलन के कारण 18 मासूम बच्चों की मलबे में दबने के कारण मौत हो गयी। इस घटना में 7 अन्य बच्चे घायल हुए व एक स्कूल की शिक्षिका भी गंभीर रूप से घायल हुई। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह अत्यंत दु:खद घटना थी, इस घटना ने पूरे प्रदेश के जनमानस को झकझोर दिया, इसके अलावा इसी दिन कपकोट के अन्य क्षेत्र में भी सैकड़ों मकान जमींदोज हुए और अन्य सरकारी परिसम्पत्तियों भी क्षतिग्रस्त हुईं। बड़ेत के नौकाड़ी क्षेत्र में एक महिला की मकान टूटने के कारण अकाल मृत्यु हो गयी। इसके अलावा कपकोट क्षेत्र के अन्दर 15 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं और इन सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 25 से 30 करोड़ रु0 की हानि हुई, केवल सड़क के क्षेत्र में। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने लगातार 24 घण्टे रात दिन कार के द्वारा और पैदल यात्रा करके सुमगढ़ के क्षेत्र में आ करके उन मासूम बच्चों के, जो काल–कवलित हुए, उनके जो परिजन थे, उनको सांत्वना दी और सरकार ने मेरे क्षेत्र को पूरा संरक्षण दिया, इसके लिए मैं सरकार के सभी मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में लगभग 4944 की जनसंख्या को विस्थापित करना है तथा उसमें 905 परिवार अभी विस्थापन की स्थिति में हैं और लगभग 40 गॉव, जिसके पूरे तोक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है।120 से ले करके 125 परिवार अस्थायी टेण्टों में अभी उनको विस्थापित किया गया है, जिनको आवश्यक सामग्री दी जा रही है। मान्यवर, इससे पहले माननीय आर्य जी ने कहा था कि मैं सुमगढ़ क्षेत्र में गया था और वहाँ पर राहत के नाम पर दो सौ ग्राम दाल दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हमने 300 से 400 कुन्तल स्पेशली चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया है, जिसमें 5 ट्रक माननीय भौर्याल जी के नेतृत्व में हमने स्पेशली वहाँ पर वितरित किये हैं, पूरे क्षेत्र में रात–दिन जाकर हमने लोगों की सेवा की है, लगातार 24 घण्टे उस क्षेत्र में 10 दिन तक मैं रहा हूँ और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको देखा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री शेर सिंह गढ़िया–

मान्यवर, मैं एक–दो सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें।

श्री शेर सिंह गढ़िया–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो कपकोट क्षेत्र में दैवीय आपदा हुई है, उसमें हमको जो महसूस हुआ, उसमें पता है कि कम्यूनिकेशन की बहुत बुरी स्थिति है। दूर संचार के पिछले दो–ढाई वर्षों से टावर खड़े हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर दूर संचार के लिए टावरों में किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस माननीय सदन के माध्यम से कि कपकोट क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से विकास का कार्य हो और रडार वहाँ पर लगाये जायें, क्योंकि वह उच्च हिमालयी क्षेत्र है, भूस्खलन की वहाँ पर बड़ी स्थिति है। मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

[इसी प्रकार सिंचाई बाढ़ नियंत्रण की भी क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। सरयू नदी के भारी प्रवाह के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो गयी है। सरयू नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिए उसके निर्माण की आवश्यकता है। नदी किनारे के 50 गाँव की सुरक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी 20 प्राथमिक विद्यालय, 2 हाई स्कूल तथा 2 इण्टर कालेज के भवनों का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता है। पेयजल की 20 योजनाएँ क्षतिग्रस्त हैं और 60 से 70 गाँवों में विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है। सिंचाई की 80 से 90 योजनाएँ पूर्णतः ध्वस्त हैं तथा 50 पैदल मार्ग तथा 91 पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर सरकारी भवनों, पंचायत घरों व अन्य सरकारी परिसम्पत्तियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमारे कपकोट विधान सभा क्षेत्र में रडार प्रणाली की भी आवश्यकता है तथा दूरसंचार की आवश्यकता है।]

(माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार निम्नलिखित सूची कार्यवाही में सम्मिलित की गई)

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत दैवी आपदा से प्रभावित संवेदनशील परिवारों एवं ग्रामों की तहसीलवार सूची जिन्हें अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है।

क्र० सं०	तहसील का नाम	संवेदनशील ग्रामों का नाम	विस्थापन किये जाने का कारण	अन्यत्र विस्थापित किये जाने वाले परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बागेश्वर	मपोली	भूस्खलन	17	85	गाँव का आंशिक भाग
2.		देवलचौरा	भूस्खलन	08	40	गाँव का आंशिक भाग
3.		नहाली	भूस्खलन	21	105	गाँव का आंशिक भाग

नोट:– [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ा गया।

1	2	3	4	5	6	7
4.	बागेश्वर	मटियोली	भूस्खलन	54	270	पूर्ण ग्राम
		योग.–	भूस्खलन	100	500	
5.	कपकोट	शामा	भूस्खलन	04	20	गांव का आंशिक भाग
6.		कफलानी	भूस्खलन	30	200	गांव का आंशिक भाग
7.		नरोंत	भूस्खलन	20	140	गांव का आंशिक भाग
8.		रिखाड़ी	भूस्खलन	86	600	गांव का आंशिक भाग
9.		सूपिंग	भूस्खलन	27	160	गांव का आंशिक भाग
10		सालिंग	भूस्खलन	15	90	गांव का आंशिक भाग
11.		सुमगढ़	भूस्खलन	25	105	गांव का आंशिक भाग
12		सौंग	भूस्खलन	05	20	गांव का आंशिक भाग
13		गांसी	भूस्खलन	10	92	गांव का आंशिक भाग
14.		मुनार	भूस्खलन	07	30	गांव का आंशिक भाग
15		कर्मी (तोर)	भूस्खलन	40	180	गांव का आंशिक भाग
16		दोफाड़	भूस्खलन	10	70	गांव का आंशिक भाग
17.		बमर छाना	भूस्खलन	25	120	गांव का आंशिक भाग
18		काफलीकमेड़ा	भूस्खलन	05	20	गांव का आंशिक भाग
19		तोली	भूस्खलन	12	70	गांव का आंशिक भाग
20		तिलपारा	भूस्खलन	25	100	गांव का आंशिक भाग
21		कुंवारी	भूस्खलन	20	80	गांव का आंशिक भाग
22		बाछम	भूस्खलन	40	200	गांव का आंशिक भाग
23		लीती	भूस्खलन	30	180	गांव का आंशिक भाग
24		तीती	भूस्खलन	05	20	गांव का आंशिक भाग
25		स्यूणीमल्लाखी	भूस्खलन	55	300	पूर्ण ग्राम
26		गोगिना / मोनारी तल्ला लोधरे गांव	भूस्खलन	67	340	गांव का आंशिक भाग
27		कीनू (तलाणाड़ा)	भूस्खलन	10	60	गांव का आंशिक भाग
28		गुन्थी (कालापैर कापड़ी)	भूस्खलन	13	65	गांव का आंशिक भाग
29		लामागार	भूस्खलन	18	90	गांव का आंशिक भाग
30		कालापैर कापड़ी	भूस्खलन	36	210	गांव का आंशिक भाग
31		नौकोड़ी	भूस्खलन	29	180	गांव का आंशिक भाग

1	2	3	4	5	6	7
32	कपकोट	पोथिंग का तोक छोगा, गगवना	भूस्खलन	39	200	गाँव का आंशिक भाग
33		तोली रांपाडी	भूस्खलन	04	20	गाँव का आंशिक भाग
34		नदिगांवकोट का तोक पलास	भूस्खलन	07	43	गाँव का आंशिक भाग
35		शूनी का गौरा तोक	भूस्खलन	07	42	गाँव का आंशिक भाग
36		गांसी का बुड़ तोक	भूस्खलन	18	85	गाँव का आंशिक भाग
37		मिगिल्ला खलपटुला का कुलकुली तोक	भूस्खलन	03	15	गाँव का आंशिक भाग
38		एसकोट का गासगांव तोक	भूस्खलन	10	55	गाँव का आंशिक भाग
		योग.–	भूस्खलन	757	4202	
39	काण्डा	कांडी	भूस्खलन	17	71	गाँव का आंशिक भाग
40		बास्ती	भूस्खलन	27	152	गाँव का आंशिक भाग
41.		ढारी	भूस्खलन	04	19	गाँव का आंशिक भाग
		योग.–	भूस्खलन	48	242	गाँव का आंशिक भाग
42	गरुड़	दुदिला	भूस्खलन	47	324	गाँव का आंशिक भाग
43		मथरों	भूस्खलन	15	245	गाँव का आंशिक भाग
44.		जोशरी ताल्ली	भूस्खलन	04	21	गाँव का आंशिक भाग
45		जिनखोला	भूस्खलन	88	438	गाँव का आंशिक भाग
46		घोपा	भूस्खलन	01	02	गाँव का आंशिक भाग
47.		नागेश्वर	भूस्खलन	13	60	गाँव का आंशिक भाग
48		रीठागूंठ	भूस्खलन	05	22	गाँव का आंशिक भाग
		योग.–	भूस्खलन	173	1112	गाँव का आंशिक भाग
		सम्पूर्ण योग .–	भूस्खलन	1078	6056	

प्रभारी अधिकारी, (दै०आ०),
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

मृतक बच्चों की सूची

दिनांक 18–8–10 को ग्राम सुमगढ़, जिला बागेश्वर अन्तर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर में भूस्खलन से स्कूली मृतक बच्चों की सूची

क्र0सं0	मृतक का नाम	उम्र	मृतक के पिता/माता का नाम	ग्राम का नाम	मृतक के अभिभावक/के पिता का नाम
1.	रमेश गढ़िया	7 वर्ष	श्यामसिंह गढ़िया	तोली	लक्ष्मसिंह
2.	मुन्ना राठुली	7 वर्ष	मोहनसिंह राठुली	सुरिंग	बहादुर सिंह
3.	चन्द्रशेखर जोशी	7 वर्ष	प्रेमानन्द जोशी	सुमगढ़	श्रीवल्लभ
4.	नेहा दानू	7 वर्ष	गंगादेवी	कर्मी	पत्नी स्व0 जगतसिंह
5.	मनीषा दानू	4 वर्ष	गंगादेवी	कर्मी	पत्नी स्व0 जगतसिंह
6.	ललिता मिश्रा	8 वर्ष	नन्दकिशोर मिश्रा	सुमगढ़	परमानन्द मिश्रा
7.	योगिता मिश्रा	5 वर्ष	नन्दकिशोर मिश्रा	सुमगढ़	परमानन्द मिश्रा
8.	गौरव मिश्रा	4 वर्ष	नन्दकिशोर मिश्रा	सुमगढ़	परमानन्द मिश्रा
9.	दीपा कुमाल्टा	8 वर्ष	तारासिंह कुमार	सालिंग	रामसिंह
10	भारती जोशी	5 वर्ष	हरीश जोशी	सुमगढ़	नन्दावल्लभ
11.	पंकज दानू	5 वर्ष	लालसिंह	बाछम	गोविन्दसिंह
12	खीमसिंह देवली	4 वर्ष	गंगासिंह देवली	माछली कमेड़ा	शेर सिंह
13	प्रेमा पाण्डा	4 वर्ष	कुन्दनसिंह	सुमगढ़	कुशालसिंह
14.	खुशबू जोशी	4 वर्ष	नन्दकिशोर	सालिंगजड़िगार	जगदीश चन्द
15	करन पाठक	4 वर्ष	दिनेश पाठक	गढ़ेग	जगदत्त
16	प्रीती कुमाल्टा	4 वर्ष	राजेन्द्र कुमाल्टा	सालिंग	मोहनसिंह
17.	मोहित जोशी	4 वर्ष	लक्ष्मीदत्त जोशी	सुमगढ़	त्रिलोचन्द
18	तारासिंह	8 वर्ष	रामसिंह	सालिंग	मोहनसिंह

घायलों की सूची

दिनांक 18–8–10 को ग्राम सुमगढ़, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर अन्तर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर में हुए भूस्खलन से घायल बच्चों की सूची

क्र०सं०	मृतक का नाम	उम्र	मृतक के पिता का नाम	ग्राम का नाम	मृतक के अभिभावक के पिता का नाम
1.	करिश्मा	5 वर्ष	गामूसिंह	कपकोट कमेड़ा	शेर सिंह
2.	सागर जोशी	5 वर्ष	राजेन्द्र जोशी	सुमगढ़	पूरनानन्द जोशी
3.	सभा जोशी	5 वर्ष	हरीश जोशी	सुमगढ़	नन्दावल्लभ जोशी
4.	प्रिया नेगी	5 वर्ष	लालसिंह नेगी	कालिंग	गुमानसिंह
5.	मुकेश सिंह दानू	8 वर्ष	गामूसिंह	गाडम	रूपसिंह
6.	भूपेन्द्रसिंह मानिक	8 वर्ष	नरेन्द्रसिंह	सुरिंग	एतवारसिंह
7.	सूरजनाथ	7 वर्ष	पूरननाथ	कपकानी	अमरनाथ
8.	श्रीमती भागेश्वरी म्यारावकोटी	32 वर्ष	पत्नी खीमसिंह	कालिंग	शोबनसिंह

जनपद अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षति एवं बचाव व राहत कार्य का विवरण (दिनांक 20.09.2010 तक की स्थिति)

1–तहसीलवार वर्षा का विवरण

क्रमांक	तहसील का नाम	माह जुलाई में हुई वर्षा (मिमी०में)	सामान्यतया जो होनी चाहिए (मिमी० में)	माह अगस्त में हुई वर्षा (मिमी० में)	सामान्यतया जो होनी चाहिए (मिमी० में)
1.	बागेश्वर	454.00	265.90	481.00	234.20
2.	कपकोट	665.50	265.90	1034.50	231.20
3.	गरुड़	508.05	265.90	542.05	231.20
	योग	542.51 (औसत तीनों तहसीलों का)	265.90	685.85 (औसत तीनों तहसीलों का)	231.20

दैवीय आपदा से हुई क्षति का विवरण जनपद बागेश्वर

क्रमांक	मानव हानि	घायल व्यक्ति	पशु हानि	क्षतिग्रस्त मकान			फसल क्षति (हैक्टेयर में)	प्रभावित परिवारों को वितरित राहत सहायता	क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि
				पूर्ण	आंशिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24	16	353	71	453	524	87	49,64,500.00	95,93,800.00

तहसीलवार दैवीय आपदा से हुई क्षति का विवरण

क्रमांक	तहसील का नाम	मानव हानि	घायल व्यक्ति	पशु हानि	क्षतिग्रस्त मकान			प्रभावित परिवारों को वितरित राहत सहायता
					पूर्ण	आंशिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बागेश्वर	3	—	05	30	116	146	6,28,500.00
2.	कपकोट	21	16	328	28	135	163	38,18,500.00
3.	गरुड़	—	—	20	09	96	105	2,85,500.00
4.	काण्डा	—	—	—	04	106	110	2,32,000.00
	योग	24	16	353	71	453	524	49,64,500.00

अन्य स्रोतों से प्राप्त वितरित खाद्य राहत सामग्री

क्रमांक	राहत सहायता का प्रकार	मात्रा
1.	टैन्ट/तिरपाल	150
2.	आटा	80 कुन्तल
3.	चावल	73 कुन्तल
4.	दाल	05 कुन्तल
5.	तेल	110 किलोग्राम
6.	चीनी	250 किलोग्राम
7.	चाय	25 किलोग्राम
8.	नमक	02 किलोग्राम
9.	कम्बल	130

श्री यशपाल बेनाम—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस भयावह स्थिति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालांकि तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही। मान्यवर, जो पिछले डेढ़—दो महीने में दैवीय आपदा की इतनी त्रासदी रही, मैं राजनीति से हटकर कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी अधिकारी—कर्मचारी, मंत्री, नेता, विधायक या सरकार का कोई दोष नहीं है। यह एक दैवीय आपदा थी, जिसे हम लोगों ने सहजता से स्वीकारा। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय विधायकों को तवज्जो देने की बात की थी, मैं इस पर गम्भीरता से कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने इसे अपने पत्र मे गम्भीरता से लिखा था और विधान सभा के अन्दर एक साल पहले कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की तर्ज पर क्या विधायक विवेकाधीन कोष बनाया जाय, जिस पर सरकार ने मना किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत है। मान्यवर, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि समाचार—पत्र में जबकि आप कहते हैं कि समाचार—पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाता है, लेकिन आपने विधायक निधि द्वारा आपदा के तहत माननीय विधायकों को जो मदद करने की बात कही थी, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक जो घटित हुआ है, उस पर हमें निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अब तक पुनर्निर्माण कार्य होगा, क्योंकि आज हमारे पास एक आपदा का बहाना है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को यह कह रहे है कि तमाम तरह की सडकें टूटी हैं, जनता हमारे पास नहीं आ पा रही हैं और हम जनता के पास नही जा पा रहे हैं, लेकिन जब स्थितियाँ सामान्य होंगी तब तमाम क्षेत्र से लोग आयेंगे और तब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। मैं आप लोगो से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पर जो आज उँगली उठ रही है, चाहे किसी भी दल का कोई सम्मानित सदस्य हो वो 5 हजार करोड या 27 सौ करोड रुपये की बात कर रहे हैं और उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सिर्फ यही वजह है, कि यदि आपके द्वारा एक माह पूर्व सभी माननीय विधायकों को जिम्मेदारी दे दी जाती कि वे अपने क्षेत्र में जाकर भ्रमण करे और सही आंकलन सरकार के सामने रखते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी आपदा प्रबन्धन के तहत पौडी जिले को 9 करोड दिये गये है, इसी तरह से अन्य जिले को भी पैसा दिया गया है, यह एक सौभाग्य है कि पौडी जिले से माननीय नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मे माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्राम्य विकास मंत्री जी और पूर्व मंत्री श्रीमती अमृता रावत जी यहाँ पर मौजूद है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन सम्मानित सदस्यो की संस्तुति पर वर्तमान में जो आपदा आयी है उसमे जिलाधिकारी के द्वारा कितना पैसा

स्वीकृत किया गया ? यह दुर्भाग्य की बात है, महोदय, मैं यह बात आपसे गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय विधायकों को तवज्जो नहीं दी जायेगी तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में पूर्व में कहा था कि आज इस सदन की तरफ पूरा देश देख रहा है, माननीय सदन की ओर देखने से मतलब होता है कि माननीय विधायकों की ओर देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर माननीय विधायकों को जिम्मेदारी दी जायेगी तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पता चलेगा। मान्यवर, मैं 2 लाईनें अन्त में कहना चाहूँगा कि ''बरसात में पुश्तों की आजमाईश हो गई और बुरे हालात में रिश्तों की आजमाइंश हो गई।'' मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता से जो हमारा रिश्ता है उसे हम कायम रखने में सफल होंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। वर्तमान में पूरा प्रदेश दैवीय आपदा से जूझ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि आपका निर्देश है कि सिर्फ अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में बतायें। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में ही कह रहा हूँ। मान्यवर, पन्तनगर के विधान सभा गदरपुर क्षेत्र में गुलरभोज व हरिपुरा जलाशय से पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत बेहाल है। यहाँ पर बिजली का भी नुकसान हुआ है। पीने के पानी का भी नुकसान हुआ है। मान्यवर, सड़क चाहे पी0डब्लू0डी0 की हो या मण्डी परिषद् की हो, चाहे विधायक निधि से बनी हो या ग्राम प्रधान ने बनाया हो। सभी सड़कों की हालत खराब हो चुकी है और सभी सड़कों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो जलाशय हैं, हरिपुरा जलाशय और गुलरभोज जलाशय, यह छोटी–छोटी डैमें हैं इससे छोटी–मोटी बाढ़ यहाँ पर आती रहती है। यह छोटी–छोटी नदियों को बाँधकर बनाया गया है जैसे कि निहाल नदी, भाखड़ा नदी, कामरसैन नदी, अन्धुवा नदी। इन नदियों से बेशकीमती भूमि का कटाव होता है। मान्यवर, इसके कारण कई घर नदी में समा गये हैं, इन परिस्थितियों में यदि नदी को सीधी कर दिया जाय। मान्यवर, जहाँ पर पत्थर पिचिंग या लाईनिंग की आवश्यकता है, यह बना दी जाय तो भविष्य में काफी बेशकीमती भूमि का बचाव किया जा सकता है, मान्यवर, इसके साथ–साथ सितारगंज की जो स्थिति है, इस क्षेत्र में मैं भी गया था, मानवता के नाते। मान्यवर, वहाँ पर लोगों को मदद की बहुत आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

सितारगंज के बारे में माननीय नारायण पाल जी ने विस्तार से अपनी बात रख दी है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र के बारे में विशेष नजर से देखने की आवश्यकता है, तभी वहाँ के लोगों का भला हो सकेगा। यहाँ पर विशेष कर पुनर्वास की आवश्यकता है। मान्यवर, जो सूखी नदी है, इसके तटबंध को पक्के बनाने की आवश्यकता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय शैलेन्द्र सिंह रावत जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी और माननीय हरिदास जी रह गये हैं। पूरे लक्सर में आपदा आयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, जो सदस्य रह जायेंगे, वे लिखित में दे देंगे। (कई माननीय सदस्यों के अपनी–अपनी सीट पर खड़े होकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान) माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, हम तीन घंटे से बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन लोगों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं, उन लोगों को तो बोलने का मौका दिया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मानीय अध्यक्ष जी, ठीक है, मैं लिखित में दे रहा हूँ, इसे मेरे भाषण अंश में सम्मिलित कीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया बिन्दुवार और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[दैवीय आपदा को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विधायकों को भी शामिल करना होगा। मान्यवर, दैवीय आपदा से हुई खराब सड़कें– (1) गरदपुर–दिनेशपुर–भटकोटा मार्ग। (2) राष्ट्रीय राजमार्ग–74 खराब है व भाकड़ा नदी पर पुल क्षतिग्रस्त है। (3) झगड़पुरी–बुनपुरी–अहमदनगर मार्ग। (4) कनकटा नं0 1–कनकटा न02 मार्ग। (5) महतोष–नवाबगंज मार्ग। (6) एन0एच0–74 से बिन्दुखेड़ा–रायपुर चित्तरंजनपुर मार्ग। (7) रायपुर–अर्जुनपुर–अमरपुर मार्ग। (8) अमरपुर–बसन्तीपुर मार्ग। (9) एन0एच0–74 मुरारानी–छत्तरपुर मार्ग। (10) बिन्दुखेड़ा–जगनागर मार्ग। (11) जगदीशपुर–धीमरी ब्लाक मार्ग। (12) फौंडीमटकोटा–मूरा रानी मार्ग। (13) एन0एच0–74 से लम्बा खेड़ा मार्ग। (14) बिन्दुखेड़ा–छत्तरपुर मार्ग।]

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अपनी बात बिन्दुवार और कम से कम शब्दों में सीमित करें, जिससे कि अन्य विषय भी सदन के सामने आ सकें।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरे प्रदेश के साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में भी दैवीय आपदा से बहुत भारी नुकसान हुआ है। भारी जन और धन की हानि हुई। विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो टिहरी बाँध का जो डूब क्षेत्र है, जिसमें चिन्यालीसौड़ है, उसमें बाँध की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। मान्यवर, एक दर्जन मौतें पिछले एक माह में हो चुकी है, मैं आपके माध्यम से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूँ और मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धान्जलि भी अर्पित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रस्ताव आ रहा है, उसका। (व्यवधान)

नोट – [ ] गए अंश श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही में जोड़ा गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जहाँ तक सी०आर०एफ० के मानकों के आधार पर दी जाने वाली राशि की बात है। (व्यवधान) मान्यवर, दो सुझाव दे रहा हूँ। जो मानक है, उसमें यह बात तो आयी है कि धनराशि बढ़ाई जाय, लेकिन व्यवसायिक भवन भी जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए राहत राशि का कोई प्राविधान नहीं है। चाहे होटल हों या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उनके लिए भी मानकों में प्राविधान किये जाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जगह–जगह पर जो हजारों यात्री फसे हुए हैं। 4–4, 5–5 दिनों से उनके लिए राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और युद्ध स्तर पर इसकी कार्य योजना बननी चाहिए। सिर्फ राजस्व विभाग और आपदा प्रबन्धन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के भरोसे यह आपदा प्रबन्धन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भी लगाया जाय और बहुत युद्ध स्तर पर प्रत्येक गॉव की क्षति का आंकलन एक सप्ताह के अन्दर किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ पर डैम प्रभावित क्षेत्र हैं, पूरा चम्बा से लेकर उत्तरकाशी तक का जो मोटर मार्ग है, वह ध्वस्त हो गया है। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टिहरी से फेरी बोट चाहे किराये के आधार पर चलायी जाएं, लेकिन टिहरी से चिन्यालीसौड़ तक फेरी बोट की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, तीसरा, जो बॉध प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें चारों तरफ से रोड टूट गयी है। इसलिए एक प्वाइंट से नौका का संचालन किया जा रहा था, चिन्यालीसौड़ से। अब मेरा निवेदन है कि तुलेरा से एक नौका, दो नौकाएं चिन्यालीसौड से, दो नौकाएं बधाण गॉव से भी संचालित की जाए, क्योंकि जिन लोगों को बसों से लाया जा रहा था, बच्चों और स्थानीय जनता को, उनके लिए अब विभिन्न क्षेत्रों में नौकाओं का प्वाइंट बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, सेब, आलू और राजमा की बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो गयी है, रास्ते में ट्रकों में सड़ गयी हैं। इसलिए सेब, आलू और राजमा के किसानों को भी प्रतिपूर्ति का अलग से प्राविधान किया जाना चाहिए। इसमें जो वैकल्पिक मार्ग धरासू से सुनार गॉव तुलेरा के लिए बनाया गया था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग धरासू से अदनी, उजार गॉव होते हुए बापसी और बड़कोट के लिए बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, बाढ़ के लिए जो मानक है, वह पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग–अलग होने चाहिए। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में खेती पानी में जलमग्न हो जाती है, किन्तु जब पानी का स्तर घटता है तो खेत अपनी जगह पर रहता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा खेत नष्ट हो जाता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ के लिए राहत राशि का जो मानक है, उसको बदला जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चूंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश इस समय बाढ से बहुत ही अधिक प्रभावित है। पहले सौंग नदी, फिर जाखन, गोयला नाला, बंगाला नाला, ये पहले से पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनो जिस तरह से गंगा उफान पर आयी, उससे पूरा ऋषिकेश विधान सभा, जिसमें गौरीमाफी, हरिपुर कलां, रायवाला, प्रतीत नगर, भट्टो वाला, श्याम पुर गुमानी वाला, गढ, ठाकुरपुर साहबनगर, छिद्दर वाला, चक जोगीवाला, इसी तरह से माजरी, शेरगढ, चौंडी, कालूवाला और ऋषिकेश के आस–पास के जो क्षेत्र हैं, खासकर चन्द्रभागा, मायाकुण्ड, यहाँ के हजारों–हजार लोग आज अपने घरों को छोड़ कर आ गये हैं, आज उनको विभिन्न आश्रमों में ठहराया गया है। इसी प्रकार से चाहे टिहरी विस्थापित हों, चाहे मीरा नगर, बापूग्राम, शिवाजी नगर और गीता नगर के लोग हों, उनके घरो में लगभग 8–8, 10–10 फुट पानी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि चूंकि जिस प्रकार से टिहरी झील की बार–बार बात आ रही है, उसका सीधा असर बताया जा रहा है कि ऋषिकेश पर पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन परिवारो को वहाँ से पूर्ण रूप से शिफ्ट किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यह है कि जिस प्रकार से राज्य को आपदा ग्रस्त घोषित करने की बात की जा रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बाढ ग्रस्त क्षेत्र घोषित होना चाहिए। ताकि मेरे क्षेत्र मे आने वाली विपत्ति और आपदा से राहत मिल सके। (व्यवधान)

श्री दिवान सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश में आपदा की स्थिति पर इस सदन मे चर्चा हुई है। मै अपनी विधान सभा में, जिसके बारे में माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी कहा कि 1993 मे भी चुकुम ग्राम सभा में बाढ के कारण पूरे गाँव में पानी भरा था, इस बार भी वहाँ पर तटबंध बह गया , जिससे पूरे गाँव में प्रचुर मात्रा मे पानी भर गया और यह पानी गाँव के बीचोबीच से निकला। वहाँ पर कम से कम 400–500 लोगों की आबादी है। आज भी इस गाँव के लोग पहाड़ो पर बसे हुए हैं। जैसे कि राशन की बात आई तो कल ही वहाँ 4 कुन्तल आटा, दो कुन्तल चावल, 50 किलो चीनी और मिट्टी का तेल पहुँचाया गया। कोसी बैराज के क्षतिग्रस्त होने की भी बात यहाँ पर आई थी, इससे पूर्व भी रामनगर मे इस पुल के विकल्प के रूप मे अलग से एक कोसी पुल का शिलान्यास किया था, जो पी0पी0पी0 मोड में बनना था, वह बहुत आवश्यक है और जो कोसी नदी का लटठा, तटबंध, वह वर्ष 1926 में निर्मित हुआ था, वह नदी में बाढ के कारण बह चुका है। इस प्रकार मालधन क्षेत्र पीपलपड़ाव मे भू–कटाव हुआ है, आमडन्डा खत्ता वन ग्राम

में एक नई झील का निर्माण हो गया है। जिसके कारण से नगर के पम्पपुरी, भरतपुरी बस्तियो में पानी भर चुका है। मेरा इसमें एक सुझाव है कि हम सभी मिलजुल कर इस कार्य मे लगें और विशेषकर खनन का कार्य, जिसके बारे में माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने भी कहा था, इन नालों की भी सफाई की जाय, धन्यवाद।

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा रामनगर में निम्नलिखित दैवीय आपदा के गम्भीर प्रकरण है–

1– ग्राम सभा चुकुम में बाढ़ में गॉव क्षतिग्रस्त होना।

2– प्राचीन मन्दिर मॉ गर्जिया देवी का क्षतिग्रस्त होना।

3– कोसी नदी पर बना बैराज क्षतिग्रस्त होना।

4– रामनगर को कोसी नदी के कटाव से बचाने के लिए वर्ष 1926 मे निर्मित तटबंध का क्षतिग्रस्त होना।

5– पीपलपड़ाव मालधन चौड़ के ग्राम को ढेला नदी से क्षतिग्रस्त होना।

6– आमडन्डा वन ग्राम में बनी झील से रामनगर के मोहल्ला पम्पापुरी, भरतपुरी तथा वल्दिया पड़ाव मे जल भराव।

7– जल संस्थान वल्दिया पड़ाव के पम्प हाउस का क्षतिग्रस्त होना।

8– रामनगर भण्डार पानी मार्ग व इस पर बना काजवे ध्वस्त हो गया है। जिससे पड़ाव को जाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस मार्ग पर पौराणिक सीतावनी प्रसिद्व मन्दिर है, यह एक पर्यटन स्थल भी है।

9– ढेला नदी, सावल्दे नदी, टेढ़ा नाला आदि नालो व नदियों से क्षेत्र मे भूमि कटाव, फसलों का नुकसान तथा मकानों का नुकसान हुआ है।

10– पेयजल व्यवस्था में वागाजाला पेयजल योजना (ग्रेविटी सिस्टम) क्षतिग्रस्त है, जो बरसात में बन्द हो जाती है।]

श्री विजय सिंह (गुरूजू पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, टिहरी डैम के खिलाफ हमने शुरू से ही संघर्ष किया है और कई बार जेल भी गये है। आज दैवीय आपदा के कारण झील का जल स्तर बहुत ऊपर बढ़ गया है और इससे हमारे कई गॉव प्रभावित हो गये हैं, लेकिन आज तक उनका विस्थापन नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्थल पर गये हैं, प्रतापनगर गये है, टिहरी गये हैं और झील के चारों तरफ भी गये हैं, हर जगह गये हैं। लेकिन मै चाहता हूँ कि जो गॉव जाखणीधार के हैं, जैसे स्यूंडा गॉव पूरी तरह से विस्थापित होना है, इसी

नोट – [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही में जोड़ा गया।

प्रकार से खाड गाँव है, सदणा है, जलाल गाँव है, खोला है और विपोला ढुंगमदार है, कंगसाली रैका में है, रौंलाकोट, नौकोट, चाटी, चाँधार, यह गाँव नीचे से झील की मार और ऊपर से बारिश की मार से प्रभावित हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन गाँवो का शीघ्र विस्थापन कराया जाय। (व्यवधान) इसके साथ ही जो हमारा डोबरा चांठी का पुल है, उसमें केन्द्र और राज्य सरकार का पैसा चला गया, इसमें एक समीक्षा बैठक हो जाय। मान्यवर, ताकि लोगों के आने–जाने का रास्ता खुल जाय और तुरन्त काम शुरू हो जैसा पीपल डाली पुल और स्यान्सू पुल है, उसमें आजकल आवागमन बन्द हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दीजिए, कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा।

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

मान्यवर, इस कारणो से हमारे यहाँ बहुत बडी समस्या है। आज हमारा जो क्षेत्र है, बहुत विकट परिस्थितियों में है। वहाँ डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं हैं।

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा प्रतापनगर में दो हल्का वाहन पुल 1–पीपलडाली, 2–स्यान्सू पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन यातायात में कोई सुधार नही हुआ, पुल सुचारू रूप से यातायात के लिए शुरू हो सके, अतः उसमें कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। साथ ही घोंटी, पटागली हल्का वाहन पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, लम्बगाँव बाजार से जलकूर गाड तक क्षतिग्रस्त मार्ग का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, डोबरा चांठी पुल की समीक्षा की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विस्थापन होने वाले ग्रामों का नाम–

1– ब्लाक जाखणीधार के ग्राम स्यूल्डा, खाण्डा, सानडा, जलवाल गाँव, खोला, कटूली पर्यावरण खोला विपोला, ढुगमनगर, चौपडा।

2– प्रतापनगर ब्लाक– कनसाली, नौताड, बडाखोली, भगलादुगडा, गाडुली, रौंलाकोट, चांठी, नकोट चौधार।

3– थौलदार ब्लाक–गुप्पू, सिराई, तिवाडगाँव।

4– कोटेश्वर ब्लाक–भार्सो।]

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा से हमारे ऊपर जो पहाड टूटा है, इसकी चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस समय जो हल्द्वानी से ऊपर चाहे रामनगर

नोट– [ ] गए अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ा गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार्ग हो, चाहे हल्द्वानी मार्ग हो, पूरा ध्वस्त होने से पर्वतीय क्षेत्र मे न गैस जा रही हैं, न राशन जा रहा है। इस समय पूरी पेयजल की लाइनें ध्वस्त हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र में कम से कम पाँच गाँव ऐसे हैं, जो दैवीय आपदा से बिल्कुल ध्वस्त हो गये है जिनमें जिमखोला, पाटली, कमलेश्वर, पुनिया माफी, धूरो, पत्यूर सिवांर, कटारमल, लखनी, पायेस, सिल्ली, कौसानी स्टेट, कौसानी तोक, कौसानी तोक के गुनखेत में पईया और रीठा मे तो बिल्कुल जमीन ध्वस्त होकर 4–4 फीट के वहाँ पर बहुत बड़े दरार हो गये है। पूरा गाँव जमीदोज होने की स्थिति मे है। गोबांज, धैना, आणा, जाड़ापानी, कौसानी और मेजा डुंगरी मे कम से कम 150 मकान ध्वस्त होने के कगार पर हैं, जिनको हमने या तो पंचायत घरों में शिफ्ट कर रखा है या टैंट में शिफ्ट कर रखा है या स्कूलो मे शिफ्ट कर रखा है। इनको जल्दी ही विस्थापन करने की आवश्यकता है और अपने कांडा विधान सभा क्षेत्र में गौंना मतोली, तुसेड़ा और बसेड के गाँव भी, जिनकी हालत बहुत खराब है, इनको तुरन्त विस्थापित करने की जरूरत है और जो सी0आर0एफ0 की गाईड लाइन की आवश्यकता है।

मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन करूँगा और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगो से भी निवेदन करूँगा कि अपनी विधायक निधि से भी इन दैवीय आपदा क्षेत्र में 25–25 लाख रुपये अलग से हम लोग दें ताकि तत्काल वहाँ के राहत कार्य को शुरू कराया जा सके। एक माह का वेतन देने की बात तो पहले ही हम लोगों ने तय कर रखी थी। मैं सोचता हूँ कि बागेश्वर जिले में ही कपकोट, बागेश्वर और कांडा विधान सभा क्षेत्र में ही 5000 करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ हैं। चाहे सरयू घाटी हो, चाहे रेवती घाटी हो, लाउर घाटी हो, गोमती घाटी हो, इसमें ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 5000 करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान मात्रा बागेश्वर जनपद में है। मै सोचता हूँ कि जब तक ये रिपोर्ट आती है, तब तक 25000 करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा होगा। इसलिए इस मामले में संवेदनशील होकर सब लोगो ने मिलकर इस समय यह जो राष्ट्रीय आपदा है, इसको हमने बहुत ही संजीदगी से लेकर लोगो की मदद करनी हैं। तुरन्त एक दिन के बाद हमको क्षेत्रो में जाकर उनके आँसू पोछने हैं। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, सरकार भी अपनी ओर से अधिक से अधिक मदद करके लोगो के आँसू ही न पोछे बल्कि उनको वास्तव में हम मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद करूँगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष

माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि विधायक निधि से जो माननीय सदस्य उसमें सहयोग देना चाहता है तो विधायक निधि से वर्तमान मे कोई प्राविधान नहीं है तो इसमें अगर प्राविधान कर दिया जाय वर्तमान मे परिस्थिति को देखते हुए तो जो माननीय सदस्य देना चाहें, जहाँ भी देना चाहे, दे सकते हैं।

*हाजी तरलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दैवीय आपदा पर बोलने का मौका दिया, मैं, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अन्दर दैवीय आपदा से जो एक भारी हानि हुई है, भारी नुकसान हुआ है, इसमें मुझे ये कहना है कि मेरे विधान सभा लालढांग में गंगा नदी का पूरा चण्डीघाट से लेकर बालावाली तक पूरा बहाव है और इसमें बड़ी–बड़ी नदी है। मान्यवर, इसमें भारी नुकसान भी है और गैन्डीखाता, सबसे पहले गुजर बस्ती में दो बच्चे बह गये और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मिट्टी भेरी रवासन नदी ने जो कटाव किया है, जो ठोकरें बनी थी, उससे ऊपर निकलकर गाँव इस समय खतरे में हैं, वहाँ भारी कटाव हुआ है। मान्यवर, तौंकवाला में जो कच्चे मकान थे, वह ध्वस्त हो गये है और इसी तरह से रानीपुरराव से इब्राहिमपुर इक्कड के रास्ते पर जो रपटा बना हुआ था, जो सम्पर्क बना हुआ था, वह ध्वस्त हो गया है। नदी के पानी से किसानों की जमीन का कटाव भी हुआ और रेते से फसल नष्ट भी हुई है, वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। विशनपुर कुंडी के बारे में सरकार को पता है, वहाँ के लोग दो रात सो नहीं पाये, अफवाह यह रही कि तटबंध टूट गया है, तब एस०डी०एम० और डी०एम० से बात की। एक रात का वाक्या यह है कि जब पानी ने उछाल मारी तो कुदरत ने ही साथ दिया, वहाँ से प्रशासन और मिलेट्री भी हट गई, एक पेड़ आकर उससे ऐसा लगा कि उसने पानी को रोक लिया। एक रात वहाँ के लोग लावारिस रहे और सारी रात वह जागते रहे। अभी विशनपुर कुंडी से लेकर थोकपुर तक उस तटबंध से कटाव किया गया, इस पर मान्यवर, पूरा ध्यान दिया जाय। किसानों की फसलों का जो नुकसान और गुजर बस्ती, मुस्ताबाबाद, पदार्था में जो पानी भरा और जो मकान ध्वस्त हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहाँ पानी ज्यादा निकला है, जो रेता बैठ गया है और जिससे पशुओं को चारा तक नहीं मिल रहा है, मान्यवर, वहाँ चारे पर भी ध्यान दिया जाय। इसमें पानी का जो भराव तक नहीं मिल रहा है, मान्यवर, वहाँ चारे पर भी ध्यान दिया जाय। इसमें पानी का जो भराव था, जैसे सुल्तानपुर, आदमपुर, कंकरखाता, सौपरी और गणदासपुर आदि जो थे, वहाँ पर ज्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते थे, उनके कच्चे घर खत्म हो गये। गणदासपुर से नाव के जरिये लोग निकाले भी गये है, लेकिन अभी तक उनको कोई राहत सुविधा सही तरीके से नहीं मिल पायी है।

मान्यवर, सरकार ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इसका सर्वे करायें, जो भी नुकसान हुआ है, जिनका भूमि कटाव हुआ है, उनको पाँच लाख रुपये प्रति बीघा, एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, जो मकान ध्वस्त है, उन्हें कम से कम ढाई लाख रुपये मकान के लिए देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसमें मुझे तीन बातें और कहनी हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन काश्तकारों की धान और गन्ने की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उन्होंने कृषि कार्य के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है या अन्य लोन लिया हुआ है और वह इस समय किसी हालत में इसे देने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए इस वक्त जो उनकी वसूली है, उसे रोका जाये, इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाय। दूसरा, जो सिंगल मकान और छोटे मकान, जिनके कच्चे घर और छप्पर के घर हैं और जो ध्वस्त हो गये हैं, उसमें राशि बढ़ाकर तत्काल उन्हें राहत पहुँचायी जाये। इसी के साथ में अपनी यह मॉग रखता हूँ। धन्यवाद।

श्री बृजमोहन कोतवाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, इस दैवीय आपदा और अतिवृष्टि पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह हम सबको मालूम है कि इस समय आपदा से सम्पूर्ण प्रदेश जूझ रहा है, यह सत्य है और खेद भी है, यह बात सदन में सभी माननीय मंत्रीगणों ने सभी मा0 सदस्यगणों ने रखी है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में भी कुछ अतिवृष्टियॉं हुई है, उसके सम्बन्ध में मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनमानस और पशुधन की काफी हानि हुई है। मकान गिरे हैं। पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो गया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज भी है जहॉं पर पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनके पास अतिरिक्त अपनी जमीन भी नहीं है और उनके घर ढह चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मुद्दा मेरा यह है कि इन अनुसूचित गॉंव के लोगों को, चाहे वह राजस्व भूमि हो या ग्राम पंचायत की भूमि अन्य कोई भी जमीन, इन्हें अपना आवास बनाने के लिए दी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिला स्तर पर टीमें गठित की है और वे स्वयं भी सर्वेक्षण कर रहे है। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी मेरे विधान सभा क्षेत्र की हानि हुई है, उसके ऑंकड़े लाकर मैं सरकार के सामने रखूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा रुड़की विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा सुनाली नदी से प्रभावित रहता है। चारों तरफ सुनाली नदी से घिरा हुआ है। उसके ग्राम रामपुर, मलकपुर एक किनारे पर खंजरपुर और दूसरे किनारे पर ग्राम शेरपुर, कान्हापुर और माजरा ये ग्राम ऐसे है, जिनकी 1500 से 2000 बीघा जमीन का सोनाली नदी ने कटाव कर दिया है और सारी फसल चौपट हो गई है। जो फसल बची हुई भी है, उसमें नदी का इतना अधिक पानी भर गया है और वह फसल खड़ी–खड़ी खराब हो गई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह फसल है धान और गन्ने की। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में और अधिक कृतिक विपदा आयेगी। क्योंकि एक जो हाईवे बनने जा रहा है, जो मंगलौर से कोर पर निकलेगा और उस पर एक पुल और बनेगा, उस पुल के बनने से वहाँ पर नदी का बहाव कम हो जायेगा। जिससे कि दोनों किनारों पर जो कालोनियाँ बसी हुई है वह जलमग्न हो जायेंगी। आज की स्थिति में जलमग्न रहती हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि दोनों किनारों पर जो 58 नेशनल हाईवे है और जो यह नया पुल बनेगा, उसके बीच मे दोनो तरह तटबंध बनें और दोनों तटबंधों के ऊपर सड़क से यह जोड़े जायें। मान्यवर, एक चीज और देखने में आई, जो यह नदी है, इस पर और आगे एक और नदी है, इसके दोनो किनारों पर बड़ी-बड़ी कालोनियाँ विकसित हो रही हैं। किस तरह से उनको मान्यता मिली, उनको अनुमति कैसे मिली, यह मेरी समझ से बाहर है। मान्यवर, जो वह आवासीय कालोनी बन रही हैं, उन्होंने नदियों का बहाव दूसरी तरफ कर दिया है, बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। उससे भी जबरदस्त तबाही मची है, तबाही का यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है। मान्यवर, जगह-जगह चाहे वह रामपुर ताल हो, गुलाब नगर हो, तेलीवाला हो, शक्तिविहार हो और आशत नगर हो, तिजोली हो, सी0बी0आर0आई0 आवासीय कालोनी हो, लिथोप्रेस हो, उसमें चार से लेकर छ: फीट तक पानी भरा हुआ है और 5-5 पम्प लगे हुए हैं। अभी माननीय शहजाद जी ने पाटली गुर्जर की बात कही थी कि वहाँ पर कोई एस0डी0एम0 नहीं गये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि कल सुबह तक दो पम्प वहाँ लग चुके थे और आज सुबह एक पम्प और लग गया है। इस प्रकार से वहाँ तीन पम्प लग चुके हैं। (व्यवधान) शहजाद जी, आप मुझे बोलने दें।

श्री शहजाद-

क्या बोलने दें, आप केवल प्रशासन की तारीफ ही करेंगे।

श्री सुरेश चन्द जैन-

आप मुझे बोलने दे। आप इतने उतावले क्यों हो रहे है ? मान्यवर, उत्तम सुगर मिल की तरफ रहने वाले लोग मेरे पास आये, जबकि वह मेरा क्षेत्र नहीं है, बारिश में भीगते हुए 18-20 लोग मेरे पास आये। मैंने तुरन्त एस0डी0एम0 को वहाँ पर भेजा और नाले का कटाव कराया, वर्ना सारा का सारा गाँव डूब जाता। मान्यवर, कल मेरे पास एस0डी0एम0 का फोन आया कि खानपुर लक्सर मे परसो माननीय मंत्री जी गाँव मे गये, लक्सर में सारा घूमा, नाव मे बैठकर, मेरे द्वारा भी लक्सर खानपुर और रायसी में भ्रमण किया गया है और कल जब यह फोन आया कि वहाँ पर खाद्य सामग्री की बहुत अधिक आवश्यकता है तो मैंने अपने पास से एक ट्रक खाद्य सामग्री, जिसमे चार हजार पैकेट चने रखे और 4-5 हजार पैकेट बिस्कुट के और दस कुन्तल आटा, चावल, चीनी और

वाले लेकर खुद चार बजे जाकर ट्रक भेजा, चाहे यह बात कहने की नहीं है मान्यवर, यह आपदा किसी क्षेत्र की नहीं है यह हमारी सबकी आपदा है, हम सबको मिलकर इस आपदा से लड़ना चाहिए, यह कोई राजनीति नहीं है, धन्यवाद।

*श्री अनिल नौटियाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जहाँ अत्यधिक वर्षा से पूरे प्रदेश में आपदा आयी है वहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इसी क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक शाह जी का भी गाँव पड़ता है, चुला गबनी और बगोली और उधर गैरसैण विकास खण्ड में देवपुरी, गैल, खन्सर तथा कर्णप्रयाग का जो मुख्य बाजार है, उसके ऊपर भी बादल फटा है, जिससे काफी तबाही इस क्षेत्र में हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिण्डर नदी से काफी नुकसान कर्णप्रयाग नगर को और साथ ही आदिबद्री और गैरसैंण क्षेत्र को हो रहा है, जिसके कारण जो कार्य वहाँ पर होना था, वह नहीं हो पाया है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि जो बाढ़ नियंत्रण के कार्य किये जाने है या प्रस्तावित है, उनको शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि इस आपदा के क्षण में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की सप्लाइ नहीं हो पा रही है, मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डी0जी0बी0आर0 को निर्देशित करें कि जो बड़े ट्रक समान नहीं ले जा पा रहे हैं, उनको छोटे लोडरों के माध्यम से सप्लाइ करायी जाय, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके।

साथ ही आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, चूँकि 18 तारीख को मैं गौचर से चला था और कल रात देहरादून पहुँचा हूँ, जिसमें मुझे चार दिन लगे है और मेरे साथ कल्यासौड में एक अधिकारी रूके थे। हमारे गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रबन्धक श्री प्रदीप रावत, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वह मोटर साईकिल में किसी के साथ जा रहे थे और डूंगरीपंत मे दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस घटना को दैवीय आपदा मे स्वीकार करते हुए उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाय। हम लोग कोशिश कर रहे है कि इस आपदा के क्षणो में पाँच छः दिनों तक यात्री हमारे पहाड़ी क्षेत्रों मे रूके हैं, उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है और व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने गढ़वाल मण्डल विकास निगम को निर्देश दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 25 प्रतिशत की राहत या सब्सिडी दी जाय। मै आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उन यात्रियो की जो भी मदद हो सकती है, वह की जाय। मान्यवर, मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कर्णप्रयाग नगर में जो पिण्डर नदी के कारण वहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर जो पुल है, वह काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी घोषणा भी आपने पिछले मेले के दौरान की थी, अगर उसकी स्वीकृति हो जाती है तो उसका कार्य भी प्रारम्भ हो जायेगा। (धन्यवाद)

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दैवीय आपदा पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, यहाँ पर दैवीय आपदा के सारे बिन्दु आ गये है। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, 13 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत भटवाडी गाँव 250 परिवारों का गाँव है, वह भागीरथी नदी में समा रहा है। इस गाँव के पुनर्वास होने की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह अगोडा गाँव के 14 परिवार भूस्खलन के कारण खतरे में है। मान्यवर, हमारे यहाँ एक जसपुर क्षेत्र है, वह पूरे सेब की पट्टी है, उसके पूरे 10 बगीचे पूरी तरह से तहस–नहस हो गये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि चम्बा से 105 किमी0 उत्तरकाशी पडता है, 100 जगहों पर रास्ता बंद है। इसके अलावा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक राष्ट्रीय राजमार्ग बन्द है, जिससे कि गैस कि किल्लत, मिट्टी के तेल की किल्लत, खाद्यान्न की किल्लत हो गयी है। इसके अतिरिक्त चडरी गाँव में भी 4–5 ग्रामीणों के आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। पुनर्वास के लिए हमारे पास नौगाँव, स्याबा, कामर, कोटी धनारी, रवाल्द, सेम तोक दिक और कुडियाला ऐसे गाँव हैं, जिनका पुनर्वास किया जाना बहुत जरूरी है। वे गाँव ऐसे स्थिति में नहीं है कि वहाँ गाँव के लोग दोबारा रह सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि पता नहीं कितने दिन तक सडक बन्द रहती है, वहाँ पर नौका होनी चाहिए। वहाँ पर अभी हमारे 35 बच्चे अरूणाचल से एन0सी0सी0 के बच्चे आए हैं, कोटी कालोनी से जो पुनर्वास निदेशालय द्वारा जो नाव लगायी गयी है, उस नाव ने उनको डोबरा चांठीपुल में उतार दिया है, तेल की कमी के कारण। अभी भी वे बच्चे वहाँ पर रूके हुए है। मेरा आपसे निवेदन है कि टी0एच0डी0सी0 के अलावा दैवीय आपदा विभाग से भी नौकाएँ लगायी जाएं, जब तक यह सडक नही खुलती है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जम्वगाँव क्षेत्र का भी रास्ता उत्तरकाशी होकर जा रहा है। पूरा उत्तरकाशी, यहाँ पर जो भी लोग बीमार है, यहाँ आने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि नौगाँव से गर्भवती महिला को हैलीकॉप्टर द्वारा दून अस्पताल में लाया गया और जैसे भटवाडी गाँव में त्रासदी हुई। 13 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना दी और 14 तारीख को रिमझिम बारिश हो रही थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर उस गाँव का भ्रमण किया, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2–3 महीने के लिए जो हमारा

जिला अस्पताल है, वहाँ पर 4–5 डाक्टरों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई और साधन नहीं हैं, न तो वहाँ प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि पूरा टिहरी, प्रतापनगर क्षेत्र के लोग और पूरे उत्तरकाशी के लोग उत्तरकाशी के अस्पताल में आते हैं, जहाँ पर डाक्टरों की बहुत कमी है। धन्यवाद।

[माननीय अध्यक्ष जी, पदम सिंह, उम्मेद सिंह के आवास मकान क्षतिग्रस्त हो गये है। जसपुर बाला में भू–स्खलन से ग्रामीणों को चार–पाँच किमी0 घूमकर जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार ग्राम उडरी (गाजणा) में भी 4–5 ग्रामीणों के आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गये है, इन आवासों के नीचे आने वाले तीन चार आवास और क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। ग्राम स्यावा, कामर, रवाल्द सेमतोक में गाँव के पीछे दरारें पड़ने से गाँव के अस्तित्व को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, भटवाड़ी, अगोड़ा, जौगाँव, कामर, कोटी धनारी, दिक, कुडियाला, रवाल्द, सोम तोक का पुनर्वास किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इन भू–स्खलन प्रभावित गाँवों का भू–गर्भीय सर्वेक्षण करवाकर अन्यत्र पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में विकास खण्ड भटवाड़ी व डुण्डा के गाँवों में अतिवृष्टि व भू–स्खलन के कारण सम्पर्क पैदल मार्ग, पैदल पुलिया, पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त हुई हैं। मान्यवर, मैणागाड़, ज्ञानसू, मातली नाले में भारी बाढ़ आने से कई आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

मान्यवर, ऋषिकेश–चम्बा–उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 17 सितम्बर से चम्बा से आगे किरगणी रामगढ़ के पास राजमार्ग पर मलबा आने से अवरूद्ध है और 08 किमी0 आगे कण्डीखाल उससे आगे रतौंगाड से डांग भल्डियाना तक मार्ग पूरा अवरूद्ध है और 08 किमी0 आगे कण्डीखाल उससे आगे रतौंगाड में डांग भल्डियाना तक मार्ग पूरा अवरूद्ध है। गाँव के ऊपर कमान्द की ओर चढ़ाई पर 20 मीटर लम्बी सड़क 10 मीटर नीचे धँस गई है, जिससे मार्ग अवरूद्ध है। इसके अलावा कोटीगाड के पास 50 मीटर सड़क कोटीगाड बाढ़ के पानी द्वारा पूरी तरह से साफ होकर मार्ग अवरूद्ध है। काण्डीसौड–छाम से आगे ढिकियारा गाड से लेकर नालूपानी तक लगभग 25 किमी0 मोटरमार्ग पर 100 स्थानों पर भारी मलवा, बोल्डर पेड़ इत्यादि गिरे पड़े हैं। मान्यवर, लोग जान जोखिम में डालकर पैदल चल रहे हैं। मान्यवर, सीमा सड़क संगठन द्वारा मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मान्यवर, चिन्यालीसौड़ तथा कण्डीसौड में गुजरात आदि राज्यों के 500 से अधिक यात्री मोटर मार्ग अवरूद्ध होने से फंसे पड़े हैं। मान्यवर, ऋषिकेश–चम्बा–उत्तरकाशी मोटरमार्ग 100 से अधिक स्थानों पर अवरूद्ध होने के कारण उत्तरकाशी में घरेलू गैस, पेट्रोल–डीजल, राशन, दवाईयाँ इत्यादि की आपूर्ति ठप हो गयी। उत्तरकाशी शहर, जोशियाड़ा, तिलोथ, भटवाडी, डुण्डा, धौन्तरी, गंगोत्री–मनेरी–मातली–गंगोटी में घरेलू गैस व मिलने से लोगों के समक्ष भारी संकट पैदा हो गया है। यह शहर

नोट – [ ] गए अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ा गया।

व कस्बे पूरी तरह से घरेलू गैस पर निर्भर हैं। मान्यवर, पेट्रोल–डीजल के अभाव में सारे वाहन निजी व सरकारी खडे रहने की कगार पर है। राशन न मिलने की दशा मे लोगो को भूखों मरने की स्थिति आ पड़ी है, आवश्यक दवाईयाँ, खाद्यान्न, चीनी, चावल, दाल, आटा, सब्जियों के अभाव के कारण जनपद की स्थिति भयावह हो गयी है। मान्यवर, जनपद भयावह आपदा से गुजर रहा है और अब मार्ग अवरूद्ध होने से लोगों को घरेलू गैस, राशन, पेट्रोल–डीजल, उपलब्ध न होने से जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जनपद उत्तरकाशी मे उपरोक्त चीजों की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किये जाए और सरकार बी०आर०ओ० को एक सप्ताह के अन्दर मार्ग खोलने के निर्देश दे।]

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानगीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज पूरा प्रदेश दैवीय आपदा से ग्रस्त है, चारो ओर त्राहि–त्राहि मची हुई है। इस चर्चा में सभी क्षेत्रो का जिक्र आ चुका है कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। विशेष तौर पर मैं भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूँगा, जो क्षेत्र 15 नदियो से घिरा हुआ क्षेत्र है और गढवाल मे जितना भी पानी बरसात का होता है, लगभग उन नदियों से ही बहकर निकलता है, जिससे मुख्य नदियाँ हैं सोंगे नदी, पथरीरो नदी, रत्नी नदी, सोनाली नदी और इसके अलावा भी अन्य बहुत सी छोटी–छोटी नदियाँ हैं। जिनके द्वारा बहुत सा नुकसान वहाँ किया जाता है। आज अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों की जमीनों का कटाव अत्यधिक हो चुका है, बहुत ही नुकसान हो चुका है। सडकें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। मुख्यालयों से गाँव के जो मुख्यमार्ग थे, वे नष्ट हो चुके हैं, उनका सम्पर्क टूट चुका है। आज उस विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर गॉवों मे, चाहे वह बंजारावाला हो, चाहे सिकरोढा हो, चाहे डाडापट्टी हो, चाहे मानकमजरा हो, चाहे चौली हो, चाहे खुब्बनपुर हो, चाहे शाहपुर हो, चाहे भगवानपुर हो आदि बहुत से ऐसे गॉव है जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। मान्यवर, ज्यादातर गॉवों में नदी घुसने की कगार पर है, यदि वहॉ पर उपाय जल्द नहीं किया गया तो निश्चित रूप से नदी ने माल का नुकसान तो किया ही है और वह नदी निश्चित रूप से जान का भी नुकसान कर सकती है, इसलिए इसका उपाय किया जाना बहुत ही जरूरी है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मे नदियों में बहकर कई व्यक्यिों की मृत्यु हुई है, जिसमें श्री शिव कुमार एक छात्र था, जो नदी पार करके जा रहा था, संजय डाडापट्टी का था, रवी शाहपुर का था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, यह दु:ख का विषय है कि एक माह होने के बाद भी आज तक राहत सामग्री इन तीनों के परिवार के व्यक्तियों तक नहीं पहुँची है, यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। यह वहाँ के प्रशासन की कमी दर्शाता है कि कितना

वहाँ का प्रशासन मुस्तैद है, किस प्रकार से सहायता करना चाहता है वहाँ का प्रशासन। आज तक उन्होंने उसको सहायता नहीं मुहैया कराई है, उनके गाँव में जाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग चाहे देहरादून से छुटमलपुर, रुडकी तक का राष्ट्रीय राजमार्ग हो, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, चाहे रुडकी से होता हुआ हरिद्वार और देहरादून आता है, हमारा मुख्य मार्ग है, वह भी ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल बन्द पड़ा है। उन राष्ट्रीय राजमार्गों की अतिशीघ्र मरम्मत कराई जानी चाहिए। अभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि खाद्यान्नों की कमी ऊपर हो रही है, सामग्री की कमी हो रही है, उन सामग्री की कमी तभी दूर होगी, जब सड़कों का सम्पर्क मार्ग ठीक किया जाये। हमें सबसे पहले सम्पर्क मार्गों को ठीक कराना चाहिए। भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी गाँव आते हैं, उनके सम्पर्क मार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनका सम्पर्क मुख्यालय से हट चुका है, न ब्लाक मुख्यालय से उनका सम्पर्क है, न तहसील मुख्यालय से उनका सम्पर्क है, न जिला मुख्यालय से उनका सम्पर्क है, बिल्कुल सम्पर्क हट चुका है। तो माननीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार से वहाँ राहत सामग्री मिलेगी, किस प्रकार से वह अपनी रक्षा करेंगे, किस प्रकार से उन्हें दवाईयाँ मिलेंगी। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर सम्पर्क मार्ग टूटे है, जहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रशासन में लम्बित है। उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तात्कालिक राहत कार्य कराये जाने बहुत जरूरी है, जिसमें सम्पर्क मार्ग है, जिसमें संक्रामक रोग फैलने का प्रकोप है, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए भी कार्य किया जाना चाहिए।

मान्यवर, फसलों का मुआवजा जो माननीय शहजाद जी ने कहा था, उन्हें बढ़ाकर मिलना चाहिए। कटाव रोकने के लिए पिछले साल भी एक प्रोजेक्ट बनाया था सिंचाई विभाग द्वारा। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कह दिया था कि हमने केन्द्र सरकार को भेज दिया है, पिछले साल भी केन्द्र सरकार के भरोसे बैठे थे और कटान इतना ज्यादा हो रहा है कि सारी भूमि कट गई है और माननीय सिंचाई मंत्री जी केन्द्र सरकार के भरोसे बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस दैवीय आपदा के लिए राज्य सरकार को भी यह इंतजाम करना चाहिए, केन्द्र सरकार के भरोसे न बैठे, केन्द्र सरकार जब देगी तो उससे तो होगा ही, पर राज्य सरकार को भी कुछ करना चाहिए, जिससे कि दैवीय आपदा से हमारे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दैवीय आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, आज समूचा उत्तराखण्ड दैवीय आपदा से ग्रस्त है, इस दैवीय आपदा की घड़ी में आपका, जनता और सरकार

का पूर्ण सहयोग रहा है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 और 31 जुलाई की रात्रि को बाढ आई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। 2 माह में लगभग 10 बार बडी आपदा आई है, मान्यवर, प्रशासन का और सरकार का, मेरे क्षेत्र में 3 बार दैवीय आपदा मंत्री जी का दौरा हुआ है और 7 बार माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है और 17 बार मैंने खुद अपनी विधान सभा क्षेत्र में दौरा किया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दैवीय आपदा से लोक निर्माण विभाग की सभी सडकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मान्यवर, माजरा धर्मावाला मोटर मार्ग, शंकरपुर रामसावाला मोटर मार्ग, दुदई रेतीवाला, कोलूखेत डांडा मोटर मार्ग, हरबंसवाला मोटर मार्ग सारी क्षतिग्रस्त हुई हैं, सिंचाई विभाग के सारे वाईस गेट, पुश्ता दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हो गये है। दैवीय आपदा से सहसपुर विधान सभा के विद्यालय, प्राइमरी भवन, गोरावाला, जामनवाला, सिंगडीवाला, बडोवाला, बनियावाला, फरवल, गोरखपुर, जिवेरेडी, नयागाँव राजकीय विद्यालय सभी के प्राईमरी स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गये है। सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, किसानो की उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि की नदियों द्वारा कटाव से क्षति हुई है। गोन, आसन, सादना, सीतला नदी, टौंस नदी, 27 बरसाती नाला हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दे, सम्मिलित कर लेंगे।

श्री राजकुमार–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 200 मकान पूर्ण और 500 आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। और 14 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। मान्यवर, इस मौके पर मैं यह सुझाव देना चाहिता हूँ कि इस सदन के माध्यम से यह प्रस्ताव जाना चाहिए कि यह प्रदेश "आपदा प्रदेश" घोषित होना चाहिए। मान्यवर, खनन को तत्काल खोला जाना चाहिए। इस प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया जाना और इस प्रदेश के लिए विशेष आपदा से निपटने के लिए एयर एबुलेंस की व्यवस्था की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बाढ और दैवीय आपदा पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल पूर्ण रूप से सडकों से कट चुका है, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र में जाने का रास्ता सतपुली से है। सतपुली के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह से जानकारी है। मान्यवर, सतपुली में एक जगह से नहीं बल्कि अनेकों जगहों से सडकें बाढ के कारण और अत्यधिक वर्षा के कारण बह चुकी हैं। मान्यवर, 18 तारीख मुझे पहाड में जाना था और जब मैं कोटद्वार पहुँची तो मुझे यह खबर दी गयी कि आप वहाँ नही जा सकती हैं,

क्योंकि सतपुली का जो पुल है उसके ऊपर से पानी बह रहा है और कई जगह सडकें बह चुकी हैं। वहाँ चट्टानें गिर रही हैं और सडकें टूट रही हैं और घर गिर रहे हैं, जिसके कारण मुझे कोटद्वार से वापस आना पडा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मैठाणा घाट गाँव मे, ग्वीन खाल में, काण्डा मल्ला में, काण्डा तल्ला मे, बन्दर कोट मे, एकेश्वर के काली गाँव में, पोखडा मे सिडिया खाल में जमीन धँस रही है। मान्यवर, एकेश्वर के ही रिग्वाडी गाँव मे दरार आ गयी है, जिसके कारण भविष्य में वहाँ पर एक बहुत बडी आपदा आ सकती है। यहाँ पर पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लोगो को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। कई–कई घर इन गाँवों मे पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, लोगों के पास खाने–पीने का राशन नही है, यहाँ तक कि इन जगहों पर दूध, नमक तक नही पहुँच पा रहा है। गैस की इन जगहों पर बडी किल्लत महसूस की जा रही है।

मान्यवर, अभी श्रीनगर से मेरे पास किसी का फोन आया कि वहाँ पर जो तीर्थ यात्री फंसे हुए है, चाहे वह रूद्रप्रयाग जिले में हो, चाहे चमोली जिले मे हो या चाहे श्रीनगर में हो। मान्यवर, श्रीनगर के बाजारो में एक कप चाय तीर्थयात्रियों को 25 रु० मे मिल रही है और 100 रु० मे एक प्लेट दाल और चावल मिल रहा है। आज तीर्थ यात्री बहुत परेशान है और वे सरकार को कोस रहे हैं कि यह कैसी उत्तराखण्ड सरकार है जो ऐसी आपदा की स्थिति में भी कोई सहायता नहीं कर रही है और 25 रु० मे चाय तथा 100 रु० मे दाल–चावल मुहैया करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन की कोई एक पुख्ता नीति बनायी जानी चाहिए, जिससे कि सब लोगों को उससे लाभ प्राप्त हो सके। मान्यवर, जिस तरह से अभी भाई ओम गोपाल जी ने बताया था कि कॉंग्रेस के पाँच सासद जीत के गये है, लेकिन उन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नही किया मैं बताना चाहती हूँ कि पौडी के सासद माननीय सतपाल महराज जी ने पहले ही लोक सभा में इस आपदा के बारे मे बात उठायी थी और केन्द्र सरकार ने 100 करोड रु० उत्तराखण्ड की सरकार को मुहैया कराया। अब यह राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उस धन का सदुपयोग अच्छी तरह से कर सकें और इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि जैसा हमारा विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल पूर्ण रूप से कट चुका है और बार–बार यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि विधायक अपने–अपने क्षेत्रो मे जायें, लेकिन हम किन रास्तो से क्षेत्र में जायेंगे जिन माननीय विधायकों के सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से टूट चुके है ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे विधायकों को हैलीकाप्टर एक दिन के लिए मुहैया कराया जाय, जिससे कि वे अपने विधान सभा क्षेत्र का भ्रमण कर, स्थिति का पूरा जायजा ले आयें। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर

डोईवाला और सहसपुर भी जाना होता है तो वे हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम अगर विपक्ष के विधायकों को भी एक दिन के लिए हैलीकाप्टर मिल जाय तो आपके बड़े आभारी रहेंगे हम लोग।

*श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ की कुछ समस्याओं को सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। मानसून के प्रारम्भिक दौर में पिथौरागढ़ में काफी जन–धन की हानि हुई थी। उसी क्रम में जनपद के सीमान्तवर्ती क्षेत्र मुन्स्यारी और धारचूला में जो हानि हुई है, विशेष रूप से उसका उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। विकास खण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत कुछ गाँव ऐसे हैं, गुईंपातों, कुरीजिमिया, दर, सेला, सोबिया इत्यादि, जिनमें अतिवृष्टि से काफी जनहानि हुई थी और गुईंपातों और कुरीजिमिया ऐसे गाँव हैं, जो पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं। इन गाँवों को जो राहत सामग्री बांटी गयी थी, वह अति निम्न कोटि की होने के कारण किसी उपयोग की नहीं रही है। साथ ही आने वाले समय में उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण कुछ ही हफ्तों के बाद इनमें बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जिस कारण इन लोगो का जीवन और भी दूभर हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि इनके पुनर्वास की यथोचित व्यवस्था की जाए और इनके दु:खो का निवारण किया जाय। दूसरी बात, धारचूला विकास खण्ड के अन्तर्गत व्यास, चौंदास, दारमा ऐसी घाटियाँ हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में आती है और अतिवृष्टि से उनका सारा सम्पर्क जनपद और प्रदेश से कट चुका है। वहाँ के लोगो का जीवन अत्यंत दुर्गम हो चुका है। साथ ही खाद्यान्न की वहाँ भारी किल्लत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक धारचूला वासियों का एक संदेश पहुँचाना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि गुंजी में जो कैलाश मानसरोवर यात्री फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए हैलीकाप्टर की व्यवस्था की जाए और यहाँ से उसमें खाद्यान्न भेजा जाए, ताकि कुछ फौरी राहत उनको मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।

श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने दैवीय आपदा पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड इस समय दैवीय आपदा से त्रस्त है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की आपदा को झेलना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने सैकड़ो साल पूर्व जो गाँव बसाये थे, आज वे गाँव तहस नहस हो गये है। लैण्ड स्लाईड हुआ, बादल फटा और जो पर्वतीय जनपद हैं, मैदानी जनपदों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ की स्थिति आज बहुत ही छिन्न–भिन्न हो गयी है। अनेको जनपदो से सम्पर्क टूटा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सुमगढ़ की घटना को भूल नहीं सकता, 18 तारीख का वह दिन और 19 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए सुमगढ़ पहुँचे, कितनी गाड़ियाँ बदली। जब सुमगढ़ पहुँचने वाले थे, तब ऊपर से फुहारें पड़ रही थीं और नीचे से सड़क में स्लाईडिंग हो रही थी, कहीं–कहीं पर पैदल भी जाना पड़ा। किन्तु जब सात–साढ़े सात बजे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर माननीय मंत्री बलवन्त सिंह भौर्याल जी थे, माननीय कोश्यारी साहब थे, हमारे सांसद आदरणीय प्रदीप टम्टा जी भी वहाँ पर थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी राहत चैक वितरित कर रहे थे, तो उस समय का जो नजारा था, भगवान ऐसा नजारा किसी को न दिखाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की आँखों में भी आँसू छलक पड़े, जब वहाँ का गमगीन माहौल देखा। सोचा भी नहीं था कि जहाँ पर वह विद्यालय स्थित था, कभी इस प्रकार की वहाँ पर कोई घटना घटेगी। क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी है, उसमें स्लोप है, उसके बाद एक खेत पड़ता था और उसके बाद वह विद्यालय स्थित था। उसके बावजूद जब हर्सिंना बाँगड़ में बादल फटा, तो ठीक उसी समय वहाँ पर भी यह घटना घटी, जिसमें 18 बच्चों की जानें चली गयी।

मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पर तुरन्त एक–एक लाख रुपये देने की घोषणा की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो–दो लाख रुपये उन पीड़ित परिवारों को दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी यहाँ पर बात आयी, माननीय अग्रवाल जी ने जिक्र किया कि पहले से ही यह पैसा जनपदों को क्यों नहीं दिया गया। मान्यवर, सी0आर0एफ0 की एक गाईड लाइन है, उसके कुछ मानक है, इससे पहले भी गर्मियों में 1.5 करोड़ रुपये प्रत्येक जनपद को दिया गया था। वह इस आधार पर दिया गया क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी, टैंकरों और खच्चरों के माध्यम से पानी ग्रामीणों तक पहुँचाया गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए ही तत्काल आपदा प्रबन्धन ने प्रत्येक जनपद को पैसा दिया और बरसात के बाद ही यह पैसा मुहैया होता है। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर इतनी त्रासदी होगी, इसलिए जब सुमगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी वापस लौटे तो आपातकालीन बैठक बुलाई गई और इसकी पल–पल की सूचना केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय को दी गई और माननीय प्रधानमंत्री जी से दूरसंचार के माध्यम से बात की गई तथा यहाँ के तमाम हालातों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया। किन्तु वहाँ से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला, फिर दूसरे दिन मैंने 20 तारीख को समाचार–पत्रों में ऊधमसिंह नगर जिले के शक्तिफार्म की स्थिति को देखा। क्योंकि मैं सुमगढ़ में ही रह गया था, कपकोट विधान सभा में, मैंने समाचार–पत्रों में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोट में पीड़ितों का हाल–चाल देखने जा रहे थे, अपने जीवन को दाँव पर लगाते हुए। ऐसी स्थिति एक बार नहीं कई बार आई है, एक हैलीकाप्टर से वे जा रहे थे तो वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उसके बाद हैलीकाप्टर को वापस लाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लैण्ड कर पाये।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, वहाँ पर पहुँचते रहते है और मैंने भी कोशिश की कि जहाँ पर भी आपदा की घटनायें हों, मैं भी वहाँ जा सकूँ। लेकिन मैं हर जगह नहीं जा पाया, अभी आदरणीय शैलेन्द्र सिंह रावत जी कह रहे थे कि टी0वी0 में एक लाइन आ रही थी कि ''आपदा प्रबन्धन मंत्री अपने क्षेत्र से लापता।'' तो मान्यवर, हम सभी क्षेत्रों में गये और वहाँ पर स्थितियों को देखा। किन्तु जिस प्रकार से माननीय अग्रवाल साहब की ओर से एक टिप्पणी आती है कि आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे है, और पैसे की माँग कर रहे हैं। तो मान्यवर, 18 एवं 19 तारीख तक की जो स्थिति थी, उसके अनुसार 3500 करोड़ रुपये की हमारी परिसम्पत्तियों का नुकसान हुआ था और 100 गाँवों के विस्थापना के लिए 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। अभी बात आई कि एक–दो दिन के अन्दर ही 21 हजार करोड़ रुपये तक आँकड़ा छू लिया गया है। मान्यवर, यह एक–दो दिन में नहीं हुआ, आज एक महीने से दो दिन ऊपर हो गये हैं, इस बीच में बहुत ज्यादा घटनायें घटित हुई हैं, बहुत ज्यादा त्रासदी यहाँ पर हुई है। हमारे लगभग 1400–1500 मोटर मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध हैं और हम एक बार नहीं 4–4, 5–5 बार उनको खोल रहे हैं, जहाँ पर 100 रुपये खर्च होने थे, वहाँ पर 500 रुपये खर्च हो रहे है, इसलिए यह राशि बढ़ी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो हमारा हर्सिया भांगड़ का क्षेत्र है, वहाँ पर माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और माननीय कोश्यारी जी के साथ मैंने उस क्षेत्र का भ्रमण किया। 10–12 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, तो हमने देखा कि 150 साल पुराने पुल, जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे, उनका कोई नामो–निशान वहाँ पर नहीं था। जो वहाँ पर रेवती नदी बहती है, उसमें 500–500 मीटर नीचे हमें इन पुलों के अंश कहीं–कहीं दिखाई दिये। तो इस तरह की स्थितियां आज हमारे उत्तराखण्ड में हो गई हैं। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र की ओर भी दिलाना चाहूँगा कि सौंग नदी, अगलाड़ नदी, भड़िंगाड़ और स्यायूँगाड़ में अत्यधिक नुकसान हुआ है, वहाँ पर जनहानि हुई है, पशुहानि हुई है और थौलधार में दो बच्चे परसों ही झील में डूब गये। हमारा जो एन0एच0 123 है, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बन्द पड़ा हुआ है। विस्तृत जानकारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज इस आपदा की घड़ी में सभी नियमों का निलम्बन करके पूरे सदन को कृपापूर्वक सुना है। मान्यवर, लगभग 47–48 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन श्रीमन्, इस

सदन से सरकार को मिले हैं, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली है और आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, ये भी बहुत सारे अनुभवी और बहुत प्रखर माननीय सदस्यगण ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी श्रीमन्, हमको दिये हैं। बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा होता कि पूर्व में तैयारी की जाती। श्रीमन्, काफी कोशिश में थे हम लोग और पूर्व में तैयारी कर रहे थे। श्रीमन्, जब मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ था तो उससे भी पहले हम लोगों ने सभी जनपदों में सामान्य आपदाओं से सम्बन्धित जो आवश्यक सावधानी बरती जानी थी, उस सब के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश दिये थे। श्रीमन्, जून और जुलाई में सभी जिलाधिकारियों को उस समय हम लोगों ने लगभग 20–21 करोड़ रुपये की धनराशि भी अग्रिम के रूप में जारी की थी। अभी चर्चा हो रही थी कि केवल इतना ही पैसा खर्च किया गया श्रीमन्, जब आपदा आती है तो ही पैसा खर्च होता है, लेकिन हमने अग्रिम उस दिशा में तैयारी की श्रीमन्, और खोज और बचाव की दृष्टि से जो उपकरण होते हैं श्रीमन्, रु0 58.42 लाख की धनराशि श्रीमन्, उसके लिए स्वीकृत की थी ताकि आवश्यक उपकरण सभी स्थानों पर, सभी मुख्यालयों पर, यहाँ तक कि तहसील स्तरों पर उपलब्ध हो जाएं। जिला तहसील और अन्य स्थानों पर बचाव के जो उपकरण हैं, उनको सूचीबद्ध करने की हमने कोशिश की और उसका प्रचार–प्रसार भी किया कि इतनी सामग्री इन–इन स्थानों पर उपलब्ध है। हम लोगों ने ये भी कोशिश की श्रीमन्, कि आपदा के समय में लगभग संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है और टैलीफोन नहीं मिल पाते है, जिले पूरी तरीके से एक–दूसरे के कट जाते हैं, इसलिए प्रत्येक जनपद में सेटेलाईट फोन की हमने श्रीमन्, इसके तहत व्यवस्था की थी।

श्रीमन्, हमने कोशिश की, जिले में आपातकालीन ऐसे परिचालन केन्द्र स्थापित हमने किये और उसमें कुछ पदों का सृजन करके वो चौबीसो घंटे और हर दिन चलते रहे, ये भी हमने कोशिश की। श्रीमन्, हमने ये भी कोशिश की आपको याद होगा श्रीमन्, कि हम समय–समय पर आपदा और राहत बचाव कार्यों के लिए अभ्यासी कार्यक्रम भी करते थे। जब पिछली बार एक अभ्यासी कार्यक्रम हमने किया था तो लोगों ने सोचा कि टिहरी डैम पर अटैक हो गया। इस ढंग के भी कुछ हम लोगों ने आपदा से सम्बन्धित अभ्यासी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किये थे। राहत बचाव कार्य सुनियोजित ढंग से हो सकें, इसके लिए हमने प्रत्येक जनपद में आपदा प्रबन्धन योजना भी तैयार की थी, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी और उसकी हम लोगों ने एक बैठक भी की। श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि इस दिशा में तहसील स्तर पर तक हम लोगों की तैयारी नहीं होती तो जो ये आपदा आयी है, इसमें बहुत सारी हानि हम लोगों को होती। लगभग 25000 लोगों को यदि सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया और दर्जनों लोगों को जो दबे हुए थे, उनको वहाँ से निकाल करके उनको नई जिंदगी दी गयी तो

श्रीमन्, ये भी उसी पूर्व अभ्यास, जो अग्रिम तैयारी थी, उसी का ये परिणाम था। श्रीमन्, सितम्बर महीने तक का जो खाद्यान्न है, क्योंकि हमें मालूम था, सामान्यतः जुलाई और अगस्त माह में भारी वर्षा हो जाती है और सारे रास्ते बन्द हो जाते है, उनके लिए भी हमने बहुत कोशिक की। यदि यह नहीं होता तो श्रीमन्, और खराब स्थिति होती। ये बीच–बीच में जो सूचनायें आ रही है, यह उस बीच के टुकडे में हैं, जहाँ पर दोनो तरफ से रास्ते कट गये हैं और बीच मे लोग फंसे है, उन स्थानो पर थोडा सा संकट आया, लेकिन हम लोगो ने वहाँ पर भी कोशिश की है।

चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से भी दवाओं को सितम्बर और अक्टूबर तक के लिए अग्रिम के रूप में हम कर सकते हैं, यह भी हम लोगो ने कोशिश की। श्रीमन्, यदि अगस्त माह तक बडी–बडी आपदाओं के बारे में भी देखें तो वैसे इस समय पूरे देश में वर्षा का औसत बहुत बढा और दिनांक 30 अगस्त, 2010 तक प्रदेश में पिछले वर्षों के सापेक्ष वर्षा इस समय 19 प्रतिशत अधिक हुई है। जबकि सितम्बर माह में जो यह वर्षा हुई, इसने पिछले 50–100 सालों के इतिहास को तोडा है। 18 अगस्त को सुमगढ में, जो माननीय शेर सिंह गढिया जी ने जिस घटना का जिक्र किया, जो बहुत वीभत्स और मुझे लगता है कि जो पूरे देश के अन्दर हृदय विदारक घटना थी, जिसमें हमारे नन्हे–मुन्ने छोटे अबोध 18 बच्चे एक साथ दब गये थे। उसमें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय विधायक जी और उसकी पूरी टीम को कि उन्होंने युद्वस्तर पर काम करके बहुत सारे बच्चों को वहाँ से बचाया था, उसी समय भटवाडी में 12 अगस्त की त्रासदी हो गई थी। हम सौभाग्यशाली है कि जिस ढंग की वह त्रासदी हुई, यदि वह थोडा सा रूकता नहीं तो जिस तरह से 100 मीटर पूरे गाँव का हिस्सा नीचे आ गया था, गोपाल जी, जो हमारे वहाँ के विधायक हैं, रात दिन खप करके वहाँ पहुँचे, वहाँ पर 60–70 मकान आधे टेढे हो गये थे, उन स्थानों से लोगों को बचाया गया और सडक बिल्कुल नीचे चली गयी और दूसरे ही दिन मैं भी उस स्थान पर पहुँच गया था, उन लोगों को जितनी भी मदद मिल सकती थी, वह दी गई। ऐसे ही जब सुनगढ में घटना हुई थी, वह हृदय विदारक घटना थी। मैं सोचता हूँ कि पूरी सडकें जगह–जगह टूट गई थीं, चारो ओर से सम्पर्क टूट गया था, टेलीफोन खत्म हो गये थे, ऐसे समय बहुत सारी सडकों के पुल बह गये थे, उसी तरह की आपदा शक्तिफार्म पर आई थी और अभी विधायक जी ने भी कहा कि पूरा सितारगंज का और शक्तिफार्म का जो क्षेत्र था, वहाँ पर गाँव के गाँव जलमग्न हो गये थे, 20 तारीख को मैने वहाँ का भी प्रवास किया था, बागेश्वर से लौट करके, वहाँ पर लोग बहुत खराब स्थिति में थे, लेकिन मुस्तैदी से काम भी हो रहा था। माननीय बंशीधर भगत जी जिस रूप में सारे कपडे उतार कर जिस ढंग से कीचड में जाकर, जो दबे हुए थे, उनको बचा–बचा कर निकाल रहे थे। जिनकी झुग्गी झोपडियाँ बह रही थी, वह बहुत ही वीभत्स दृश्य था, उसका स्मरण करते हुए भी पूरे रोंगटे खडे हो जाते हैं। जब पार

जाकर मैंने अपनी आँखों से देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि बहुत तेज धार आ रही थी, उधर जाने के लिए कुछ नहीं था, छोटी सी नाव, जैसा अभी तिलक राज बेहड़ जी ने कहा कि काफी छेद थे, श्रीमन्, उन छेदों को भी हमने पार किया। श्रीमन्, मुझको कहा गया कि बिल्कुल नहीं बैठना है, लेकिन मुझे लगा कि लोग ऐसी स्थिति में हैं, तो वहाँ पर गया। रबर के पैड पर बैठ करके। मैं सदर्भतः इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपदा कभी भी और किसी के साथ ऐसी घटनायें घट सकती है, लेकिन संवेदनशीलता हम सभी में हैं चाहे हम जनप्रतिनिधि हो, शासन/प्रशासन हो या आम जन हैं। मैंने इस समय निकटता से इसको देखा कि आम व्यक्ति भी लोगों की मदद के लिए आगे आया। लोगों ने बहुत ही बढ़चढ़ करके इस आपदा की घड़ी में लोगों की और प्रशासन की मदद की। पहले जिस प्रकार से आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती थी कि शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, कोई अधिकारी नहीं आया। इस समय लोगों ने बढ़ करके और क्षेत्र में जो दुखद घटना घटी। कोई नहीं गया था, एस०डी०एम० दिन-रात पैदल चलकर पहला व्यक्ति था क्षेत्र का, जब मैंने हैलीकॉप्टर से दौरा किया और जब मैं वहाँ पर उतरा तो लोगों ने कहा कि यह एस०डी०एम० सबसे पहले पहुँचे। तो जहाँ कोई जा नहीं सकता था, तीन दिन में मैं पैदल नहीं जा सकता था, लेकिन एस०डी०एम० दो दिन के अन्दर-अन्दर वहाँ पहुँच गया और राहत के कार्य किये।

श्रीमन्, हमारी कमजोरी हो सकती है, प्रशासन जहाँ कमजोर होगा, कोई काम नहीं करेगा तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन को हथेली में रखकर के काम किया, यह सदन तो शासन को चलाता है, वह भी हमारे अंग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वह बागेश्वर का घटनाक्रम हो या ये आपदा हों। यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, चाहे हरिद्वार का हो। श्रीमन्, जब मैं अल्मोड़ा गया तो अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को जब हैलीकॉप्टर में बिठाकर ले गया कि बताइये कहाँ-कहाँ अधिक आपदा है तो लोग उन्हें पकड़-पकड़ करके ले जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या स्वास्थ्य खराब है, तो बताया गया कि यह व्यक्ति 24 घण्टे में दो घण्टे भी नहीं सोया है। श्रीमन्, काफी मेहनत की है, लेकिन ऐसी आपदा जिस तरह की आई है, उसमें सभी लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। मान्यवर, राहत जो देनी है, चाहे भटवाड़ी के 54 परिवारों के जो भवन क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको तत्काल 50-50 हजार रुपये दिये हैं और उनको नये स्थानों पर व्यवस्थित किया है। उसी बीच जो सड़क क्षतिगस्त हुई थी और विद्युत की जो क्षति हुई थी, भटवाड़ी वाला पूरा क्षेत्र हो या लामबगड़ का क्षेत्र हो, महरवाणी का क्षेत्र हो। श्रीमन्, यह जो बद्रीनाथ का क्षेत्र, जो लगभग 600 मी० सड़क पूरी तरीके से नीचे चली गयी, अनुमान यह था कि वह तीन महीने से पहले नहीं खुलेगी, लेकिन मैं डी०जी०बी०आर० को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4-5 दिन में उस पूरी सड़क को खोला। केदार भाई यहाँ पर है। यमुनोत्री का मार्ग जिस तरीके से 500-600 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त रही होगी, जो ब्रह्मखाल में अभी भी क्षतिग्रस्त है।

श्रीमन्, जब हमने प्रारम्भिक अनुमान लगाया तो कहा गया कि दो ढाई महीने से पहले तो नहीं खुल पायेगी सड़क। तो हम लोगों ने जो सैकड़ों हजारों यात्री फंसे हुए थे, उन्होंने कोशिश भी की कि बड़कोट चले जायें, उधर से आ जायें, उधर भी सड़क खराब हो गई थी, वह भी तीन दिन में खोली, जैसा केदार भाई ने बताया कि फिर टूट गई है। अभी हमारे मंत्री जी खजान दास जी ने कहा कि परिस्थितियाँ यह हो रही है कि जान को हथेली पर रखकर के सड़क को खोला जा रहा है। ऊपर से पहाड़ आ रहा है नीचे सड़क का काम हो रहा है, फिर एक बार गाड़ियों को निकालने के बाद अगले 24 घण्टे में फिर वही स्थिति पैदा हो रही है कि सड़क फिर खराब हो जा रही है। किसी के हाथ की, बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ रात-दिन जुटकर के यह तंत्र काम कर रहा है। इसके पुख्ता प्रमाण श्रीमन्, आम जन के पास भी है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस-जिस क्षेत्र में आपदा आ रही है, उस-उस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही है। यह जो पहला चरण हुआ था तो प्रधानमंत्री जी का स्वयं फोन आया था, यह जो सुमगढ़ की घटना हुई और उन्होंने बहुत दु:ख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मान्यवर, उन्होंने मुझसे पूछा की पूरे प्रदेश में अभी स्थिति क्या है ? जो पहले चरण में सड़कों का मोटा-मोटा जो अन्दाज था, वह हमने पाँच हजार करोड़ रुपये का लगाया था और मैंने उसी समय उनको पत्र लिखा, मोटा-मोटा आकलन यह होता है कि पाँच हजार करोड़ रुपये की सड़कें, जिसमें शक्तिफार्म से लेकर और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र में जो खेत बह गये थे और हजारों के हजार लोग बेघर हो गये थे, श्रीमन्, यह आकलन उस समय का था, श्रीमन्, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 के बाद 18 और 19 सितम्बर, को जो अतिवृष्टि हुई है और जिस प्रकार की यह अभूतपूर्व घटना हुई है, इसने उत्तराखण्ड के पूरे दिल को दहला दिया और शायद कोई भी सदस्य इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है, मैंने 90 वर्षों के बुजुर्गों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिन्दगी में इस तरह का दृश्य नहीं देखा। मान्यवर, श्री त्रिवेन्द्र जी उस दिन कह रहे थे कि मैंने बाहर को झांका तो मैंने सोचा कि किसी ने नल खोला हुआ है। श्रीमन्, इतना मोटा लगातार पानी बह रहा था, जैसे नल फोर्स से आ रहा होगा, इस तरह से लगातार 72 घण्टे बारिश हुई है।

मान्यवर, प्रदेश में दर्जनों स्थानों पर जिस तरह से बादल फटे हैं, उसमें पूरे उत्तराखण्ड को तबाही के मार्ग में जाकर खड़ा कर दिया है। मान्यवर, उसी समय जब सारी घटनायें, जिस तरह से जगह-जगह पर हुई थी और जगह-जगह की सूचना मिल रही थी और उनको कलैक्ट कर रहे थे मान्यवर, सारे तरह से मार्ग बन्द थे, जो यह 72 घण्टे की लगातार बारिश हुई थी, जबकि सामान्य 17 से0मी0 बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन यह 50 से0मी0 बारिश हुई। मान्यवर, यह पिछले 100 साल का रिकार्ड टूट गया है, हाँ, अल्मोड़ा में अभी भी बारिश हो रही है। मान्यवर, जिस तरीके से यह भूस्खलन

बाढ़ और भूमि धँसाव हुआ, इससे एकाएक कई समस्यायें आ गयीं। समस्या यह थी कि यह केवल नीचे के क्षेत्र में रहता या भराव होता तो उसको रोक लेते, इधर सड़कें टूट गयीं और पुल खत्म हो गये और उधर पहाड़ पर बादलों के फटने से गाँव के गाँव तबाह हो गये और इधर बाढ़ के आने से मैदानी क्षेत्रों में लोग बेघर हो गये। श्रीमन्, इस तरह से कोई क्षेत्र नहीं छूटा, मान्यवर जो छोटे-छोटे गाड़ गधेरे थे, वह भी उफनाते हुए आये और जो भी मिला उनके सामने में चाहे दुकान हो या मकान हो, उसको समाप्त करते हुए उसको ले गये। श्रीमन्, 17 तारीख की रात को मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई और महामहिम राष्ट्रपति जी से बात हुई और उसी रात को ही मेरी माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई, चूँकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर बहुत खराब स्थिति में आ गये। माननीय चीमा जी का मुझको फोन आया कि वहाँ पर लोग अपने मकान की छत पर हैं। श्रीमन्, इस तरह से जगह-जगह से जो भी सूचना आयी है और इस तरह से मैंने एक आपात बैठक बुलायी। इस जगह के जो एरिया कमाण्डर हैं ले० जनरल श्री यादव जी, एस०एस०बी०, आई०टी०बी०पी० और सभी फोर्स के प्रमुख को बुलाया और अपनी टीम के साथ बैठकर, तत्काल प्रभाव से कहाँ, कैसे यह काम कर सकते हैं और नौ सेना से बात की और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से भी अनुरोध किया, जिस तरह से टिहरी डैम की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। श्रीमन्, यह स्वाभाविक है कि इस डैम का जल स्तर, 820 मीटर तक की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति थी और वह उससे ऊपर 825 मीटर तक चला गया था।

श्रीमन्, टी०एच०डी०सी० के अधिकारियों ने हमें सूचना दी थी, इस पर हमारे माननीय किशोर भाई जी कह रहे थे। मान्यवर, वह राज्य सरकार का उपक्रम भी नहीं है, वह केन्द्र सरकार का उपक्रम है। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप हमें लगातार सूचना तो दीजिए, पहले तो आपको इतना जल भराव करना ही नहीं था। मुझको लगता है कि कोटेश्वर बाँध को बचाने के चक्कर में वे जल भराव करते चले गये कि कहीं पानी छोड़ेंगे तो कहीं कोटेश्वर डैम न बह जाए। लेकिन उनको यह कहा कि आप धीरे-धीरे क्योंकि एक साथ आयेगा और वे स्वयं कहते थे कि 830 मीटर तक जायेगा तो हमारे हाथ से बात निकल जायेगी। इसलिए उनके कहने के अनुसार हम श्रीमन्, काफी चिन्तित हुए और जब 828 मीटर तक पहुँचा तो मैंने फिर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी से तुरन्त बात की और मैंने उनसे कहा कि आप जल आयोग के अधिकारियों को निर्देशित करिये और प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि आप तत्काल यह काम करिये, ताकि वे जल का प्रबन्धन किस रूप में कर सकते हैं यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो वे हमको हरिद्वार में, ऋषिकेश में हमारा मार्गदर्शन करें कि उस पानी को हम किस रूप में कहाँ तक जल प्रबन्धन कर सकें, क्या करें। लेकिन रात में 2 बजे तक श्रीमन्, हमारी ये बात चलती रही, इधर आपात

काल बैठक चलती रही, इधर सभी जिलाधिकारियों से ले करके और सभी तहसील स्तर के अधिकारियों को आपात काल के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश को सचेत कर दिया था। सब टीमें, जो हम लोगों ने बनाई थी, जिला स्तर पर, सब टीमों ने युद्ध स्तर पर काम करना स्वतः ही शुरू कर दिया था। इसलिए जो ये दुःखद घटनाएँ 17, 18, 19 को घटी हैं श्रीमन्, इसमें पचास हजार घर तो पूरी तरीके से, इससे भी ज्यादा होंगे, जो क्षतिग्रस्त हो गये।

इन तीन दिनों में श्रीमन्, 65 लोगों की, वह जो 72 घंटे की लगातार बारिश हुई श्रीमन्, 65 लोगों को अपनी जानें गवानी पड़ीं और जब से श्रीमन्, जून, जुलाई से हो रहा है और तब से ले करके अब तक लगभग 170 लोगों की इन आपदाओं में जानें गयी है। प्रदेश में लगभग सभी सम्पर्क मार्ग और आवागमन के साधन थे, टोटली बन्द हो गये है, श्रीमन्, जो पैदल मार्ग थे, वह भी बन्द हो गए। जो सड़कें थीं, चाहे वो एन0एच0 की सड़कें रही हो या राज्य स्तर की सड़कें, लगभग सभी सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसके कारण विद्युत लाईनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। कई जगह हमारे पॉवर हाउस डूब गये। कई सौ किलोमीटर की लाईनें पूरी तरह से उखड़ गयीं, पेयजल की लाइनें श्रीमन्, आज 6 हजार योजनाओं में से लगभग 3 हजार की योजनाओं के बीच पूरी पेयजल की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जैसे आपने अनुमति दी है कि 840 मीटर तक पुनर्वास होगा। लेकिन जिस तरीके से आज की स्थिति है तो क्या आप 100 मीटर और बढ़ाने का काम करेंगे कि वह परिधि में आ जाए ? लगभग 100 गाँवों का जीवन खतरे मे है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मैं इस पर आपसे अलग से बात कर लूंगा, क्योंकि यह एक लम्बा विषय है और काफी ठीक चर्चा का भी है और निर्णय लेने का भी है। मै बहुत जल्दी इस बारे में बात आपसे कर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत गंभीर विषय है। श्रीमन्, खाद्यान्न की व्यवस्था हो या कृषि, हम पूरी तरीके से अस्त–व्यस्त हो चुके है। अल्मोड़ा का बल्टा, सल्ट, भिकियासैंण, ताकुला, देवली, असगोरी, तथा भैकुली क्षेत्र तथा देवड़ा आदि गाँव इस तरीके से प्रभावित हो गये श्रीमन्, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। चमोली में भी चाहे पैणी हो लामगड़ है, नैनीताल का जो छईधुरा है, टिहरी का रमोल, राणाकोट और उत्तरकाशी का जो नौगाँव, चिन्यालीसौड़ और हनुमानचट्टी। मैं सोचता हूँ कि उस तरीके से उस गाँव को जो बहुत बुरी तरीके से और हमारे माननीय सदस्यों ने भी उसका उल्लेख किया, लेकिन मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि ये गाँव तो वे है, जिसकी

माननीय सदस्यगण जी ने चर्चा की, जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। लोग बिल्कुल बेघर होने की स्थिति में हैं। लेकिन जिन लोगों को हम आकलित नहीं कर रहे है, उनकी भी कमोबेश स्थिति श्रीमन्, यह है कि वे भी घरों में रहने लायक नहीं है। बहुत सारे, दर्जनों क्या सैकड़ों गाँव हैं कि ऐसा लगता है कि यदि उनको वहाँ से हटाया न गया तो वे गाँव बहुत बड़ी आपदा में आयेंगे। इसलिए श्रीमन्, मोटर मार्ग के बारे में जो क्षतिग्रस्त हैं, 1227 मोटर मार्ग, लगभग इतने हमने आकलित किये है, हमारे क्षतिग्रस्त हो गये हैं। यदि किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए श्रीमन्, तो किलोमीटर के हिसाब से ये जो आशा नौटियाल जी ने कहा मान्यवर, उन्होंने कहा कि 23 हजार किलोमीटर सड़क नष्ट हुई है, जो उन्होंने कही, गलत नहीं कही। मान्यवर, 32–33 हजार किलोमीटर सड़के पूरे राज्य में हैं, मैं समझता हूँ कि कौन कह सकता है कि मेरे क्षेत्र की सड़क बिल्कुल ठीक है, यह स्थिति है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे है कि 23 हजार किलोमीटर सड़कें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं पर एक किलोमीटर, कहीं पर कुछ सड़क टूटी है, 23 हजार किलोमीटर सड़क पूरी तरह से नहीं टूटी है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर जो सड़क 5 किलोमीटर में 5 जगह टूटी है, जिसका आर और पार पूरा खत्म हो गया है, पूरे प्रदेश में आप जायेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकाँश जगह यही स्थिति है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतनी सड़क का सर्वे इतनी जल्दी कैसे हो गया ? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि हमने तो मोटा–मोटा आकलन किया है और सदस्य यह चाहते हैं कि हम इसका आकलन मोटा भी न करें और यह कह दे कि पहले आगणन बनाये और हमारी जितनी भी फोर्स है, वह कुछ काम न करें, आपदा का राहत कार्य न करे और केवल आगणन बनाते रहे और तब हम पर यह आरोप आये कि आपने तो समय पर यह किया ही नहीं। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, 23 हजार किलोमीटर सड़क खराब हो गई, यह मानने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं इस सदन में बहुत विनम्रता से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या कोई इस सदन का एक सदस्य खड़े होकर कह सकता है कि उसके क्षेत्र में इतने किलोमीटर सड़क ध्वस्त हुई है, क्या कोई माननीय सदस्य यह कहने की स्थिति में है कि ठीक इतने किलोमीटर उसके क्षेत्र में सड़क खराब है, उसके अतिरिक्त न कम और न ज्यादा, आप बता दें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वह सत्य कही। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कितने किलोमीटर सड़क खराब है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा कौन सा जादुई यंत्र या जादुई चिराग है जिससे आपने कह दिया कि 23 हजार किलोमीटर सड़क ध्वस्त हो गई।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इसीलिए कहा कि लगभग इतनी अनुमानित प्रभावित सड़कें हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही कि क्या कोई विधान सभा सदस्य खड़े होकर यह बता सकता है कि उसके क्षेत्र में कितनी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। तो मैंने यही कहा कि जब कोई विधान सभा सदस्य इस बात को नहीं कह सकता है तो आपके पास कोई जादुई चिराग है कि आपने 23 हजार किलोमीटर सड़क के क्षतिग्रस्त होने की बात कह दी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, दूसरी बात मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन और भी लेना चाहता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा होगा कि मोटा–मोटा आकलन बताइये कि कितनी क्षति हुई होगी तो क्या कोई यह आकलन बता सकता है, उनके पास कोई मानक है, कोई पैमाना है ? मान्यवर, इसीलिए मैंने तो शुरू में ही कहा है कि यह सदन है, जो भी तय करेंगे, उसे हम तय करेंगे। यदि कोई नया मार्गदर्शन ऐसा कोई हो सकता है तो हम तो सिर आँखों पर रखेंगे। श्रीमन्, सदन में इतनी लम्बी पाँच घंटे की चर्चा इसीलिए हुई है। यदि आकलित करने का कोई नया पैमाना हो तो बतायें। चूँकि सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जैसे आपने कहा कि लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे है, यह बात सही है, लेकिन आज यहाँ पर बैठकर यह कहा जाय कि आप आकलन करें तो कोई क्या मानक हो सकता है, यदि किसी माननीय सदस्य के पास हो तो बतायें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आशा जी ने एक बात कही थी कि 23 हजार किलोमीटर सड़कें और इस पर इतना विवाद हो गया। इसमें मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह सपना आया था या वास्तव में कुछ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं तो इसमें माननीय आशा जी से क्या मतलब है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाकर के 71 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। यदि आप विधान सभा वार भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से चार विधान सभाओं का मैदान में और चार विधान सभाओं का पहाड़ में, इसकी समीक्षा करा दीजिए, तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हम आँकड़े दे रहे हैं, जिन पर वाद–विवाद हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि यह बात सही है कि हमने जो सड़कों के टूटने की, रास्तों की क्षतिग्रस्त होने की बात को हम सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है, लेकिन जो आँकड़े दिये गये हैं, जैसा यहाँ पर कहा गया कि 23 हजार किलोमीटर के आस–पास। मान्यवर, लगभग का भी मतलब होता है। लगभग का मतलब 20 हजार, 30 हजार नहीं होता है। लगभग का मतलब होता है 22 हजार कुछ सौ हो सकता है, 21 हजार कुछ सौ हो सकता है। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जब आँकड़े दें, तो ठीक दें। या तो आँकड़ा न दें। मान्यवर, यदि हम यह कहें कि अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, तो यह चल सकता है। यदि हम आँकड़ा दें तो इस तरह का आँकड़ा न दें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से पहले 5 हजार करोड़ और अब 25 हजार करोड़ रुपये का आँकड़ा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ चूंकि आपका भी बहुत अधिक लम्बा संसदीय जीवन है और आप भी अनेक विभागों के मंत्री रह चुके हैं। हम स्वयं भी महसूस करते हैं कि एक मंत्री के रूप में हमारे विभाग का बजट कितना होगा। मान्यवर, यह तो ठीक है कि यदि हमने 500 हजार करोड़ रुपये की अपेक्षा की है तो 1000 हजार करोड़ रुपये की बात करेंगे। 1000 हजार करोड़ रुपये की उम्मीद करेंगे तो हम 1500 हजार करोड़ रुपये की बात करेंगे। यह तो ठीक है कि जो माँगता है, वह बढ़–चढ़कर के माँगता है और वह बढ़–चढ़कर ही बात करता है। मान्यवर, जैसी माँग हम करेंगे,

वैसे ही हमें मिलेगा। मान्यवर, चाहे हम भारत सरकार से बातचीत करें, चाहे सदन के माध्यम से बातचीत करें, चाहे मीडिया के माध्यम से बातचीत करें, यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारी बातों में गम्भीरता कम है और लफ्फाजी ज्यादा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, केन्द्र सरकार से इस बार वार्ता करेंगे तो बिल्कुल पक्की करियेगा, कहीं पैकेज की तरह न हो। (व्यवधान) इस बार मिलना चाहिए। उधर से भी प्रयास होना चाहिए और इधर से भी प्रयास होना चाहिए। (व्यवधान) ठोस प्रयास होना चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हमने जो आकलन किया, उसे किलोमीटर में नहीं किया। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मैंने यह नहीं कहा कि इतने किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी। कहीं की बात बिना किसी बात के कहीं की कहीं पहुँच गयी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिस तरह से इन्होंने आशंका की, हो सकता है यह भी हो। हमने कोई किलोमीटर नहीं लिखा, किलोमीटर लिखने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता, मैं कैसे लिख दूँगा किलोमीटर, हमने यह मोटा–मोटा आकलन किया है। कल जब हम सभी लोग बैठे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष थे, सभी दलों के हमारे दलीय नेता बैठे थे। सभी दलों की मैंने सर्वदलीय बैठक की थी और उस सर्वदलीय बैठक में बाकायदा इन सभी चीजों की चर्चा की। उनसे चर्चा करने के बाद जो हमको मोटा–मोटा आकलन डिवीजनों से यह पेयजल या सिंचाई विभाग से प्राप्त हुआ, कोई जरूरी नहीं कि यह बिल्कुल सही हो। लेकिन जिस रूप में श्रीमन्, हमकों आकलन मिला, उसमें सड़कों की जो क्षति हुई। पूरी तरह से रास्ते, पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हुए, उसमें 8 हजार करोड़ रुपये, जो गाँवों को पूरी तरह से पुनर्वासित करना पड़ेगा, उसमें 5 हजार करोड़ रुपया। लगभग ढाई पेयजल योजनाए क्षतिग्रस्त हुई, उसमें 2 हजार करोड़ रुपये, सम्पूर्ण नहर और टोटल जिस तरीके से कटाव हुआ है, उसके लिए 3 हजार करोड़ रुपये, सम्पूर्ण जो विद्युत की क्षति हुई है, विद्युत लाईनें और पावर हाउस ध्वस्त हुए हैं, उसके लिए 1 हजार करोड़ रुपये और लगभग 1 हजार हैक्टेयर भूमि की जो फसल के नुकसान का हम मोटा–मोटा अनुमान लगा रहे हैं, उसके लिए भी 1 हजार करोड़ रुपये और जो सरकारी क्षति हुई है, चाहे विद्यालय है, चाहे चिकित्सालय है, इस तरह से जो राजकीय क्षति हुई है, उसके लिए 500 करोड़ रुपये और सभी जिलों में आवासों की जो क्षति हुई है, हजारों आवासों की जो क्षति हुई है, उसके लिए सिर्फ 500 करोड़ रखा।

श्रीमन्, हमने यह मोटा–मोटा अनुमान लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि निश्चित रूप से

उन्होंने जिस तरीके से गंभीरता से सब चीजों को लेकर कैबिनेट सचिव को तुरन्त मीटिंग के लिए निर्देश दिया। हमारे मुख्य सचिव को कहा कि ये हमारे कैबिनेट सचिव के सम्पर्क में रहें। आज भी सुबह 10 बजे जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव का फोन आया था कि कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात को बात की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से करें। श्रीमन्, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और गृह मंत्री जी से भी जैसे ही मैंने बात की, तो उनकी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन की जो फोर्स है, उस फोर्स को उन्होंने नावों के साथ और तेज चलने वाले जो स्टीमर हैं, उनके साथ भेजा। हम हरिद्वार और ऋषिकेश के बारे में बहुत सजग थे कि यदि कुछ भी होगा, तो हम किसी तरीके से और हानि तो बचा नहीं सकते, लेकिन जन हानि को बचाने के लिए हम पूरी ताकत से तत्पर थे उन्होंने रात ही रात में अपनी फोर्स भी वहाँ पर पहुँचा दी थी। आदरणीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, एस0एस0 अहलूवालिया जी, रवि शंकर प्रसाद जी, तरूण विजय जी, वैंकया जी, इन सभी लोगों की प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है और बातचीत में उन्होंने सकारात्मक रूख अपनाया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इस तरीके से राजनीतिक रूप से आप कहेंगे तो फिर हम भी कहेंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सोनिया जी ने भी आग्रह किया था। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं उनका भी आभार प्रकट कर रहा हूँ। (व्यवधान) मैं सोचता हूँ कि उन्होंने भी इस विषय को गम्भीरता से लिया, इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री पद पर हैं, माननीय सोनिया जी का जिक्र हम लोग इसलिए कर रहे है, क्योंकि वे केन्द्र सरकार की चेयरपर्सन है। लेकिन जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, उनका उल्लेख करके हम उनको धन्यवाद दें। (व्यवधान) तो इस तरह से कल सदन धन्यवाद देता रहेगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी पार्टी के भी कई सांसद और नेता प्रधानमंत्री जी से मिले और हमारे संगठन के सह प्रभारी पाण्डे जी मिले। जब तरूण विजय का धन्यवाद हो सकता है तो हरीश रावत और विजय बहुगुणा को धन्यवाद क्यों नहीं हो रहा है ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे प्रदेश के सांसदों को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारे सह प्रभारी भी मिले हैं, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात तो यह है कि किसी पर आरोप नहीं लगाया जाय, यदि किसी का कुछ योगदान रहा है तो उनका नाम लेने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जो–जो लोग भी, हमारे प्रदेश की इस आपदा में, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सोनिया जी भी यहाँ पर आई, हवाई सर्वेक्षण किया, हमारी चिन्ता की, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, रक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर आये। तो जिन लोगों ने भी ऐसे वक्त में हमारी चिन्ता की है, चाहे वे हमारे सांसद हैं या किसी भी पार्टी के नेतागण, मैं उन सभी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, जो इसमें तत्काल कार्य किये जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हरिद्वार में एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं। सड़कों की दिशा में जो हमारी 1227 सड़कें बन्द पड़ी थीं, उनमें से 496 को प्रारम्भिक दृष्टि से यातायात के लिये खोल दिया है। सड़कों को सुचारू करने के लिए 85 विभागीय डोजर लगा रखे हैं, जे0सी0बी0 लगा रखी है और 125 निजी क्षेत्र की जे0सी0बी0 को पुनर्निर्माण के कार्य के लिए रात–दिन जुटाया गया है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में 5078 पेयजल की योजनायें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, 528 लाईनें हमने इस समय तक चालू कर दी है। श्रीमन्, खाद्यान्न की दिशा में जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सितम्बर तक का खाद्यान्न हमारे पास था, चूँकि बहुत सारे सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि बहुत सारी दुकानों पर खाद्यान्न शायद नहीं है। श्रीमन्, हम इसको भी युद्ध स्तर पर देख लेंगे और एक–दो दिन में इसकी व्यवस्था ठीक हो जायेगी। दो हैलीकाप्टर इस दिशा में काम कर रहे हैं, एक अल्मोड़ा की ओर और दूसरा जोशीमठ की ओर। हमने लगातार खाद्यान्न को

पहुँचाया है और उन स्थानों पर भी पहुँचाया है, जहाँ पर सड़कों से सम्पर्क बिल्कुल समाप्त हो चुका था। इसी प्रकार से बहुत सी विद्युत की योजनायें भी हमने प्रारम्भ कर दी हैं, हमने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में राहत शिविर भी लगायें है। हरिद्वार में लगभग 10 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानो पर पहुँचाया जा चुका है और 12–13 हजार लोगो को ऊधमसिंहर नगर में इस समय लगभग 30 राहत शिविर काम कर रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 हजार सड़को के लिए पैसा माँगा है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रति कि0मी0 30 लाख रुपये की लागत आती है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, अब यह 46 लाख रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है और यदि आपकी सहमति हो तो मैं इसे कम कर दूँगा। मैं इस पर आपसे चर्चा नही कर रहा हूँ, यदि आपको लगे कि यह कम होना चाहिये तो बता दीजियेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह इनका आगणन है, 8 हजार करोड़ रुपये में 2 लाख, 66 हजार, 600 कि0मी0 सड़क बन जायेगी। आप इसे फिर से कैलकुलेट कर लीजिये, इस तरह से आगणन आप भारत सरकार को भेजोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता से माननीय नेता प्रतिपक्ष से, माननीय नेता बसपा से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि उनको लगे कि यह ठीक नही है तो जितना आपको ठीक लगे, आप यदि 1000 कहेंगे तो मैं उतना ही कर दूँगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं तो आपके सामने ही आँकड़े रख रहा हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, तो क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के इन शब्दों पर घोर आपत्ति है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं तो माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा से इस समय बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप अनुभवी हैं। (व्यवधान) हमेशा परिपाटी यही रही है। माननीय किशोर जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जनता ने भेजा है हमें, बात रखने के लिए। यहाँ गलत आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं, तथ्यहीन आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय किशोर जी और माननीय अन्य सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया जो परिपाटी है, यह जो प्रक्रिया है कि आप चेयर को सम्बोधित करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, तो कृपया इसका ध्यान रखियेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं दुबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ क्योंकि हम जरूर भारत सरकार को भेज दें, लेकिन भारत सरकार हमारी इतनी मदद थोड़ी करने वाली है। पहली बात तो ये है। दूसरा मैं यह ये कहना चाहता हूँ कि क्या शत–प्रतिशत श्रीमन्, (व्यवधान) इसमें मैंने कह दिया कि सदन में, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमन्, कि यदि हमने आकलन किया है तो ये सरकार जिम्मेदार है न उसके प्रति, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कि जो काम होगा श्रीमन् , वह जमीन पर होगा, आसमान पर तो नहीं होगा। जब आगणन बनेंगे श्रीमन्, (व्यवधान) बिना बात के चर्चा की क्या आवश्यकता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सदन के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, न करें स्वीकार। मैं तो ये सुझाव दे रहा हूँ कि यदि इसमें आपको लगता है कि सारी चीज जो मैंने कहा, यदि सदन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये इतना नहीं होना चाहिए या नहीं है उनके संज्ञान में तो मैं इसको संशोधित करने के लिए खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीमन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आठ टीमें इस दिशा में संचालन कर रही हैं। श्रीमन, उत्तरकाशी की सभी तहसीलों में राहत और बचाव कार्य के लिए सभी को तैनात किया है श्रीमन्, और 1761 परिवार जो अल्मोड़ा में प्रभावित हुए है श्रीमन्, उनको खाद्यान्न भी भेजा जा रहा है। आज हैलीकाप्टर्स लगे हुए है, शाम को मौसम खराब होने के कारण दुबारा नहीं जा पाये, लेकिन जितनी खाद्यान्न की सामग्री उस स्थान पर पहुँचायी जा सकती थी, वो उस स्थान पर पहुँचायी गयी है श्रीमन्, इधर जोशीमठ के स्थान पर श्रीमन्, खाद्यान्न को भेजा गया है जो श्रीनगर, इधर रूद्रप्रयाग इसके बीच श्रीमन्, सड़क बहुत दिनो से बन्द थी, आज उस सड़क को भी श्रीमन्, खोला गया है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, सगलाकोटी की भी रोड खुलवा दीजिए, 18 दिन हो गये है, बार–बार डी0एम0 को फोन मे कहने के बावजूद भी 18 दिन हो गये हैं, मार्ग अभी तक नहीं खुला है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, उसको भी लगा रहे है। श्रीमन्, संस्थान की जो 4807 क्षतिग्रस्त योजनाएं थी,उसमें 550 योजनाएं हम लोग अभी तक ठीक कर चुके है श्रीमन्, 271 जल निगम की योजनाए थीं, उसमें भी 30 अभी तक हम लोग ठीक कर चुके हैं। विद्युत की जो 806 किलोमीटर के करीब लाईनें पूरी तरह के ध्वस्त थीं और 524 ग्यारह के0वी0 के उप संस्थान स्थान–स्थान पर ध्वस्त हुए श्रीमन्, इसको भी हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमन, जहाँ तक ये कहा जा रहा था कि 24 करोड़ रुपये केवल खर्च हुआ है। श्रीमन, मैं जो आपदा राहत और प्रबन्धन में किस वर्ष में कितना खर्च किया गया है, केवल वर्षवार थोड़ा सा एक मिनट में उसको खत्म कर रहा हूँ। श्रीमन्, वर्ष 2004 और 2005 में 36 करोड़ रुपये खर्च किया गया, वर्ष 2005 और 2006 में 52 करोड़ रुपये (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) वर्ष 2006 और 2007 में 54 करोड़, वर्ष 2007 और 2008 में 81 करोड़, वर्ष 2008 और 2009 मे 63 करोड़ और श्रीमन, वर्ष 2009 और 2010 में 146 करोड़ रुपये खर्च किया गया। श्रीमन, जब मैं आँकड़ों की बात करता हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं। श्रीमन्, मैं तो वर्षवार कह रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमने 118 करोड़ रुपये प्राविधानित किया है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मंगलवार को 78 करोड़ रुपये जारी किया या नहीं किया ? आपके पास कितना आपदा का बजट था, यह सदन को बतायें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, उनका ध्यान तो रखिये।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी घोर आपत्ति है कि यह सरकार जब भी कोई बात रखती है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तुलनात्मक बता तो रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जब मैंने अपना सम्बोधन किया था, मैंने कहा था कि हम इस आपदा को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश न करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब हम तुलनात्मक आँकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि हम वर्ष 2004–05 और 2006–07 के आँकड़े रखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, यह आवश्यक नहीं है कि वर्ष 2004–2005 में भी उतनी ही आपदा आई हो। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। आज राजा के भाग्य से प्रजा भुगत रही है, इस समय प्रदेश में दैवीय आपदा आयी है, सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, अपने कर्मों के कारण प्रदेश में दैवीय आपदा आई है, आप हमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वर्ष 2004–05 में ऐसी सरकार थी कि उसके शासनकाल में इस प्रदेश की जनता के ऊपर कोई आपदा नहीं आयी। जब से यह सरकार आयी है, तब से बस दुर्घटनायें हो रही है, कहीं भू–स्खलन हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब शिक्षकों के ट्रान्सफर पोस्टिंग में पैसे लिये जायेंगे तो प्रदेश में ऐसी आपदायें आयेंगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह बात तो ठीक नहीं है, श्रीमन्, मैं इसको खण्डित करता हूँ, गलत तरीके से बात की जा रही है, यह सदन का भी अपमान है। तुलनात्मक चार्ट में एक–एक वर्ष का दे रहा हूँ और कहा जा रहा है आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। यह गलत तरीके से सरकार को आरोपित करने की कोशिश की जा रही है, मैं खण्डित करना चाहता हूँ, इस बात को। यह गलत बात है और गलत परम्परा है। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह सरकार संवेदनशील सरकार है, यह सरकार जनता के साथ जुड़ी हुई है। (व्यवधान) यह सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है, इस राज्य के हित के लिए यह सरकार किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार है। हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग एक साथ हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा गलत दिशा में न जाये, जिस भावना से हम 06 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ और सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जिन 50 लोगों ने चर्चा की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। जिन लोगों ने भी यहाँ पर चर्चा की है, उनका मैं दिल से आभारी हूँ और आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ और अवगत करना चाहता हूँ कि एक तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त प्रति पक्के भवन हेतु अनुमन्य राहत सहायता जो रू0 35 हजार थी, उसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) और पूर्णता क्षतिग्रस्त प्रति कच्चे भवन राहत सहायता राशि जो पहले 10 हजार रू0 थी, उसे बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है। सरकार द्वारा तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त प्रति पक्के भवन हेतु राहत सहायता पूर्व में 5 हजार थी, से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है, तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त प्रति कच्चे भवन हेतु राहत सहायता दो हजार पाँच सौ से बढ़ाकर पाँच हजार कर दिया गया है, आँशिक क्षतिग्रस्त प्रति पक्के व कच्चे भवन हेतु (15 प्रतिशत से कम)

राहत सहायता रू0 पन्द्रह सौ से बढ़ाकर तीन हजार कर दिया गया है, प्रति क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी हेतु राहत सहायता रू0 दो हजार से बढ़ाकर रू0 तीन हजार कर दिया गया है। सरकार द्वारा मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह एवं अहेतुक सहायता राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया है। अपंगता 40 से 75 प्रतिशत (एक हाथ पैर या आँख की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान), जो अभी तक 35 हजार रुपये था, उसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। जब अपंगता 75 प्रतिशत से अधिक हो तो अनुग्रह एवं अहेतुक सहायता पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है, जानलेवा चोट, जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो (एक सप्ताह से अधिक) को रू0 7500 से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। जानलेवा चोट, जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो (एक सप्ताह से कम), तो रू0 2500 से बढ़ाकर रू0 4000 कर दिया गया है, कपड़े बह जाने पर अहेतुक सहायता प्रति परिवार एक हजार से बढ़ाकर दो हजार कर दिया गया है, बर्तन बह जाने पर अहेतुक सहायता प्रति परिवार रू0 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। कृषि भूमि में मलवा आ जाने पर अहेतुक सहायता प्रति है0 राहत सहायता रू0 6000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है, भू-स्खलन एवं नदी के कटाव के कारण भूमि की क्षति प्रति है0 कृषि अनुदान सहायता 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। श्रीमन्, 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल की क्षति होने पर (भू-स्वामित्व कम होने की दशा में रू0 250/- से कम नहीं होगी) असिंचित क्षेत्रों में जो दो हजार रुपये था, उसे बढ़ाकर 3 हजार कर दिया गया है और सिंचित क्षेत्रों में 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार कर दिया गया है। 50 प्रतिशत या इससे अधिक सदाबहार फसल की क्षति होने पर प्रति है0 (भू-स्वामित्व कम होने की दशा में रू0 500/- से कम नहीं होगी) रू0 6000/- से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।

मान्यवर, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा एवं बैल के मरने पर प्रति पशु राहत सहायता रू0 10 हजार से बढ़ाकर 15000/- कर दिया गया है, बछिया, गधा एवं खच्चर के मरने पर प्रति पशु राहत सहायता 5000/- से बढ़ाकर 7500/- कर दिया गया है, बकरी एवं भेड़ के मरने पर प्रति पशु राहत सहायता रू0 1000/- से बढ़ाकर 2000/- कर दिया गया है। मान्यवर, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से राहत कार्यों में जुटी हुई है। सरकार पूरी निष्ठा और लगन के साथ जनता की सेवा करने में लगी हुई है। जो राज्य में आपदा आई, उसका पूरी तरह से पूरी शक्ति से मुकाबला करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। मुझे आपने सुना इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर-जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक कि वे अपने स्थान पर न चले जाएं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चर्चा समाप्त होती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के 'राज्य सरकार के वित्त' पर प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के "राज्य सरकार के वित्त" पर प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के 'निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास' की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के "निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास" की निष्पादन लेखापरीक्षक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के 'लेखा परीक्षा' प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे वर्ष के 'लेखापरीक्षा' प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2010 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2010 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2010 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का अठ्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2010 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2010 को पारित किया गया था,

पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का बीसवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2010 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का इक्कीसवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2010 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का बाईसवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2010 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का तेईसवाँ अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 2010 की बैठक में दिनांक 22 तथा 23 सितम्बर, 2010 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

सितम्बर, 2010

22 (बुधवार) (1) औपचारिक कार्य।

(2) वर्ष 2010–2011 के अनुपूरक माँगो का प्रस्तुतीकरण।

23 (गुरूवार) (1) अनुदानवार अनुपूरक माँगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री शहजाद की कुल 03 सूचनाएँ प्राप्त हुई है। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम की सूचना, जो प्रदेश में विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, कि ये कार्य बिना टैण्डर के होंगे अथवा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 (फ) (2) के अन्तर्गत नगर पालिका सदस्यों की निरर्हता सम्बन्धी श्री शहजाद की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए और माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना, जो जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में

अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत सड़कों का चयन करने में सही नीति निर्धारित न किये जाने एवं धन का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

('वेल' में खड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

उत्तराखण्ड राज्य में भारी वर्षा, बाढ़, प्राकृतिक दैवीय आपदा को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाय, पर संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारी वर्षा, बाढ़, प्राकृतिक एवं दैवीय आपदा को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाय। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, आपने सुनी नहीं, तो हम क्या करें। आप कार्यवाही का अंश दिखवा लीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारी वर्षा, बाढ़, प्राकृतिक एवं दैवीय आपदा को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में आई भीषण दैवीय आपदा के कारण असमय काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक संवेदना का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि शोक प्रस्ताव भी इस माननीय सदन में आना है। श्रीमन्, विगत दिवसों में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में आई भीषण दैवीय आपदा के कारण असमय काल कवलित व्यक्तियों के प्रति यह सदन शोक संवेदना व्यक्त करता है, यह सदन परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है कि समस्त असमय काल कवलित व्यक्तियों की आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को इस गंभीर कष्ट को सहने के लिए शक्ति प्रदान करें। उक्त के अतिरिक्त यह सदन भीषण दैवीय आपदा के कारण गंभीर और साधारण रूप से घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम दो मिनट के मौन हेतु खड़े होते हैं।

(तत्पश्चात् दो मिनट का मौन रखा गया।)

अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 06 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांक : 22 सितम्बर, 2010

महेश चन्द्र,

प्रमुख सचिव।

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए तारां० प्र०सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

जनपद हरिद्वार

धारा–154(4)(3)(क) के अन्तर्गत शासन से प्राप्त होने वाले उद्योगों/कम्पनी हेतु भूमि क्रय करने हेतु प्राप्त अनुमतियों का विवरण – (वर्ष 2008–09)

क्र० सं०	उद्योग/कम्पनी का नाम	प्रयोजन	रकबा	मौजा	अनुमति सम्बन्धी शासनादेश संख्या दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	आई०टी०सी० लि० हरिद्वार	आवासीय कालोनी की स्थापना	2.0830 है०	सलेमपुर महदूद–2	96/भू०अ०/81(1)/2007, दिनांक 21.04.2010
2.	मर्स इलेक्ट्रानिक लि०	मेगा प्रोजेक्ट हेतु	2.902 हेक्टे०	मुण्डियाकी	शासनादेश सं०–414/18(2)/07/08, दिनांक 17.06.08
3.	शान्ति एवं शैलफोगर सोसाईटी रजि० ओम विहार कालोनी कृष्णा नगर हरिद्वार	महाविद्यालय की स्थापना हेतु	0.625 है०	जगजीतपुर	शासनादेश सं०–86/भू०अ० 18(2)/07, दिनांक 14–05–08
4.	मै० बालाजी स्टोन क्रेशर द्वारा पार्टनर अनिल कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप नि० हरियाणा	स्टोन क्रेशर हेतु	0.5277 है०	बिशनपुर झबरा	शासनादेश सं०–62/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 09–05–2008
5.	मै० नागोकेम फार्मा० लि० मुम्बई	फार्मा उद्योग हेतु	1.3495 है०	अमरपुर काजी	शासनादेश सं०–148/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 06–05–2010
6.	सत्यनारायण उदय ट्रस्ट रुड़की	पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूट हेतु	2.188 है०	धनौरी	शासनादेश सं०–138/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 07–05–2008
7.	मै० भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि०	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट इकाई हेतु	1.342 है०	मुकीमपुर	शासनादेश सं०–110/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 06–05–08
8.	मै० टंकली फार्मा जौनपुरी फार्मा० प्रा०लि०	फार्मा उद्योग हेतु	0.5130 है०	नलहेड़ी देहकीरान	शासनादेश सं०–150/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 06–05–08
9.	गंगोत्री पेपर मिल प्रा० लि०	क्राफ्ट पेपर हेतु	1.5570 है०	कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां व लादपुर	शासनादेश सं०–98/भू०अ० 18(1)/07, दिनांक 13–05–08

1	2	3	4	5	6
10	जी0वी0रेमेडीज प्रा0 लि0	फार्मा0 उद्योग	0.205 हे0	गुडकी	शासनादेश सं0—106 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 13—05—08
11.	मै0 एस्कोफ लाईफ केयर प्रा0लि0	फार्मा0 उद्योग	0.4800 हे0	खेलपुर नसरूल्लापुर	शासनादेश सं0—63 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 13—05—08
12	मै0 पमीर इन्टेट्रस प्रा0लि0	होटल व्यवसाय	1.592 हे0	आमलपुर नौगजा	शासनादेश सं0—55 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 27—05—08
13	मै0 कैम्प आर0ओ0 सिस्टम प्रा0लि0	वाटर प्यूरीफायर मशीनों के निर्माण की इकाई हेतु	1.612 हे0	नत्थाखेड़ी	शासनादेश सं0— / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 30—05—08
14.	मै0 एक्स्ट्रीम एनर्जी सोल्यूशन प्रा0लि0	एल0सी0 / सी0सी0 एसम्बर तथा एसेम्बलिंग की इकाई हेतु	1.00 हे0	नत्थाखेड़ी	शासनादेश सं0—133 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 30—05—08
15	मै0 ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट ऑफ इण्डिया लि0	उद्योग लगाने हेतु	2.175 हे0	गंगनौली	शासनादेश सं0—289 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 22—05—08
16	मै0 स्टेनेल फार्म्युलेशन प्रा0लि0	फार्मा उद्योग	0.2733 हे0	ननहेड़ा अनन्तपुर	शासनादेश सं0—169 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 04—06—08
17.	मै0 मार्क इलेक्ट्रानिक लि0 यूनिट—2	मेगा प्रोजेक्ट	2.9020 हे0	मुण्डियाकी	शासनादेश सं0—414 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 17—06—08
18	मै0 जुबिलेन्ट आर्गेनोसिस लि0	आवासीय कालोनी हेतु	0.600 हे0	तलहेड़ी	शासनादेश सं0—264 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 13—06—08
19	मै0 उत्तम शुगर मिल प्रा0लि0	मूट—फाने बेसिस एम0	6.3910 हे0	उल्मनपुर	शासनादेश सं0—193 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 26—06—08
20	मै0 लतारायल नागोसीवाज लि0	नागोडीजल प्रा0 यूनिट	1.4175 हे0	औरंगजेब	शासनादेश सं0—253 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 26—05—08
21	मै0 जे0 पी0 टेक्नोप्लास्ट प्रा0लि0	उद्योग हेतु	0.515 हे0	महाबली उर्फ चमपुरा	शासनादेश सं0—205 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 10—07—08
22	मै0 फेरोन नागो फार्मास्युटिकल्स प्रा0लि0	फार्मा यूनिट हेतु	0.6605 हे0	महमूदपुर	शासनादेश सं0—77 / मू0कल्य 18(1) / 07, दिनांक 10—07—08

1	2	3	4	5	6
23	मै0 एंकर फार्मा प्रा0 लि0	उद्योग हेतु	3.328 है0	पदार्थ उर्फ धनपुरा	शासनादेश सं0–102/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 03–07–08
24	मै0 एन्कौर फार्मा प्रा0लि0	फार्मा0 उद्योग हेतु	0.1367 है0	नन्हेड़ा अनन्तपुर	शासनादेश सं0–04/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 14–07–08
25	मै0 पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट	पंचकर्म, आयुर्वेद औषधि निर्माण शाला, प्रयोगशाला हेतु	50 है0	औरंगाबाद शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, शान्तरशाह तथा बहादरपुर	शासनादेश सं0–56/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 16–07–08
26	मै0 पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट	औषधि निर्माण एवं अनुसंधान हेतु	56.468 है0	मुस्तफाबाद	पर हुई है। हमारे ल मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 08–07–2008
27	मै0 जयप्रकाश एसो0 लि0	उद्योग हेतु	30.44 है0	नलहेड़ी देहलीरान	शासनादेश सं0–210/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 22–07–08
28	मै0 हरिद्वार स्टील प्रा0लि0	उद्योग हेतु	33.300 है0 92.307 है0	नागली कन्जावरी शान्तरशाह	शासनादेश सं0–921/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 27–08–08
29	मै0 पालीकैब वायर्स प्रा0लि0	उद्योग हेतु	1.0050 है0	मुण्डियाकी	शासनादेश सं0–745/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 01–09–2008
30	मै0 अमरा राजा बैट्रीज	ऑटोमोटिव/ इन्डस्ट्रीयल बैट्रीज के उत्पादन हेतु	9.997 है0	गंगनौली	शासनादेश सं0–1102/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 24–11–08
31	मै0 ऐमा इंजी0 एण्ड0 लि0	मैनुफैक्चरिंग ऑटोपार्टस	1.7010 है0	नागली कन्जावरी	शासनादेश सं0–1066/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 28–11–08
32	सेठ विमलाप्रसाद जैन, एजुकेशनल ट्रस्ट	शैक्षणिक प्रयोजन	12.50 है0	इमलीखेड़ा धर्मपुर	शासनादेश सं0–1215/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 20–11–08
33	मै0 हिमालय हर्बल फूड्स	हर्बल फूड्स/ फूड्स सप्लीमेन्ट निर्माण हेतु	0.3483 है0	भगवानपुर	शासनादेश सं0–1287/ मु0क0प0 18(1)/07, दिनांक 31–12–08
34	मै0 आई0टी0सी0 लि0	आवासीय कालोनी हेतु	0.4130 है0	सलेमपुर महदूद–2	शासनादेश सं0–17/ मु0क0प0 18(1)/09, दिनांक 14–01–09

1	2	3	4	5	6
35	मै0 राणा ग्लोबल लि0	औद्योगिक प्रयोजन	7.566 हे0	गंगनौली	शासनादेश सं0–923/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 10–12–2008
36	मै0 आर्किड केमिकल्स एवं फार्मा	फार्मा0 उद्योग	1.4681 हे0	गदरजुड्डा	शासनादेश सं0–1068/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 23–12–08
37	मै0 सैक्सोना एन्क्लेव प्रा0लि0	आवासीय कालोनी	5.561 हे0	निरसरपुर	शासनादेश सं0–1252/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 30–12–2008
38	श्री आशीष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हरिद्वार	कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार हेतु	1.284 हे0	सजनपुर पीली	शासनादेश सं0–मु0औ0–44/मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 13–01–09
39	मै0 भारत ऑयल एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0	उद्योग की स्थापना हेतु	0.995 हे0	मुकिमपुर	शासनादेश सं0–1601/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 17–01–2008
40	उत्तराखण्ड इन्फ्रा एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0	उद्योग हेतु/	53.9868 हे0	रायसी, कान्हेवाली रायसिंह, रहीमपुर कुड्डी एवं नेतवाला सौदाबाद मोवावाली	शासनादेश सं0–338/ मु0कव्य 18(1)/09, दिनांक 05–02–09
41.	मै0 एमीनेण्ट इन्फ्रा प्रा0लि0	ग्रुप हाउसिंग योजना	5.90 हे0	नकरौंदी	शासनादेश सं0–369/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 09–02–09
42	मै0 मुकता इन्द्रा प्रा0लि0	फार्मा0 उद्योग	0.2040 हे0	सालियर साल्हापुर	शासनादेश सं0–359/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 17–02–09
43	मै0 अनिल केमिकल्स एण्ड इण्ड0 लि0	एक्सट्रूड सीमलेस ट्यूब्स एण्ड पैकेजिंग यूनिट हेतु	15 बीघा	अजबपुर कलां	शासनादेश सं0–101/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 18–03–09
44.	श्री सीमेन्ट लि0	सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट	7.603 हे0	अजबपुर कलां	शासनादेश सं0–563/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 18–03–09
45	स्पाइका पावर एवं रिसोर्सेज लि0	पर्यटन उद्योग हेतु	0.4183 हे0	करौंदी मु0	शासनादेश सं0–165/ मु0कव्य 18(1)/08, दिनांक 31–03–09

1	2	3	4	5	6
46	मै0 एम्क्यूअर ड्रग्स एण्ड फार्मा0 तथा इम्क्यूअर बायोटैक रोहिणी नई दिल्ली	फार्मास्युटिकल्स उद्योग हेतु	0.2065 हे0	गोजनापुर	शासनादेश सं0–331/ मु0क0प0 18(1)/08, दिनांक 24–03–09

वर्ष 2009 10

क्र0 सं0	उद्योग/कम्पनी का नाम	प्रयोजन	रकबा	मौजा	अनुमति सम्बन्धि शासनादेश संख्या दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मै0 गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज	ग्लास इण्डस्ट्रीज उद्योग हेतु	3.7565 हे0	भगौंजा, खेमपुर	शासनादेश सं0–1274/ XVIII(II)/09, दिनांक 18–05–2009
2.	उत्तराखण्ड यूनिवर्सल एजुकेशन ट्रस्ट	एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	2.5 एकड़	भवानीपुर जमालपुर	शासनादेश सं0–112/ XVIII(II)/09, दिनांक 11–06–09
3.	ओम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ	0.3920 हे0	पंचायतपुर	शासनादेश सं0–348/ XVIII(II)/09, दिनांक 12–05–09
4.	माडर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एवं टैक्नोलॉजी सोसायटी	शिक्षण संस्थान	0.9957 हे0	रोड़ीगाली	शासनादेश सं0–147/ XVIII(II)/09, दिनांक 18–05–2010
5.	मै0 कोल्ट आर0ओ0 सिस्टम नोएडा	कर्मचारियों के आवास हेतु	0.2800 हे0	बन्तालाली	शासनादेश सं0–254/ XVIII(II)/10, दिनांक 05–02–2010
6.	पतंजलि विश्वविद्यालय एवं योगपीठ ट्रस्ट	पतंजलि विश्वविद्यालय हेतु	156 हे0	औरंगाबाद/ शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला	शासनादेश सं0–57/ XVIII(II)/10, दिनांक 26–02–2010
7.	मै0 आदित्य प्रिन्ट एन पैक	औद्योगिक प्रयोजन	0.2523 हे0	शाहरशाह	शासनादेश सं0–418/ XVIII(II)/09, दिनांक 04–03–2010
8.	मै0 सिंघानिया विश्वविद्यालय सोसाइटी	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ	29.4530 हे0	मंजारेवाला खादर	शासनादेश सं0–143/ XVIII(II)/10, दिनांक 16–03–10

1	2	3	4	5	6
9.	मदरास इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलाजी	उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु	10 हजार वर्गमीटर	गारौंदी	शासनादेश सं0–143/XVIII(II)/10, दिनांक 16–03–10
10	शक्ति गांग फूड्स लि0	औद्योगिक प्रयोजन	3.7037 हे0	सलेमपुर महदूद	शासनादेश सं0–703/XVIII(II)/10, दिनांक 26–03–2010
11.	मै0 ह्यूज इन्वेरनमेन्ट इण्डिया लि0	पावर स्टेशन हेतु	0.102 हे0	गंगनौली	शासनादेश सं0–661/XVIII(II)/10, दिनांक 25–03–2010

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

हरिद्वार में धारा–154(4)(3)(ख) के अन्तर्गत कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने हेतु जिला स्तर से निर्गत अनुमतियों का विवरण– (वर्ष 2008–09)

क्र0 सं0	नाम व पता	रकबा	मौजा
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश मिश्र पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र नाथ, नि0 6 आर0बी0ई0जी0, पाण्डीचेरी	0.417 हेक्टे0	पीली पड़ाव
2.	श्री दिनेश मिश्र पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र नाथ, नि0 6 आर0बी0ई0जी0, पाण्डीचेरी	0.443 हेक्टे0	पीली पड़ाव
3.	श्री दिनेश मिश्र पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र नाथ, नि0 6 आर0बी0ई0जी0, पाण्डीचेरी	0.253 हेक्टे0	पीली पड़ाव
4.	श्री दिनेश मिश्र पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र नाथ, नि0 6 आर0बी0ई0जी0, पाण्डीचेरी	0.848 हेक्टे0	पीली पड़ाव
5.	मै0 अर्जुन ऐरोमैटिक लि0 नई दिल्ली	3.160 हे0	भूपपुर बगराबल
6	श्री सुशील अग्रवाल पुत्र श्री राम विलास, नि0 304ए/चेन्नई, तमिलनाडू	0.3413 हे0	दावकी खुर्द
7.	श्रीमती बिन्दु कादयान पत्नि श्री महेश शर्मा, नई दिल्ली	3.160 हे0	भूपपुर बगराबल
8	श्रीमती बिन्दु कादयान पत्नि श्री महेश शर्मा, नई दिल्ली	1.478 हे0	शाहपुर
9	श्री अजय सिंह कादयान पुत्र श्री जगत सिंह कादयान, नि0 करनाल, हरियाणा	0.980 हे0	प्रहलादपुर

1	2	3	4
10	श्री अजय सिंह कादयान पुत्र श्री जगत सिंह कादयान, नि0 करनाल, हरियाणा	3.128 है0	प्रहलादपुर
11.	श्री अश्वनी सिंगला पुत्र श्री प्रकाश सिंगला, नि0 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद	2.4158 है0	प्रहलादपुर
12	श्री संजय बंसल पुत्र श्री सत्यनारायण बंसल, नि0 पीतमपुरा, नई दिल्ली	2.2832 है0	प्रहलादपुर
13	श्री सचिन कुर्वे पुत्र श्री शरदचन्द कुर्वे, नि0 बसन्त विहार, नई दिल्ली	0.9319 है0	खेड़ी शिकोहपुर जदीद मुस्त0
14.	श्री राजेश कुमार पुत्र रूपलाल कौशल, नि0 फ्लैट नं0 एन0 13, पंचकुला, हरियाणा	0.323 है0	देवपुर मुस्त0

2009—10

1.	श्रीमती बिन्दु कादयान पत्नि श्री महेश शर्मा, नई दिल्ली व सुनील कुमार पुत्र दिलबाग सिंह, नि0 पानीपत	0.963 है0	शाहपुर
2.	आयुर्वेद लि0 नई दिल्ली द्वारा श्री राजेश श्रीवासुदेव	8.1750 है0	डालूवाला मजबता
3	मंगलम इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स तनेजा आटो मोबाईल, रूड़की, हरिद्वार	3.1858 है0	भगोला / बेगमपुर
4.	मंगलम इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स तनेजा आटो मोबाईल, रूड़की, हरिद्वार	1.726 है0	भगोल
5.	मै0 अर्जुन एरोपेटिक्स लि0, नई दिल्ली द्वारा निदेशक, विवेक गोयल पुत्र द्वारका प्रसाद	3.160 है0	भूपापुर बनारावल
6	आयुर्वेद लि0 नई दिल्ली द्वारा श्री राजेश श्रीवासुदेव	3.9950 है0	डालूवाला मजबता

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जनपद देहरादून

जनपद देहरादून में स्थाई निवासियों से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गयी उसका विवरण निम्नवत् है।

1. उत्तराखण्ड एजुकेशन ट्रस्ट को तहसील विकासनगर के ग्राम केदारवाला में तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश स०-173/भूमिक्रय/18(2)/ 2007 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 1-9-2008 के द्वारा प्रदान की गयी।

2. भारत होटल लि० को पंचसितारा रिसोर्ट एवं होटल मैन्जमेंट इन्सटीट्यूट की स्थापना हेतु ग्राम रामनगर डांडा में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-278/XVIII(2)/ 2009-1(27)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 28-1-2009 द्वारा प्रदान की गयी।

3. श्री उदीश्वर कुमार सिंह मधुवन आश्रम, कैलाश गेट, मुनीकीरती, जनपद टिहरी गढ़वाल को ग्राम गौहरीमाफी, पोस्ट रायवाला में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-358/18(2)/2009-1(59)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 10-2-2009 के द्वारा प्रदान की गयी।

4. जयभगवान एजुकेशनल सोसाइटी को तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-274/ 18(1)/भूमिक्रय/ 18(2)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 25-6-2008 के द्वारा प्रदान की गयी।

5. सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी को जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के ग्राम खुदानेवाला में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-1422/18(2)/2009-1(07)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 11-6-2009 के द्वारा प्रदान की गयी।

6. श्रीमती सीमा शाह पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी कॉलेज रोड, खगरिया, बिहार को जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम हर्रावाला में निजी आवास हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-581 भूमिक्रय/18(1)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 3-7-2008 प्रदान की गयी।

7. दि हिमालय विद्यापीठ एण्ड चैरिटेबिल सोसाईटी के चन्द्रबनी आरकेडिया में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-415/XVIII(2)/2010-5(4)/2008 राजस्व विभाग-2 देहरादून, दिनांक 15-6-2010 द्वारा प्रदान की गयी।

8. विवेकानन्द शिक्षा प्रसार समिति को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम भोपालपानी ग्रान्ट में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–3328/18(2)/2009–5 (34)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 4–11–2008 के द्वारा प्रदान की गयी।

9. स्वयं सेवा संस्थान ऊषा को शिक्षण संस्थान बनाये जाने हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–204/18(2)/2009–1(03)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 24–6–2009 के द्वारा प्रदान की गयी।

10. हंसदून इंस्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी देहरादून को ग्राम पौंधा कोटड़ा सन्तूर में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–116/XVIII(2)/2010–(118)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 25–5–2010 के द्वारा प्रदान की गयी।

11. सांई विकास समिति को ग्राम लगरके डियाग्रान्ट में शैक्षिण प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–3557/XVIII(2)/2009–1(152)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 10–12–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

12. श्रीमती विवेका मेथई, निवासी बंगला न0 5, आडिट कॉलोनी, इन्द्रानगर, देहरादून को फार्म हाऊस हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–1415/18(2)/2008–1(133)/2008 राजस्व विभाग–2, देहरादून, दिनांक 26–12–2008 के द्वारा प्रदान की गयी।

13. दून इन्टरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी को जनपद की तहसील विकासनगर में ग्राम पौंधा में शैक्षिक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–3557/XVIII(2)/2009–1(152)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 10–12–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

14. गंगा प्रेम हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हेतु ग्राम गौरीमाफी में भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–183/XVIII(2)/2009–1(5)/2008 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 23–3–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

15. मै0 प्रेरणा सेन्टर फॉर लर्निंग डवलपमेंट प्राइवेट लि0 को भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–867/XVIII(2)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 20–4–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

16. मै0 ऋषिधाम फोरेस्ट प्रा0लि0 को भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–575/XVIII(2)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 24–3–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

17. श्री मणिकान्त मिश्रा पुत्र श्री के० राम मिश्रा व श्रीमती श्वेता चौबे पत्नी मणिकान्त मिश्रा 80/2 बसन्त विहार देहरादून को भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–716/XVIII(2)/2008–(41)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 5–5–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

18. अनन्त शंकर ताकवाले पुत्र श्री शंकर रामचन्द्रा ताकवाले एवं श्रीमती सपना आनन्द ताकवाले निवासी द्वारा एलएस विष्ट ब्लॉक नं0 5 स्ट्रीट सं0 4 डिफैन्स कॉलोनी देहरादून को आवासीय भवन हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–900/XVIII(2)/2008(47)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 1–5–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

19. निलेश आनन्द भरणे एव श्रीमती दिपाली निलेश भरणे निवासी 16 अंजलि चौक वर्धारोड नागपुर हॉल बसन्त विहार को आवासीय भवन हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–899/XVIII(2)/2008(46)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 16–6–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

20. डा0 राकेश कुमार, सचिव शिक्षा उत्तराखण्ड को आवासीय भवन हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–2003/XVIII(2)/2008–(88)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 1–9–2009 द्वारा प्रदान की गयी।

21. श्री इन्द्र घोष पुत्र श्री अरूण कुमार घोष सलाहकार (दर) रेल मंत्रालय 467 रेल भवन नई दिल्ली को आवासीय भवन हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–60/XVIII(2)/2008–(108)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 14–1–2010 द्वारा प्रदान की गयी।

22. नार्दन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को शिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–96/XVIII(2)/2008–(103)/2010 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 24–4–2010 द्वारा प्रदान की गयी।

23. एम0पी0 फाउडेशन पंजीकृत ट्रस्ट नई दिल्ली को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश संख्या–1059/XVIII(2)/2010–1(53)/2009 राजस्व विभाग–2 देहरादून, दिनांक 20–5–2010 द्वारा प्रदान की गयी।

भवदीय,
अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

प्रतिलिपि–

राजस्व सहायक कलैक्ट्रेट देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

नत्थी ''ख''

(देखिये तारां0 प्र0सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ–20 पर)

पर्यटन नीति
2001

फोटो लगना है।

स्वप्न

विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तरांचल को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करना,

निजी क्षेत्र की भागीदारी

सुनिश्चित कर रोजगार परक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित विकास करना तथा आर्थिक व सामाजिक विकास की धुरी के रूप में विदेशी मुद्रा-अर्जन के लिए पर्यटन को उत्तरांचल का पर्याय बनाना!

अध्याय–1

पृष्ठभूमि

फोटो लगना है।

भारत विशाल के उत्तर में स्थित गिरिराज हिमालय की नयनाभिराम अलौकिक सौन्दर्य एवं शीतलता के अभिभूति "देवभूमि" उत्तरांचल अनादिकाल से ही देश–विदेश के पर्यटकों/यात्रियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करता आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम की बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा–रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों से युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है। भारत के उत्तरी भू–भाग को हरा–भरा करने वाली पतित पावनी गंगा–यमुना के उद्गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा, अलौकिक/नैसर्गिक सौन्दर्य तथा शीतल व प्राणदायिनी शुद्ध जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख संसाधन है।

उत्तरांचल में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के बावजूद, समन्वित व नियोजित रूप से पर्यटन को विकसित करने के अभाव में, इस क्षेत्र में पर्यटन का आशानुरूप विकास नहीं हो पाया। मुख्य रूप से पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की कमी रही है। अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त पूँजी निवेश की कमी के साथ–साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सीमित रही है।

फोटो लगना है।

फोटो लगाना है।

आज

भारत एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तरांचल राज्य का वर्तमान स्वरूप निम्नवत् परिलक्षित होता है :-

राज्य	क्षेत्र (वर्ग किमी०)	जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी०	साक्षरता प्रतिशत
भारत	32,87,673	10270.15	324	65.38
उत्तर प्रदेश	2,40,927	1660.53	689	57.36
उत्तरांचल	53,485	84.80	159	72.28

(स्रोत–भारत की जनगणना, 2001 की अनन्तिम प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर)

स्पष्टतः जहाँ एक ओर हमारी जनसंख्या सीमित है, वहीं प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या–घनत्व भी भारत व उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम है। इससे प्रथम दृष्ट्या यह आभास होता है कि देश के अन्य भागों के सापेक्ष उत्तरांचल प्रदेश में वातावरण स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक है। साथ ही प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत की सन्तोषजनक स्थिति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यटन के विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध हैं।

उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना में व्यय लगभग रू0 8,600 लाख का हुआ है, जो वर्ष 80–85 की पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय के 10 गुणा से भी अधिक है। फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उत्तरांचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए और धनराशि की आवश्यकता है। पर्यटन हेतु अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता का अनुमान इस तथ्य से और स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2000 में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 111 लाख से अधिक थी, जबकि प्रदेश की जनसंख्या मात्र 82 लाख है।

अतः उत्तरांचल के पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को समन्वित व सुनियोजित रूप से विकसित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। सर्वोच्च प्राथमिकता पर वर्तमान में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु संसाधन जुटाने होंगे। इस कार्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि लाने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी। इस रणनीति के आधार पर ही उत्तरांचल को विश्व मानचित्र पर पर्यटन–प्रदेश के रूप में स्थापित करने का हमारा स्वप्न साकार होगा।

अध्याय–2

धरोहर

फोटो लगाना है।

उत्तरांचल में तीर्थाटन, पर्यटन की प्रमुख विधा है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैसर्गिक, साहसिक, वन्य जन्तु, इको टूरिज्म, मनोरंजन (आमोद प्रमोद) आदि अनेक विधाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हैं :

तीर्थाटन

उत्तरांचल में यत्र तत्र विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थल विद्यमान हैं, जिनमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुम्भ क्षेत्र हरिद्वार, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता, मीठा रीठा साहिब, पिरान कलियर, पूर्णागिरी आदि विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण यात्राओं, जिनमें से नन्दा देवी राजजात तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य तीर्थ विद्यमान हैं यथा पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, पाताल भुवनेश्वर आदि जिनका विकास वांछित रूप से होना शेष है। उत्तरांचल स्थित चारधाम में विगत तीन वर्षों में आये पर्यटकों की पर्यटक सांख्यिकी निम्नवत् है :

स्थल का नाम	पर्यटक सांख्यिकी (लाख में)		
	1998	1999	2000
बद्रीनाथ	3.51	3.40	6.05
केदारनाथ	0.82	0.81	3.00
गंगोत्री	2.38	1.22	2.08
यमुनोत्री	0.86	1.06	089

फोटो लगाना है।

फोटो लगाना है।

सांस्कृतिक पर्यटन

उत्तरांचल में अनेक विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही स्थानीय महत्व के अनेक मेले एवं त्यौहार यथा झण्डा मेला (देहरादून), सुरकुण्डा देवी मेला (टिहरी), माघ मेला (उत्तरकाशी), नन्दा देवी मेला (नैनीताल), चैती मेला (ऊधमसिंह नगर), पूर्णागिरी मेला (चम्पावत), पीरान कलियर मेला (हरिद्वार), जौलजीबी मेला (पिथौरागढ़), उत्तरायणी मेला (बागेश्वर) आदि यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटन की विविधताओं एवं सम्भावनाओं को उजागर करते हैं।

नैसर्गिक सौन्दर्य

पर्वतों की रानी मसूरी, झीलों की नगरी तथा भारत का "Lake district" नैनीताल, भारत का स्विट्जरलैण्ड कहे जाने वाला स्थल कौसानी, पौड़ी, लैंसडाउन, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुन्स्यारी आदि अनेक नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटक स्थल उत्तरांचल में स्थित हैं।

साहसिक पर्यटन

उत्तरांचल में साहसिक पर्यटन की विभिन्न विधाओं की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं, जिनमें पर्वतारोहण (भागीरथी, चौखम्बा, नन्दा देवी, मेरु, पिण्डारी सहस्त्रताल, मिलम, कफनी, खतलिंग, गोमुख आदि) ट्रैकिंग, स्कीइंग (औली, दयारा बुग्याल, मुन्स्यारी मुण्डाली) स्केटिंग, जल क्रीड़ायें (उत्तरांचल के टिहरी बांध सहित समस्त जलाशयों एवं नदियों में) एयरो स्पोर्ट्स के अन्तर्गत हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग (पिथौरागढ़, जौलीग्राण्ट, पौड़ी) आदि प्रमुख हैं

वन्य जन्तु पर्यटन

वन्य जन्तु पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविन्द पशु विहार आदि वन्य जीव क्षेत्र पर्यटन के आकर्षण की विपुल क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त बर्ड वाचिंग केन्द्रों के लिये भी उत्तरांचल में अनेक स्थल मौजूद हैं यथा आसन बैराज, चीला एवं गांधीकृति आश्रम के मध्य।

फोटो लगाना है।

फोटो लगाना है।

ईको टूरिज्म

उत्तरांचल में प्रकृति प्रदत्त अनेक संसाधन उपलब्ध हैं जैसे हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, झील सरोवर, नदियां, सघन वन तथा अद्वितीय प्रकार के फ्लोरा एवं फौना (Flora & Fauna)। जहाँ एक ओर यह संसाधन पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को संतुलित रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईको टूरिज्म इन दोनों पहलुओं के नाजुक समन्वय व सामंजस्य पर आधारित है।

ईको टूरिज्म का एक अन्य पक्ष पर्यटकों के बीच पर्यावरणीय विषयों की जागरूकता पैदा करने का भी है। ईको टूरिज्म के तहत जंगल सफारियों का आयोजन, वन्य पथों पर ट्रैकिंग की व्यवस्था, नेचर पार्क तथा महाशीर आदि मछलियों (पंचेश्वर व व्यासघाट आदि में) को पर्यटकों द्वारा पकड़ने व पुनः नदी में छोड़ने (Catch & Release) आदि क्रियाकलापों हेतु उत्तरांचल में संसाधन विद्यमान हैं।

मनोरंजन (आमोद–प्रमोद) तथा Leisure पर्यटन

मसूरी, हरिद्वार, औली, नैनीताल में रज्जूमार्ग, मसूरी कृत्रिम झील, देहरादून में लच्छीवाला पर्यटक स्थल, नैनीताल में नौकायन आदि उत्तरांचल में मनोरंजन क्रियाओं की सम्भावनाओं को उजागर करती हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतीय श्रृंखलाओं, नदियों, वनों व स्वच्छ पर्यावरण के मध्य पर्यटकों के लिए आराम/विश्राम (Leisure) व प्राकृतिक स्वास्थ्य वर्धन क्रियाओं आदि की अपार सम्भावनायें उत्तरांचल क्षेत्र में विद्यमान हैं।

फोटो लगाना है।

अध्याय–3

चुनौतियां

मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

पर्यटन विकास हेतु उच्च गुणवत्ता की मूलभूत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार, विकास एवं सुदृढ़ीकरण होना आवश्यक है, ताकि पर्यटकों को उनकी आवश्यकता अनुसार उच्च कोटि की तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें सुलभ हो सकें। विदेशी पर्यटकों तथा अप्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा भी सुलभ कराई जानी आवश्यक है।

फोटो लगाना है।

शीतकालीन/वर्षपर्यन्त पर्यटन

वर्तमान मे उत्तरांचल में पर्यटन मुख्यतः ग्रीष्मकाल तक सीमित है। अतः उत्तरांचल क्षेत्र में वर्षपर्यन्त पर्यटकों को आकर्षित करने, विशेषकर शीतकाल मे पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु वाटर स्पोर्ट्स, ऐरो स्पोर्ट्स, विन्टर ट्रैकिंग, शीतकालीन क्रीडा (स्कीइंग, आइस स्केटिंग, आइस हाकी) तथा सामान्य रूप से स्वच्छ पर्यावरण में साफ आसमान एव धूप के आकर्षण आदि क्रियाओं के विकास एवं प्रसार आवश्यक है।

लक्ष्य समूह उन्मुख पर्यटन विकास

• पर्यटकों को उनकी मूल अभिरूचि, आकांक्षाओं एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से विभिन्न पर्यटक स्थलों में सुनियोजित ढंग से सुविधायें विकसित किया जाना आवश्यक है।

• अलग अलग पर्यटन क्रियाओं के लिये, उनकी विशेषताओं तथा उनमें आकर्षित होने वाले पर्यटक समूह की आवश्यकता को देखते हुए समेकित विकास योजनायें बनाई जानी होगी।

• इसके अतिरिक्त वर्तमान में विकसित पर्यटक स्थल पर स्वच्छता एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं के सम्बन्ध मे कमियों को चिन्हित कर सुनियोजित ढंग से उनकी पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।

नये पर्यटक स्थलों का विकास

• मसूरी तथा नैनीताल के अतिरिक्त उत्तरांचल के अन्य अल्पविकसित, किन्तु पर्यटन सम्भावनाओं से युक्त नगरों/स्थलो को मुख्य पर्यटन गन्तव्यों (Destinations) के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में नई टिहरी एवं टिहरी बाँध जलाशय, पिथौरागढ़ मुनस्यारी, पौडी, खिर्सू, लैण्डस्डाउन आदि को भी आकर्षक पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा।

• उत्तरांचल राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें नेपाल, तिब्बत, चीन से मिली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भू भाग को छोड़ते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई इनर लाईन में विदेशियों के लिए कुछ पर्यटक स्थल खोले गये हैं, जिन्हे भारतीय पर्यटकों हेतु भी खोला जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा की विषमता को देखते हुए इस यात्रा मार्ग को सरलीकृत करने तथा यदि विकल्प के रूप मे कोई दूसरा यात्रा मार्ग सम्भव होगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

पर्यटकोन्मुखी हस्त शिल्प/ पाक कला को प्रोत्साहन

सोविनियर्स एवं विशिष्ट पाक पदार्थों की उपलब्धता कहीं भी पर्यटन का एक अभिन्न अंग एवं अवयव होता है। अतः उत्तरांचल क्षेत्र की

पारम्परिक हस्तकलाओं पर आधारित पर्यटन सोवेनियर्स आदि का विकास विस्तृत करने पर उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/स्थानीय पाक कला को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इससे न केवल स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े उससे लाभान्वित हो सकेंगे बल्कि पर्यटकों को आकर्षक स्थानीय उत्पाद एवं विविधतापूर्ण व्यंजन सुलभ हो सकेंगे।

प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन–विपणन

उत्तरांचल के पर्यटन आकर्षणों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार एवं विपणन का अभाव रहा है। इस दिशा में सघन एवं सुनियोजित कार्यवाही की आवश्यकता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों का भी पूरा उपयोग किया जाना आवश्यक है। अलग अलग पर्यटन स्थलों के प्रचार के साथ उत्तरांचल पर्यटन की अपनी विशिष्ट छवि स्थापित करने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन का विकास

पर्यटन से सम्बन्धित उद्यमिता, प्रबन्धन क्षमता तथा विभिन्न स्तरों के सेवा क्षेत्रों यथा गाइड, पोर्टर पाककला, हाउस कीपिंग, वेटर आदि में प्रशिक्षित मानव संसाधन जुटाने हेतु उपलब्ध संस्थानों का उच्चीकरण एवं नयी व्यवस्थाओं की स्थापना की जानी आवश्यक है।

पर्यटन संगठन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास

विभागीय कार्य प्रणाली के आधुनिकीकरण एव गुणवत्ता में सुधार तथा सांख्यिकी व शोध कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की आवश्यकता है। संगठनात्मक व्यवस्था इस प्रकार की जानी होगी कि निजी क्षेत्र तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मण्डलीय विकास निगमों की पर्यटन से सम्बन्धित भूमिका की समीक्षा करके उसमें युक्तिकरण की भी आवश्यकता होगी।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

सामान्य रूप से उत्तरांचल के पर्यटन विकास में संगठित निजी क्षेत्र की सहभागिता का अभाव रहा है। इसे बढ़ावा देते हुए इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता की पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं, यथा होटल/मोटल आदि की स्थापना एवं व्यावसायिक प्रबन्धन व्यवस्था आदि के विकास की आवश्यकता है।

पर्यटन का समन्वित विकास

वर्तमान में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त शासन के अनेकों विभाग व संस्थायें पर्यटन विकास के कार्य से जुड़े हैं। पर्यटक स्थलों के समेकित विकास के उद्देश्य से विभिन्न विभागों/संस्थाओं में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

फोटो लगाना है।

अध्याय–4

कार्य योजना

फोटो लगाना है।

उत्तरांचल में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग एवं व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जायेगा, जिससे इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ साथ यहाँ के आर्थिक उन्नयन की दिशा में पर्यटन अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।

इस क्षेत्र के नियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न दिशाओं के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर बल (Thrust) दिया जायेगा:

- संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि
- पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूँजी निवेश में वृद्धि
- मानव संसाधन का विकास
- प्रचार प्रसार एवं पर्यटन विपणन
- तीर्थाटन विकास एवं धार्मिकता का समादर
- सांस्कृतिक पर्यटन का विकास
- नैसर्गिक व पारिस्थितिकीय (Eco-Tourism) पर्यटन का विकास
- मनोरंजन पर्यटन का विकास
- विश्रामपरक (Leisure) पर्यटन का विकास
- संस्थागत पर्यटन (Corporate Tourism)
- साहसिक पर्यटन का विकास एवं इनर लाईन पर पुनर्विचार
- पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग (सोविनियर) का विकास

उल्लिखित थ्रस्ट बिन्दुओं के अनुरूप हमारी पर्यटन–नीति में प्रस्तावित कार्य–योजना

संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

पर्यटन–विकास–परिषद् का गठन

फोटो लगाना है।

फोटो लगाना है।

उत्तरांचल में पर्यटन का अपेक्षानुसार विकास न होने का एक मुख्य कारण समन्वित व नियोजित कार्ययोजना का अभाव रहा है। साथ ही साथ पर्यटन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में आपसी तालमेल की भी कमी रही है। समग्र रूप से नीति निर्धारण भी नहीं किया जा सका है। परिणाम स्वरूप उत्तरांचल में पर्यटन विकास कार्यक्रमों को आशातीत गति नहीं प्राप्त हो सकी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्तावित है कि प्रदेश में अधिनियम बनाकर एक उच्च स्तरीय पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया जाये। परिषद् के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे :

- उत्तरांचल में पर्यटन विकास हेतु नीति निर्धारण एवं रणनीति बनाया जाना।
- पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विभिन्न पर्यटन विधाओं से सम्बन्धित योजनाओं की रूपरेखा का निर्धारण, परियोजनाओं का चिन्हीकरण एवं विकास तथा इनका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- विभिन्न पर्यटन विधाओं से सम्बन्धित मानकों एवं मार्गनिर्देशों का गठन।
- पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

पर्यटन विकास परिषद् उत्तरांचल में पर्यटन से सम्बन्धित सभी विषयों पर शासन को सुझाव देने हेतु सर्वोच्च संस्था होगी। पर्यटन विकास के अतिरिक्त परिषद् रेगूलेटरी तथा लाईसेन्सिंग अथॉरिटी (Regulatory and Licensing Authority) के रूप में भी कार्य करेगा।

परिषद् का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् होगा :-

परिषद के अध्यक्ष प्रदेश के पर्यटन मंत्री, उपाध्यक्ष राज्य के पर्यटन विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन सचिव होंगे। इसके अन्य सदस्य पर्यटन से सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारी एव पर्यटन क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी सदस्य होंगे।

परिषद् में पाँच मुख्य शाखाएं होंगी, यथा अवस्थापना, पूँजी निवेश एवं वित्त, अधिष्ठान/प्रशासन, नियोजन एवं परियोजना विकास तथा प्रचार प्रसार। इन शाखाओं के प्रभारी निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे जोकि आवश्यकता के अनुसार शासकीय स्रोतों से या खुले बाजार के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। वर्तमान पर्यटन निदेशालय का विलय इस परिषद् में किया जायेगा।

परिषद् द्वारा विभिन्न प्रकार की पर्यटन विधाओं पर गहन अध्ययन, उनके लिए विकास योजनाओं की तैयारी तथा मानकों एवं मापदण्ड के निर्धारण हेतु पृथक पृथक समितियों का भी गठन किया जायेगा, जिसमें प्रश्नगत विधा से सम्बन्धित विशेषज्ञों को रखा जायेगा।

परिषद् की प्रचार प्रसार शाखा में एक सिंगल विन्डो सूचना/सहायता केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके द्वारा पर्यटन से सम्बन्धित सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। इस केन्द्र द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेगी :

- पर्यटन सम्बन्धी सभी सूचना उपलब्ध कराना।
- परियोजनाओं हेतु अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार समन्वय करते हुए अनुमति प्रदान कराना।
- परियोजनाओं के परीक्षणोपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करना।

  परिषद् के गठन, दायित्व एवं अधिकार, कार्यक्षेत्र इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा पृथक से तैयार की जायेगी।

- कन्सल्टेन्सी सेवायें

पर्यटन के विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाली कन्सल्टेन्सी एजेन्सियों का उपयोग किया जायेगा।

मण्डलीय विकास निगमों की पर्यटन–विकास में भूमिका

प्रदेश में स्थित गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटन सम्बन्धी संगठनात्मक ढांचे में एकरूपता, उनमें आपसी तालमेल व उनकी कार्यप्रणाली में वांछित सुधार हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे। प्रयास किया जायेगा कि ये संस्थाएं वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में उभरें। इन संस्थाओं का प्रस्तावित पर्यटन विकास परिषद् के कार्यों से आवश्यक समन्वय भी स्थापित किया जायेगा।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों/यात्रियों के लिए उनकी अभिरूचि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा स्वयं तथा भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत संसाधन जुटाने के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उत्तरांचल में पर्यटन विकास के सन्दर्भ में निम्नांकित मूलभूत सुविधाओं की स्थापना, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

- रेल वायुयान सुविधा
- आवश्यक मार्गीय सुविधा युक्त सड़क परिवहन
- विभिन्न आर्थिक स्तरों की आवासीय इकाईयों का सृजन
- आधुनिक दूरसंचार सुविधा

फोटो लगाना है।

फोटो लगाना है।

- जल एवं स्वच्छता व्यवस्था
- अवस्थापना सुविधाओं हेतु भूमि, भवन आदि की व्यवस्था

रेल एवं वायुयान सुविधा

उत्तरांचल को भारत के प्रमुख नगरों से रेल मार्गों के द्वारा जोड़े जाने एवं त्वरित गति की ट्रेनों की सुविधा सुलभ कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

उत्तरांचल में हवाई अड्डों एवं पट्टियों का विकास कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर के वायु सेवा केन्द्रों से जोड़कर नियमित वायु सेवा सुविधा सुलभ कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित कर समेकित पर्यटन विकास की योजनायें तैयार की जायेंगी। इस कार्यवाही में यथासम्भव निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

पर्यटन सुविधाओं से युक्त सड़क–परिवहन

- उत्तरांचल के प्रमुख यात्रा मार्गों एवं पर्यटक स्थलों तक पहुँचने के लिए पर्यटक सुविधाओं से युक्त मार्गीय नेटवर्क तैयार किया जायेगा। प्रमुख यात्रा मार्गों का मास्टर प्लान बनाकर उनका समेकित विकास किया जायेगा।
- राष्ट्रीय एवं राज मार्गों तथा मुख्य मुख्य पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर यत्र तत्र आवश्यकतानुरूप पैट्रोल पम्प, मोटर गैराज, फास्ट फूड सेन्टर्स, प्रसाधन सुविधाओं, पार्किंग व यातायात आदि की व्यवस्था सुलभ कराने हेतु राजकीय प्रयासों के साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित की जायेगी।
- निजी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। "Rent a Car" जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मुख्य पर्यटक स्थलों को आधार शिविर मानते हुए निकटवर्ती अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों के भ्रमण हेतु छोटे छोटे परिपथों की संरचना कर पैकेज टूअर्स आयोजित कराने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

आधारीय इकाइयों का सृजन

उत्तरांचल में यात्रा मार्गों तथा प्रमुख पर्यटन

फोटो लगाना है।

स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा तथा निजी उद्यमियों, स्वरोजगार योजनाओं तथा संगठित निजी क्षेत्र के माध्यम से निम्न मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के पर्यटकों के लिए उनकी अभिरूचि एवं आकांक्षाओं के अनुरूप आवासीय सुविधायें, रेस्टोरेंट व प्रसाधन आदि सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

आधुनिक दूरसंचार सुविधा

भारत सरकार दूरसंचार विभाग के सहयोग से तथा सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों से उत्तरांचल क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों तक दूर संचार सुविधा सुलभ कराने की कार्यवाही की जायेगी और अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जायेगा।

जल एवं स्वच्छता व्यवस्था

उत्तरांचल के समस्त यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण नगरों, प्रमुख तीर्थ धामों तथा पर्यटक स्थलों पर पेयजल आपूर्ति एवं समुचित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों/स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। पर्यटन आवासीय इकाइयों में जल संरक्षण व्यवस्थायें स्थापित किये जाने की दिशा में भी कार्यवाही की जायेगी।

अवस्थापना सुविधायें हेतु भूमि, भवन आदि की व्यवस्था

- प्रमुख तीर्थ धामों, यात्रा मार्गों एवं पर्यटक स्थलों व उनके सम्बद्ध गन्तव्यों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु भूमि चयनित कर भूमि बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस भूमि बैंक के माध्यम से निजी उद्यमियों को पर्यटन योजनाओं के लिए भी भूमि उचित मूल्य अथवा साझेदारी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में पृथक नियमावली बनाई जायेगी।
- पर्यटन विभाग तथा गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों की सम्पत्तियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों जैसे वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के विश्राम गृहों को भी पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। ऐसा करते समय उनके विकास तथा प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि

पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र का योगदान अत्यन्त आवश्यकता है। अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की आवासीय सुविधा, गुणवत्तापूर्ण भोजनालय साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों एवं मनोरंजन के संसाधन के सृजन/ स्थापना हेतु निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिसके लिए निम्नवत् प्राविधान कराये जायेंगे।

- प्रदेश की नई पर्यटन इकाइयों को संचालन की तिथि से मात्र पाँच वर्ष तक सुख साधन कर में रियायत/डिफरमेंट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

फोटो लगना है

- होटलों पर सुख साधन कर का निर्धारण करने की मानदण्डों एवं प्रक्रिया को संशोधित एवं सरलीकृत किया जायेगा।
- प्रदेश में नये रोप वे लगाने पर संचालन की तिथि से ... वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- होटलों के केबिल आपरेटरों के माध्यम से अथवा डिश एन्टीना के माध्यम से विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों को दिखाने पर मनोरंजन कर के आंकलन हेतु कम्पाउन्डिंग योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- नये स्थापित होने वाले मनोरंजन पार्कों को पूर्ण रूप से संचालित होने की तिथि से पांच वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्त किया जायेगा। इस हेतु मात्रता निर्धारण के लिए स्पष्ट मानक तैयार किये जायेंगे।
- होटल इकाइयों, जिनमे रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध हो, में बियर बार लाइसेन्स की सुविधा अलग से सुलभ कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर पर्यटन उद्योग से जुडे निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जायेगा।

स्वरोजगार के लिए उपादान योजनायें/ उत्तरांचल–पर्यटन–विकास–योजना

उत्तरांचल वासियों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्यटन विकास में स्थानीय सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से "उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना" कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत फास्टफूड सेन्टर्स तथा स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, बसों टैक्सियों का संचालन, साहसिक क्रिया कलापों हेतु उपकरणों की व्यवस्था, छोटी छोटी होटलनुमा आवासीय इकाईयों की स्थापना, पीसीओ सुविधा युक्त पर्यटन सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट, टेन्टेड आवासीय सुविधा तथा गैराजों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं में रू0 10 लाख तक के पूँजी निवेश के लिए राज सहायता सुलभ कराने का प्राविधान किया जायेगा।

पैकेज टुअर्स/टुअर–ट्रैवल एजेन्सीज

- उत्तरांचल स्थित आकर्षक स्थलों में पर्यटन को बढावा देने हेतु निजी क्षेत्र के टुअर आपरेटर्स तथा ट्रैवल एजेन्सीज के सहयोग से पैकेज टुअर्स, जिनमें वायु/रेल यातायात, भोजन, आवासीय व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित होंगे, का विकास किया जायेगा। यह पैकेज टुअर्स विशेष रूप से चार धाम, नैनीताल मसूरी तथा गोल्डन ट्राइंगल के रूप में देहरादून/हरिद्वार/ऋषिकेश को आधार केन्द्र मानकर विकसित किये जायेंगे।

फोटो लगाना है।

फोटो लगाना है

- अनुमोदित ट्रैवल एजेन्सियों की सूची तैयार की जायेगी। अनुमोदन की नियमावली सरल बनाई जायेगी। इस प्रकार अनुमोदित ट्रैवल एजेन्सियों से पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि के लिए सहयोग लिया व दिया जायेगा।

पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूँजी–निवेश में वृद्धि

- उत्तरांचल में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं पर्यटन योजनाओं की स्थापना के लिए देश के अन्दर स्थित निवेशकों, विदेशी पूँजी निवेश तथा अप्रवासी भारतीय नागरिकों को आमंत्रित किया जायेगा। इस प्रकार का पूँजी निवेश स्टार श्रेणी के होटल निर्माण, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की स्थापना, गोल्फ कोर्स की स्थापना, वृहद इको पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, रोपवे, चिल्ड्रन पार्क, शीतकालीन क्रीड़ा परियोजनाओं आदि की स्थापना हेतु विशेष रूप से लाभकारी हो सकेगा।
- पर्यटन सेक्टर में पूँजी निवेश हेतु विश्व बैंक तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक, आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- पर्यटन विकास में निजी पूँजी निवेश एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विकास से सम्बन्धित निधियों की स्थापना भी की जायेगी। इन निधियों में ट्रैवल ट्रेड के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों व अन्य बड़े पूंजी तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से अधिक से अधिक धन जुटाने की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए अलग से नियमावली भी बनाई जायेगी।

मानव–संसाधन का विकास

- **उच्च स्तरीय प्रशिक्षण–कार्यक्रम**

  होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान के डिप्लोमा एवं डिग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे तथा पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से विभिन्न पर्यटन गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- **मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  इसके अन्तर्गत होटल रेस्टोरेंट, कैटरिंग फूड संरक्षण, पर्यटन जागरूकता, गाइड, पोर्टर्स पाक कला, पेइंग गेस्ट सुविधा संचालन, एस०टी०डी० सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र का संचालन तथा हैण्डीक्राफ्ट/सोविनियर से सम्बन्धित क्रियाओं/सेवाओं के सम्बन्ध में अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- **विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  स्थानीय युवक युवतियों को विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों, यथा साहसिक क्रीड़ाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए साहसिक पर्यटन संस्थानों यथा ऐरो स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स आदि की स्थापना के लिए ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसमें यथासम्भव निजी क्षेत्र एवं विशेषज्ञों की अधिकाधिक सहभागिता प्राप्त की जा सके।
- सामान्य रूप से उक्त सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु निजी क्षेत्र की ओर से यदि संस्थानों की स्थापना की पहल की जाती है तो पर्यटन विभाग द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के इतिहास के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन–विपणन

- मुख्य हाई वे/एयर पोर्ट्स/बस स्टैण्ड आदि पर पर्यटन सम्बन्धी साइनेज लगाये जायेंगे।
- उत्तरांचल के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों के पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, गाइड मैप, म्यूजिक फिल्मस तथा अन्य पर्यटन साहित्य प्रकाशित कर विस्तृत रूप से प्रसारित कराया जायेगा।

- उत्तरांचल के पर्यटन आकर्षणों के एवं पर्यटन सम्बन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में वेबसाईट विकसित किया जायेगा तथा प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कैम्पेन चलाये जायेंगे। वेबसाईट के माध्यम से आरक्षण आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी।
- उत्तरांचल के पर्यटक स्थलों के लिए समय समय पर परिचयात्मक भ्रमण आयोजित कर उसमें विभिन्न वर्गों के पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों मीडिया के लोगों, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा।
- समय समय पर पर्यटन गोष्ठियां/सेमीनार, ट्रैवल एण्ड ट्रेड फेयर आदि आयोजित कर तथा अन्य स्थानों पर आयोजित ऐसे आयोजनों में भाग लेकर उत्तरांचल में पर्यटन के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।
- उत्तरांचल के पर्यटक स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस क्षेत्र में फिल्म सिटी की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेंगे तथा फिल्मों की शूटिंग के लिए इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- उत्तरांचल में स्थित रेल हैड्स एवं रोड हैड्स पर सूचना केन्द्रों तथा अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
- उत्तरांचल राज्य में प्रवेश मुख्य स्थानों पर सूचना एवं पर्यटक सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

तीर्थाटन—विकास एवं धार्मिकता का सम्मान

- चारधाम यात्रा को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाने तथा प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे।
- यात्रा मार्गों पर समेकित एवं समन्वित ढंग से मास्टर प्लान बनाकर, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- पूर्णागिरी, पाताल भुवनेश्वर, पंचप्रयाग, पंचबद्री व अन्य अल्पविकसित/अल्पज्ञात तीर्थ स्थलों को यात्रियों की सुविधायें विकसित किया जायेगा।
- सामान्य रूप से तीर्थाटन एवं पर्यटन का समेकित विकास इस प्रकार किया जायेगा कि अधिकाधिक तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों के रूप में भी आकर्षित किया जा सके।
- तीर्थों की धार्मिकता अक्षुण्ण रखी जायेगी।

सांस्कृतिक पर्यटन का विकास

उत्तरांचल के मेले त्योहारों, पारम्परिक रीति रिवाजों, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि का व्यापक रूप से प्रचार व प्रसार कराया जायेगा ताकि यहाँ की संस्कृति देश व विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ सकें। इसके अतिरिक्त ऐसे मेले/त्योहारों के आयोजन की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रचार प्रसार के माध्यमों के अतिरिक्त यह अपने में ही पर्यटन आकर्षणों के रूप में विकसित हो सकें। पुरातात्विक विभाग के समन्वय से पुरातात्विक महत्व के स्थलों एवं भवनों की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु भी प्रयास किये जायेंगे।

फोटो लगाना है।

फोटो लगना है।

निम्न त्यौहारों को कुल्लू (हिमाचल) के दशहरे के त्यौहार की तरह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुनियोजित किया जायेगा।

- नन्दा देवी राजजात यात्रा
- उत्तरकाशी का माघ मेला
- बागेश्वर का उत्तरायणी मेला
- पूर्णागिरी का मेला

नैसर्गिक व पारिस्थितिकीय पर्यटन (Eco-Tourism) का विकास

- प्राकृतिक व वन्य जीवन दर्शन एवं राज्य की प्राकृतिक धरोहर के सम्बन्ध में ज्ञान के प्रसार के उद्देश्यों के साथ साथ इस सम्पदा पर आधारित पर्यटन आकर्षणों के विकास के उद्देश्य से जंगल सफारी, नेचर पार्क, कैम्पिंग क्षेत्रों के विकास, जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए वानस्पतिक उद्यान सह हेरिटेज सेन्टर्स (Botanical Garden-Cum-Heritage)
- उत्तरांचल में पर्यावरण संरक्षण हेतु आवासीय इकाईयों के परिसरों तथा नगरों में स्थित रिक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। अनाशित कूड़ा कचरा निस्तारण हेतु इन्सिनिरेटर प्लान्ट्स स्थापित किये जायेंगे। प्लास्टिक वेस्ट नियंत्रण के लिये सघन अभियान चलाया जायेगा, जिसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा।
- भूकम्प के लिए संवेदनशील इस क्षेत्र में भवनों के निर्माण में भूकम्प रोधी प्रक्रिया का उपयोग किया जायेगा तथा पर्यटन विकास में इस तकनीकी से युक्त पारम्परिक निर्माण विधियों एवं सामग्री का भी यथा सम्भव उपयोग किया जायेगा।
- पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विकास के लिये धारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजनायें तैयार की जायेंगी।

मनोरंजन–पर्यटन का विकास

रोपवे, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स, चिल्ड्रन्स पार्क झील सरोवर तथा दर्शनीय स्थलों के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

विश्रामपरक (Leisure) पर्यटन का विकास

सामान्य जीवन के तनाव से मुक्ति प्राप्त करने उद्देश्य से उत्तरांचल में अनेक ऐसे प्राकृतिक स्थल विद्यमान है जिन्हें विश्रामपरक पर्यटन स्थलों के रूप मे विकसित किया जा सकता है। मैदानवासी, विशेष रूप में दिल्ली, में निवास करने वाले लोगों को इन विश्रामपरक पर्यटन स्थलों पर आकर्षित किया जायेगा। इन स्थल पर यथासम्भव स्वास्थ्य केन्द्र, स्पा केन्द्र, योग व ध्यान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों पर जड़ी बूटी अन्य प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जायेगी।

पर्यटन–ग्रामों की स्थापना

ग्राम स्तरीय पर्यटन को विकसित करने हेतु जगह जगह पर पर्यटन ग्रामों की स्थापना की जायेगी। प्रयास किया जायेगा कि इन ग्रामों में पर्यटकों को भोजन तथा आवास की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायें। ग्रामों की ऐतिहासिक परम्पराओं, लोक कला, पाक कला को पर्यटकों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से विकसित किया जायेगा।

संस्थागत पर्यटन (Corporate Tourism)

राज्य में संस्थागत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च श्रेणी के कन्वेंशन सेंटर, सभागारों आदि की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसके माध्यम से संस्थागत गतिविधियों यथा सेमिनार, कार्यशालाओं इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। सामान्यतः उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति उच्च एवं संभ्रांत श्रेणी के होने के कारण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, तथा उत्तरांचल पर्यटन के अंतर्गत विकास एवं प्रसार में सहभागी होंगे।

साहसिक पर्यटन का विकास एवं इनर लाइन पर पुनर्विचार

पर्यटन की दिशा में नया आयाम देते हुए निम्नांकित साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु विभिन्न साहसिक–क्रीड़ा संस्थानों की पंजीकृत सोसायटी तैयार की जायेगी।

ट्रैकिंग

- उत्तरांचल में ट्रैकिंग की अपार सम्भावनायें विद्यमान है। ट्रैकिंग मार्ग के सम्बन्ध में मास्टर प्लान तैयार करके इनके विकास के लिए कार्यवाही की जायेगी।
- विभिन्न ट्रैकिंग मार्गों का यथा आवश्यक सुधार कर, उन पर पड़ाव स्थलों का विकास किया जायेगा तथा पेयजल, प्रसाधन आदि की मूलभूत सुविधायें सुलभ कराई जायेंगी।
- ट्रैकिंग मार्ग के प्रारम्भ स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशिक्षित गाइड, पोर्टर, आदि की प्री पेड़ंग सुविधा, किराये पर टैन्ट व उपकरणों की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- ट्रैकिंग के दौरान पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे तथा समुचित मार्ग निर्देश बनाये जायेंगे।
- इनर लाइन के निर्धारण के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा।

जल क्रीड़ायें

- निजी क्षेत्र की सहभागिता से इस समय कौड़ियाला से ऋषिकेश तक गंगा नदी पर तथा कतिपय अन्य नदियों पर रिवर राफ्टिंग के

किनोइंग, क्याकिंग आदि क्रियायें की जा रही हैं। उत्तरांचल की अन्य नदियों पर भी इस प्रकार की क्रियाओं का विस्तार/विकास किया जायेगा। इसके लिये गाइड्स आदि के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण एवं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों एवं विनियमों के निर्धारण की कार्यवाही भी की जायेगी।

- उत्तरांचल में स्थित विभिन्न जलाशयों यथा डीडीताल, आसन बैराज, हरिपुर जलाशय, टिहरी बाँध, मनेरीभाली आदि में जल क्रीडाओं का विकास एवं विस्तार किया जायेगा।
- प्राकृतिक संसाधनों के अनुरक्षण पर पर्याप्त ध्यान रखते हुए जल पर आधारित अन्य क्रियाओं यथा मत्स्य आखेट का 'पकड़ो एवं छोड़ो (Catch and Release) के आधार पर सुनियोजित एवं विनियमित ढंग से विकास किया जायेगा।

शीतकालीन क्रीड़ा–केन्द्रों की स्थापना एवं विकास

पूर्व से ही स्थापित औली को अन्तर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु मास्टर प्लान बनाकर कार्यवाही की जायेगी। औली के अतिरिक्त जनपद उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में विकसित करने की कार्यवाही ग्लोबल टेण्डर के आधार पर की जायेगी। इसी प्रकार के केन्द्र अन्य स्थानों यथा मुनस्यारी आदि में स्थापित करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जायेगी। यद्यपि ऐसे केन्द्र मुख्यतः शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्रों के रूप में परिकल्पित किये जा रहे हैं, इनका विकास इस प्रकार किया जायेगा कि इनके माध्यम से वर्षपर्यन्त पर्यटन आकर्षण उपलब्ध हो सके।

वायु–क्रीड़ायें

उत्तरांचल में वायु क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों जैसे हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, बैलूनिंग आदि की प्रबल सम्भावनायें विद्यमान हैं। इस दिशा में भी निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

फोटो लगाना है।

मानकीकरण एवं रेस्क्यू व्यवस्था

साहसिक पर्यटन तथा अन्य पर्यटन विधाओं में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त सुविधायें विकसित की जायेंगी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू उपकरण तथा रिकवरी वैन, रैपलिंग, पिटन, जुमार, वाकी टाकी सेट आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए एक रेस्क्यू कोआर्डिनेशन समिति का गठन किया जायेगा।

साहसिक पर्यटन

साहसिक पर्यटन से जुड़ी स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं/क्लबों को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियमावली तैयार की जायेगी।

पर्यटन–आधारित शिल्प–उद्योग (सोविनियर) का विकास

- ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट्स) को प्रोत्साहन देकर तथा शिल्पकारों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर शिल्पग्राम एवं शिल्प बाजार विकसित किये जायेंगे। विभिन्न मेले त्योहारों के अवसरों पर उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु स्टाल उपलब्ध कराये जायेंगे। पर्यटन विभाग की आवासीय इकाईयों में भी स्थानीय उत्पादित हस्तशिल्प की वस्तुओं से सोविनियर शॉप हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
- शिल्पग्राम एवं शिल्प मेलों को विकसित किया जायेगा।

पर्यटन सम्बन्धी जानकारी हेतु सम्पर्क–सूत्र

कार्यालय पर्यटन मंत्री

विधान भवन, हरिद्वार रोड, देहरादून

फोन : 677490 फैक्स : 677222

प्रमुख सचिव/आयुक्त, अवस्थापना पर्यटन विकास

उत्तरांचल शासन, देहरादून

फोन : 712070 फैक्स : 712900

सचिव एवं निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल शासन, देहरादून

फोन : 712095 फैक्स : 712112

E-mail : nareshnp@sancharnet.in

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0

74/1, राजपुर रोड, देहरादून 248001 (उत्तरांचल) भारत

फोन : 91 0135 747898, 749308, 746817, 744408, फैक्स 746847

E-mail : gmvn@nda. vsnl.net.in

यात्रा कार्यालय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0

मुनि की रेती, ऋषिकेश,

फोन : 0135 431793, 432643, 430799 फैक्स : 430372

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0

ओक पार्क, नैनीताल 263001 (उत्तरांचल) भारत

फोन : 91 05942, 36209, 36356 फैक्स : 36897

E-mail :kmvn@yahoo.com

पर्यटन केन्द्र, नरेन्द्रनगर

पर्यटन कार्यालय, देहरादून फोन 653217

पर्यटन कार्यालय, हरिद्वार फोन : 427370

पर्यटन स्वागत केन्द्र रेलवे स्टेशन, हरिद्वार फोन : 427817

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0

सूचना केन्द्र, हरिद्वार फोन : 424240

पर्यटन केन्द्र, पिथौरागढ़ फोन : 25424

पर्यटन केन्द्र, उत्तरकाशी फोन : 22290

पर्यटन केन्द्र, ऋषिकेश फोन : 430209

पर्यटन केन्द्र, जोशीमठ फोन : 22181

पर्यटन केन्द्र, रानीखेत फोन : 2227

पर्यटन कार्यालय माल रोड मसूरी फोन : 632863

पर्यटन केन्द्र, कौसानी (अल्मोड़ा)

पर्यटन केन्द्र, पौड़ी फोन : 22241

पर्यटन कार्यालय माल रोड नैनीताल फोन : 35337

पर्यटन कार्यालय अल्मोड़ा फोन : 30180

पर्यटन स्वागत केन्द्र, काठगोदाम, फोन : 22046

विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी/अल्मोड़ा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत मन्दिर/धार्मिक स्थलों की सूची

क्र0 सं0	योजना/कार्य का नाम	निर्माण इकाई	सेक्टर	जनपद	स्वीकृति का वर्ष शासनादेश सं0 एवं दिनांक	आगणन की लागत	निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई गई धनराशि	अवशेष धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्राचीन गन्धीर मन्दिर ठलेखा का सौन्दर्यीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य, वि0ख0 भटवाड़ी	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2007-08	7.20	7.20	—	2.34	S	12-08	6-09	कार्य प्रगति पर
2.	नागदू देवता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	9.00	3.00	6.00					निविदा आमंत्रित
3	ग्राम तिखली में भिकलाल के मकान के पीछे नरसिंह देवता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	3.00	2.50	0.50					निविदा आमंत्रित
4.	ग्राम पंचायत श्रीकोट में दुर्गा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण पंचायत चौक का निर्माण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	6.58	4.00	2.58					निविदा आमंत्रित
5.	ग्राम देवली में पवासी देवता के चौक व मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	3.32	2.50	0.82					निविदा आमंत्रित
6	ग्राम भोल्टाड़ी से राजा रघुनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	11.20	5.00	6.20					निविदा आमंत्रित
7.	ग्राम डोखाल में कैलाश देवता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, UKS	SCP/SP	UKS	2009-10	7.13	4.00	3.13					निविदा आमंत्रित
8.	ग्राम पंचायत नगर में प्राचीन कोटेश्वर मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	JP, THE	SCP/SP	THE	2006-07	9.72	9.72	—	9.72	100%	28.3.07	12-08	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	गोरखनाथ मन्दिर कल्जुग (डीडाधार) ग्राम श्रीकोट के अनुसूचित जाति बस्ती का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 पौड़ी	RES, PAU	SCP/SP	PAU	2007-08	19.75	19.75	—	8.00	80%	12-08	8-10	कार्य प्रगति पर
10	ग्राम सुपाल्डी में नागराजा मन्दिर सौन्दर्यीकरण एवं मार्ग मरम्मत कार्य	RES, PAU	SCP/SP	PAU	2009-10	15.52	5.00	10.52					कार्य प्रगति पर
11.	सिमलेत वि0ख0 पाबौ में देवलगढ़ एवं माई मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, PAU	SCP/SP	PAU	2006-07	8.47	8.47	0.00	8.47	100%	4-07	12-08	कार्य पूर्ण
12	भूपा ब्लाक हरिनगर के कटगालिया मन्दिर परिसर में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार	RES, NTL	SCP/DP	NTL	2006-07	3.50	3.50	—	3.50	100%	11-07	3-08	कार्य पूर्ण
13	लाटू देवता मन्दिर ग्राम वाण का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0–देवाल	UPJN, Gopeshwar	SCP/DP	CHL	2008-09	5.00	5.00	0.00	3.49	75%			कार्य प्रगति पर
14.	ग्राम खेती में शिव मन्दिर सलना का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0–[illegible]	UPJN, Gopeshwar	SCP/DP	CHL	2008-09	5.00	5.00	0.00	2.50	75%			कार्य प्रगति पर
15	ग्राम सलना के अन्तर्गत भरील देवता मन्दिर रडुवा का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0–गोस्वरी	UPJN, Gopeshwar	SCP/DP	CHL	2008-09	5.15	5.00	0.00	3.55	50%			कार्य प्रगति पर
16	ग्राम रडुवा के अन्तर्गत भरील देवता मन्दिर रडुवा का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0–गोस्वरी	UPJN, Gopeshwar	SCP/DP	CHL	2008-09	3.05	3.05	0.00	3.05	50%			कार्य प्रगति पर
17.	ग्राम मण्डेर में शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 दशोली	UPJN, Gopeshwar	SCP/DP	CHL	2008-09	5.10	5.10	0.00	1.49	30%			कार्य प्रगति पर
18	नन्दप्रयाग गुनियाली (अनुसूचित जाति) बस्ती में मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	NP, Nandparyag	SCP/SP	CHL	2006-07	3.52	3.52	—	—	—			कार्य प्रगति पर
19	अनु0 जाति बस्ती पनाई में पार्क एवं शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण वि0ख0–कर्णप्रयाग	NP, Gauchar (CHL)	SCP/SP	CHL	2007-08	2.75	2.75	—	—	—			कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	मृत्युंजय महादेव मन्दिर गरोड़ सिमली का सौन्दर्यीकरण	UPJN, Nirman Wing Gopeshwar	SCP/SP	CHL	2009 10	18 80	8 00	10 80					कार्य प्रगति पर
21	देवी मन्दिर औली का सौन्दर्यीकरण	UPJN, Nirman Wing Gopeshwar	SCP/SP	CHL	2009 10	9 54	3 50	6 04					कार्य प्रगति पर
22.	भैरव मन्दिर ऐंचारा का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 पोखरी	UPJN, Nirman Wing Gopeshwar	SCP/SP	CHL	2009 10	9 39	3 50	5 89					कार्य प्रगति पर
23	कोट भ्रामरी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, BAG	SCP/SP	BAG	2006 07	53 10	53 10	—	53 10	100%	8 07	9 08	कार्य पूर्ण
24	वि0ख0 गरुड़ में बैजनाथ के निकट कालिका मन्दिर में धर्मशाला निर्माण एवं मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	PWD Bageshwar	SCP/SP	BAG	2006 07	14 70	14 70	—	14 70	100%			कार्य पूर्ण
25	ग्राम देवी भगवती मन्दिर जखाकोट का सौन्दर्यीकरण	RES, BAG	SCP/SP	BAG	2009 10	11 07	4 00	7 07	—	—	—	—	कार्य प्रगति पर
26	ग्राम मखदूमपुर स्थित रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य	RES, HDR	SCP/SP	HDR	2009 10	18 84	8 00	10 84	8 00	45%			कार्य प्रगति पर
27	ग्राम आन्नेकी स्थित रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण व अन्य कार्य	RES, HDR	SCP/SP	HDR	2009 10	13 54	6 00	7 54	6 00	50%			कार्य पूर्ण
28	ग्राम दिलांक स्थित मन्दिर स्थल का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 कालसी	RES, DDR	SCP/DP	DDN	2007 08	4 99	4 99	—	4 99	100%	8 08	8 09	कार्य पूर्ण
29	ग्राम कण्डोई चान्दर स्थित मन्दिर स्थल का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 चकराता	RES, DDR	SCP/DP	DDN	2007 08	5 17	5 17	—	5 17	100%	8 08	3 09	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ग्राम रवाना पाटी के अन्तर्गत जुगिनारा स्थित मोरिंगा देवता मन्दिर स्थल का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 चकराता	RES, DDR	SCP/DP	DDN	2008-09	5.00	5.00	—	5.00	100%	3-09	2-10	कार्य पूर्ण
31	बालासुन्दरी मन्दिर ग्राम थानों में यात्री विश्राम का निर्माण, वि0ख0 रायपुर	RES, DDR	SCP/DP	DDN	2008-09	5.00	5.00	—	5.00	100%	2-09	12-09	कार्य पूर्ण
32	ग्राम भण्डारी गांव में भटकेश्वर महादेव कांरकूड़ा का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 गंगोलीहाट	KMVN	SCP/DP	PGH	2007-08	2.50	2.50	0.00	2.50	100%	8-09	—	कार्य पूर्ण
33	ग्राम देवराड़ी पंत, वि0ख0 गंगोलीहाट में भगवती मन्दिर परिसर में धर्मशाला निर्माण	KMVN	SCP/DP	PGH	2008-09	5.00	5.00	0.00	5.00	100%	8-09	—	कार्य पूर्ण
34	अन्नेकगार ग्राम मकरेता, वि0ख0 भिलंगना स्थित काली माता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	BDO Bhilangana	SCP/DP	THE	2007-08	5.53	4.50	1.03	4.50	95%	8-08		कार्य प्रगति पर
35	ग्राम भेलुना के समीप हनुमान मन्दिर पर रेलिंग निर्माण सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 प्रतापनगर	RES, New Tehri	SCP/DP	THE	2007-08	1.50	1.50	0.00	0.00				कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
36	ग्राम अस्नेकगार सेतपाली में शिवालय मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, वि0ख0 प्रतापनगर	RES, New Tehri	SCP/DP	THE	2008-09	3.00	3.00	0.00	3.00	100%	9-09	1-10	कार्य पूर्ण
37	ग्राम सगा जाखोली, वि0ख0 नरेन्द्रनगर में कोटेश्वर महादेव का सौन्दर्यीकरण	RES, New Tehri	SCP/DP	THE	2008-09	4.55	3.50	0.95	3.50	95%	8-09	1-10	कार्य प्रगति पर
38	ग्राम भरपूर, वि0ख0 जौनपुर में शिवालय मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	RES, New Tehri	SCP/DP	THE	2008-09	3.50	3.50	0.00	3.50	100%	3-09	1-10	कार्य पूर्ण
39	ग्राम जौकोट, वि0ख0 भिकियासैंण में प्राचीन देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	RES, ALM	SCP/SP	ALM	2007-08	15.30	15.30	—	10.59	55%	4-08		धुनी की शटरिंग का कार्य प्रगति पर
	योग					344.98	264.82	79.91	181.66				

नत्थी "घ"

(देखिये अता0 प्र0सं0–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2010 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री गगन सिंह रजवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का संलग्न

टी0एस0पी0 के अन्तर्गत–

क्र0सं0	योजना का नाम	लागत धन0 (लाख रु0 में)	निर्माण इकाई/नोडल विभाग का नाम
1	2	3	4
1.	आदि कैलाश यात्रा मार्ग में आवासीय सुविधा का विस्तार एवं पार्वती सरोवर क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण	31.45	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
2.	धारचूला कस्बे में काली नदी में दायें किनारे पर झूला पुल के अपस्ट्रीम में पर्यटन विकास हेतु सौन्दर्यीकरण एवं घाटों का निर्माण	165.42	सिंचाई निर्माण खण्ड पिथौरागढ़
3.	दारमा व्यास घाटी हेरिटेनेशनल का पर्यटन विकास (ग्राम बांगती, गुंजी, दांतू, दुग्तू, कुटी)	513.05	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
4.	पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी में साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए उपकरणों की व्यवस्था	11.09	जिलाधिकारी पिथौरागढ़
5.	पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी एवं धारचूला के जनजातियों गाँवों के युवाओं के लिए माउण्टेन गाइड प्रशिक्षण	5.50	जिलाधिकारी पिथौरागढ़
6	आदि कैलाश में ज्योलिंगकांग से पिदांग गौ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण, निर्माण इकाई	7.25	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
7.	गो बुकांग से सीपू ग्लेशियर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	12.85	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
8	ग्राम सभा दर से पंचाचूली बेस कैम्प तक सामुदायिक मिलन केन्द्रों तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	70.80	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
9	मुन्स्यारी क्षेत्र के 07 स्थलों के पर्यटन विकास/सौन्दर्यीकरण कार्य	100.00	जिला पंचायत पिथौरागढ़
10.	नगर पंचायत धारचूला अन्तर्गत टाईल बिछाने का कार्य	12.95	नगर पंचायत धारचूला

1	2	3	4
11.	मवला देवी मन्दिर जौलजीबी का सौन्दर्यीकरण	0.92	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पिथौरागढ़
12.	ग्राम पंचायत दर गरम पानी पूल स्रोत में पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण	21.17	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पिथौरागढ़
13.	धारचूला नगर पंचायत को 13 स्थलों में पर्यटन विकास/पार्क तथा सौन्दर्यीकरण कार्य	37.70	नगर पंचायत धारचूला

2–केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत–

1.	मुनस्यारी का पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप विकास	362.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
2.	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कैम्पिंग साइट एवं सुविधाओं का विकास	200.32	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
3.	पिथौरागढ़ मुनस्यारी बेरीनाग पर्यटन डेस्टिनेशन का विकास	418.60	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
4.	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर 07 स्थलों पर जनसुविधाओं की स्थापना	5.20	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

3–जिला योजनान्तर्गत–

1.	मुनस्यारी तहसील के सुरिंग में भूलगल मन्दिर परिसर में धर्मशाला निर्माण, (2007-08)	3.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
2.	नरपटिया जनजाति महोत्सव स्थल का पर्यटन विकास तहसील मुनस्यारी, (2007-08)	2.50	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
3.	नारायण स्वामी आश्रम सोसा का पर्यटन विकास (2007-08)	3.00	जल निगम निर्माण विंग पिथौरागढ़
4.	धारचूला नगर पंचायत अन्तर्गत हनुमान मन्दिर परिसर का सौन्दर्यीकरण	1.00	जल निगम निर्माण विंग पिथौरागढ़
5.	मुनस्यारी में डांडाधार का सौन्दर्यीकरण (2004-05)	3.00	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
6.	वि0ख0 मुनस्यारी में कनार स्थित भगवती मन्दिर मेला स्थल एवं धर्मशाला निर्माण, (2008-09)	5.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
7.	गस्कू से नारायण आश्रम तक सम्पर्क मार्ग एवं यात्री शेड निर्माण, (2008-09)	5.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

1	2	3	4
8	धारचूला नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण, (2010-11)	11.00	नगर पंचायत धारचूला
9	मुनस्यारी में डाकबंगला में आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वाल के समीप आगन्तुकों हेतु ओपन शेड, बैंच का निर्माण, (2010-11)	6.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

4—राज्य योजनान्तर्गत—

1.	गलाती से छिपलाकेदार तक सम्पर्क मार्ग, विकास खण्ड धारचूला	7.87	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
2.	जोखा से कनार तक सम्पर्क मार्ग निर्माण ग्राम पंचायत कनार	9.47	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
3.	नौला से छिपला केदार मार्ग सुधारीकरण	8.00	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
4.	नौला मन्दिर परिसर जुम्मा का सौन्दर्यीकरण	3.04	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
5.	छिपला हरचन मन्दिर स्याकुरी का सौन्दर्यीकरण	3.04	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
6	धारचूला कोट का सौन्दर्यीकरण	3.24	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
7.	दारमा घाटी में दांतू का पर्यटन की दृष्टि से विकास	2.67	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
8	गुर्गिया मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	5.30	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
9	पर्यटन स्थल छिपलाकोट में टिन शेड तथा तवाघाट खेला गुर्गिया से छिपलाकोट मार्ग का निर्माण	20.60	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
10	पर्यटन स्थल कनार तक सम्पर्क मार्ग तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण	21.38	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
11.	जोखा से कनार तक सम्पर्क मार्ग ग्राम पंचायत कनार	7.00	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पिथौरागढ़
12	मिलम ग्लेशियर का पर्यटन विकास	23.14	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 विधान सभा/206—28—8—2012—200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।